



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भायल सखकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

AX1/ISD/STEX/2022-23

Date: 06th June, 2022

The General Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Ltd.,
P.J Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

The Vice President,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051

BSE Scrip Code: 532525

NSE Symbol: MAHABANK-EQ

Dear Sir / Madam,

Sub: Annual Report 2021-22 of the Bank.

With reference to captioned subject, please find the enclosed Annual Report 2021-22 of the Bank pursuant to Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulation, 2015.

Copy of Annual Report 2021-22 of the Bank is also available on Bank's website i.e. https://bankofmaharashtra.in/annual_reports

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Bank of Maharashtra**

(Chandrakant Bhagwat)
Company Secretary & Compliance Officer



Encl: As above

प्रधान कार्यालय / Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411005

टेली / Tel.: 020 25511360 ईमेल / Email: investor_services@mahabank.co.in वेबसाइट / Website: www.bankofmaharashtra.in

19वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

दिनांक: मंगलवार, 28 जून, 2022

Notice for 19th Annual General Meeting

Date: Tuesday, 28th June, 2022



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

टेली/Tel.: 020 25511360 ईमेल/Email: investor_services@mahabank.co.in

वेबसाइट/Website: www.bankofmaharashtra.in

अनुसूची / INDEX

नोटिस	03	Notice	13
टिप्पणियां	05	Notes	15
ई-वोटिंग प्रक्रिया	08	E-voting Process	18
मद क्र. 3 के लिए स्पष्टीकरण कथन	12	Explanatory Statement to Item no. 3	22

19वीं वार्षिक साधारण बैठक / 19th Annual General Meeting

महत्वपूर्ण दिनांक और कार्यक्रम IMPORTANT DATES AND PROGRAMME

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Date
लाभांश का रिकॉर्ड दिनांक Record Date for Dividend	मंगलवार, 21 जून, 2022 Tuesday, 21 st June, 2022
ई-वोटिंग अवधि E-Voting period	शनिवार 25 जून, 2022 को सुबह 9.00 बजे से सोमवार 27 जून, 2022 को शाम 5.00 बजे तक From 9.00 a.m, Saturday, 25 th June, 2022 to 5.00 p.m, Monday, 27 th June, 2022
बही बंद होना Book Closure	बुधवार 22 जून 2022 से मंगलवार, 28 जून, 2022 तक Wednesday, 22 nd June, 2022 to Tuesday, 28 th June, 2022
वार्षिक साधारण बैठक का दिनांक और समय Date and time of Annual General Meeting	मंगलवार, 28 जून, 2022 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से On Tuesday, 28 th June, 2022 at 11.00 a.m (IST) through via Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

टिप्पणी: कृपया बैंक की 19वीं वार्षिक साधारण बैठक में वीसी या ओएवीएम द्वारा भाग लेने और शामिल होने से संबंधित निर्देशों के लिए पृष्ठ संख्या 11 या 21 देखें।

Note: Please refer to page no.11 or 21 for instructions related to participation and joining the 19th Annual General Meeting of Bank through VC or OAVM.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005.

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की **उन्नीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) मंगलवार, 28 जून, 2022 को सुबह 11.00 बजे** (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित हेतु आयोजित की जाएगी :

सामान्य व्यवसाय :

मद क्रमांक 1

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और उसी दिन समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, बैंक के खातों और तुलनपत्र व खातों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।

मद क्रमांक 2

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा

विशेष व्यवसाय :

मद क्रमांक 3 :

एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ इश्यू इत्यादि के माध्यम से इक्विटी पूंजी उगाहना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“अधिनियम”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (“योजना”) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (“विनियम”), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/ या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, और विनियम यथा सेबी (पूँजी जारी करना और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (“आईसीडीआर विनियम”) के अध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू कानूनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथा संशोधित/ अद्यतन दिशानिर्देशों, यदि कोई हों और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई समिति जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर रु.10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के, समग्र रूप से जो रु.5000/- करोड़ (पाँच हजार करोड़ रुपए मात्र) से अधिक न हों, इक्विटी शेयरों का (फर्म आबंटन के लिए और/अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करेगा, ताकि हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% केंद्र सरकार के पास हो, चाहे वे बाजार मूल्य के प्रीमियम पर किसी एक या अधिक ट्रेंच, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (“एनआरआई”), कंपनियों- निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईपी”) जैसे विदेशी संविभाग निवेशकों (“एफपीआई”), बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इक्विटी शेयरों / प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी संमिश्र के रूप में हों।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार का प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन या तो सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), अधिमांन इश्यू या तत्संबंधी संमिश्र अनुसार या अधि-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 (“आईसीडीआर विनियम”) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धति से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/ या हामीदारों (अंडरराइटर्स) और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू

कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशक(कों), चाहें वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमतें तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होंगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संबंधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों (एलओडीआर विनियमों), अधिनियम, विनियमों के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखतों) नियमों, 2019 तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) से अपेक्षित स्वीकृति, सहमति, अनुमति और/या ऐसा अनुमोदन (इसके बाद जिसे “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेंच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में उल्लिखित है, के अंतर्गत प्लेसमेंट दस्तावेज़/ लेखन / परिपत्र / ज्ञापन और ऐसी पद्धति से और ऐसी कीमत पर, और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में परिभाषित किए अनुसार) के लिए वारंट को छोड़कर, इक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% से कम हिस्सा न हो।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में -

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन को इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।
- ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक, विनियमों के अनुसार अधिकृत आधार मूल्य में अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर खरीदने की पेशकश कर सकता है।
- ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार/ भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते/ देते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/ अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथालागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन लेकिन उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयर, यथासंशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्गम या इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निदेशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम की प्रीमियम राशि तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजनिक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तें जोड़ने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स)/ अग्रणी प्रबंधक(कों)/ हामीदार(रों)/ निक्षेपक(कों)/ रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने और इसमें प्रवेश भी करने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापन, दस्तावेजों, आदि को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों (अंडरराइटर्स), अन्य सलाहकारों और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्वारा निर्गम(निर्गमों) के स्वरूप और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सहित जिन्हें शेयर/ प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित होने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/ वारंट/ प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अवधि, परिवर्तित, उन्मोचित या निरस्तिकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित आकस्मिक मामले, भारत और/ अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझें, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनभिदत्त ईक्विटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे, और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत्त हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने/ प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा उसे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक(निदेशकों) या बैंक का ऐसा कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे इस उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु उचित समझे, यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 25 मई, 2022

(ए. एस. राजीव)

स्थान : पुणे

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियां :

1. बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां मद क्र. 3 में संलग्न हैं।
2. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने 5 मई, 2022 और 13 जनवरी, 2021 तथा 5 मई, 2020 के परिपत्रों के साथ पढ़े गए 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के अपने परिपत्रों (समग्र रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों द्वारा कंपनियों को एक आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से कैलेण्डर 2022 के लिए एजीएम ("एजीएम") का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी लिस्टिंग विनियम') और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक का 19वीं एजीएम वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अतः केवल वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से सदस्य आगामी एजीएम में सहभाग ले सकते हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय को एजीएम का स्थान माना जाएगा।
3. **प्रॉक्सी की नियुक्ति :**
एमसीए परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स व बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 70 (vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए अनुपलब्ध रहेगी। अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति और उपस्थिति पर्ची को यहां संलग्न नहीं किया जा रहा है।
4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**
किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए जिसमें वह पारित किया गया हो तथा वह ई-मेल investor_services@mahabank.co.in पर वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से न्यूनतम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 23 जून, 2022 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।
5. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स व बैठकें) विनियम, 2004 के अंतर्गत कोरम की जांच हेतु सम्मिलित किया जाएगा।
6. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी के परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि बैंक का एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमशः www.bseindia.com www.deewj.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर भी उपलब्ध होगी।
7. **बैंक का एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने तथा लाभांश का भुगतान करने के लिए बैंक खातों के ब्यौरों को अद्यतन करने हेतु ई-मेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया :**

भौतिक शेयरधारकों के लिए : भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक बैंक के आरटीए के पास अपने बैंक खाते के ब्यौरों को अद्यतित कर और अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं जिसके लिए या तो वे समुचित रूप से भरे हुए **आईएसआर -1 फॉर्म** की भौतिक प्रति एमसीए शेयर ट्रांसफर लिमिटेड, के-215, दूसरी मंजिल, अन्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट, साकी विहार रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 072 पर भेज सकते हैं या helpdesk@mum@mcstrsregistrars.com / mparase@mcstrsregistrars.com पर मेल भेज सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए : डीमटेरियालाज्ड मोड में शेयर धारित करने वाले और जिनके ई-मेल आईडी/ बैंक खाते के ब्यौरे पंजीकृत नहीं हैं ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपनी संबंधित डिपॉजिटरियों के पास अपने ई-मेल पते, मोबाइल क्रमांक और बैंक खाते के ब्यौरे पंजीकृत/ अद्यतित करें।

8. चूंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा, अतः इस नोटिस में रूट मैप को संलग्न नहीं किया गया है।
9. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दूरस्थ ई-मतदान, वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम पर मतदान से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश एतद्वारा अलग से दिए गए हैं।
10. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व और उसके पश्चात् वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें उन बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयर धारित करने वाले सदस्य), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
11. बैंक के जिन शेयरधारकों ने बैंक/ डिपॉजिटरी/ आरटीए के साथ अपने ई-मेल को पंजीकृत नहीं कराया है, वे investor_services@mahabank.co.in / helpdesk@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 प्राप्त कर सकते हैं।
12. **बहियों का बंद होना :**
बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही **बुधवार 22 जून, 2022 से मंगलवार 28 जून, 2022 (दोनों दिनों को मिलाकर)** तक बैंक की 19वीं वार्षिक साधारण बैठक तथा लाभांश के भुगतान के लिए बंद रहेंगे।
13. **लाभांश के लिए नियत दिनांक :**
31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश हेतु सदस्यों की पात्रता का पता लगाने हेतु **मंगलवार, 21 जून, 2022** नियत दिनांक निर्धारित की गई है।
14. **लाभांश का भुगतान :**
बैंक के निदेशक मंडल ने 25 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त रु.10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर की दर से रु. 0.50 के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश की अनुशंसा निदेशक मंडल द्वारा की गई है और यदि बैंक की 19वीं वार्षिक साधारण बैठक में इसे अनुमोदित किया जाता है तो स्रोत पर कर की कटौती पर अधीन इसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार प्रदर्शित होते हैं:
 - 1) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में डिपॉजिटरियों (अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सूची के अनुसार 21 जून, 2022 को व्यवसाय घंटे की समाप्ति पर लाभार्थी स्वामी के रूप में हैं और
 - 2) 21 जून, 2022 को या उसके पूर्व बैंक के पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज अनुरोधित सभी वैध अंतरणों और प्रतिस्थापन हेतु प्रभाव देने के पश्चात् कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में हैं।
 - 3) लाभांश का संवितरण पात्र शेयरधारकों को 19वीं वार्षिक साधारण बैठक में लाभांश की घोषणा के दिनांक से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
15. **लाभांश पर टीडीएस :**
 - क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों की लाभांश आय कर योग्य होती है तथा बैंक को शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती निर्धारित दरों पर करना आवश्यक होता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट दरों हेतु शेयरधारकों के अनुरोध हेतु आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर धारित करने के मामले में) और डिपॉजिटरियों (डीमैट रूप में शेयर धारित करने के मामले में) के पास अपने पैन अद्यतित करें।
 - ख) कोई निवासी वैयक्तिक शेयरधारक जिसके पास पैन है और जो आयकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है वह स्रोत पर कर की कटौती न किए जाने का लाभ प्राप्त करने हेतु आरटीए को ई-मेल द्वारा फॉर्म क्र. 15जी/ 15 एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि नोट करें कि यदि उनके पैन पंजीकृत नहीं हैं तो 20% की उच्च दर पर कर की कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक अपने निवास के देश और भारत के बीच कर संधी के अंतर्गत लाभ दरें प्राप्त कर सकते हैं जो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन है यथा स्थायी प्रतिष्ठान तथा लाभार्थी स्वामित्व न होने की घोषणा, कर निवासी प्रमाणपत्र, फॉर्म 10 एफ, कोई अन्य दस्तावेज जो mparase@mcsregistrars.com पर आरटीए को ई-मेल भेजकर कर संधी के लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो सकता है।
 - ग) शेयरहोल्डर द्वारा उक्त घोषणाएं और दस्तावेज **17 जून, 2022** या उससे पूर्व mparase@mcsregistrars.com पर मेल द्वारा प्रस्तुत जाना आवश्यक है ताकि बैंक लाभांश राशि पर टीडीएस/ कर कटौती की दर का निर्धारण कर सके। कर की दर, कर कटौती/ निर्धारण पर **17 जून, 2022** के पश्चात् कंपनी द्वारा किसी भी संप्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रदर्शित होता है, एजीएम में वोट देने का हकदार होगा।
17. खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के बारे में किसी भी जानकारी की मांग करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे investor_services@mahabank.co.in पर ई-मेल के माध्यम से सोमवार, 20 जून, 2022 को या पहले बैंक को मेल भेजें। इसका उत्तर बैंक द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

18. **पैन, केवायसी, बैंक के ब्यौरे और नामांकन प्रस्तुत करने हेतु मानदंड :**

सेबी ने दिनांक 03 नवंबर, 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित कंपनियों को भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सभी शेयरधारकों के पैन, केवायसी, बैंक ब्यौरे और नामांकन प्राप्त करने का अधिदेश दिया है। ऐसे फोलियो जहां कोई भी एक प्रदत्त ब्यौरे/ दस्तावेज (अर्थात पैन, केवायसी, बैंक ब्यौरे और नामांकन) 01 अप्रैल, 2023 को उसके बाद हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसे फोलियो में उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार संव्यवहार रोक दिया जाएगा।

पैन, केवायसी, बैंक ब्यौरे और नामांकन अर्थात फॉर्म आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13 और एसएच-14 के अद्यतन हेतु निवेश सेवा अनुरोध फॉर्म तथा उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध हैं। बैंक ने उक्त के संबंध में फरवरी, 2022 में उन शेयरधारकों को पत्र भेजा है जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है। उपर्युक्त को देखते हुए हम बैंक के शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि बैंक के आरटीए को निम्नलिखित पते पर समुचित रूप से भरा हुआ निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म और साथ ही सहायक दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत करें :

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,

(यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

कार्यालय नंबर के-215, दूसरी मंजिल, अन्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट,

साकी विहार रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 072

दूरभाष: 022 - 28476021/ 22

ईमेल: helpdesk@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com

उन शेयरधारकों के संबंध में जो डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अद्यतित करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें।

19. **भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना :**

सेबी ने हाल ही में सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोध को 01 अप्रैल, 2019 से स्वीकार करने से रोक दिया गया है। जो इस तिथि के बाद भी जो शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, वे आगे हस्तांतरण के लिए बैंक / इसके आरटीए के साथ शेयरों को दर्ज करने में सक्षम नहीं होंगे। शेयरधारक यदि किसी हस्तांतरण को प्रभावी करना चाहते हैं तो उन्हें इनको अनिवार्य रूप से डी-मैट फॉर्म में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के प्रसारण और हस्तांतरण के अनुरोध, आरटीए द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपना पैन जमा करें, जिनके साथ वे अपने डी-मैट खातों का रखरखाव कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना पैन और अन्य विवरण बैंक के आरएण्टी एजेंटों को दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के सेबी परिपत्र SEBI / HO / MIRSD / DOP1 / CIR / P / 2018/73 के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

20. **शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन के लाभ :**

शेयर प्रमाणपत्र के गुम होने और कटने-फटने का कोई डर नहीं, प्रतिभूतियों को धारित करने का सरल और सहज प्रकार, प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण, प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु कम कागजी कार्रवाई, कम अंतरण लागत, लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा होता है।

21. **अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश, यदि कुछ हो :**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित “निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि” (आईईपीएफ), को अंतरित की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसरण में 2014-15 से पूर्व के वित्तीय वर्षों के लिए शेष प्रदत्त/ अदावाकृत लाभांश की ऐसी कोई भी राशि “निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि” में अंतरित की गई है।

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है, उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से या पुणे में बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क करें।

आईईपीएफ प्राधिकारी से अदावाकृत लाभांश राशि का दावा निर्दिष्ट फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन कर और समुचित रूप से हस्ताक्षरित (बैंक के पास रिकॉर्ड किए गए नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) इसकी भौतिक प्रति आईईपीएफ-5 में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय, पुणे को भेजकर किया जा सकता है। आईईपीएफ नियम तथा अदावाकृत लाभांश का वापस दावा करने के लिए निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा विनिर्दिष्ट आवेदन फॉर्म आईईपीएफ-5 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in और साथ ही एमसीए की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

22. मतदान अधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रजिस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा और बैठक में केवल वही कार्यसूची मदों पर रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

23. ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित जानकारी व अन्य अनुदेश निम्नानुसार हैं :

क. कार्यसूची मदों 1, 2 और 3 के लिए नियत दिनांक:

यथासंशोधित कंपनियों (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में सभी कार्यसूची मदों के संबंध में शेयरधारकों का मतदान अधिकार मंगलवार, 21 जून, 2022 को माना जाएगा।

ख. रिमोट ई-वोटिंग :

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। निर्दिष्ट दिनांक और / या नियत दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाइज्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। शनिवार, 25 जून, 2022 को सुबह 9.00 बजे से सोमवार, 27 जून, 2022 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।

ग. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटर और डिपॉजिटर प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वचुअल मीटिंग में शामिल होने हेतु लॉगिन का तरीका निम्नानुसार है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग इन पद्धति
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉग इन करने के लिए यूआरएल हैं https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग इन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम मायईजी का चयन करें।</p> <p>2) सफल लॉग-इन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वचुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात् सीडीएसएल/ एनएसडीएल/ कार्वी/ लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।</p> <p>3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है।</p>

	4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डी-मैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डी-मैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।
एनएसडीएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsdl.com एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, “लॉग-इन” के अंतर्गत “बेनिफिशियल ओनर” आइकन पर क्लिक करें, जो ‘आइडीईएस’ सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत “एक्सेस टू ई-वोटिंग” पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “आईडीईएसपोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें” विकल्प चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, ‘लॉग-इन’ आइकन पर क्लिक करें, जो ‘शेयरधारक/सदस्य’ अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डी-मैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।</p>
व्यक्तिगत शेयरधारक (डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग-इन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डी-मैट खाते के लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग-इन कर सकते हैं। सफल लॉग-इन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगॉट यूजर आईडी और फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉग-इन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क च्यारे
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

घ) ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन विधि और डी-मैट फॉर्म में व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना।

क. ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें -

- निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर लांच करें
<https://www.evotingindia.com/>
- शेयरहोल्डर लॉग-इन पर क्लिक करें
- अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें

- अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- यदि आपने अपने शेयर डी-मैट रूप में धारित किए हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है।
- यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	डी-मैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमैरिक पैन ड प्रविष्ट करे (डी-मैट शेयरधारकों के साथ ही भौतिक शेयरधारकों दोनों पर लागू) <ul style="list-style-type: none"> जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले 2 अक्षरों का तथा अनुक्रम क्रमांक (sequence number) के 8 अंकों का उपयोग करें। यदि अनुक्रम क्रमांक 8 अंकों से कम है तो बड़े अक्षरों में नाम के पहले 2 अक्षरों के पश्चात क्रमांक से पूर्व लागू संख्या में शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरण यदि आपका नाम रमेश कुमार है और आपका अनुक्रम क्रमांक 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए बैंक/आरटीए के अभिलेख में या आपके डी-मैट खाते में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीडी/एमएम/वायवाय प्रारूप में) प्रविष्ट करें। <ul style="list-style-type: none"> यदि डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया अनुदेश (v) में उल्लेख किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।

- ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
- भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डी-मैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
- आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <BANK OF MAHARASHTRA> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- वोटिंग पृष्ठ पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हां/नहीं" विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सहमति देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो "रिजॉल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

कार्यसूची मद क्र. 1, 2 और 3 के लिए

- xiii) मतदान पृष्ठ पर **नियत दिनांक** (21 जून, 2022) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी।
- xiv) कार्यसूची मद क्र. 1, 2 और 3 के संबंध में, आप मामले के अनुसार एसेंट या डिसेंट पर क्लिक कर सकते हैं। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत दें और **“सबमिट”** पर क्लिक करें और प्रदर्शित होने पर **“कनफर्म”** पर क्लिक करें।
- xv) एक पुष्टि (कन्फर्मेशन) बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो **“ओके”** पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट में परिवर्तन करने के लिए **“कैन्सल”** पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- xvi) एक बार संकल्प पर अपना वोट **“कन्फर्म”** करने के पश्चात आपको अपने वोट में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- xvii) आप वोटिंग पृष्ठ पर **“क्लिक हियर टू प्रिंट”** विकल्प पर क्लिक कर किए गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xviii) यदि कोई डी-मैट खाताधारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल जाता है तो अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें, छवि सत्यापन (इमेज वेरिफिकेशन) कूट प्रविष्ट करें और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा प्रदर्शित किए अनुसार ब्यौरे प्रविष्ट करें।
- xix) **शेयरधारक एनड्रॉयड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम-वोटिंग के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल और विंडोज फोन का इस्तेमाल करनेवाले लोग क्रमशः ऐप स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल से वोट करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों का पालन करें।**
- xx) **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट**
- क) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि को छोड़कर) और अभिरक्षकों से अनुरोध है कि www.evotingindia.com पर लॉग-इन करें और स्वयं को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें।
- ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर तथा सीसी scrutiniser@snaco.net पर ई-मेल की जाए।
- ग) लॉग-इन ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए। कम्प्लायन्स यूजर उस खाते(खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं।
- घ) लॉग-इन में लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे
- ड) बोर्ड रिजोल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।
- ख. यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका है या मुद्दा है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या आप श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, 'ए' विंग, 25वां तल, मैराथॉन फ्यूच्युरेक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुंबई - 400013 या टोल फ्री क्र. 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं या आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं।
- ग. शेयरधारक अद्यतित ई-वोटिंग अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in के मुख-पृष्ठ पर निवेशक सेवाएं लिंक को भेंट दे सकते हैं।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ ईजीएम में सहभाग लेने और बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने वाले सदस्यों के लिए निर्देशः

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लेख किए गए निर्देशों के ही समान है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ ओएवीएम के लिए लिंक वहां उपलब्ध होगी जहां रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफल लॉग-इन के पश्चात बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
3. सदस्यों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपीपैड के माध्यम से एजीएम में शामिल हों।
4. बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा एक्सेस की अनुमति देने और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
5. प्रतिभागी मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने पर अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/ वीडियो की क्षति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपर्युक्त किसी भी प्रकार की खामियों/ कठिनाईयों को कम करने के लिए उचित वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
6. वे सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 20 जून, 2022 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से 23 जून, 2022 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) तक की अवधि के दौरान ई-मेल के माध्यम से अग्रिम रूप से अपना अनुरोध investor_services@mahabank.co.in पर भेजकर खुद को एक वक्ता (speaker) के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। इस अनुरोध में अपना नाम, डी-मैट खाता क्रमांक / फोलियो क्रमांक, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करें।

7. वे सदस्य जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ शंकाएं हैं तो वे अपनी शंकाएं 20 जून, 2022 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) तक investor_services@mahabank.co.in पर अग्रिम रूप से भेज सकते हैं, इस में अपना नाम, डी-मैट खाता क्रमांक / फोलियो क्रमांक, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करें। इन शंकाओं का उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल के माध्यम से उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
8. वे सदस्य जिन्होंने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है।
9. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेनेवाले शेयरधारकों की गणना बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2004 के विनियमन 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

24. वार्षिक साधारण बैठक में संवीक्षक :

19वीं वार्षिक साधारण बैठक में आयोजित की जानेवाली रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे संवीक्षक का कार्य करेंगे।

25. ई-वोटिंग का परिणाम:

वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण कथन :

एजेंडा मद क्र. 3:

एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी की उगाही

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को 31.03.2022 को बेसल-III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का न्यूनतम 11.50% सीआरएआर बनाए रखना है, जिसमें 5.50% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1) की एक शर्त शामिल है। बेसल III ढांचे के अनुसार 31.03.2022 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.48% था जिसमें 12.17% के (सीसीबी सहित) सीईटी 1 के साथ टीयर-1 पूंजी (सीसीबी सहित) 12.38% थी। सीसीबी के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक ने रु.5000/- करोड़ की पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है।
- (ii) उपर्युक्तानुसार आवश्यक पूंजी को केंद्र सरकार से पूंजी सहयोग, यदि कोई हो, सहित एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी इश्यू इत्यादि के फॉलो-ऑन निर्गमन के माध्यम से बाजार से उगाहा जाना प्रस्तावित है। इन विकल्पों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और विद्यमान बाजार स्थितियों के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य ऐसे प्राधिकारियों के अनुमोदन से और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुमोदन एवं सेबी तथा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संगत दिशानिर्देशों/ विनियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित इक्विटी पूंजी उगाही जाएगी।
- (iv) निदेशक मंडल ने 28 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु.5000/- करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की इक्विटी पूंजी की उगाही करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।
- (v) एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से रु.5000/- करोड़ तक पूंजी उगाहने के लिए 24 जून, 2021 को आयोजित 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। सेबी विनियमों के अनुसार संकल्प की वैधता ऐसे क्यूआईपी के लिए बारह माह हेतु प्रतिबंधित है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शेयरधारकों का अनुमोदन एतद्वारा एक बार पुनः मांगा जाता है।
- (vi) जारी इक्विटी शेयरों को लाभांश सहित बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ हर प्रकार से समरूप रैंक किया जाएगा।

निदेशक मंडल ने नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।

बैंक के किसी भी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति/ निदेशक की शेयरधारक निदेशक का उपर्युक्त संकल्पों में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

दिनांक: 25 मई, 2022

स्थान: पुणे

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(ए. एस. राजीव)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune – 411005

Notice

Notice is hereby given that the **Nineteenth Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of **Bank of Maharashtra** will be held on **Tuesday, the 28th June, 2022 at 11.00 a.m.** (IST) via Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

Item No.1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No.2

To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2021-22.

SPECIAL BUSINESS:

Item no.3:

To raise Equity Capital through FPO/Rights issue/QIP issue etc.,

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**") which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10 each, aggregating to not more than Rs.5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore only), (including premium) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Shareholders, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies - private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Portfolio Investors ("**FPIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of Public issue, Rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs), Preferential issue or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("**ICDR Regulations**") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions

as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations), the Act, the provisions of the Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or to Executive Director/(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of Board of Directors

Date: 25th May, 2022

Place: Pune

(A.S. Rajeev)

Managing Director and CEO

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No.3 at the meeting is annexed hereto.
2. In view of the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) circulars dated May 5, 2022, January 13, 2021 and May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as “MCA Circulars”) and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Companies are permitted to hold the AGM (“AGM”) for the calendar 2022 through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) and MCA Circulars, the 19th AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of Bank shall be deemed to be the venue of the AGM.
3. **APPOINTMENT OF PROXY:**
In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith.
4. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the investor_services@mahabank.co.in not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Thursday, 23rd June, 2022.
5. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.
6. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 13th May, 2022, Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2021-22 of Bank will also be available on the Bank’s website www.bankofmaharashtra.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL <https://www.evotingindia.com>
7. **Process to register the email id for receiving Bank’s AGM Notice and Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend:**
For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank’s RTA by sending either physical copy of duly filled-in **ISR-1 form** to MCS Share Transfer Agent Ltd., K-215, 2nd Floor, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai – 400072 or by sending mail at helpdesknum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com
For Shareholders holding shares in Demat form: Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register/update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depository Participants.

8. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map of venue of meeting is not annexed in this Notice.
9. The facility to attend the AGM through VC / OAVM will be provided through the Central Depository Services of India Limited (CDSL). The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.
10. The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
11. Shareholders of Bank, who have not registered their email addresses with Bank / Depositories / RTA can obtain the Notice of AGM and Annual Report 2021-22 by sending email to investor_services@mahabank.co.in / helpdesknum@mcsregistrars.com
12. **Book Closure:**

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **the Wednesday, 22nd June, 2022 to Tuesday, 28th June, 2022** (both days inclusive) for the purpose of 19th Annual General Meeting and payment of Dividend.
13. **Record date for Dividend:**

Tuesday, 21st June, 2022 has been fixed as Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Members for final dividend for the financial year ended 31st March, 2022.
14. **Payment of Dividend:**

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 25th May, 2022 has recommended dividend @ Rs.0.50 per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March, 2022. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 19th Annual General Meeting of Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:

 - a) as Beneficial Owners at the end of the business hours on 21st June, 2022 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e. NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form, and;
 - b) as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before 21st June, 2022.
 - c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of Declaration of Dividend at the 19th Annual General Meeting.
15. **TDS on Dividend:**
 - a) Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
 - b) A Resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at mparase@mcsregistrars.com
 - c) The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail on mparase@mcsregistrars.com on or before **17th June, 2022** to enable the Bank to determine the TDS/withholding tax rate on the dividend amount. No communication on the tax rate, tax deduction / determination shall be entertained by the Bank **after 17th June, 2022**.
16. In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Bank will be entitled to vote at the AGM.
17. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before Monday, 20th June, 2022 through email on investor_services@mahabank.co.in The same will be replied by the Bank suitably.

18. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular dated 3rd November 2021 has mandated the listed companies to have PAN, KYC, bank details and Nomination of all shareholders holding shares in physical form. Folios wherein any one of the cited details / documents (i.e. PAN, KYC, Bank Details and Nomination) are not available with us, on or after 1st April 2023, shall be frozen as per the aforesaid SEBI circular.

The investor service requests forms for updation of PAN, KYC Bank details and Nomination viz., Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 and the said SEBI circular are available on our website www.bankofmaharashtra.in. The Bank has sent a letter to the shareholders holding shares in physical form in relation to the aforesaid in February, 2022. In view of the above, we urge the shareholders of Bank to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address at the earliest:

MCS Share Transfer Agent Limited,

(Unit: Bank of Maharashtra)

Address: K-215, 2nd Floor, Ansa Industrial Estate,
Saki Vihar Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai – 400 072
Tel. 022 – 28476021/ 22

E-mail : helpdesk@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Website : www.mcsregistrars.com

In respect of shareholders who hold shares in the dematerialized form and wish to update their PAN, KYC, Bank Details and Nomination are requested to contact their respective Depository Participants.

19. Dematerialization of Physical Holdings:

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 01st April, 2019. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect, any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in securities market. Shareholders holding shares in electronic format, therefore, are requested to submit their PAN to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. Shareholders holding shares in physical form may submit their PAN and other details to the Bank's R&T Agents in accordance with SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20th April, 2018.

20. Benefits of Dematerialization of Shares:

No threat of loss and wear and tear of share certificate, Easy and convenient way to hold securities, Immediate transfer of securities, Reduced paperwork for transfer of securities, Reduced transaction cost, Dividend directly credited to your Bank Account.

21. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years prior to 2014-15 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund".

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the year 2014-15 are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Department at Pune.

The unclaimed dividend amount can be claimed from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Bank) along with the requisite documents enumerated in Form IEPF-5 to the Bank at the Head Office, Pune. The IEPF Rules and the application Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for claiming back the unclaimed dividend are available on the website of the Bank at www.bankofmaharashtra.in as well as the website of MCA at www.iepf.gov.in

22. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first

named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda item either through remote e-voting or voting at the meeting.

23. Information and other instructions relating to e-voting process are as under:

i) CUT-OFF DATE FOR AGENDA ITEM NO. 1, 2 and 3:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of all the agenda items shall be reckoned as on **Tuesday, 21st June, 2022**.

ii) REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. **Remote E-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date and / or on the Specified Date** may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders **from 09:00 a.m. on Saturday, 25th June, 2022 till 05:00 p.m. on Monday, 27th June, 2022 and the e-voting platform will be disabled thereafter.**

iii) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	<p>1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi.</p> <p>2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</p> <p>3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	<p>1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nSDL.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nSDL.com. Select “Register Online for IDeAS “Portal or click at https://eservices.nSDL.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nSDL.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/ Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting</p>
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430

iv) **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding in Demat form & physical shareholders.**

a) *Follow steps to cast E-vote:*

(i) *Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evotingindia.com/>*

(ii) *Click on Shareholder – **Login***

(iii) *Now Enter your User ID*

a. *For CDSL: 16 digits beneficiary ID,*

b. *For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,*

c. *Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.*

(iv) *Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.*

- (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the relevant EVSN for the relevant <BANK OF MAHARASHTRA > on which you choose to vote.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

For Agenda Items No.1, 2 and 3

- (xiii) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder of the Bank as on the **Cut-off Date** (21st June, 2022) will appear.
- (xiv) In respect of Agenda items no. 1, 2 and 3, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "**SUBMIT**" and also "**CONFIRM**" when prompted.
- (xv) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the agenda item, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xviii) If you are holding shares in electronic form and have forgotten the login password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) **Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**
- (xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
- a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.

- b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and cc to scrutiniser@snaco.net
 - c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - d) The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - e) A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- b) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or you may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, ‘A’ Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400 013 or contact at a toll free number 1800-22-5533 or you may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - c) Shareholders may visit Bank’s website i.e. www.bankofmaharashtra.in – Investor Services link on home page for updated e-voting instructions.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM/EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Members are requested to join the AGM through Laptops / IPads for better experience.
4. Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
6. Members who would like to express their views / ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance through e-mail during the period from 20th June, 2022 (9.00 a.m. IST) to 23rd June 2022 (5.00 p.m. IST) mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in
7. The Members who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance till 20th June, 2022 (5.00 p.m. IST) mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
8. Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.
9. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004.

24. SCRUTINIZERS AT E-VOTING AT AGM:

M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer for both the remote e-voting and e-voting process to be conducted at the 19th AGM.

25. RESULTS OF E-VOTING:

The Results of the voting at the AGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT:

Agenda Item No.3:

TO RAISE CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS ISSUE/QIP ISSUE ETC.,

- (i) As per RBI guidelines under Basel III the Bank should maintain a minimum CRAR of 11.50% of its Risk Weighted Assets (RWA) as of 31.03.2022, including stipulation of the minimum Common Equity Tier I Capital (CET 1) of 5.50%. The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.03.2022 was at 16.48% as per Basel III, of which Tier I capital (including CCB) was 12.38%, with CET 1 (including CCB) of 12.17%. To meet the additional requirement on account of projected growth in annual business, Bank has assessed a Capital requirement of around Rs.5,000/- crore for the financial year 2022-23.
- (ii) The required capital as above is proposed to be raised through Follow-on Issues by way of FPO/Rights Issue/QIP issue etc., including Capital support from Central Government, if any. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.
- (iii) The equity capital as above said will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (iv) The Board of Directors at its meeting held on 28th April, 2022 had given their approval to raise an equity capital upto Rs.5000/- crore (including share premium) through the different available options and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- (v) The approval of the Shareholders of the Bank was obtained in the 18th Annual General Meeting held on 24th June, 2021 for raising of capital through FPO/Rights Issue/QIP/ Preferential issue etc., upto Rs.5,000/- crore. As per the SEBI Regulations, the validity of the resolution is restricted to twelve months for such QIPs. Keeping in view the future requirements, the approval of the shareholders of the Bank is hereby sought once again.
- (vi) The equity shares issued shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of Board of Directors

Date: 25th May, 2022
Place: Pune

(A.S. Rajeev)
Managing Director and CEO



निगमित अभिशासन में हरित पहल - कागजरहित बनें!!!
ईमेल आईडी पंजीकरण फार्म

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेन्ट लिमिटेड (आरटीए)

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

पता : के-215, दूसरी मंजिल, अन्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट,

साकी विहार रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072

टेलीफोन : (022) 28476021/22

ईमेल : helpdesk@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय : ईमेल आईडी का पंजीकरण

में इलेक्ट्रॉनिक मोड में बैंक से सभी भावी शेयरधारकों के संचार जैसे नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज आदि प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ। सभी सूचनाएं/ दस्तावेज आदि ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए कृपया मेरे ई-मेल आईडी को अपने अभिलेख में पंजीकृत करें।

1	प्रथम /एकल शेयर धारक का नाम	
2	पंजीकृत फोलियो क्रमांक /डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
3	पता	पिन कोड :
4	ई-मेल आईडी :	
5	संपर्क क्रमांक :	

नोट:

- 1) शेयरधारकों से अनुरोध है कि ईमेल पते में कोई भी परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करें। जब तक आपके द्वारा लिखित रूप में एक और संचार भेजकर, दी गई ई-मेल आईडी नहीं बदली जाती है, बैंक आपको उपरोक्त ई-मेल आईडी पर नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज इत्यादि भेजना जारी रखेगा।
- 2) यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं, तो कृपया अपने डीपी के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करें।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं।

दिनांक :

स्थान:

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

GREEN INITIATIVE IN CORPORATE GOVERNANCE – GO PAPERLESS!!!

Email ID Registration form

To,

MCS Share Transfer Agent Limited (RTA)

Unit: Bank of Maharashtra

Address: K-215, 2nd Floor, Ansa Industrial Estate,
Saki Vihar Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai – 400 072
Tel. 022 – 28476021/ 22

E-mail : helpdesknum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Website : www.mcsregistrars.com

Dear Sir/ Madam,

Sub: Registration of Email ID

I agree to receive all future shareholders communication like Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ Documents etc. from the Bank in electronic mode. Please register my e-mail id in your records for sending all the notices / documents etc. through e-mail.

1.	First / Sole Shareholder's name:	
2.	Registered Folio No/ DP ID & Client ID.:	
3.	Address:	
	Pin code:	
4.	Email ID:	
5.	Contact Nos.:	

Notes:

- 1) Shareholders are requested to keep Bank informed as and when there are any changes in the email address. Unless the e-mail Id given is changed by you, by sending another communication in writing, the Bank will continue to send the Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ documents etc. to you on the above mentioned e-mail ID.
- 2) If shares are held in electronic mode, kindly register your e-mail ID with your DP.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Date:

Place:

(Signature of Shareholder)



ईसीएस फॉर्म

(केवल भौतिक रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए)

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (आरटीए)

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

पता : के-215, दूसरी मंजिल, अन्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट,
साकी विहार रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072

टेलीफोन : (022) 28476021/22

ईमेल : helpdesk@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय :

डाक पते सहित बैंक खाता/ पैन / ईमेल आईडी के ब्यौरे का अद्यतन

मैं/ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे/ हमारे फोलियो क्रमांक के सामने निम्नलिखित जानकारी को अद्यतित करें :

1. प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2. रजिस्टर्ड फोलियो क्रमांक	
3. पता	
	पिन कोड :
4. ई-मेल आईडी	
5. पैन क्र.	
6. संपर्क क्र.	
7. बैंक खाते का विवरण	
क. बैंक का नाम	
ख. शाखा नाम व पता	
	पिन कोड :
ग. बैंक खाता क्र.	
घ. बैंक शाखा का आईएफएससी कूट	
ड एमआईसीआर क्रमांक	

(* उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना पता साक्ष्य, पैन तथा निरस्त कोरा चेक (वर्तमान में सक्रिय खाता) की फोटो कॉपी संलग्न करें)

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है.

दिनांक
स्थान

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

ECS Form

(for Shareholders holding physical shares only)

To,

MCS Share Transfer Agent Limited (RTA)

Unit: Bank of Maharashtra

Address: K-215, 2nd Floor, Ansa Industrial Estate,
Saki Vihar Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai – 400 072

Tel. 022 – 28476021/ 22

E-mail : helpdesk@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Website : www.mcsregistrars.com

Dear Sir/ Madam,

Sub: Updation of details of Bank Account / PAN/ Email ID along with postal address.

I/ We request you to record/ update the following information against my/ our Folio No:

1. First / Sole Shareholder's name:	
2. Registered Folio No.:	
3. Address:	
	Pin code:
4. Email ID:	
5. PAN No.:	
6. Contact Nos.:	
7. Particulars of Bank Account:	
a. Bank Name	
b. Branch Name and its address	
	Pin code:
c. Bank Account Number	
d. IFSC code of the Bank Branch	
e. MICR No.	

(Please enclosed self-attested copy of Address proof, PAN and cancelled Cheque (of presently active a/c) for verification of the above details).

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Date:

Place:

(signature of Shareholder)



This page has been intentionally left blank



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

बढ़ती अपेक्षाएं,
बेहतर समाधान

URGING TIMES,
SURGING MEASURES

Internet Banking



Account Balance Enquiry



Mobile Banking App



WhatsApp Banking



BHIM UPI



ATM and Branch Locator



Customer First

Digital Must

Customer Service Always

वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT
2021-22



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक



SOCIAL SECURITY SCHEMES

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

- Micro Insurance with ₹ 20 per annum premium amount
- Coverage of ₹ 2 Lakh for the accidental death and permanent total disability and ₹ 1 Lakh for permanent partial disability
- Available to people in the age group 18 to 70 years

PMSBY



PMJJBY



Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

- Micro Insurance with ₹ 436 per annum premium amount
- Available to people in the age group 18 to 50 years
- Coverage of ₹ 2 Lakh in case of death of the insured, due to any reason

Introduced by Government of India and administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), Atal Pension Yojana is a guaranteed pension scheme offering monthly pension at the age of 60 years ranging from ₹ 1000/- to ₹ 5000/- to bank account holders in the age group of 18 to 40 years

ATAL PENSION YOJANA



DIGITAL PRODUCTS



WhatsApp
Banking
70660 36640

Ask

BoMy
Virtual
Assistant
On website



Digital
Loans
Visit website

Scan to Apply



Maha Mobile

All in one App for banking, payments, wealth management and much more



Internet Banking,
UPI, IMPS, BHIM
Aadhar Pay



BoM Credit Card

Zero liability card with attractive features and rewards program



NETC FASTag

Save fuel & time with Mahabank FASTag



Online Locker Module

Facility to apply lockers online

Missed Call Services: 92222 81818 (Balance Enquiry) | 72878 88886 (Mini Statement) | 72878 88887 (E-Statement)

For more details, visit your home branch

Reach out to us: feedback@mahabank.co.in



Toll Free Numbers: 1800-233-4526 | 1800-102-2636



Website: <https://bankofmaharashtra.in>

For Loan Enquiry, give a missed call to
8010 614 614

Follow Us @mahabank [T](#) [F](#) [Y](#) [I](#) [P](#) [C](#)

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृष्ठ क्र. Page No.
1.	निदेशक मंडल	Board of Directors	2
2.	महाप्रबंधकगण	General Managers	3
3.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन	Statement of Managing Director & CEO	4
4.	मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक	Key Performance Indicators	6
5.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	7
6.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	8
	- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	- Management Discussion and Analysis	8
	- कार्य-निष्पादन विशेषताएं 2021-22	- Performance Highlights 2021-22	8
	- संसाधन: शाखा नेटवर्क, मानव संसाधन, आईटी अवसंरचना, ग्राहक अनुक्रियाशीलता और अन्य	- Resources: Branch Network, Human Resources, IT Infrastructure, Customers Responsiveness and Others	14
	- सामाजिक / सूक्ष्म आर्थिक विकास	- Socio/Micro Economic Development	22
	- बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं	- Important Schemes/ Projects of the Bank:	24
	- निगमित सामाजिक दायित्व	- Corporate Social Responsibility	28
	- अग्रणी बैंक योजना	- Lead Bank Scheme	29
	- सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	- Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	30
	- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	- Implementation of Official Language Policy	32
	- सुरक्षा	- Security	33
	- सचिवीय लेखा परीक्षा	- Secretarial Audit	33
	- निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	- Directors' Responsibility Statement	34
	- निदेशक मंडल में परिवर्तन	- Changes in the Board of Directors:	34
	- लाभांश वितरण नीति	- Dividend Distribution Policy	35
	- व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	- Business Responsibility Report	35
	- आभार	- Acknowledgement	35
7.	कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	Corporate Governance Report	42
8.	तुलन-पत्र	Balance Sheet	80
9.	लाभ व हानि खाता	Profit & Loss Account	81
10.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	91
11.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	98
12.	नकदी प्रवाह का विवरण	Cash Flow Statement	134
13.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	136
14.	बेसल III प्रकटन	Basel III Disclosures	153
15.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statements	155

19वीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस संलग्न
NOTICE FOR 19TH ANNUAL GENERAL MEETING ENCLOSED

सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनन्थन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स एस भंडारी एंड कंपनी
एफआरएन: 000560सी
सनदी लेखाकार
For M/s. S Bhandari & Co.
FRN: 000560C
Chartered Accountants



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005)
(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)



निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार / As on 31.03.2022



श्री ए. एस. राजीव

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Shri A. S. Rajeev

Managing Director & Chief Executive Officer



श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक
Shri A.B. Vijayakumar, Executive Director



श्री आशीष पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक
Shri Asheesh Pandey, Executive Director



श्री ललित कुमार चंदेल
सरकार नामित निदेशक
Shri Lalit Kumar Chandel
Government Nominee Director



श्री मनोज के. वर्मा
आरबीआई नामित निदेशक
Shri Manoj K. Verma
RBI Nominee Director



श्री राकेश कुमार
शेयरधारक निदेशक
Shri Rakesh Kumar
Shareholder Director



श्री शशांक श्रीवास्तव, निदेशक
Shri Shashank Shrivastava, Director



श्री एस. बलजीत सिंह, निदेशक
Shri S. Baljit Singh, Director



श्री लक्ष्मीनारायण रथ
मुख्य सतर्कता अधिकारी

Shri Laxminarayan Rath
Chief Vigilance Officer

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार / As on 31.03.2022



श्री वी. पी. श्रीवास्तव
Shri V. P. Srivastava



श्री प्रशांत आर. खटावकर
Shri Prashant R. Khatawkar



श्री उन्नम आर. राव
Shri Unnam R. Rao



श्री संजय रुद्र
Shri Sanjay Rudra



श्री प्रमोद दातार
Shri Pramod Datar



श्री विजय एन. कांबळे
Shri Vijay N. Kamble



श्री वल्लभ डी. कोल्हटकर
Shri Vallabh D. Kolhatkar



श्री विवेक घाटे
Shri Vivek Ghate



श्री एम. ए. काबरा
Shri M. A. Kabra



श्रीमती चित्रा दातार
Mrs. Chitra Datar



श्री आर. एस. बंसल
Shri R. S. Bansal



श्री अरुण एफ. कबाडे
Shri Arun F. Kabade



श्री दिवेश दिनकर
Shri Divesh Dinkar



श्री दिनकर संकपाल
Shri Dinkar Sankpal



श्री मनोज डी. करे
Shri Manoj D. Kare



श्री सुर्यकांत ए. सावंत
Shri Suryakant A. Sawant



श्री राजेश सिंह
Shri Rajesh Singh



सुश्री अपर्णा जोगळेकर
Ms. Aparna Joglekar



ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन

प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपके बैंक की 19वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैश्विक आर्थिक विकास उत्साहवर्धक रहा, साथ ही कोविड-19 के कारण अनिश्चितताओं और कई जोखिमों के चलते यह चिंताजनक भी था। 2020-21 की दूसरी छमाही से भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार देखा गया, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर के कारण उत्पादन में अनुवर्ती गिरावट को रोकने और गतिविधियों को पुनः आरंभ करने के प्रति अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाने में वैक्सिनेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विश्व बैंक, एडीबी और आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, भारत 2021-24 के दौरान विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा और 2020-21 में संकुचन का सामना करने के बाद भी इसमें 9 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी की संभावना है। सभी क्षेत्रों में फिर से वृद्धि देखी जा रही थी। लॉकडाउन का प्रभाव क्रमिक रूप से कम होने के साथ, आत्मनिर्भर भारत मिशन के कुशल समर्थन से अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी रही। कोविड-19 महामारी के प्रभाव का सामना करने और अर्थव्यवस्था को मजबूती से पटरी पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभावी उपाय किए गए, जिसकी राशि लगभग रु.27.1 लाख करोड़ रही, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 13 प्रतिशत से अधिक है। इस पैकेज के भाग के रूप में संरचनात्मक सुधारों की भी घोषणा की गई, यथा कृषि क्षेत्र का विनियमन, एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन, आदि।

तथापि, फरवरी 2022 में आरंभ हुए रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक डायनेमिक्स को बदलकर रख दिया। भारत के लिए वित्तीय वर्ष 21-22 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का पूर्वानुमान कम करते हुए 8.7% कर दिया गया।

मौजूदा भौगोलिक-राजनैतिक तनावों, कमोडिटी की बढ़ती कीमतों, कमजोर घरेलू मांग और बढ़ती ब्याज दरों के कारण, वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर अब 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में कम है।

STATEMENT OF MANAGING DIRECTOR & CEO

Dear Shareholders,

I extend a very warm welcome to each one of you to the 19th Annual General Meeting of your Bank. The global economic developments were encouraging as well as troubling considering many risks and uncertainties due to Covid-19. The Indian economy witnessed a sustained recovery since the second half of 2020-21 as vaccination played a vital role in boosting confidence in the economy towards resumption of activity and containing the sequential decline in output due to second wave.

As per World Bank, ADB and IMF projections, India was set to remain the fastest growing major economy in the world during 2021-24 and expected to grow at more than 9 percent; and that, after facing a contraction in 2020-21. All the sectors were witnessing a resurging growth. The fundamentals of the economy remained strong as gradual scaling back of lockdowns, along with the astute support of AtmaNirbhar Bharat Mission took place. Under the AtmaNirbhar Bharat Mission; measures were taken by RBI amounting to about Rs. 27.1 lakh crore – more than 13 per cent of India's GDP– to combat the impact of the COVID-19 pandemic, to place the economy firmly back on the path of recovery. Structural reforms were also announced as part of the Package, such as, deregulation of the agricultural sector, change in definition of MSMEs, etc.

However, the Russia Ukraine war, which began in February 2022, has altered the global dynamics. Gross Domestic Product (GDP) forecasts for FY 21-22, for India, have been revised downwards to 8.7%.

India's GDP projections are scaled down to grow by 7.2 per cent in 2022-23, lower than FY 21-22, because of the ongoing geopolitical tensions, surging commodity prices, weak domestic demand and hardening of interest rates.

वर्ष के दौरान, बैंक ने निम्नानुसार नई व्यावसायिक पहलें की हैं:

- बैंक ने को-लेंडिंग मॉडल के अंतर्गत एमएसएमई वित्तपोषण के लिए लोनटैप, लेंडिंगकार्ट और एमएस फाइनांशियल सर्विसेज़ के साथ सहभागिता की है।
- ऑनलाइन 'जीवन प्रमाण पत्र' टूल विकसित किया गया है। यह पोर्टल पेंशनर्स के लिए बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि वे शाखा में गए बिना, वीडियो आधारित ऑनलाइन वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकें।
- ग्राहक सेवाएं यथा रीयल-टाइम खाता शेष पूछताछ, लघु विवरण रिपोर्ट, नवीनतम ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड, रीयल-टाइम अलर्ट, चेक बुक अनुरोध प्रस्तुति, शाखा लोकेटर, एटीएम लोकेटर इत्यादि प्रदान करने के लिए वाट्सएप बैंकिंग और चैटबॉट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन द्वारा डिजिटल चैनलों के माध्यम से ऋण आवेदन भी किया जा सकता है।

बीओएमलोन्स:

ग्राहकों की डिजिटल ऑन-बोर्डिंग, जो बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट और वाट्सएप लिंक के माध्यम से ऋणों हेतु आवेदन को सक्षम बनाता है।

आपके बैंक का कार्य-निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बावजूद, बैंक का कार्य-निष्पादन उत्कृष्ट रहा।

- निवल लाभ वित्तीय वर्ष 21 के ₹.550 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 22 में ₹.1152 करोड़ हो गया। निवल लाभ में 109.28% की वार्षिक वृद्धि हुई।
- परिचालन लाभ 22.42% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 21 के ₹.3,958 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 22 में ₹.4,848 करोड़ हो गया।
- सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात 31.03.2021 के क्रमशः 7.23% और 2.48% की तुलना में सुधरकर 31.03.2022 को क्रमशः 3.94% और 0.97% रहा।
- बैंक का कुल कारोबार 31.03.2021 के ₹.2,81,660 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को ₹.3,37,534 करोड़ हो गया। बैंक के कारोबार में 19.84% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- बैंक की कुल जमा राशियां 31.03.2021 के ₹.1,74,006 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को ₹.2,02,294 करोड़ हो गईं। कुल जमा राशियों में 16.26% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- कासा जमा राशियां 24.58% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2021 के ₹.93,945 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को ₹.1,17,036 करोड़ हो गईं।
- सकल अग्रिम 31.03.2021 के ₹.1,07,654 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को ₹.1,35,240 करोड़ हो गए। सकल अग्रिमों ने वर्ष दर वर्ष आधार पर 25.62% की वृद्धि दर्शाई।

भविष्य की ओर:

बैंक नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सुदृढ़ मिड-साइज़ बैंक के रूप में, बैंकिंग के आगामी ओरबिट में प्रवेश कर रहा है। सरकार द्वारा आरंभ किए गए उत्प्रेरक उपायों व सुधारों तथा आरबीआई द्वारा तरलता उपायों से औद्योगिक गतिविधि और मांग को समर्थन मिलना अपेक्षित है। हम अपने ग्राहकों को श्रेष्ठतम सेवाएं प्रदान करना और उनके लिए नवीनतम उत्पाद विकसित करना जारी रखेंगे। हमारा बैंक पूरे देश में अपने फुटप्रिंट के विस्तार के साथ अपने व्यवसाय में सुधार को जारी रखेगा।

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

During the year, the bank has taken new business initiatives as under:

- Bank has collaborated with LoanTap, LendingKart & MAS Financial Services for MSME financing under Co-Lending model.
- Development of Online 'Jeevan Pramaan Patra' tool. This portal has been made available on Bank's website for pensioners to submit video based online annual Life certificate without visiting the branch.
- WhatsApp Banking and Chatbot Solution for providing customer services like real-time account balances enquiry, mini statement reports, latest transaction records, real-time alerts, submit cheque book request, branch locator, ATM locator etc. The solution is also enabled for application of loans through digital channels.

BOMLoans:

Digital on-boarding of customers enabling application of loans through Bank's Corporate Website & WhatsApp links.

Performance of your Bank:

Bank's performance during FY 2021-22 was outstanding despite all odds.

- Net Profit increased to Rs. 1152 Cr in FY22 from Rs. 550 Cr in FY21. There was an annual increase of 109.28%
- Operating Profit increased 22.42% to Rs. 4,848 Cr. in FY22 from Rs. 3,958 Cr in FY21
- Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio and Net Non-Performing Assets (NNPA) ratio improved to 3.94% and 0.97% respectively as on 31.03.2022 as compared to 7.23% and 2.48% respectively as on 31.03.2021
- Total Business of the bank has increased from Rs 2,81,660 Cr. as on 31.03.2021 to Rs 3,37,534 Cr as on 31.03.2022. Business of the Bank showcased annual growth of 19.84%.
- Total deposits of the bank increased from Rs 1,74,006 Cr. as on 31.03.2021 to Rs. 2,02,294 Cr. as on 31.03.2022. Total deposits have showcased annual growth of 16.26%.
- CASA deposits have increased from Rs 93,945 Cr as on 31.03.2021 to Rs 1,17,036 Cr as on 31.03.2022 showcasing annual growth of 24.58%.
- Gross advances have increased from Rs 1,07,654 Cr as on 31.03.2021 to Rs.1,35,240 Cr as on 31.03.2022. Gross Advances have shown year on year growth of 25.62%.

Way forward:


Bank is entering the new financial year 2022-23 with next orbit of banking being a robust Mid-Sized Bank. The stimulus measures and reforms initiated by the Government and liquidity measures by the RBI are expected to support industrial activity and demand. We will continue to evolve and provide latest products and superior services to our customers. Our bank will continue to improve its business with the expansion of our footprints all across the country.

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO




मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक / KEY PERFORMANCE INDICATORS


Deposits and CASA Share in Total Deposits




Advances & RAM Share




Advances & RAM




Non Performing Assets & Provision Coverage Ratio



CD Ratio and Cost to Income Ratio



Business per Employee and Profit per Employee



प्रगति एक नजर में Progress at a Glance

	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	2598	2753	5824	6560	6731
आरक्षितियां Reserves	7346	2986	4931	5573	7491
कुल जमा राशियां Total Deposits	138981	140650	150066	1,74,006	202294
वृद्धि % Growth %	(-0.05)	1.20	6.69	15.95	16.26%
कुल जमा राशियों में कासा का अंश CASA Share in Total deposits	47.74	49.65	50.29	53.99	57.85%
अग्रिम Advances	94645	93467	94889	1,07,654	135240
वृद्धि % Growth %	(-6.79)	(-1.24)	1.52	13.45	25.62%
रिटेल अग्रिम Retail Advances	16547	18805	22810	28,651	35422
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	40709	35426	38,900	49109	42640
कृषि Agriculture	17199	15120	14385	16,202	18968
सूक्ष्म व लघु उद्यम Micro and Small Enterprises	15940	13727	17164	23,133	26279
अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम Advances to Minority Sections	2887	2923	3017	3814	4481
अजा/अजजा वर्ग को अग्रिम Advances to SC / ST Sections	2333	2317	2530	2911	4234
निर्यात ऋण Export Credit	1210	1200	1167	1311	1385
कुल आय Total Income	12602	12397	13145	14,494	15672
कुल व्यय Total Expenditure	10411	10199	10298	10,536	10824
परिचालन लाभ Operating Profit	2191	2198	2847	3,958	4848
निवल लाभ Net Profit	(-1146)	(-4784)	389	550	1152
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1846	1832	1833	1,915	2022
एटीएम की संख्या Number of ATMs	1864	1858	1851	1,950	2128
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)					
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल II(%) Capital Adequacy Ratio- Basel II (%)	11	11.86	13.52	14.49	16.48
प्रति शेयर आय Earning Per Share	(-8.98)	(-14.26)	0.67	0.88	1.72
प्रति शेयर बही मूल्य Book Value Per Share	23.73	10.24	11.99	12.22	15.12
प्रति कर्मचारी व्यवसाय Business Per Employee	18.07	18.13	19.55	21.45	26.53
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ in lakhs)	(-8.86)	(-37.04)	3.1	4.19	9.05
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	(-0.73)	(-3.01)	0.23	0.3	0.55
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	55.24	58.39	51.97	47.39	44.26
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA ratio	19.48	16.4	12.81	7.23	3.94
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA ratio	11.24	5.52	4.77	2.48	0.97
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio	58.71	81.49	83.97	89.86	94.79
एएनबीसी को प्राथमिकता ऋण Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	38.63	40.7	42.47	54.23	40.89



निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1.1) आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य 2021-22:

कोविड-19 महामारी के कारण पिछले कुछ वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतिपूर्ण रहे। वैश्विक विकास 2021 में 5.5 प्रतिशत से घटकर 2022 में 4.1 प्रतिशत होने की संभावना है, जो निरंतर कोविड -19 के बढ़ने, न्यून राजकोषीय सहयोग और आपूर्ति की बाधाओं को दर्शाता है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों ने विकास की गति को कम कर दिया है।

भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली ने महामारी के आर्थिक संकट को बेहतर तरीके से संभाला है। लॉकडाउन के दौरान कमजोर लोगों को राहत देने और अनलॉक करते समय खपत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैलिब्रेटेड राजकोषीय और मौद्रिक सहायता प्रदान की गई। एक अनुकूल मौद्रिक नीति ने मौद्रिक नीति संचरण को बंद करते हुए देनदारों को प्रचुर मात्रा में तरलता और तत्काल राहत सुनिश्चित की। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.3 प्रतिशत के संकुचन के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.7% विस्तार की उम्मीद है। बढ़ते कमोडिटी मूल्य के साथ कमजोर घरेलू मांग तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक भौगोलिक-राजनैतिक स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी 7.2 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

आउटलुक :

अर्थव्यवस्था की क्रमिक अनलॉकिंग, रिकॉर्ड टीकाकरण, उपभोक्ता मांग में सुधार, आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में सरकार द्वारा उद्योगों के प्रति निरंतर नीति समर्थन और 2021-22 में सुदृढीकरण के कारण औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। 2021-22 के लिए कृषि उत्पादन में सुधार के कारण ग्रामीण मांग में तेजी बनी हुई है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण शहरी मांग में मजबूती आई है। आरबीआई ने 2022-23 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी पहलों के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर, क्षमता उपयोग में सुधार, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में सुधार, बैंक ऋण में वृद्धि और अनुकूल वित्तीय स्थितियों के बीच निजी निवेश गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए।

2. व्यवसाय व जमाराशियों का कार्यनिष्पादन 2021-22:

- बैंक का कुल व्यवसाय 31.03.2021 को रु. 2,81,660 करोड़ की तुलना में 31.03.2022 को रु.3,37,534 करोड़ रहा। बैंक के कारोबार में 19.84% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- कुल जमाराशियां 31.03.2021 के रु. 1,74,006 करोड़ की तुलना में बढ़कर 31.03.2022 को रु. 2,02,294 करोड़ रही, जो 16.26% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है।
- सकल अग्रिम 31.03.2021 के रु.93,945 करोड़ की तुलना में 31.03.2022 को रु. 1,17,036 करोड़ रहा, जिसमें 24.58% की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित हुई।
- कासा जमाराशियां 31.03.2021 के रु. 1,07,654 करोड़ की तुलना में 31.03.2022 को रु. 1,35,240 करोड़ रहे। सकल अग्रिमों में 25.62% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रदर्शित हुई।
- परिचालन लाभ 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के रु. 3960.08 करोड़ से 22.42% बढ़कर 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 4847.87 करोड़ रहा। इसी अवधि के दौरान निवल लाभ रु.550.25 करोड़ से 109.28% से बढ़कर रु.1151.54 करोड़ रहा।

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2022.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

1.1 Economic and Banking Scenario 2021-22:

The last couple of years have been difficult for world economy on account of COVID-19 pandemic. Global growth is expected to decelerate from 5.5 percent in 2021 to 4.1 percent in 2022 reflecting continued COVID-19 flare-ups, diminished fiscal support, and lingering supply bottlenecks. The lockdowns and social distancing norms have reduced the growth momentum.

The economic shock of the pandemic has been weathered well by the commercial banking system in India. Calibrated fiscal and monetary support was provided, cushioning the vulnerable during the lockdown and boosting consumption and investment while unlocking. A favorable monetary policy ensured abundant liquidity and immediate relief to debtors while unclogging monetary policy transmission. Indian economy is expected to expand 8.7% in FY 2021-22 after a contraction of 7.3 percent in FY 2020-21. India's GDP is expected to grow by 7.2 percent in FY 2022-23 due to global geo-political situation arising out of the Russia-Ukraine conflict and weak domestic demand coupled with surging commodity prices.

Outlook:

Gradual unlocking of the economy, record vaccinations, improvement in consumer demand, continued policy support towards industries by the government in the form of AtmaNirbhar Bharat Abhiyan and further reinforcements in 2021-22 have led to an upturn in the performance of the industrial sector. Rural Demand remains buoyant due to improved agriculture production for 2021-22. Urban demand has been gaining strength due to improvement in economic activity. RBI has projected real GDP growth for 2022-23 at 7.2%. The government's thrust on capital expenditure coupled with initiatives such as the production linked incentive (PLI) scheme should bolster private investment activity, amidst improving capacity utilization, deleveraged corporate balance sheets, higher offtake of bank credit and congenial financial conditions.

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2021-22:

- Total Business of the bank has increased from Rs. 2,81,660 crore as on 31.03.2021 to Rs.3,37,534 crore as on 31.03.2022. Business of the Bank showcased annual growth of 19.84%.
- Total deposits of the bank increased from Rs.1,74,006 crore as on 31.03.2021 to Rs. 2,02,294 crore as on 31.03.2022. Total deposits have showcased annual growth of 16.26%.
- CASA deposits have increased from Rs.93,945 crore as on 31.03.2021 to Rs.1,17,036 crore as on 31.03.2022 showcasing annual growth of 24.58%.
- Gross advances have increased from Rs.1,07,654 crore as on 31.03.2021 to Rs.1,35,240 crore as on 31.03.2022. Gross Advances have shown year on year growth of 25.62%.
- Operating Profit increased 22.42% to Rs.4847.87 crore in year ended 31.03.2022 from Rs. 3960.08 crore in year ended 31.03.2021. During the same period Net Profit increased 109.28% to Rs.1151.54 crore from Rs. 550.25 crore.

2.1 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन :

(रु करोड़ में)

कुल बकाया प्रतिशत	31.03.2022 को बकाया	कुल बकाया प्रतिशत	31.03.2021 को बकाया	कुल बकाया प्रतिशत
उद्योग	44,045.15	32.57%	34,129.68	31.70%
इसमें से				
i. अवसंरचनात्मक	21,643.82	16.01%	14,347.11	13.33%
ii. रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	1,357.02	1.00%	1,121.67	1.04%
iii. पेट्रोलियम	600.74	0.44%	588.66	0.55%
iv. लोहा व स्टील	566.80	0.42%	859.89	0.80%
v. एनबीएफसी व व्यापार	11,132.79	8.24%	9,232.69	8.58%
vi. इंजीनियरिंग	1,235.38	0.91%	1,245.15	1.16%
vii. निर्माण	128.57	0.10%	80.94	0.08%
viii. अन्य उद्योग	7,380.03	5.46%	6,653.57	6.18%
कृषि	18,968.15	14.02%	16,201.98	15.05%
एमएसएमई	26,279.08	19.43%	23,132.87	21.49%
आवास	21,103.06	15.60%	17,909.85	16.64%
शिक्षा	1,458.85	1.08%	1,287.73	1.20%
निर्यात	1,385.01	1.02%	1,310.99	1.22%
वाणिज्यिक भूसंपदा	1,253.84	0.93%	1,508.58	1.40%
सकल अग्रिम	1,35,240.00		1,07,653.77	

2.2 गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

- बैंक ने एनपीए वसूली और अपग्रेडेशन के लिए गहन प्रयास सुनिश्चित करने हेतु सभी अंचल कार्यालयों में “**आस्ति वसूली कक्ष (एआरसी)**” स्थापित किए हैं।
- बैंक ने अपने अंचलों में बड़े एनपीए खातों, विशेषकर जहां कानूनी कार्रवाई चल रही है तथा जहां बैंक को अनुवर्तन की दृष्टि से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए **आस्ति वसूली शाखाएं (एआरबी)** भी स्थापित की हैं, ताकि अनुवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- इसके साथ ही बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक अलग विभाग के माध्यम से **दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल** की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत बैंक ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में 4 (चार) दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) शाखाओं की स्थापना की है, जहां रु.5 करोड़ और उससे अधिक के शेषवाले एनपीए की निगरानी की जाती है। एनपीए वसूली में सुधार हेतु केन्द्रित अनुवर्तन किया जाता है।
- लोन ट्रैकिंग कक्ष** की स्थापना की गई है, जहां बैंक स्लिपेज/ दबावग्रस्त खातों के उधारकर्ताओं के साथ दैनिक आधार पर टेलिफोन से अनुवर्तन करता है और अतिदेयों के पुनर्भुगतान पर जोर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वसूली में सुधार और एनपीए में कोटिउन्नयन होगा।
- इरादतन चूककर्ताओं** की पहचान, डीआरटी/ सरफेसी अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में अलग कक्षों की भी स्थापना की है।
- बैंक स्वप्रेरणा से गैर भेदभावपूर्ण और गैर विवेकाधीन एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजनाओं को लागू कर रहा है। योजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन की निगरानी दैनिक आधार पर प्रधान कार्यालय के वसूली विभाग द्वारा की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने ऐसी निम्नलिखित ओटीएस योजनाओं की शुरुआत की है :

- महा राहत योजना 2021-22:** संदिग्ध- I, संदिग्ध- II, संदिग्ध- III, हानि और TWO श्रेणी में NPA खातों के निपटान के लिए योजना, जिनमें 31.03.2021 को लेजर बैलेंस रु.1 करोड़ तक है। यह योजना 01.06.2021 से प्रभावी है।

2.1 Sectoral Deployment of Credit:

(Rs in crore)

Percentage to Total Outstanding	O/s as on 31.03.2022	Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2021	Percentage to total O/s
Industry	44,045.15	32.57%	34,129.68	31.70%
Of which				
i. Infrastructure	21,643.82	16.01%	14,347.11	13.33%
ii. Chemicals, Dyes, Paints etc	1,357.02	1.00%	1,121.67	1.04%
iii. Petroleum	600.74	0.44%	588.66	0.55%
iv. Iron and Steel	566.80	0.42%	859.89	0.80%
v. NBFCs and Trading	11,132.79	8.24%	9,232.69	8.58%
vi. Engineering	1,235.38	0.91%	1,245.15	1.16%
vii. Construction	128.57	0.10%	80.94	0.08%
viii. Other Industries	7,380.03	5.46%	6,653.57	6.18%
Agriculture	18,968.15	14.02%	16,201.98	15.05%
MSME	26,279.08	19.43%	23,132.87	21.49%
Housing	21,103.06	15.60%	17,909.85	16.64%
Education	1,458.85	1.08%	1,287.73	1.20%
Exports	1,385.01	1.02%	1,310.99	1.22%
Commercial Real estate	1,253.84	0.93%	1,508.58	1.40%
Gross Advances	1,35,240.00		1,07,653.77	



2.2 Quality and NPA Management

- The Bank has set up “**Asset Recovery Cells (ARC)**” at all zonal offices to ensure focused efforts for upgradation and NPA recovery.
- Twelve **Asset Recovery Branches (ARBs)** have also been set up across the Bank’s Zones for large NPA a/cs more particularly where legal actions are in progress so as to make focused follow up.
- Further, Bank has established **Stressed Assets Management Vertical** by way of a separate dept at HO under which Bank has started 4 (four) Stressed Assets Management (SAM) branches in Delhi, Mumbai, Hyderabad and Pune, where NPAs with balance of Rs.5 crore and above are monitored. Focused follow up is undertaken to improve NPA recovery.
- The Loan Tracking Cell** has been established where Bank undertakes telephonic follow up on daily basis with borrowers of stressed accounts / slippages and repayment of overdues is insisted. This will result in improving recovery and upgradation of NPAs.
- The Bank has also set up separate Cells at its Head Office for identification of **Wilful Defaulters**, gearing up the actions under DRT / SARFAESI Acts.
- Bank has been implementing Suo Motu non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement (OTS) Schemes. Monitoring of the performance under the schemes is undertaken from Recovery Department, Head Office on daily basis. During FY 2021-22 the Bank introduced following such OTS schemes:

- Maha Rahat Yojana 2021-22:-** Scheme for the settlement of NPA accounts in Doubtful-I, Doubtful-II, Doubtful-III, Loss and TWO accounts having Ledger Balance up to Rs.1.00 crore as of 31.03.2021. This scheme is effective from 01.06.2021.

- 2. महा समाधान योजना 2021-22 :** संदिग्ध- I, संदिग्ध- II, संदिग्ध- III, हानि और TWO, RWO श्रेणी में NPA खातों के निपटान के लिए योजना, जिनमें 31.03.2021 को लेजर बैलेंस रु.1.00 करोड़ से अधिक और रु.50 करोड़ तक है।
- 3. महा सांत्वना ओटीएस योजना 2021-22 :** 31/03/2021 को संदिग्ध- I, संदिग्ध- II, हानि और TWO/ RWO श्रेणी के सभी एनपीए आवास ऋण (और टॉप अप ऋण) खाते जहां उधारकर्ता अथवा सह-उधारकर्ता की मृत्यु हो गई हो।

बैंक ने दौरे, पत्र, नोटिस, वसूली शिविर, लोक अदालतों, महाबैंक अदालतों, सरफेसी/ डीआरटी अधिनियम के माध्यम से चूककर्ता उधारकर्ताओं पर गहन अनुवर्ती कार्रवाई की है। रिज़ॉल्यूशन एजेंटों/ वसूली एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं, ताकि शीघ्र निपटान हो सके। बैंक ने दिवाला और दिवालियापन कोड 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत भी विभिन्न बड़े एनपीए उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। अनर्जक आस्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:



2.3 विदेशी मुद्रा कारोबार

'ए' श्रेणी के रूप में मुंबई स्थित खजाना व अंतरराष्ट्रीय शाखा (टीआईबीबी) के अतिरिक्त बैंक के ग्राहकों की अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के पास वर्तमान में देश भर में 37 बी श्रेणी की शाखाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मर्चेंट व्यवसाय रु. 34,251.01 करोड़ रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यनिष्पादन निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(रु करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21	प्रतिशत (+/-)
कुल एफईएक्स व्यवसाय टर्नओवर	5,55,982.93	6,34,389.59	(-12.36%)
व्यापारी व्यवसाय टर्नओवर	34,251.01	30,451.46	12.48%
एफईएक्स व्यवसाय में लाभ	129.48	153.09	(-15.42%)

2.4 निवेश



एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश में निवेश का ब्रेकअप निम्नानुसार दिया गया है:

- 31.03.2022 को सकल निवेश रु. 69,092.68 करोड़ रहा, जिसमें से रु. 54,718.95 करोड़ एसएलआर प्रतिभूतियां और रु. 14,373.73 करोड़ गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां हैं। 31.03.2022 को अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां रु. 20,144.61 करोड़ रही।
- निवल निवेश (प्रावधानों का निवल) 31.03.2021 के रु.68,111.65 करोड़ की तुलना में 31.03.2022 को रु.68,589.97 करोड़ रहा।

- 2. Maha Samadhan Yojana 2021-22 :** Scheme for the settlement of NPA accounts in Doubtful-I, Doubtful-II, Doubtful-III, Loss and TWO, RWO accounts having Ledger Balance above Rs.1.00 crore and up to 50.00 crore as of 31.03.2021.
- 3. Maha Santavana OTS Scheme 2021-22 :** All NPA Housing Loan (& Top up Loan) accounts in DB1, DB2, Loss and TWO / RWO as of 31/03/2021 where Borrower or Co-borrower is deceased.

Bank has also made intensive follow up with the defaulting borrowers through visits, letters, notices, Recovery Camps, Lok Adalats, Mahabank Adalats, actions under SARFAESI / DRT Act. Services of Recovery Agents / Resolution Agents are engaged so as to have an early resolution. The Bank has also initiated action under the provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code 2016 against various large NPA borrowers.

Position of Non-Performing Assets is as under



2.3 Foreign Exchange Business

Currently, the bank has 37 B Category Branches across the country catering to the International business needs of the customers of the Bank apart from TIBB at Mumbai as "A" category Branch. The Merchant Business for FY 2021-22 stood at Rs 34,251.01 crore. The performance during FY 2021-22 can be seen below:

(In Crore)

Particulars	2021-22	2020-21	Percentage of (+/-)
Total FEX Business Turnover	5,55,982.93	6,34,389.59	(-12.36%)
Merchant Business Turnover	34,251.01	30,451.46	12.48%
Profit in FEX Business	129.48	153.09	(-15.42%)

2.4 Investment

The breakup of Investments into SLR & Non-SLR investments is given below:

- The Gross Investments as on 31.03.2022 stood at Rs 69,092.68 crore, of which Rs 54,718.95 crore are SLR securities and Rs 14,373.73 crore are Non-SLR Securities. The excess SLR securities as on 31.03.2022 stood at Rs 20,144.61 crore.
- The net investments (net of provisions) stood at Rs 68,589.97 crore as on 31.03.2022 as compared to Rs 68,111.65 crore


परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेश का 68.94% शामिल है, जबकि विक्रय के लिए उपलब्ध (एफएस) 31.03.2022 तक कुल निवेश पोर्टफोलियो का 31.06% शामिल है। निवेश गतिविधि से निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के दौरान रु. 4,158.32 करोड़ से बढ़कर रु.4,387.93 करोड़ रही। (5.52% की वृद्धि)

- 31.03.2022 को गैर-निष्पादन निवेश रु. 446.37 करोड़ रुपए रहा।




as on 31.03.2021. Investments under Held to Maturity (HTM) category consist of 68.94%, while Available for Sale (AFS) comprised of 31.06% of total investment portfolio as of 31.03.2022. The net interest income from investment activity increased to Rs 4,387.93 crore from Rs 4,158.32 crore during the last year (up by 5.52%).

- The Non-Performing Investments stood at Rs 446.37 crore as on 31.03.2022.

Breakup of Investments (as on 31.03.2022)



Breakup of Investments (as on 31.03.2022)



2.5 व्यापारी बैंकिंग :

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए रु. 30,950 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 32,745 करोड़) के वाणिज्यिक पत्र के 30 मामले (पिछले साल 44 मामले) का संचालन किया है।

2.6 उधारियां :

विवरण	31.03.2022 को राशि	31.03.2021 को राशि
कुल उधारियां	7,746.74	4,238.75
जिनमें से एलएएफ के अंतर्गत भारिबे उधारियां	500.00	500.00
जिनमें से बाजार आरईएफओ उधारियां	0.00	0.00
जिनमें से टीआरईपीएस (जी-सेक) उधारियां	3,194.64	0.00
जिसमें से पुनर्वित्त		
नाबार्ड	0.00	0.00
एक्जिम बैंक	0.00	0.00

2.5 Merchant Banking

The Bank handled 30 issues (previous year 44 issues) of Commercial paper amounting to Rs 30,950 crore (previous year Rs 32,745 crore) for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA) during FY 2021-22.

2.6 Borrowings:

Particular	Amount as on 31.03.2022	Amount as on 31.03.2021
Total Borrowing	7,746.74	4,238.75
of which Borrowing RBI under LAF	500.00	500.00
of which Borrowing Market REPO	0.00	0.00
Of which Borrowing TRePS (G-Sec)	3,194.64	0.00
Of which Refinance from		
NABARD	0.00	0.00
EXIM BANK	0.00	0.00



एनएचबी	0.00	0.00
मुद्रा	139.00	0.00
सिडबी	17.35	51.55
जिनमें से बॉण्ड्स और डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	3,895.70	3,605.70
भारत से बाहर उधारियां	0.00	81.45
अन्य	0.05	0.05

2.7 निक्षेपी सेवाएं

- बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है।
- बैंक ने बुनियादी सेवाएं डीमैट खाता सुविधा (बीएसडीए) भी शुरू की है।
- बैंक ने नेट-बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से एसबीए की शुरुआत की है।

2.8 बैंकएश्योरेन्स

- बैंकएश्योरेन्स व्यवसाय करने हेतु बैंक तीनों सेगमेंट अर्थात जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा हेतु कॉर्पोरेट एजेंट है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यानिष्ठादन :


(रु. करोड़ में)

बीमा	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	कमीशन
जीवन	15,022	75.29	15.47
सामान्य	1,44,648	51.34	6.06
स्वास्थ्य	31,298	50.30	6.77
कुल	1,90,968	176.93	28.30

- 01.04.2021 से 31.03.2022 तक कंपनीवार बीमा व्यवसाय

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	बीमाकर्ता	एनओपी	प्रीमियम	कमीशन
जीवन बीमा	अवीवा लाइफ इन्श्योरेंस	11,682	61.44	13.60
	भारतीय जीवन बीमा निगम	3,340	13.85	1.87
सामान्य बीमा	फ्यूचर जेनरली	1,19,282	39.22	4.46
	युनाइटेड इंडिया	44,849	29.89	3.49
स्वास्थ्य बीमा	मणिपाल सिग्ना	11,815	32.53	4.88
कुल		1,90,968	176.93	28.30



NHB	0.00	0.00
MUDRA	139.00	0.00
SIDBI	17.35	51.55
Borrowings in the form of Bonds & debentures capital instruments	3,895.70	3,605.70
Borrowings outside India	0.00	81.45
Others	0.05	0.05

2.7 Depository Services

- Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.
- The Bank has also introduced Basic Services DEMAT Account Facility (BSDA)
- Bank has introduced ASBA through net-banking and UPI.

2.8 Bancassurance

- Bank is corporate agent for carrying out Bancassurance business under all three segments i.e. Life Insurance, General Insurance and Health Insurance.
- Performance during FY 2021-22


(Rs. in Crore)



Insurance	No. of Policies	Premium	Commission
Life	15,022	75.29	15.47
General	1,44,648	51.34	6.06
Health	31,298	50.30	6.77
Total	1,90,968	176.93	28.30

- Company wise insurance business from 01.04.2021 to 31.03.2022:

(Rs. In Crore)

Category	Insurer	NOP	Premium	Commission
Life Insurance	AVIVA Life Insurance	11,682	61.44	13.60
	LIC of India	3,340	13.85	1.87
General Insurance	Future Generali	1,19,282	39.22	4.46
	United India	44,849	29.89	3.49
Health Insurance	Manipal Cigna	11,815	32.53	4.88
Total		1,90,968	176.93	28.30





2.9 सरकारी कारोबार

- बैंक द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान, शाखाओं द्वारा कुल 536866 प्रत्यक्ष कर चालान और 35419 अप्रत्यक्ष करों के चालान वसूले गए। चालू वर्ष के दौरान केंद्र/ राज्य सरकार से कर वसूली व्यवसाय और अन्य व्यवसाय से रु.0.65 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ।
- वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में, बैंक केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम के 1.05 लाख से भी अधिक पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य कर रहा है। वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी व्यवसाय (पेंशन) पर रु.10.25 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक द्वारा 1,02,784 नए पीपीएफ खाते, 18,045 नए एससीएसएस खाते और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 12,174 नए खाते खोले गए।

2.10 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु.14,496.21 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 15,671.70 करोड़ रही। विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

(रु.करोड़ में)

ब्योरा	2021-22	2020-21	अंतर (% में)
अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट	8,231.56	7,153.93	15.06
निवेशों पर आय	4,384.69	4,153.40	5.57
अंतर बैंक उधारी पर ब्याज एवं अन्य ब्याज	402.97	561.21	(28.20)
कुल ब्याज आय	13,019.22	11,868.54	9.70
गैरब्याज आय	2,652.48	2,627.67	0.94
कुल आय	15,671.70	14,496.21	8.11
जमा पर ब्याज	6,458.17	6,525.95	(1.04)
उधारी पर ब्याज	30.91	49.65	(37.74)
अन्य ब्याज व्यय	485.74	395.47	22.83
कर्मचारी व्यय	2,070.59	2,255.21	(8.19)
अन्य प्रचालनगत व्यय	1,778.42	1,309.84	35.77
कुल गैर ब्याज व्यय	3,849.01	3,565.06	7.96
कुल व्यय	10,823.83	10,536.13	2.73
प्रचालनगत लाभ	4,847.87	3,960.08	22.42
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3,696.33	3,409.84	8.40
निवल लाभ/ (हानि)	1,151.54	550.25	109.28

2.9 Government Business

- During FY 2021-22, 536866 challans of Direct Taxes and 35419 challans of Indirect taxes were collected by the branches. Total commission to the tune of Rs 0.65 Crore was received on tax collection business from Central/ state Government and other business in current year.
- As a service to senior citizens, the Bank is processing and crediting monthly pension payments of more than 1.05 lakh Central Government, Defence, Railway and Telecom pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The commission on Government Business (Pension) for the Year 2021-22 is Rs. 10.25 crore.
- Bank has opened 1,02,784 new PPF accounts, 18,045 new SCSS accounts and 12,174 new accounts under Sukanya Samruddhi Scheme in FY 2021-22

2.10 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank stood at Rs 15,671.70 crore in FY 2021-22 as compared to Rs.14,496.21 crore in FY 2020-21. The detailed income/expenditure components are as under:

(Rs in crore)

Particulars	2021-22	2020-21	Variation (in %)
Interest / discount on advances / bills	8,231.56	7,153.93	15.06
Income on investments	4,384.69	4,153.40	5.57
Interest on interbank lending & other Interest	402.97	561.21	(28.20)
Total interest income	13,019.22	11,868.54	9.70
Non-interest income	2,652.48	2,627.67	0.94
Total Income	15,671.70	14,496.21	8.11
Interest on deposits	6,458.17	6,525.95	(1.04)
Interest on borrowings	30.91	49.65	(37.74)
Other Interest expenditure	485.74	395.47	22.83
Staff expenses	2,070.59	2,255.21	(8.19)
Other Operating expenses	1,778.42	1,309.84	35.77
Total Non-interest expenses	3,849.01	3,565.06	7.96
Total Expenses	10,823.83	10,536.13	2.73
Operating Profit	4,847.87	3,960.08	22.42
Provisions and Contingencies	3,696.33	3,409.84	8.40
Net Profit	1,151.54	550.25	109.28



2.11 वित्तीय अनुपात :

वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के विभिन्न वित्तीय मानकों को निम्नानुसार देखा जा सकता है:

विवरण	2021-22	2020-21
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (रु.)	1.72	0.88
आय से लागत का अनुपात (%)	44.26	47.39
आस्तियों पर आय(%)	0.55	0.3
इक्विटी पर आय(%)	11.45	7.17
प्रतिशेयर बही मूल्य (रु.)	15.12	12.22
प्रति शाखा लाभ (रु. लाख में)	56.95	28.02
प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	9.05	4.19
प्रति शाखा कारोबार (रु. करोड़ में)	166.65	143.11
प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. करोड़ में)	26.53	21.45
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.26	6.42
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.27	1.42
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)*	3.15	2.84
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	2.33	2.14
औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च	1.00	1.22
प्रस्तावित लाभांश (प्रतिशत)	5.00	0.00
नेटवर्थ (रु. करोड़ में)	10,175.85	8,019.20
सीआरएआर (%) बेसल II	16.48	14.49
जिसमें से टियर -I सीआरएआर (%) (बेसल II)	12.38	10.98

2.12 पूंजी

- बैंक ने जुलाई 2021 में क्यूआईपी के माध्यम से रु. 23.70 प्रति शेयर की दर से रु.403.70 करोड़ पूंजी की उगाही की।
- बैंक ने अक्टूबर 2021 माह में एलआईसी से टियर-2 बांड रु.1000 करोड़ की उगाही की।
- बैंक ने मार्च 2022 माह में टियर-1 बांड रु.290 करोड़ की उगाही की।

2.13 नेटवर्थ

बैंक का नेटवर्थ 31.03.2021 के रु.8,019.20 करोड़ की तुलना में 31.03.2022 को रु. 10,175.85 करोड़ रहा।

2.14 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल-III मानदंडों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम निर्धारित 11.50% (सीसीबी सहित) के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तुलना में 31.03.2022 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.48% रहा। सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात 12.17% रहा।

2.15 लाभांश

आपकी बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी पर प्रत्येक रु 10/- के प्रति इक्विटी शेयर (5%) के लिए रु. 0.50 लाभांश की संस्तुति की है। सदस्यों के रजिस्टर में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त 21 जून 2022 (रिकॉर्ड दिनांक) को व्यवसाय समाप्ति पर NSDL/CDSL द्वारा प्रदत्त लाभार्थी स्वामित्व स्थिति के अनुसार लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

3. संसाधन : बैंकिंग आउटलेट, मानव संसाधन, आईटी अवसंरचना, ग्राहक अनुक्रियाशीलता और अन्य

3.1 शाखा आउटलेट / एटीएम नेटवर्क

31.03.2021 को 1,964 की तुलना में 31.03.2022 को, बैंक के 2,072 बैंकिंग आउटलेट सभी राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए थे। बैंकिंग आउटलेट्स में 2,022 शाखाएं और 50 फिक्स्ड पॉइंट आउटलेट्स शामिल हैं, जिन्हें बैंक मित्र द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जिन्हें ग्राहक सेवा बिंदु (CSP) नाम दिया गया है।

2.11 Financial Ratios

The various financial parameters of the Bank during FY 2021-22 can be seen below:

Particulars	2021-22	2020-21
EPS (INR)	1.72	0.88
Cost to Income Ratio (percent)	44.26	47.39
Return on assets (percent)	0.55	0.3
Return on equity (per cent)	11.45	7.17
Book value per share (INR)	15.12	12.22
Profit per Branch (INR in Lakh)	56.95	28.02
Profit per employee(INR in Lakh)	9.05	4.19
Business per Branch (INR in Crore)	166.65	143.11
Business per employee(INR in Crore)	26.53	21.45
Interest income as per cent to Average working funds	6.26	6.42
Non-Interest income as per cent to average working funds	1.27	1.42
Net Interest Margin (per cent)*	3.15	2.84
Operating Profit as per cent to average working Funds	2.33	2.14
Staff expenses as a percent to average working funds	1.00	1.22
Proposed Dividend (per cent)	5.00	0.00
Net worth (₹ Crore)	10,175.85	8,019.20
CRAR (%) (Basel II)	16.48	14.49
Of which, Tier I CRAR (%) (Basel II)	12.38	10.98

2.12 Capital

- Bank has raised capital of Rs. 403.70 crore through QIP in July 2021 @ Rs. 23.70 per share.
- Bank has raised Rs. 1000 Crore, Tier 2 Bond from LIC in the month of October 2021.
- Bank has raised Rs.290 Crore, Tier 1 Bond in the month of March 2022.

2.13 Net worth

The Bank's Net Worth stood at 10,175.85 crore as on 31.03.2022 as against Rs. 8,019.20 Crore as on 31.03.2021.

2.14 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio stood at 16.48% as on 31.03.2022, against the minimum requirement of 11.50% (including CCB) prescribed by RBI in terms of Basel III norms. The Common Equity Tier 1 Ratio stood at 12.17%.

2.15 Dividend

The Board of Directors of your Bank has recommended a dividend of Rs.0.50 per equity share(5%) of Rs. 10/- each on the paid-up Share Capital of the Bank for the financial year 2021-22. The final dividend shall be paid to the members, whose names appear in the Register of Members as well as the Beneficial Ownership Position provided by NSDL/CDSL as at the close of business hours on 21st June, 2022 (Record date).

3. RESOURCES: BRANCH NETWORK, HUMAN RESOURCES, IT INFRASTRUCTURE, CUSTOMERS RESPONSIVENESS AND OTHERS

3.1 Branch/ATM Network

As on 31.03.2022, the Bank had 2,072 banking outlets spread across all the States and six union territories as compared to 1,964 as on 31.03.2021. The banking outlets comprised of 2,022 branches and 50 fixed point outlets served by Bank Mitras, named as Customer Service Point (CSP).

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने 108 नई शाखाएँ खोली और 73 अतिरिक्त जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज की। बैंक ने ग्राहक सेवा अंक (सीएसपी) के नाम से बैंक मित्र द्वारा सेवा प्रदान किए गए 50 फिक्स्ड पॉइंट आउटलेट भी खोले। इसी अवधि में 1 शाखा को सीएसपी में परिवर्तित किया गया और एक शाखा को दूसरी शाखा में मिला दिया गया। शाखा परिवर्तन और विलय के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरती गई कि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में कोई असुविधा न हो।

बैंक शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि इत्यादि विशेषीकृत शाखाएँ शामिल हैं। दिनांक 31.03.2022 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

क्र.	वर्गीकरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
1	ग्रामीण	611	611
2	अर्ध-शहरी	511	461
3	शहरी	412	372
4	महानगरीय	488	471
	कुल	2,022	1,915

एटीएम / सीआरएम नेटवर्क

31.03.2021 को 1950 की तुलना में 31.03.2022 को बैंक के पास 2,128 स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) और कैश रिसाइकलर मशीन (सीआरएम) थे। 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने 91 एटीएम और 87 सीआरएम स्थापित किए।

	31.03.2022	31.03.2021
ऑफसाइट	429	445
ऑनसाइट	1,699	1,505
कुल	2,128	1,950

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक मनुष्य बल नीति लागू की है जिसमें उपयुक्त और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों को नियुक्त/तैयार करने, प्रशिक्षण, कार्यसंवर्धन, बेहतर कार्यनिष्पादन की पहचान व पुरस्कार, कैरियर निर्माण, कल्याण के माध्यम से कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखने तथा उनके विकास हेतु योजना दी गई है।

भर्ती : वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने निम्नानुसार कर्मचारियों की भर्ती की :
 वेतनमान I में 289 अधिकारी, वेतनमान II में 130 अधिकारी, वेतनमान III संवर्ग में 1 अधिकारी और 178 क्लर्क शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 1010 कर्मचारी सेवानिवृत्ति, वीआरएस, इस्तीफा, बर्खास्तगी और मृत्यु के कारण सेवा से बाहर हो गए।

2021-22 के दौरान अधिकारियों की अंतर-स्तरीय पदोन्नति की गई। निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत किया गया।

कप्रवेभ्रे-I से मप्रवेभ्रे-II	मप्रवेभ्रे-II से मप्रवेभ्रे-III	मप्रवेभ्रे-III से मप्रवेभ्रे-IV	मप्रवेभ्रे-IV से मप्रवेभ्रे-V	मप्रवेभ्रे-V से मप्रवेभ्रे-VI	मप्रवेभ्रे-VI से मप्रवेभ्रे-VII
171	156	70	36	13	6

वर्ष 2021-22 के दौरान 58 लिपिकों को स्केल I में अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया और 667 अंशकालिक उप-कर्मचारियों को उप-कर्मचारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया। लिंगानुपात प्रतिशत के साथ 31.03.2022 तक संवर्ग वार कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार है:

श्रेणी	पुरुष	%	महिला	%	कुल
अधिकारी	4,788	71.72	1,888	28.28	6676
लिपिक	2,560	66.12	1,312	33.88	3872
अधीनस्थ कर्मचारी	1,915	88.90	239	11.10	2154
अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	19	100	-	-	19
कुल	9,282	72.97	3,439	27.03	12,721

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करता है। आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु तथा अनुसूचित जाति/

During the year ended 31.03.2022 the Bank opened 108 new branches and set its footprint in 73 additional districts. Bank also opened 50 fixed point outlets served by Bank Mitras, named as Customer Service Point (CSP). In the same period 1 branch was converted into CSPs and one branch was merged with another branch. During the branch conversion and merger utmost care was taken to ensure that customers are not put into any inconvenience in availing banking services.

The branch network includes specialized branches in the area of Foreign Exchange, Government Business, Treasury and International Banking, Industrial Finance, Micro Small and Medium Enterprises, Hi-tech agriculture etc. Area wise classification of branches as on 31.03.2022 is as under:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
1	Rural	611	611
2	Semi-Urban	511	461
3	Urban	412	372
4	Metro	488	471
	Total	2,022	1,915

ATM / CRM Network

The Bank had 2,128 automated teller machines (ATMs) and cash recycler machines (CRM) as on 31.03.2021 as compared to 1,950 as on 31.03.2021. During the year ended 31.03.2022, the Bank installed 91 ATMs and 87 CRMs.

	31.03.2022	31.03.2021
Offsite	429	445
Onsite	1,699	1,505
Total	2,128	1,950

3.2 Human Resources Management The Bank has put in place comprehensive HRM Policies that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention

Recruitment: During FY2021-22 the Bank has recruited employees as under:

289 Officers in Scale I, 130 officers in Scale II, 1 in Scale III cadre and 178 Clerks. During FY 2021-22, 1010 employees exited from service on account of retirement, VRS, resignation, termination and death.

Inter scale promotions of officers were carried out during FY 2021-22. Following number of Officers were promoted.

JMGS-I TO	MMGS-II to	MMGS-III TO	SMGS-IV TO	SMGS-V TO	SMGS-VI TO
171	156	70	36	13	6

During FY 2021-22, 58 Clerks were promoted to Officer Cadre in Scale I and 667 Part time Sub-staffs were promoted to Substaff cadre. The Cadre wise staff position as of 31.3.2022 with sex ratio percentage is as under:

Category	Male	%	Female	%	Total
Officers	4,788	71.72	1,888	28.28	6676
Clerks	2,560	66.12	1,312	33.88	3872
Sub-staff	1,915	88.90	239	11.10	2154
Part Time Substaffs	19	100	-	-	19
Total	9,282	72.97	3,439	27.03	12,721

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. Special Cells at Head Office and all Zonal



अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग सार्वजनिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रधान कार्यालय एवं सभी अंचल कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं। बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य संपर्क अधिकारी को नामित किया है तथा अंचल कार्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्ष की स्थापना की है। स्टाफ स्थिति का श्रेणीवार ब्योरा निम्नानुसार है -

31.03.2022 को जाति श्रेणीवार संवर्ग स्थिति								
संवर्ग	एससी	एसटी	ओबीसी	इंडब्ल्यूएस	सामान्य	कुल	पीडब्ल्यूडी	भूतपूर्व सैनिक
अधिकारी	1,058	495	1759	32	3,332	6,676	164	35
लिपिक	645	339	941	25	1,922	3,872	105	135
अधीनस्थ कर्मचारी	719	215	491	0	729	2,154	20	140
पीटीएस	3	2	7	0	7	19	0	0
कुल	2,425	1,051	3,198	57	5,990	12,721	289	310
कुल स्टाफ स्थिति %	19.06%	8.26%	25.14%	0.45%	47.09%		2.77%	2.44%

अनुकंपा नियुक्ति - सेवा के दौरान मृत्यु या अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के 'अनुकंपा नियुक्तियों' / एक्स ग्रेसिया एकमुश्त रकम का भुगतान करने की भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई योजना को कार्यान्वित किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए अनुकंपा नियुक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

अनुकंपा नियुक्तियां	
संवर्ग	कर्मचारियों की संख्या
लिपिक	23
अधीनस्थ कर्मचारी	8
कुल	31

सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए **अंशदायी समूह बीमा मेडिक्लेम पॉलिसी** का नवीनीकरण दिनांक 01.4.2020 से किया गया है और मौजूदा कर्मचारियों के लिए बीमित राशि रु.10.00 लाख तक है। पॉलिसी के नवीनीकरण का विवरण इस प्रकार है:

कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या	भुगतान किया गया प्रीमियम (रु. में.)
मौजूदा	697	1,19,65,432
सेवानिवृत्त	1,440	2,35,54,126
कुल	2,137	3,55,19,558

कल्याणकारी योजनाएं:

बैंक ने सेवा शर्तों के प्रावधानों से परे कल्याणकारी उपायों की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इस उद्देश्य के साथ बैंक ने कर्मचारी कल्याणकारी समिति के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी उपायों को शुरू और कार्यान्वित किया है। भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थानों से एमबीए, एफआरएम, बर्ड, पीआरएम, सीएफए आदि के पाठ्यक्रमों के संबंध में परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति और नकद प्रोत्साहन/ मानदेय का भुगतान किया गया। परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र 38 पाठ्यक्रमों को संलग्न कर इसका विस्तारण किया गया है। ज्यूसी के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना/ चोट लगने पर अधिकारियों को विशेष छुट्टी और अस्पतालीकरण खर्च की 100% प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान है। बैंक ने शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।

क्र.	पाठ्यक्रम/ परीक्षा	पुरस्कार रु.	स्ट्रीम	न्यूनतम अंक %	
				अन्य	अधीनस्थ कर्मचारी
1.	10वीं कक्षा	3,000	लागू नहीं	85	75
2.	12वीं कक्षा	5,000	विज्ञान	85	75
			वाणिज्य	75	70
			कला	65	60
3.	स्नातक	7,000	विज्ञान	70	60
			वाणिज्य	70	60
			कला	60	55

Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policies and to redress grievances of SC/ ST/OBC & Physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated Chief Liaison Officers at Head Office and has set up SC/ST Cells at all Zonal Offices. The staff position details category wise is as under,

Caste category wise cadre strength as on 31.03.2022								
Cadre	SC	ST	OBC	EWS	GEN	Total	PWD	EX-SERVICEMAN
Officer	1,058	495	1759	32	3,332	6,676	164	35
Clerk	645	339	941	25	1,922	3,872	105	135
Sub-Staff	719	215	491	0	729	2,154	20	140
PTS	3	2	7	0	7	19	0	0
Total	2,425	1,051	3,198	57	5,990	12,721	289	310
% of Total Staff Strength	19.06%	8.26%	25.14%	0.45%	47.09%		2.77%	2.44%

Compassionate Appointments - A Scheme for 'Compassionate Appointments' / Payment of Ex-gratia lump-sum amount" to /of heirs of employees dying in harness or retiring due to incapacitation framed as per the directives of Government of India, has been implemented. The details of compassionate appointments for the year 2021-22 is as under:

Compassionate Appointments	
Cadre	No. of employees
Clerk	23
Sub-staff	8
Total	31

The Contributory Group Insurance Mediclaim Policy for all employees including retired employees, has been renewed w.e.f. 01.4.2020 and the Sum insured is upto Rs.10.00 Lacs for existing employees. The details of renewal of policy are as under:

Employees	No. of Employees	Premium paid (in Rs.)
Existing	697	1,19,65,432
Retired	1,440	2,35,54,126
Total	2,137	3,55,19,558

WELFARE SCHEMES:

The Bank has acknowledged the necessity of welfare measures beyond the provisions of service conditions. With this motive bank has initiated and implemented various Welfare measures through Staff Welfare Committee. The reimbursement of examination fees and payment of cash incentive /Honorarium in respect of courses from Indian Institute of Banking & Finance, MBA from reputed institutions, FRM, BIRD, PRM, CFA etc. This has been widened by adding 38 courses eligible for reimbursement of examination fees. A policy for granting special leave and 100% reimbursement of hospitalization expenses to officers when he/she meets with an accident/ injury while on duty is in place. Bank has initiated a scholarship scheme for wards of employees who have excel performance in academics.

SN	Course / Exam	Award Rs.	Stream	Min. % of marks	
				Others	Sub staff
1.	10 th std.	3,000	N.A.	85	75
2.	12 th std.	5,000	Science	85	75
			Commerce	75	70
			Arts	65	60
3.	Graduation	7,000	Science	70	60
			Commerce	70	60
			Arts	60	55

क्र.	पाठ्यक्रम/ परीक्षा	पुरस्कार रू.	स्ट्रीम	न्यूनतम अंक %	
				अन्य	अधीनस्थ कर्मचारी
4.	स्नातकोत्तर / पीजीडीबीएम	10,000	लागू नहीं	65	60
5.	विदेश से एमएस/ स्नातक/ पीजी	20,000	लागू नहीं	--	--
6.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम/ डिग्री	7,000	बीई / बी आर्क / एलएलएम / लॉ	60	60
			एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस	55	55
			होटल प्रबंधन/ फार्मसी	60	60
			सीए/सीएस/एफसीए/आईसीडब्ल्यूए	पास क्लास	
			एमई / एम. फिनल / एमबीए, एमपीएम, एम. टेक/एमसीए/पीएचडी	पास क्लास	
7.	व्यावसायिक पीजी	10,000			

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के नाम पर बैंक ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को ऋण सुविधाओं के संवितरण के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली 3 शाखाओं को सम्मानित करने और पुरस्कृत करने की योजना शुरू की है।

प्रशिक्षण और विकास :

वर्तमान एवं उभरते हुए व्यावसायिक अवसरों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कौशल के अभाव के नियमित आवधिक निर्धारण की ओर ध्यान दिलाने हेतु बैंक के पास एक प्रशिक्षण प्रणाली उपलब्ध है। वर्ष के दौरान ऋण में कौशल निर्माण, विदेश विनिमय, ग्राहक संबंध प्रबंधन, विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी एवं वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक, कानूनी एवं नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन तथा प्रतिरोधक सतर्कता के संबंध में विशेष ध्यान दिया गया। प्रशिक्षण और विकास (एलएंडडी) रणनीति को वर्चुअल/ ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को समृद्ध बनाने के लिए अनुकूलित किया गया है, जिससे वे कहीं से भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

एमएसएमई के वित्तपोषण, खुदरा ऋण, कृषि वित्त, सॉफ्ट स्किल्स और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का संवर्ग-वार विवरण निम्नानुसार है-

संवर्ग	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारी	संवर्ग
अधिकारी	608	4,990	165
लिपिक	308	2,119	107
अधीनस्थ कर्मचारी	163	1,604	85
कुल	1,079	8,713	357

3.3 प्रौद्योगिकी पहलें

क. ग्राहक केन्द्रित पहलें वित्तीय वर्ष 2021-22 :

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने ग्राहकों को सुविधा के साथ सेवा प्रदान करने की दिशा में कई पहल की हैं:

- **एमईआईटीवाई - डिजिटल स्कोर कार्ड:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए डिजिटल संव्यवहार हेतु 54 करोड़ का लक्ष्य रखा था और बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 63.90 करोड़ डिजिटल संव्यवहार प्राप्त किए। एमईआईटीवाई मासिक आधार पर डिजिटल भुगतान संव्यवहारों, मर्चेन्ट अधिग्रहण, यूपीआई और एईपीएस सिस्टम रेजीलियेन्स की प्रगति की निगरानी करता है और बैंकों को स्कोर बताता है। हमारे बैंक ने “बेहतर” श्रेणी कार्य निष्पादन को बनाए रखा।

SN	Course / Exam	Award Rs.	Stream	Min. % of marks	
				Others	Sub staff
4.	Post-Graduation/ PGDBM	10,000	N.A.	65	60
5.	Foreign MS / Graduation / PG	20,000	N.A.	--	--
6.	Professional Courses / Degree	7,000	BE / B. Arch / LL.M / Law	60	60
			MBBS, BDS, BHMS, BAMS	55	55
			Hotel Mgmt / Pharmacy	60	60
			CA / CS / FCA / ICWA	Pass Class	
7.	Professional PG	10,000	ME / M.Phil / MBA, MPM. M.Tech / MCA/Ph.D	Pass Class	

In the name of Dr. Babasaheb Ambedkar, Bank has initiated Scheme to felicitate & reward the top 3 performing branches in terms of disbursing credit facilities to SC/ST communities.

LEARNING & DEVELOPMENT: The Bank has a training system which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill building in credit, Forex, customer relationship management, marketing of products and services, credit monitoring and recovery, risk management, technology based banking, branch management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance received special attention during the year. Learning and Development (L&D) strategy has been customized for enriching employees through virtual / online training programs, enabling them to avail these services from anywhere.

Training programs were also held on thrust areas like financing MSMEs, retail lending, agriculture finance, soft skills and rural development.

Cadre-wise Break up of Employees trained during the period 1.4.2021 to 31.03.2022 are as under-

Cadre	No. of Programmes Training Days	Employees Trained	Cadre
Officers	608	4,990	165
Clerks	308	2,119	107
Sub-staff	163	1,604	85
Total	1,079	8,713.	357

3.3 Technology Initiatives

A. Customer Centric Initiatives FY 2021-22:

During FY 2021-22, Bank has taken multiple initiatives toward service delivery to its customers for convenience:

- **MeitY: Digital Score Card:** Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) has set target of 54 crore digital transactions for FY 2021-22 where bank has achieved 63.90 crore digital transaction for FY 2021-22. MeitY monitors the progress of digital payment transactions, merchant acquisitions, UPI and AEPS system resilience on monthly basis and communicates the scores to Banks. Our bank has maintained “Good” category performance.



- ऑनलाइन 'जीवन प्रमाण पत्र' टूल विकसित किया गया। यह पोर्टल पेंशनभोगियों के लिए बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि वे बिना शाखा को भेंट दिए बिना वीडियो आधारित ऑनलाइन वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें।
- ग्राहक सेवाएं जैसे रीयल-टाइम खाता शेष पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट रिपोर्ट, नवीनतम संव्यवहार रिकॉर्ड, रीयल-टाइम अलर्ट, चेक बुक अनुरोध प्रस्तुति, शाखा लोकेटर, एटीएम लोकेटर इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए **व्हाट्सएप बैंकिंग** और **चैटबॉट सॉल्यूशन**। डिजिटल चैनलों के माध्यम से ऋण आवेदन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
- अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य उन्नत सुविधाओं के साथ **कार्डरहित नकदी आहरण** द्वारा अपने ग्राहकों को अधिक सुविधाएं प्रदान की गईं।
- क्रेडिट कार्ड आवेदनों के कागजरहित और त्वरित प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए **क्रेडिट कार्ड कागजरहित प्रोसेसिंग**। इस सुविधा के तहत, क्रेडिट कार्ड सेवा के लिए ग्राहक की सहमति प्राप्त करने हेतु ग्राहक को एक लिंक के साथ एक एसएमएस भेजा जाता है। लिंक पर क्लिक करने के उपरांत ग्राहक के समक्ष एक वेबपेज प्रदर्शित होता है जहां वह क्रेडिट कार्ड के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत करता/करती है। इस आधार पर, सहमत शाखा द्वारा ग्राहक के क्रेडिट कार्ड अनुरोध को प्रोसेस किया जाता है।
- बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड की संख्या **12.26 मिलियन** तक पहुंच गई है। बैंक का मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट ग्राहक आधार क्रमशः **1.89 मिलियन** और **1.93 मिलियन** तक पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ग्राहकों को जारी किए गए नए डेबिट कार्ड की संख्या **2.50 मिलियन** के माइलस्टोन आंकड़े तक पहुंच गई है और डिजिटल संव्यवहारों का प्रतिशत बढ़कर **95.98%** हो गया है।
- बैंक ने स्वयं के QR कोड की शुरुवात की है और 1 लाख से अधिक व्यापारियों को ऑनबोर्ड किया है, जिसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र के 5,000 से अधिक व्यापारी भी शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया केन्द्रित पहलें :

- प्रौद्योगिकी को शामिल कर निम्नलिखित प्रक्रिया संबंधी संवर्द्धन किए गए हैं:
- बैंक ने अपने आईटी विभाग द्वारा विकसित नियम आधारित **स्ट्रेस अकाउंट मॉनिटरिंग टूल "हॉकआई"** लॉन्च किया है और इसे शाखाओं और अंचलों हेतु लॉन्च किया गया है। इस टूल ने बैंक की समग्र आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों के श्रम के कम करने और रियल टाइम निगरानी को सशक्त किया है। इसके परिणामस्वरूप तनावग्रस्त आस्तियों में पर्याप्त कमी आई है और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निगरानी में मदद मिल रही है।
 - बैंक ने अपेक्षित टीएटी के भीतर ऋण प्रस्तावों की प्रोसेसिंग के लिए पैन इंडिया अपनी सभी शाखाओं में **एलएलएमएस** को कार्यान्वित किया है। बैंक ने एलएलएमएस के माध्यम से **38,000+** ऋण प्रस्तावों को सफलतापूर्वक प्रोसेस किया है।
 - बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट और व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से ऋण के आवेदन को सक्षम करने हेतु ग्राहकों की डिजिटल ऑन-बोर्डिंग।
 - वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने कई राज्य सरकारों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गोवा के साथ एकल नोडल एजेंसी खाते और अन्य संबंधित बैंकिंग सुविधाओं के लिए इमपैनेल एजेंसी बैंक के रूप में करार किया है। बैंक ने कई सरकारी निगमों के साथ उनके ग्राहक संव्यवहारों की हैंडलिंग के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को सक्षम बनाने हेतु भी करार किया है, जिससे बड़े पैमाने पर जनता को पारदर्शिता और सहजता हुई है।

ग. अवसंरचना और विनियामक पहल:

- बैंक ने **आधार डेटा वॉल्ट** लागू किया है। यूआईडीआई के निर्देशों के अनुसार, आधार संख्या संग्रहीत करने वाली सभी एजेंसियों को आधार डेटा वॉल्ट को लागू करने की आवश्यकता है, यह एक प्रणाली है जहां प्रत्येक आधार संख्या के लिए एक यूनिक संदर्भ संख्या आवंटित की जाती है।

- Development of **Online 'Jeevan Pramaan Patra' tool**. This portal has been made available on Bank's website for pensioners to submit video based online annual Life certificate without visiting the branch.
- **WhatsApp Banking and Chatbot Solution** for providing customer services like real-time account balances enquiry, mini statement reports, latest transaction records, real-time alerts, submit cheque book request, branch locator, ATM locator etc. The solution is also enabled for application of loans through digital channels.
- **Cardless Cash Withdrawal** along with other enhanced features through its Mobile Banking platform, extending more convenience to its customers.
- **Paperless processing of Credit Card** to encourage paperless & fast processing of credit card applications. Under this facility, an SMS is sent to customer with a link to obtain customer's consent for availing credit card service. On clicking the link, a webpage is displayed to customer where he/she will submit his/her consent for credit card. Based on consent, branch process the credit card request of the customer.
- Bank Debit Card Issuance has reached to **12.26 Million**. Bank's Mobile Banking and Internet customer base has reached to **1.89 Million** and **1.93 Million** respectively. During FY 2021-22, fresh Debit Card issuance to customers has reached a milestone figure of **2.50 million** & percentage of digital transactions increased to **95.98%**.
- Bank has introduced its own QR code Standby and onboarded more than 1 lakh merchants, which includes more than 5,000 merchants in North East Region

B. Process Centric Initiatives:

Following process related enhancements have been achieved through introduction of technology:

- Bank has launched rule based **stress account monitoring tool "HawkEye"** developed by its IT department and the same has been launched for the Branches & Zones. The tool has enabled real time monitoring and mitigation efforts by the field functionaries towards improvement of overall asset quality for the bank. This has resulted in substantial reduction in stress assets over the period with ease of monitoring for field functionaries.
- Bank has successfully implemented **LLMS** Pan-India across all its branches for processing of loan proposals within expected TAT. Bank has successfully processed **38,000+** loan proposals through LLMS.
- Digital on-boarding of customers enabling application of loans through Bank's Corporate Website & WhatsApp links.
- During FY 2021-22, Bank has tied up with many state governments viz, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Goa as empaneled Agency Bank for Single Nodal Agency Account and other related banking facilities. Bank has also tied up with many Govt Corporations in enabling technology platforms to them for handling their customer transactions, which extended transparency and convenience to the public at large.

C. Infrastructure & Regulatory Initiatives:

- Bank has implemented **Aadhaar Data Vault**. As per directives of UIDAI all agencies which store Aadhaar number are required to implement an Aadhaar Data Vault, a system where a unique Reference Number is allotted against every Aadhaar Number.

- वित्तीय वर्ष 21-22 की दूसरी तिमाही के दौरान, बैंक ने सभी शाखाओं का पैन इंडिया माइग्रेशन न्यू फ्रंट एंड (बैंक में वर्ष 2006 से मौजूद गेटवे आधारित सीबीएस से) में किया है। सभी शाखाओं को सफलतापूर्वक न्यू फ्रंट एंड सेंट्रलाइज्ड सीबीएस संस्करण में माइग्रेट कर दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक्स24 रखने वाला ऐसा पहला बैंक है जिसने अपनी सभी शाखाओं को इस तरह के उन्नत संस्करण में माइग्रेट कर दिया है।
- बैंक डाटा सेंटर में निजी क्लाउड आर्किटेक्चर स्थापित करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की खरीद की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक अपनी कुछ यूटिलिटी को क्लाउड में माइग्रेट करना चाहता है।
- सुरक्षा आर्किटेक्चर को सशक्त करने के लिए, बैंक ने विभिन्न उद्योगों में स्थापित नवीनतम सुरक्षा उपकरणों जैसे डीएलपी (डेटा लीक रोकथाम), डीएम (डेटाबेस एक्सेस मॉनिटरिंग), ईडीआर (एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉंस), डब्ल्यूएफ (वेब एप्लिकेशन फायरवॉल), एफआरए (फायरवॉल नियम विश्लेषक) आदि में भी निवेश किया है।
- बैंक ने वर्ष के दौरान 180 वीसैट पर निर्भर शाखाओं को उच्च गति वाले आरएफ लिंक में माइग्रेट कर दिया है जिससे शाखाएं बिना किसी अवसरचरनात्मक व्यवधान के सुचारु ग्राहक सेवा प्रदान कर सकें।
- बैंक के निदेशक मंडल ने फिनटेक नीति को अनुमोदन प्रदान किया है जिसने फिनटेक अपनाने का एरिना खोल दिया है। एक सुस्पष्ट दिशानिर्देश और रोडमैप के साथ, बैंक ने फिनटेक कंपनियों को शामिल करना शुरू कर दिया है ताकि बैंक के विभिन्न वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनलों में एकीकरण के माध्यम से प्रौद्योगिकियों से लाभान्वित हुआ जा सके। बैंक द्वारा ग्राहकों को बैंक ऋण उत्पादों की पेशकश के लिए डिजिटलीकरण अपनाया जा रहा है। इससे टीएटी को कम करने और ग्राहक सेवा को संवर्धन में मदद मिलेगी।

घ. डिजिटल साक्षरता

अपनी सामाजिक बैंकिंग जागरूकता पहल के हिस्से के रूप में, बैंक द्वारा विभिन्न दूरस्थ केंद्रों पर डिजिटल साक्षरता और शिविर आयोजित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित कुछ शिविरों की सूची इस प्रकार है:

- औरंगाबाद अंचल में डिजिटल उत्पाद ऑन-बोर्डिंग पर बीसी एजेंटों के लिए साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
- पिंपलखोटे शाखा-मालेगांव अंचल द्वारा तुंगन गांव में विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के लिए डेबिट कार्ड अभियान आयोजित किया गया जहां 55 रुपये डेबिट कार्ड वितरित किए गए और महिलाओं को उसके उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया।
- एक गांव एक बैंक - हमारी मोडासा शाखा, अहमदाबाद अंचल ने चरणवाड़ा गांव को 100% डिजिटल गांव में बदल दिया है। इस अभियान के दौरान 1000 से अधिक बचत बैंक खाते खोले गए और सभी पात्र ग्राहकों को डेबिट कार्ड और क्यूआर कोड दिए गए।
- परबाड़ा शाखा, अहमदाबाद अंचल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
- नागपुर अंचल की शाखाओं में विभिन्न डिजिटल साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। अभियान के दौरान कुल 1000+ डेबिट कार्ड वितरित किए गए।

ङ. साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी):

बैंक ने अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) कार्यान्वित किया है जिसमें शामिल हैं:

- सुरक्षा सूचना और इवेंट प्रबंधन (एसआईईएम) सॉल्यूशन।
- एडवांस हमलों से निपटने के लिए एंटी-एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट (एंटी-एपीटी) सॉल्यूशन।
- महत्वपूर्ण फ़ाइल सर्वरों में अनधिकृत परिवर्तनों का पता लगाने के लिए फ़ाइल सत्यनिष्ठा निगरानी (एफआईएम)।

- During Q2 of FY 21-22, Bank has taken up Pan-India migration of all branches to New Front End (from Gateway based CBS present in the Bank since 2006). All branches have been successfully migrated to New Front End Centralized CBS version. Bank of Maharashtra is the first Bank having Bancs24 to migrate all its branches to such upgraded version.
- Bank is in the process of setting up Private Cloud architecture at Data Centre and has procured the necessary infrastructure for the same. Bank intends to migrate some of its utilities to cloud during FY 2022-23.
- To strengthen the security architecture, Bank has also invested in different industry established latest security tools like DLP (Data Leak Prevention), DAM (Database Access Monitoring), EDR (Endpoint Detection and Response), WAF (Web Application firewall), FRA (Firewall Rule Analyzer) etc to name a few.
- Bank has migrated 180 VSAT dependent branches during FY 2021-22 to high speed RF links enabling smooth customer service at the branches without any infrastructure based disruptions.
- Bank's Board has approved Fintech policy which has unlocked the Fintech adoption arena. With a clear direction & roadmap, Bank has started onboarding Fintech companies so as to leverage the benefits of the technologies by way of integration across various Alternate Delivery Channels of the Bank. Bank is also digitalizing end to end journey of customers when it comes to offering the bouquet of Bank's loan products. This will help in reducing the TAT and enhanced customer service.

D. Digital Literacy:

As part of its social banking awareness initiatives, Bank has been conducting digital literacy and camps at various remote centers. List of some of the camps conducted during FY 2021-22, are as under:

- Literacy camp was organized for BC Agents on Digital products on-boarding at Aurangabad zone.
- Debit cards campaign at Tungan Village by Pimpalkhote Branch-Malegaon Zone exclusively conducted for tribal women where 55 RuPay debit cards were distributed and the women were trained for utilization.
- One Village One Bank- Our Modasa Branch, Ahmedabad Zone has converted Charanwada Village into 100% digital village. During this drive more than 1000 Saving Banks Accounts were opened and Debit Cards and QR codes were given to all eligible customers.
- Digital Literacy camp was organized for Senior Citizen at Parbada Branch, Ahmedabad Zone.
- Various Digital Literacy camps were organized in Branches of Nagpur Zone. Total 1000+ plus debit cards were distributed during the campaign.

E. Cyber Security Operations Center (CSOC):

Bank has implemented Cyber Security Operations Center (CSOC) with state of the art technologies including:

- Security Information and Event Management (SIEM) solution.
- Anti-Advanced Persistent Threat (Anti-APT) Solution for combatting advanced attacks.
- File Integrity Monitoring (FIM) for detecting unauthorized changes to critical file servers.

- 2FA के इस्तेमाल करने वाले सभी प्रीवलेज उपयोगकर्ताओं हेतु प्रीवलेज डिवाइस, सर्वर और एप्लीकेशन तक पहुंच हेतु एक केन्द्रित पोर्टल आधारित कंसोल प्रीवलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट टूल (PIM)
- नेटवर्क विसंगतियों का पता लगाने के लिए नेटवर्क बिहेवरल एनोमली डिटेक्शन (एनबीएडी) टूल।

च. प्रौद्योगिकी फ्रंट पर पुरस्कार और सम्मान:

- बैंक को 2019-20 के दौरान लघु और सूक्ष्म पीएसबी के अंतर्गत डिजिटल लेनदेन के उच्चतम प्रतिशत में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.12.2021 को प्रतिष्ठित “**डिजीथन उत्कर्ष पुरस्कार**” से सम्मानित किया गया।
- बैंक ने 2020-21 के लिए श्रेष्ठ आईटी जोखिम और साइबर सुरक्षा पहल तथा श्रेष्ठ फिनटेक एडोपशन हेतु प्रतिष्ठित आईबीए अवार्ड भी प्राप्त किया।

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक उन्मुख पहलें

- बैंक ने गोईपोरिया समिति, डॉ. एस.एस. तारापोर समिति एवं दामोदरन समिति की सभी बड़ी सिफारिशों का कार्यान्वयन करते हुए ग्राहक सेवा के उच्च मानकों को अपनाया है ताकि संपूर्ण वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहक एवं एमएसएमई के प्रति बैंक संहिता की वचनबद्धता को अपनाया है।
- बैंक ने ‘माई फोल्डर’ नामक एक फोल्डर मुद्रित किया है जिसके अंतर्गत ग्राहक सेवा की सभी नीतियों, सेवा प्रभारों पर जानकारी, सरकार के योजनाबद्ध ऋणों पर दिशानिर्देश, लोकपाल एवं बीसीएसबीआई संहिता का समावेश है। इसका मुद्रण मराठी, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में करके सभी शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों को इसकी आपूर्ति की गई है तथा मांग करने पर यह सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है।
- ‘जमा’, ‘चेकों की वसूली’, ‘शिकायतों का निपटान’, ‘मुआवजा’, ‘मृतक जमाकर्ताओं के निपटान संबंधी प्रचालनगत कार्यविधि’ एवं ग्राहक अधिकार नीति पर विधिवत दस्तावेजीकृत नीतियों का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है।
- ग्राहक सेवा समितियों का सभी शाखाओं में गठन किया गया है तथा इनकी बैठकें मासिक आधार पर नियमित आयोजित की जाती हैं। प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति एवं अंचल कार्यालय में अंचल स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां नियमित रूप से बैठक का आयोजन करके ग्राहक से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करती है तथा लगातार ग्राहक सेवा में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाती है।
- ग्राहक सेवा पर निदेशक मंडल की समिति तिमाही आधार पर बैठक आयोजित करके ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक की शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखती है एवं ग्राहक संतोष सुनिश्चित करती है।
- ग्राहक शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने हेतु एक पूर्ण संगठित शिकायत तंत्र का गठन किया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने शिकायतें दाखिल करने अथवा ग्राहकों द्वारा सेवाओं पर सुझाव/ प्रतिसूचना प्रदान करने तथा उनकी प्रतिसूचनाओं/ शिकायतों की पावती प्रदान करने हेतु इंटरनेट आधारित तंत्र, मानकीकृत जन शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस) का आरंभ किया है।

- Privilege Identity Management tool (PIM) a centralized portal-based console to access the privilege devices, servers and applications for all the privilege users using 2FA.
- Network Behavioral Anomaly Detection (NBAD) tool for detecting network anomalies.

F. Awards & Recognitions on Technology front:

- Bank was conferred with prestigious “**DIGIधन Utkarsh Award**” for securing 1st position, on 05.12.2021, by Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), GOI, for achieving 1st highest percentage of digital transactions under Small & Micro PSBs during 2019-20.
- Bank has also bagged the prestigious IBA Award on Best IT Risk & Cyber Security initiatives & Best Fintech Adoption for 2020- 21.

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

- The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year by implementing all major recommendations of Goiporia Committee, Dr. S.S. Tarapore Committee and Damodaran Committee. As a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), the Bank has adopted Code of Bank's Commitment to Customer and Bank's Code of Commitment to MSMEs.
- Bank has printed folder called as “My Folder” containing all customer service policies, information on service charges, guidelines on Government Schematic Loans, Ombudsman and BCSBI Codes. The same is printed in Marathi, Hindi and English and supplied to all branches and Zones for making the same available to all customers on demand.
- Duly documented policies approved by the Board, on “Deposit”, “Collection of Cheques”, “Redressal of Grievances”, “Compensation”, “Operational Procedure for Settlement of Claims of Deceased Depositors” and Customer Rights Policy are in place.
- Customer Service Committees are formed at all branches and their meetings are conducted regularly on monthly basis. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Zonal Level Customer Service Committees at Zones, meet regularly to address and review various customer related matters and to take steps, for an improvement, on an ongoing basis.
- The Committee of the Board on Customer Service meets on quarterly basis to monitor the quality of the customer service, redresses of customer grievances and to ensure customers satisfaction.
- Full-fledged grievances redressal machinery in place to respond promptly to customer grievances. The Bank has started internet based mechanism, Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS) for lodging the complaints or to give suggestions / feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback / complaints as per the directions of Government of India.

क्र.	विवरण	2021-22	2020-21
1	वर्ष के आरंभ में ग्राहक शिकायतें	19	296
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	3,236	3,760
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	3,249	4,037
4	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतें	06	19

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
1	Customer complaints at the beginning of the year	19	296
2	Complaints received during the year	3,236	3,760
3	Complaints redressed during the year	3,249	4,037
4	Complaints pending at the end of the year	06	19

3.5 केवाईसी/ एएमएल

बैंक की निदेशक मंडल से अनुमोदित केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीति हैं। इन नीतियों के आधार पर बैंक केवाईसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है।

पूर्ण केवाईसी अनुपालन में ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है। इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। ग्राहकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट पर केवाईसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई है। कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवाईसी-एएमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

3.6 जोखिम प्रबंधन

बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां और रणनीतियां बनाई हैं जो इसे कुशलतापूर्वक जोखिम की पहचान करने, मापन, निगरानी और प्रबंधन करने में सक्षम बनाती हैं और बैंक की समग्र जोखिम एपेटाइट के अनुरूप नियंत्रण प्रणाली स्थापित करती हैं। बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक स्तर पर जोखिम की निगरानी के लिए बोर्ड स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। बैंक के शीर्ष प्रबंधन की अध्यक्षता में बैंक ने उप-समितियां भी गठित की हैं।

बैंक बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

3.7 विपणन व प्रचार

बैंक ने रिटेल, कृषि, एमएसएमई उत्पादों और आईटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत विपणन रणनीति अपनाई। मार्केटिंग टीम ने हमारी उपस्थिति और व्यापार को बढ़ाने के लिए रिटेल, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक और आभासी मोड में विभिन्न एक्सपो में भाग लिया।

बैंक ने प्रमुख खेल आयोजनों यथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भारत बनाम इंग्लैंड, शारजाह में संपत्ति एक्सपो आदि का आयोजन।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, बैंक ने सभी माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो, डिजिटल, प्रिंट आदि में अपनी उपस्थिति प्रदर्शित की। बैंक के बारे में जागरूकता पैदा करने और विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने के लिए बैंक विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीवी, रेडियो, डिजिटल चैनलों से जुड़ा।

डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत बैंक ने प्रमुख ई-कॉमर्स, न्यूज पोर्टल एवं गूगल एड में अपना विज्ञापन दिया। बैंक ने कॉर्पोरेट वेबसाइट को अधिक फ्रेंडली बनाने के लिए SEO पर जोर दिया।

सोशल मीडिया के 4 प्रमुख पैरामीटर तथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब और ट्वीटर पर बैंक के फॉलोअर 1 मिलियन तक पहुंच गए हैं।

3.8 नागरिक चार्टर

बैंक द्वारा वर्ष 2000-01 से नागरिक चार्टर को स्वीकृत किया गया है, जिसमें ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्व और जिम्मेदारियों का उल्लेख हैं। बैंक की वेबसाइट और सभी शाखाओं में चार्टर प्रदर्शित किया गया है।

4. सामाजिक/ सूक्ष्म आर्थिक विकास

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी

छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, खुदरा व्यापारियों, पेशेवर और स्वरोजगारी, महिला उद्यमियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उद्यमियों को उत्पादक उद्देश्यों के लिए समय पर और परेशानी मुक्त ऋण की उपलब्धता द्वारा न्यायसंगत और सतत आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करना बैंक का निरंतर प्रयास रहा है। बैंक का कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) (अनिवार्य लक्ष्य 40% के मुकाबले निवेश सहित एएनबीसी का 43.37% रहा। 31 मार्च 2022 (पूर्व-लेखापरीक्षित) तक प्राथमिकता क्षेत्र (निवेश को छोड़कर) के अंतर्गत अग्रिम रु.42638.78 करोड़ (एएनबीसी का 40.89%) रहा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रु.12500 करोड़ का पीएसएलसी बिक्री संव्यवहार किया है और रु.188 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया है।

3.5 KYC/ AML

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures are based.

The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the Bank takes various measures on a regular basis. A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments to sensitize the employees.

3.6 Risk Management

The Bank has put in place Risk Management Policies and Strategies, which enables it to identify, measure, monitor and manage risk efficiently and establishes control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. Bank has constituted Risk Management Committee at Board level to monitor the risk at Bank level in accordance with RBI Guidelines. Bank has also constituted sub-committees headed by Top Management of Bank.

The Bank is Compliant to the RBI guidelines on disclosure requirements under Basel III Capital Regulations.

3.7 Marketing & Publicity

Bank adopted an integrated marketing strategy to promote Retail, Agri, MSME products and Digital Banking Services. The marketing team participated in various expos in the physical and virtual modes under the Retail, Agri & MSME sectors for increasing our presence and business mobilization. Bank advertised in major sporting events like International Cricket India Vs England, Property Expo at Sharjah, etc.

In FY 2021-22, Bank created new benchmarks in all mediums like TV, Radio, Digital, Print, etc. Bank has done campaigns with various National & Regional TV, Radio, Print & Digital Channels for creating awareness about the Bank and Promotion of various products & services.

In Digital Marketing Bank has done advertisement campaigns in major e-commerce, news portals & Google Ads. Bank emphasized SEO for making the corporate website more user-friendly.

In social media, Bank reached 1 million followers on 4 major platforms combined Facebook, Instagram, YouTube & Twitter.

3.8 Citizen's Charter

The Bank has adopted the Citizen's Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The charter is displayed at all the branches and Bank's website.

4. SOCIO/MICRO ECONOMIC DEVELOPMENT

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro and Small Enterprises, Retail Traders, Professional and Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections. Total Priority Sector Lending (PSL) of the Bank (including investments & PSLC sale transaction) stood at 43.37% of ANBC as against the mandatory target of 40%. The advances under Priority Sector (excluding investment & including PSLC sale transaction) as of 31st March 2022 (Post Audit) stood at Rs. 42638.78 Crore (40.89% of ANBC). Bank has carried PSLC Sale transaction of Rs. 12500 Crore and received premium of Rs. 188 Crore during FY 2021-22.

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तिमाही औसत आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

4.2 कृषि

बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए रु.6,372 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए। 31.03.2022 को कृषि क्षेत्र का कुल बकाया रु.18,968.15 करोड़ (रु.1,000 करोड़ के PSLC बिक्री संव्यवहारों सहित) के स्तर पर पहुंच गया। कुल कृषि (निवेश और PSLC संव्यवहारों सहित) एएनबीसी का 18.81% था। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र और कृषि के अंतर्गत उप-लक्ष्यों सहित सभी अनिवार्य लक्ष्यों (तिमाही औसत आधार पर) को प्राप्त किया है।

बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और रु.2,571 करोड़ का संवितरण किया। इसके परिणामस्वरूप, बैंक के निवेश ऋण में 23.62% की वृद्धि हुई और बैंक के एमकेसीसी पोर्टफोलियो में पिछले वर्ष की तुलना में 10.04% की वृद्धि हुई।

बैंक ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्रमुख कृषि निवेश गतिविधियों को कवर करने के लिए क्लस्टर आधारित योजना "महाबैंक कृषि समृद्धि योजना" भी तैयार की है, जो प्रतिस्पर्धी आरओआई और ग्राहक-अनुकूल सुविधाओं के कारण लोकप्रिय हो रही है।

पिछले कुछ वर्षों में, कृषि क्षेत्र बार-बार प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि की चपेट में रहा है। विनियामक दिशानिर्देशों के भीतर, बैंक समय-समय पर किसानों के लिए राहत के उपाय करता रहा है। हमारा बैंक महाराष्ट्र सरकार की कृषि ऋण माफी योजना का भी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है। बैंक ने संबंधित राज्यों द्वारा घोषित विभिन्न अन्य कृषि ऋण माफी योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

बैंक ने कृषि अग्रिम बढ़ाने के लिए किसानों को बाधारहित ऋण प्रदान करने हेतु शाखाओं के लिए जागरूकता/ संवेदीकरण कार्यक्रम और स्थानीय प्रशिक्षण का आयोजन किया।

Bank has achieved all mandatory targets as stipulated by RBI under Priority Sector Lending during FY 2021-22 on Quarterly Average Basis.

4.2 Agriculture



Bank sanctioned fresh loans of Rs. 6,372 Crore for Agriculture and allied activities during FY 2021-22. The total outstanding advances to agriculture sector reached a level of Rs. 18,968.15 Crore (including PSLC Sale transaction of Rs. 1,000 Cr) as on 31.03.2022. Total Agriculture (including investments & including PSLC sale transaction) stood 18.81% of ANBC. Bank has achieved all mandatory targets (on Quarterly average basis) under Priority Sector and Agriculture including sub-targets during FY 2021-22.

The bank focused on growth of Investment Credit under Agriculture during FY 2021-22 and disbursed Rs.2,571 Crore. As a result, Investment Credit of Bank grew by 23.62% and MKCC portfolio of the Bank grew by 10.04 % over previous year.

The bank also devised cluster based scheme "Mahabank Krishi Samruddhi Yojana" to cover the major Agriculture Investment activities of Agro and Food processing industries which is becoming popular due to competitive ROI and customer-friendly features.

Over last few years, Agriculture sector has been repeatedly hit by vagaries of natural calamities like drought, flood, hailstorms, etc. Within the regulatory guidelines, Bank has extended the relief measures to farmers from time to time. Our bank is also successfully implementing farm loan waiver scheme of Govt. of Maharashtra. Bank has efficiently implemented various other Farm Loan Waiver schemes declared by respective states.

The Bank undertook awareness/sensitization program and locational trainings for the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.



4.2.1 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है। बैंक ने देश भर में खरीफ, 2021 मौसम के दौरान ऋण शिविरों का आयोजन किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, किसानों को कुल 2.80 लाख किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर किए गए, जिनकी राशि रु.4628 करोड़ है। एमकेसीसी लाभार्थियों को क्रेडिट प्रवाह 31.03.2022 तक रु.8255 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया। विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने किसानों को कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी जारी करने के लिए एक विशेष अभियान आयोजित किया है। यह योजना छोटे और सुदूर स्थित डेयरी किसानों, मछुआरों और पशुपालन में उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने और ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रचलित होने में मदद कर रही है।

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The bank organized Credit Camps during Kharif, 2021 season across the country. During, FY 2021-22 the bank sanctioned total 2.80 lakh Kisan Credit Cards to farmers amounting to Rs.4628 crore. Credit flow to MKCC beneficiaries reached to a level of Rs.8255 Crore as on 31.03.2022. As per regulatory guidelines, Bank has also implemented a special drive for issuing KCCs to farmers for Agriculture as well as for Animal Husbandry and Fisheries. The scheme is helping small and scattered dairy farmers, fishermen and entrepreneurs in animal husbandry to grow their business and also becoming popular in rural and semi urban areas.

4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने में इनका योगदान सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, कोविड-19 की दूसरी लहर से

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

MSMEs are the growth engine for Indian economy. They have highest contribution in generating employment both directly as well as indirectly. During FY2021-22, MSMEs were most

संबंधित आपदा, लॉकडाउन, मजदूर पलायन आदि के कारण एमएसएमई सबसे अधिक प्रभावित हुआ। बैंक द्वारा एमएसएमई को सहयोग प्रदान किया जा रहा है और भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एमएसएमई के लिए प्रदान की जा रहे विभिन्न राहत उपायों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- i. पात्र उधारकर्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया।
- ii. एडहॉक लाइन ऑफ क्रेडिट कोविड-19 योजना के अंतर्गत अतिरिक्त वित्त प्रदान किया गया।
- iii. बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय सुधारने हेतु पीएमस्वनिधि योजना द्वारा ऋण प्रदान किया गया है।
- iv. कोविड प्रभावित क्षेत्रों (एलजीएससीएएस) के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की पात्र परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान किया जाता है।
- v. पात्र यात्रा और पर्यटन हितधारकों को राहत प्रदान करने के लिए कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के अंतर्गत ऋण गारंटी योजना के तहत वित्त दिया जाता है यथा कोविड-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावितों के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता।

मार्च 2021 की तुलना में बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रदान किए गए ऋण में 14% की वृद्धि हुई और मात्रा की दृष्टि से रु.3146 करोड़ की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। 31.03.2022 को बैंक का कुल एमएसएमई अग्रिम रु. 26279.08 करोड़ रहा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में एमएसएमई पोर्टफोलियो में बैंक का प्रदर्शन नीचे की तालिका में देखा जा सकता है:

क्र.	विवरण	वास्तविक	लक्ष्य
1	एनबीसी को माइक्रो का %	9.69%	7.50%
2	माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष वृद्धि	-9.89%	10%
3	माइक्रो और लघु इंटरप्राइजेस के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष वृद्धि बकाया	13.08%	20%
4	एमएसएमई के समक्ष माइक्रो का हिस्सा बकाया	67.95%	60%

4.3.1 मुद्रा :

बैंक द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के माध्यम से रु.10 लाख तक विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में संलग्न छोटे व्यवसायों और गैर-कृषि उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने पीएमएमवाई के अंतर्गत लक्ष्य रु.2375 करोड़ के स्थान पर रु. 2704 करोड़ की मंजूरी प्रदान की और लक्ष्य का 113.85% प्राप्त किया।

अन्य प्रमुख उपलब्धियां

- एमएसएमई खंड के अंतर्गत उधारी में सुधार के लिए, बैंक ने विभिन्न पहलों की हैं। बैंक ने क्रेडिट अभियान शुरू किए हैं और पूरे भारत में एमएसएमई आउटरीच एक्सपो आयोजित किए हैं। महा एमएसएमई अभियान 09.08.2021 से 30.09.2021 तक आयोजित किया गया। अभियान के दौरान, रु.2332 करोड़ के एमएसएमई अग्रिम मंजूर किए गए और रु.1828 करोड़ राशि संवितरित की गई।
- एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच अभियान 01.10.2021 से 31.12.2021 तक चलाया गया। अभियान अवधि के दौरान, रु.3843 करोड़ के एमएसएमई अग्रिम मंजूर किए गए और रु.3211 करोड़ राशि संवितरित की गई।
- महा एमएसएमई अभियान 2022 (एम2 2022) का आयोजन दिनांक 19.01.2022 से 16.03.2022 तक किया गया। अभियान अवधि के दौरान, रु.1922 करोड़ के एमएसएमई अग्रिमों को मंजूरी प्रदान की गई और रु.1633 करोड़ राशि संवितरित की गई।

affected due to second wave of COVID-19 related distress, lockdown, labor migration etc. Bank has extended support to MSMEs and has implemented various relief measures given to MSME borrowers by Government of India and Reserve Bank Of India.

- i. Additional Funding extended under Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) to eligible borrowers.
- ii. Additional finance extended under Adhoc Line of Credit COVID-19 Scheme
- iii. For street vendors, Bank of Maharashtra has extended loans via PMSVANIDHI scheme to revive their business.
- iv. Finance is extended to eligible projects on the healthcare sector under Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors (LGSCAS).
- v. Finance is extended under Loan Guarantee Scheme under Covid Affected Tourism Service Sector (LGSCATSS) to provide relief to eligible Travel & Tourism Stakeholders viz. By of need based financial assistance who have been adversely impacted by the Covid-19 pandemic.

Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises increased by 14% as compared to Mar 2021 and recorded growth of Rs. 3146 crore in absolute terms. Total MSME advances of the bank stood at Rs.26,279.08 crore as on 31.03.2022.

Bank's performance in MSME portfolio in FY 2021-22 can be seen below in the table -

S. No	Particulars	Actual	Target
1	% of Micro to Adj. Net Bank Credit	9.69%	7.50%
2	YOY Growth under Micro Enterprises	-9.89%	10%
3	YOY Growth under Micro & Small enterprises O/s	13.08%	20%
4	Share of Micro against to MSE O/s	67.95%	60%

4.3.1 MUDRA

Bank is supporting credit needs of small business and non-farm enterprises engaged in manufacturing, trade and services up to Rs. 10 lakh by way of Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). During the year ended 31.03.2022 the Bank has sanctioned Rs.2704 crore under PMMY against the target of Rs. 2375 crore, thereby achieving 113.85% of target.

Other Major Achievements

- To improve lending under MSME segment, Bank has taken various initiatives. Bank has launched credit campaigns and conducted MSME Outreach Expos across India. The Maha MSME Campaign was conducted from 09.08.2021 to 30.09.2021. During the campaign, MSME advances amounting to Rs. 2332 crore were sanctioned and Rs. 1828 crore were disbursed.
- The MSME Credit Outreach Campaign was conducted from 01.10.2021 to 31.12.2021. During the campaign period, MSME advances amounting Rs. 3843 crore were sanctioned and Rs. 3211 crore were disbursed.
- The Maha MSME Campaign 2022 (M2 2022) was conducted from 19.01.2022 to 16.03.2022. During the campaign period, MSME advances amounting Rs. 1922 crore were sanctioned and Rs. 1633 crore were disbursed.

- गुणवत्तापूर्ण नए/ टेकओवर एमएसएमई व्यवसाय के वांछित स्तर को हासिल करने के लिए, बैंक ने दिनांक 21.10.2021 से 31.03.2022 तक एक विशेष अभियान - "महा स्वागतम" चलाया। अभियान के दौरान, 343 खातों में रु.1103 करोड़ मंजूर किए गए।
- बैंक ने ऋण टैप, मास फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और लेंडिंगकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सह-उधारी व्यवस्था के अंतर्गत डिजिटल उधारी उत्पादों को लॉन्च किया है जो एमएसएमई ऋणों के डिजिटलीकरण को सक्षम बनाता है।
- बैंक की विभिन्न योजनाएं जैसे महा जीएसटी, महा कंट्रैक्टर, महा हॉस्पिटैलिटी योजना आदि के अंतर्गत बहुत प्रतिस्पर्धी आरओआई के साथ वित्त प्रदान किया जाता है।
- बैंक ने महाबैंक चैनल वित्त पोषण योजना शुरू की है जो कॉरपोरेट और उनके एमएसएमई चैनल भागीदारों की ऋण मांगों को पूरा करती है।

- To garner desired level of quality new/takeover MSME business, Bank had launched a special drive – "Maha Swagatam" from 21.10.2021 to 31.03.2022. During the campaign, 343 accounts amounting Rs. 1103 crore were sanctioned.
- Bank has launched digital lending products under co-lending arrangement with Loan Tap, Mas Financial Services Pvt Ltd and LendingKart Finance Pvt Ltd which enable end to end digitization of MSME loans.
- Finance is being extended with very competitive ROI under Bank's various customized schemes like Maha GST, Maha Contractor, Maha Hospitality scheme etc.
- Bank has launched Mahabank Channel Financing Scheme which meets the credit demands of corporates and their MSME channel partners.

4.4 चयनित खंडों को बैंक का विगोपन

(रु.करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	31.03.2022 को	31.03.2021 को	वृद्धि % (+/-)
1	सूक्ष्म / एसएचजी वित्त	577	365	(7.12)
2	कमजोर वर्ग	12,735	11,863	7.67
3	एससी / एसटी लाभार्थी	4,234	2,911	45.44
4	ओबीसी लाभार्थी	9,108	7,605	19.76
5	अल्पसंख्यक समुदाय	4,481	3,814	17.49

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/ परियोजनाएं:

5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यावसायिकों और पेंशनरों को आवासीय संपत्तियां/ जमीन खरीदने, घर की मरम्मत/ नवीनीकरण, उपभोक्ता वस्तुओं, दुपहिया/ चार पहिया वाहन खरीदने, शिक्षा और अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं आदि हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है। मार्च 22 को बैंक का कुल रिटेल पोर्टफोलियो रु.35422.22 करोड़ है।

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 22 को पोर्टफोलियो	एनपीए %
1	महा सुपर आवास ऋण योजना	आवास क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र होने के कारण सभी आर्थिक खंडों की प्राप्ति हेतु बैंक के पास विभिन्न आवास ऋण योजनाएं हैं। बैंक "नए/ वर्तमान आवास के निर्माण/ खरीदी, वर्तमान घर/ फ्लैट की मरम्मत/ नवीकरण/ तबदीली, प्लॉट की खरीदी और उस पर निर्माण" के लिए आवास ऋण प्रदान करता है।	21,103.06	1.02

4.4 Banks exposure to select segments

(Rs. In Crore)

Sr No	Sector	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021	% increase (+/-)
1	Micro / SHG Finance	557	365	(7.12)
2	Weaker Section	12,735	11,863	7.67
3	SC/ ST Beneficiaries	4,234	2,911	45.44
4	OBC Beneficiaries	9,108	7,605	19.76
5	Minority Communities	4,481	3,814	17.49

5. IMPORTANT SCHEMES/ PROJECTS OF THE BANK

5.1. Credit Flow to Retail Sector

Bank is providing retail loans for salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of housing properties/ plots, repair/ renovation of house, purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles, education and loan for other personal needs etc. Total Retail portfolio of the Bank as on Mar'22 is Rs. 35422.22 Crore.

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar '22	NPA %
1	Maha Super Housing Loan Scheme	Housing Sector being the thrust area, Bank has various Housing Loan schemes in place to meet the needs of all economic segments. Bank offers housing loan for "purchase / construction of new / existing house / flat, repairs/ renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon"	21,103.06	1.02

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 22 को पोर्टफोलियो	एनपीए %
2	महासुपर कार ऋण योजना और महाबैंक वाहन ऋण योजना	बैंक ने व्यक्तियों (18 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए वैयक्तिक उपयोग (किराया/ यात्री आवागमन के लिए नहीं) हेतु नए फोर व्हीलर यथा कार, जीप, मल्टी यूटिलिटी वेहिकल (एमयूवी), एसयूवी के खरीदी के लिए योजनाएं आरंभ की।	2,089.99	1.24
3	मॉडल शिक्षा ऋण योजना	बैंक आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार मॉडल शिक्षा ऋण योजना का कार्यान्वयन करता है और भारत एवं विदेश में उच्च शिक्षा/ अध्ययन प्राप्त करने के लिए सभी मेधावी एवं योग्य छात्रों को इंस्टिट्यूट शिक्षा ऋण प्रदान करता है।	1,458.85	1.60
4	स्व अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण	बैंक द्वारा स्व अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत संपत्ति के बदले उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण का अंतिम उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत आवश्यकताओं यथा बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, यात्रा / दौरा व्यय, वाहन या हाई-टेक गैजेट की खरीद, अन्य घरेलू आवश्यकताओं आदि की पूर्ति करना है।	1,259.08	1.82

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar '22	NPA %
2	Maha Super Car Loan Scheme and Mahabank vehicle Loan scheme	Bank has launched schemes for purchase of New four wheelers i.e. Car, Multi Utility vehicles (MUVs), SUV etc. for personal use (i.e. not for hiring/ ferrying passengers) for individuals (18 years and above).	2,089.99	1.24
3	Model Education Loan Scheme	Bank has implemented Model Education Loan Scheme as per IBA guidelines and provides hassle free Education loan to all meritorious and deserving students for pursuing higher studies / education in India and abroad.	1,458.85	1.60
4	Loan Against Self-Occupied Property	Bank has introduced Loan Against Self-Occupied Property in which loan is given to the borrower against the property. The end use of the loan is for meeting varied personal needs like Children's Education, marriage of children, medical treatment, travel/ tour expenses, buying vehicle or hi-tech gadgets, other domestic needs etc.	1,259.08	1.82

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 22 को पोर्टफोलियो	एनपीए %
5	महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना	वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ टॉप अप ऋण की अतिरिक्त सुविधा के साथ अन्य बैंकों के वर्तमान आवास ऋणों का अभिग्रहण करने के लिए बैंक ने "महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना" का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत घर की मरम्मत/ नवीनीकरण/ फर्निशिंग, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, वाहन खरीद या हाई-टेक गैजेट व अन्य घरेलू जरूरतों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं।	1,268.59	0.24
6	महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना	आकर्षक आस्ति के रूप में स्वर्ण ऋण की संभावनाओं का लाभ उठाने और अन्य वैयक्तिक खर्चों जिसमें विवाह, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आकस्मिकताओं, व्यवसाय यात्रा इत्यादि शामिल है, की पूर्ति के लिए बैंक ने रिटेल ऋण उत्पाद "महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना" का आरंभ किया है।	3,296.68	0.28
7	महाबैंक आधार ऋण योजना	हमारे वर्तमान पेंशन खाताधारकों को उनके वैयक्तिक खर्चों, धार्मिक यात्राओं, चिकित्सा, घरेलू आवश्यकताओं इत्यादि की पूर्ति के लिए बैंक ने "महाबैंक आधार ऋण योजना" का शुभारंभ किया।	538.06	0.89

5.2 ऋणों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग

बैंक द्वारा समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराने के टर्नअराउंड समय (टीएटी) में सुधार करने हेतु अपने सभी अंचलों में वाणिज्यिक और रिटेल अग्रिमों की प्रोसेसिंग एवं मंजूरी हेतु केंद्रीकृत प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीसी) की स्थापना की गई है।

सभी बंधक आधारित रिटेल ऋण या जहां कहीं भी अचल संपत्ति को बंधक प्रयोजन के लिए संपार्श्विक के रूप में पेश किया जाता है, भले ही सीपीसी-आर में प्रोसेस और स्वीकृत की जाने वाली ऋण राशि कुछ भी हो।

ये ऋण इस प्रकार हैं:

- आवासीय ऋण
- टॉप अप ऋण
- स्व-अधिकृत संपत्ति पर ऋण
- शिक्षा ऋण (यदि अचल संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में प्रस्ताव किया जाता है)
- वाहन ऋण (यदि अचल संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में प्रस्ताव किया जाता है)
- अन्य सभी खुदरा ऋण संबंधित शाखाओं द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।

शहरी क्षेत्र की सभी शाखाएं (स्केल-4 तक वर्गीकृत) या अन्य क्षेत्र के मामले

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar '22	NPA %
5	Mahabank Top up Loan Scheme	In order to extend additional credit support to existing housing loan borrower as well takeover of existing housing loans of other banks with additional facility of Top-up Loan. Bank has launched "Mahabank Top Up loan Scheme". Under this scheme credit is extended for repair / renovation / furnishing of house, children's education, marriage of children, medical treatment, buying a vehicle or hi-tech gadgets and other domestic needs etc.	1,268.59	0.24
6	Mahabank Gold Loan Scheme	To cater to the needs of meeting personal expenses, whatsoever which include personal expenditure for varied needs like marriage, higher education, medical emergencies, and business travel etc., Bank has a retail loan product as "Mahabank Gold Loan Scheme".	3,296.68	0.28
7	Mahabank Aadhar Loan Scheme	To cater to the needs of our existing pension account holders in meeting their personal expenses, pilgrimage, medical and domestic needs etc. Bank offers "Mahabank Aadhar Loan Scheme".	538.06	0.89

5.2. Centralized Processing of loans

Bank has established Centralised Processing Cells (CPCs) for processing and sanctioning of commercial and retail advances at all its zones to improve the turnaround time (TAT) in facilitating timely credit.

All mortgage based Retail loan or wherever immovable property are offered as collateral for mortgage purpose irrespective of the loan amount to be processed and sanctioned at the CPC-R.

These loans are as under:

- Housing Loan
- Top up Loan
- Loan against self-occupied Property
- Education Loan (Incase immovable property is offered as collateral)
- Vehicle Loan (Incase immovable property is offered as collateral)
- All other Retail Loans to be sanctioned by respective branches.

All Branches (Categorized up to Scale -4) within urban

में सीपीसी-आर के स्थान से 25 किमी से 30 किमी के दायरे के अंतर्गत की शाखाओं को (अंचल प्रबंधक के विवेकानुसार) इसके साथ मैप किया जाएगा।

कार्य प्रवाह प्रक्रिया - सीपीसी रिटेल

- शहरी समूह या अन्य क्षेत्र के मामले में (अंचल प्रबंधक के विवेकानुसार) 25 किमी से 30 किमी के दायरे की मैप की गई शाखाएं प्रस्तावों को स्काउट करेंगी और चेकलिस्ट के अनुसार संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद मंजूरी हेतु सीपीसी-आर को आवेदन प्रस्तुत करती हैं।
- जिन शाखाओं को सीपीसी-आर के अंतर्गत मैप नहीं किया गया है, वे अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर स्काउटिंग, मूल्यांकन, समुचित सावधानी और मंजूरी प्रदान करेंगी। अतिरिक्त ड्यू डिलिजेंस एजेंसियां पूरक सत्यापन करेंगी और संवितरण और मंजूरी के बाद अनुवर्ती कार्रवाई आदि शाखाओं द्वारा की जाएगी। प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक के प्रस्तावों को सीपीसी-आर के माध्यम से अगले मंजूरी प्राधिकारी को प्रेषित किया जाता है।
- पुणे स्थित सभी सीपीसी केन्द्रों यानी पुणे शहर, पुणे पूर्व और पुणे पश्चिम के सीपीसी का विलयन एक महाबैंक रिटेल पॉइंट में कर दिया गया है ताकि पुणे की मैप की गई शाखाओं के सभी बंधक आधारित ऋणों और मैप नहीं की गई शाखाओं की प्रत्यायोजित मंजूरी शक्तियों से अधिक के प्रस्तावों की प्रोसेसिंग एक ही स्थान पर की जा सके। इसी प्रकार, मुंबई शहर और मुंबई उपनगर के मामले में भी विलयन द्वारा एक महाबैंक रिटेल पॉइंट बनाया गया है।

5.3 आवास वित्त शाखाएं:

बैंक ने आवास और बंधक आधारित ऋणों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए पहले से ही यशोमंगल, पुणे शहर (शाखा कोड-1129) में विशेषीकृत आवास वित्त शाखा (एचएफबी) स्थापित किया हुआ है। इस प्रकार की विशेषीकृत शाखा स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य मौजूदा संरचना में बिना कोई बदलाव किए पायलट आधार पर फोकस दृष्टिकोण को अपनाना था।

जैसा कि स्पष्ट है, बैंक को इस प्रकार के विशिष्ट और औद्योगिक मानक आउटलेट से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। अब, बैंक इसी प्रकार अन्य प्रमुख महानगरों यथा मुंबई, बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और नोएडा जैसे केंद्रों में विस्तार करने पर विचार कर रहा है।

5.4 द्वार पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं

बैंक द्वारा अपनी 555 शाखाओं के माध्यम से पहचान किए गए 100 शहरों में अपने रिटेल ग्राहकों के लिए द्वार पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवाओं के अंतर्गत वित्तीय संव्यवहार यथा नकदी आहरण, गैर वित्तीय संव्यवहार जैसे कि खाता विवरण, टीडीएस प्रमाणपत्र/ फार्म 16 पहुंचाने के साथ-साथ चेक/ डीडी, 15जी/ 15एच फॉर्म, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जीवन प्रमाणपत्र, नामांकन आदि पीक-अप सुविधा शामिल है। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए ग्राहकों द्वारा द्वार पर मूलभूत वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं की बहुत सराहना की गई है।

5.5 वैकल्पिक व्यवसाय माध्यम

5.5.1 इंटरनेट बैंकिंग

- पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में 26.05% की वृद्धि हुई। 31.03.2022 के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के लिए कुल 19.31 लाख ग्राहकों ने नामांकन किया।
- इंटरनेट बैंकिंग में अधिक ग्राहक ईज और सुविधा को लिए अतिरिक्त 19 कार्यक्षमताओं को सम्मिलित किया गया है।

5.5.2 मोबाइल बैंकिंग :

- वर्ष के दौरान बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में 38.18% वृद्धि हुई। 31.03.2022 को कुल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 18.86 लाख है।
- पंजीकरण में वृद्धि हेतु महामोबाइल कार्य प्रणाली को 4 सेवाओं तथा 30 कार्यक्षमताओं के साथ ग्राहक उन्मुख एवं सरलीकृत किया गया है।

conglomerate or within 25 km to 30 km radius in other place (as per discretion of ZMs) from location of CPC-R will be mapped with it.

Work Flow Process – CPC Retail

- Mapped Branches within urban conglomerate or within 25 km to 30 km radius in other place (as per discretion of ZMs) will scout the proposals and send the application to CPC-R for sanction, after verifying the relevant documents as per checklist.
- Branches which are not mapped to CPC-R will be scouting, appraisal, due diligence and sanction within their delegated powers. Additional due diligence agencies will do supplementary verification, disbursement & Post sanction follow up etc. will be carried out by branches. Beyond delegated powers proposals will be send to next sanctioning authority routed through CPC –R.
- All Pune based CPC cells i.e. Pune City, Pune East and Pune West CPCs are merged into one Maha Bank Retail Point for processing all the mortgaged based loans in Pune at a single place for mapped branches and above the delegated sanctioning powers of unmapped branches. Similarly, Mumbai City & Mumbai Suburb are also merged into one Maha Bank Retail Point.

5.3 Housing Finance Branches:

Bank has already in place exclusive Specialized Housing Finance Branch (HFB) at Yashomangal, Pune City (Br. Code- 1129) to capture the available opportunities in Housing and Mortgage based loans. Major vision is establishing this specialized branch was to adopt a focus approach on pilot basis without disturbing the existing structure.

As evident, Bank has witnessed a positive outcome with such exclusive and at par with industrial standard outlet. Now, bank is with the opinion to explore and extend this opportunity to other major metro centers like Mumbai, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad and Noida.

5.4 Door Step Banking Services

Bank is providing Door Step Banking Services for its retail customers in 100 identified cities through its 555 branches. The services include financial transaction like cash withdrawal. Non- financial transactions like delivery of account statement and TDS certificate/ Form 16 as well as pickup service of cheque/DD, 15G/15H form, standing instructions, life certificate, nomination etc. are also made available. Looking at covid-19 pandemic the basic financial and non – financial services at doorstep has been widely appreciated by the customers.

5.5 Alternate Delivery Channels

5.5.1 Internet Banking

- There was an increase of 26.05% in Internet Banking user over the previous year. As of 31.03.2022, total 19.31 lakh customers were enrolled for Internet Banking facility.
- In the internet Banking, additional 19 functionalities are added for more customer ease and convenience.

5.5.2 Mobile Banking

- Banking users increased by 38.18% during FY 2021-22. Total enrolled users were 18.86 lakhs as on 31.03.2022.
- Maha Mobile functionality has been customized and simplified with addition of 4 services and 30 functionalities for increasing enrolments.

5.5.3 क्यूआर कोड जारी करना

1. पिछले वर्ष की तुलना में क्यूआर कोड जारी करने में 30.28% की वृद्धि हुई। 31.03.2022 तक ग्राहकों को कुल 4.33 लाख क्यूआर कोड जारी किए गए।
2. बैंक ने वर्ष के दौरान व्यापारियों को 55189 क्यूआर स्टैंड वितरित किए।

6. निगमित सामाजिक दायित्व :

ग्रामीण नागरिकों, कमजोर वर्गों, वंचितों के उत्थान तथा सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने की सदियों पुरानी परंपरा की विरासत का पालन करते हुए बैंक ने सरकार से संबद्ध विभिन्न गतिविधियां संपादित कीं। यथा:

एमएसएमई सुदृढीकरण : बैंक द्वारा एमएसएमई के सुदृढीकरण हेतु महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग व कृषि (एमसीसीआईए) द्वारा गठित “एमएसएमई के लिए वित्त” पर ऑनलाइन कार्यक्रम जैसे एमसीसीआई इंडिया फाइनांशियल गैदरिंग 2022 का आयोजन तथा सहभाग लिया गया, बैंक को एमएसएमई के लिए आउटस्टैंडिंग बैंकिंग पार्टनर अवार्ड प्राप्त हुआ।

शिक्षा और खेल को प्रोत्साहन: बैंक ने बैंकिंग और वित्त के लिए अनुसंधान कक्ष की स्थापना हेतु हिन्दू कॉलेज दिल्ली, कंप्यूटर साइंस में विकासोन्मुख प्रकृति पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन हेतु श्रीनिवास कॉलेज, रियल इस्टेट, अवसंरचना, प्रोजेक्ट प्रबंधन एवं विनिर्माण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन हेतु NICMAR कॉलेज, खेल एवं युवा सेवाएं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऑनलाइन आयोजित ओलंपिक दिवस कार्यक्रम, मॉडर्न कॉलेज, पुणे द्वारा आयोजित इंटर कॉलेज प्रतियोगिता हेतु सहयोग प्रदान किया। बैंक ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग सत्र का आयोजन किया।

हेल्थकेयर / सैनिटाइजेशन को प्रोत्साहन: बैंक के राजगिरि अस्पताल, एनीकुलम में वेंटिलेटर तथा नेत्रहीन संस्थाओं को 125 फोल्डिंग केन उपलब्ध कराए। आवश्यक लोगों के बीच मास्क, सैनिटोइजर और अन्य हाइजीन सामग्री वितरित की गई।

महिला सशक्तिकरण: महिला स्व-सहायता समूहों को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी हेतु भीमथड़ी जत्रा (महिलाओं के लिए एक राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी) जैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर सहयोग प्रदान किया गया।

शहरी / ग्रामीण विकास: बैंक द्वारा बैंक के ग्रामीण विकास केंद्र के माध्यम से विभिन्न विकास गतिविधियों जैसे किसानों के लिए मृदा परीक्षण को प्रोत्साहन, 100 किसानों के लिए 500 कटहल के बीजों का रोपण, भोपाल स्मार्ट सिटी विकास, प्लेनोग्राम के माध्यम से पुणे विकास समिट 2022, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों के लिए भोजन एवं आवश्यक सामग्री का वितरण।

ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण:

बैंक द्वारा ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) तथा बैंक के दो ट्रस्टों यथा- महाबैंक कृषि अनुसंधान व ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) और ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल (जीएमबीवीएम) के माध्यम से कृषि, ग्रामीण विकास तथा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

क) महाबैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एमआरसेटी) के माध्यम से गतिविधियां-

- वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने निर्धारित लक्ष्य 3797 की तुलना में 4044 प्रशिक्षणार्थियों को ईडीपी और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया।
- इन प्रशिक्षित उद्यमियों द्वारा कुल 3409 नए व्यवसाय शुरू किए गए, 84.30% का सेटेलमेंट अनुपात प्रदर्शित हुआ; क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 62.01% उपलब्धि प्रदर्शित करते हुए 2114 इकाईयां क्रेडिट लिंक हो चुकी हैं।
- एनएसीईआर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हमारे बैंक की सभी आरसेटी को “ए” ग्रेड दिया गया है।
- महाबैंक आरसेटी ने अपने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया है जिसमें जेल के कैदियों के लिए प्रशिक्षण शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल कैदियों को व्यावसायिक ज्ञान और कौशल प्रदान

5.5.3 QR Code issuance

1. There was increase of 30.28% in QR code issuance over the previous year. As of 31.03.2022, total 4.33 lakh QR codes issued to customers.
2. Bank has distributed 55189 QR stand to merchants during FY 2021-22.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Following the legacy of the age-old convention of contributing to socio-economic advancement & underprivileged, weaker areas and rural citizens, Bank undertook various activities aligned with Govt. thrust areas:

Empowering MSMEs: Bank organized and participated in various events like MCCI India Financial Gathering 2022, an Online event on “Finance for MSMEs” organized by Maharashtra Chamber of Commerce, Businesses & Farming (MCCIA) for empowering the MSMEs, Bank received outstanding Banking Partner award for MSMEs.

Promoting Education & Sports: Bank has supported Hindu College Delhi for setting up a research cell for Banking and Finance; Srinivas College for organising an International conference on developing trends in Computer Science; NICMAR College for a conference for organising an International conference on Real estate, infrastructure, project management & construction. Olympic day online event organised by sports and youth services, Govt. of Maharashtra, Intercollege competition organised by Modern College, Pune, Bank organized yoga sessions on International Yoga Day.

Promoting Healthcare/Sanitation: Bank has provided Ventilators to Rajagiri Hospital, Ernakulam and 125 folding canes to Blind Organisation. Masks, sanitizers and other hygiene materials were distributed to needy people

Women Empowerment: Helping Women SHGs by providing platforms like Bhimthadi Jatra (a National level exhibition for women) to showcase their products.

Urban/Rural development: Bank is undertaking various rural development activities through the Bank's Rural Development Centre like promoting soil testing for farmers, planting 500 jackfruit seeding to 100 farmers; Bhopal Smart City development; Pune Development Summit 2022 through Plannogram; Distribution of food and necessities to flood-affected people in villages of Raigad & Ratnagiri District.

Rural Development & Women Empowerment:

Bank is undertaking various social activities through Rural Development Centre (RDCs) and two trusts of Bank i.e. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) and Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMBVM) in the areas of Agriculture, Rural development & women empowerment.

a) Trainings through Mahabank Rural Self Employment Training Institutes (MRSETIs)

- During FY 2021-22 Bank imparted EDP & skill based training to 4044 trainees as against set target of 3797.
- A total of 3409 new businesses were started by these trained entrepreneurs, showing settlement ratio of 84.30%; 2114 units are credit linked, showing 62.01 % achievement under credit linkage.
- All RSETIs of our Bank are “AA” Graded for FY 2020-21 by NACER.
- Mahabank RSETIs started to conduct unique training program apart from their regular Training Programs which will include training for jail inmates. This programme

करना है, बल्कि काम करने की उनकी इच्छाशक्ति, स्व सहायता की भावना और सहयोग की भावना को भी सशक्त करना है। इस कार्यक्रम में दो भाग शामिल होंगे। पहले भाग में एमआरसेटी कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से जेल के कैदियों में सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे और दूसरे भाग में हम जेल कैदियों के पुनर्वास पर काम करेंगे।

- एमआरसेटी ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है जैसे फिट इंडिया फ्रीडम रन, एंटरप्रेन्योरशिप मोबिलाइजेशन कैंप, रक्तदान शिविर। नेत्रदान शिविर आदि हेतु संकल्प।

ख) एसएचजी की अन्य पहलें: -

- बैंक द्वारा ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) तथा बैंक के दो ट्रस्टों यथा-महाबैंक कृषि अनुसंधान व ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) और ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल (जीएमबीवीएम) के माध्यम से कृषि, ग्रामीण विकास तथा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
- बैंक द्वारा शाखाओं, बीसी और अन्य डिजिटल मोड के माध्यम से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा - पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई आदि का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।
- नए व्यवसाय शुरू करने हेतु ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जीएमबीवीएम द्वारा स्वरोजगार गतिविधियों यथा - अगरबत्ती, मोमबत्तियाँ आदि बनाने के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ये महिलाएं स्वयं के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपना व्यवसाय चला रही हैं।

7. अग्रणी बैंक

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के सात जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पालघर, पुणे, सातारा व ठाणे में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है। प्रत्येक वर्ष अन्य बैंकों और संबंधित जिले के जिलाधिकारियों के सहयोग से बैंक जिला ऋण योजना बनाकर कार्यान्वित करता है।

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है।

एसएलबीसी द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों, सदस्य बैंकों, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक आदि से विचार-विमर्श कर राज्य वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है। वर्ष 2021-22 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र योजना रु. 4,61,080/- करोड़ की थी जो देश में सबसे बड़ी योजना में से एक थी। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न विशेष बैठक में योजना का अनुमोदन हुआ था।

राज्य वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित तिमाही बैठकों का आयोजन भी राज्य स्तरीय बैंकर समिति करती है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की नियमित बैठकों के अलावा दिशानिर्देशों के अनुसार उप समिति की बैठकों के साथ-साथ सदस्य बैंकों, राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय करने के लिए अन्य विभिन्न बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य में 16,500 से अधिक बैंक शाखाओं के बीच समन्वय का कार्य करती है।

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में एसएलबीसी आवश्यकता पड़ने पर राहत उपायों के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करता है, विशेष रूप से वर्ष के दौरान कोविड-19 संबंधित सलाह का प्रसारण, वर्चुअल मोड के माध्यम से विशेष बैठकों का आयोजन और आवश्यकतानुसार सदस्यों का मार्गदर्शन कर हमेशा बहुत सक्रिय रहा है।

objective is not only to provide inmates with vocational knowledge and skills, but also to strengthen their will to work, sense of self-help and spirit of cooperation This program will comprise of two parts. In first part MRSETIs will try for reformation of jail inmates through skill development training and in second part we will work on rehabilitation of Jail Inmates

- MRSETIs have organized various programmes under "AZADI KA AMRIT MAHOTSAV" like FIT India Freedom Run, Entrepreneurship Mobilization camps, Blood donation camps. Pledge for Eye Donation camps etc.

b) Other initiatives SHGs

- Bank is undertaking various social activities through Rural Development Centre (RDCs) and two trusts of Bank i.e. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) and Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMBVM) in the areas of Agriculture, Rural development & women empowerment.
- Bank received National Award for best performance in SHG financing under DAY NRLM for FY 2019-20
- Bank is also implementing the social security schemes of Govt. like PMJJBY, PMSBY, APY, etc. through Branches, BCs and other digital modes.
- GMBVM provided skill based training to rural women for self-employment activities like Agarbatti, Candles, etc. to empower them for starting new business. These women are running their business on individual as well as through SHGs.

7. LEAD BANK SCHEME

7.1 Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in seven districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Palghar, Pune, Satara and Thane. Every year District Credit Plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other Member Banks as well as in coordination with District Collectors of respective Districts.

7.2 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convenor of State Level bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra.

SLBC prepares State Annual Credit Plan in consultation with Lead District Managers, Member Banks, NABARD, Reserve Bank of India, etc. The Priority Sector plan for the year 2021-22 was of Rs. 4,61,080 crore, which was one of the highest credit plan in the country. The same was approved in a special meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra.

SLBC also ensures holding of quarterly meetings regularly to review the implementation of State Annual Credit Plans, Priority Sector lending and Govt. sponsored schemes in the State. Apart from regular SLBC meetings, Sub-Committee meetings as per guidelines as well as various other meetings are also organized by SLBC to coordinate between various Member Banks, State Government, Government Agencies, Reserve Bank of India, NABARD and the Central Government. SLBC, Maharashtra is having a network of more than 16,500 bank branches in the state.

SLBC has always been very proactive in the event of natural calamities if any, by issuing necessary guidelines in respect of relief measures, particularly for the year dissemination of COVID-19 related advisories, organizing special meetings through virtual mode and guiding the members, whenever necessary.

विशिष्ट घटनाएं यथा ऋण माफी योजना की घोषणा, महामारी के प्रकोप की स्थिति में समाज के गरीब वर्गों की सहायता के लिए राहत पैकेज के मामले में एसएलबीसी विभिन्न उपायों/ योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सदस्य बैंकों और राज्य/ केंद्र सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति का समन्वयक होने के नाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) का समन्वयन महाराष्ट्र राज्य में कर रहा है। 31.03.2022 के अनुसार, राज्य में कुल 314 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए। पीएमजेडीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया जारी है। एसएलबीसी द्वारा राज्य में केन्द्र सरकार के अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का संयोजन भी किया जाता है।

7.3 वित्तीय समावेशन / पीएमजेडीवाई :

	ब्योरे	2020-21	2021-22
एफआई योजना	बीसीए द्वारा किए गए संव्यवहार (लाख में)	186.01	196.82
	संव्यवहार की राशि (करोड़ में)	12,896.05	14,624.74
पीएमजेडीवाई	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (लाख में)	68.15	71.64
	उसमें से आधार सीडिंग किए गए (लाख में)	62.80	66.55
	आधार सीडिंग का % (लाख में)	92.10%	92.90%
	उसमें से मोबाइल सीडिंग (लाख में)	56.47	59.56
	मोबाइल सीडिंग का % (लाख में)	82.86%	83.14%
	उसमें से जारी रूपे कार्ड (लाख में)	26.71	33.56
	जारी रूपे कार्ड का % (लाख में)	39.20%	46.85%
	पीएमजेडीवाई खाते में शेष (करोड़ में)	2,545.14	2,617.43
	प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक)	3735	3654
	पीएमजेडीवाई - ओडी संख्या (लाख में)	2.66	1.83
	पीएमजेडीवाई - ओडी राशि (लाख में)	3,202.08	2,023.48
	शून्य शेष पीएमजेडीवाई खाते (लाख में)	11.47	13.51
(सामाजिक सुरक्षा योजनाएं)	पीएमजेडीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में)	16.41	19.10
	पीएमएसबीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में)	31.12	37.90
	एपीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में)	2.83	4.14
बीएसबीडी खाते	कुल बीएसबीडी खाते (लाख में)	93.53	93.34
	बीएसबीडी खाते में बकाया शेष (करोड़ में)	3,223.00	3,272.24
	प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक)	3,445	3,506
	बीसी सेवाओं के लिए दिया गया कमीशन (करोड़ में)	34.23	38.64

8. सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं :

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक के परिचालन क्षेत्रों में बैंक की कुल शाखाएं 415 थीं जो महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में से 17 जिलों में स्थित हैं। 7 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन शाखाओं पर नियंत्रण रखा जाता है।

सभी 415 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के अधीन हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की कार्य निष्पादन विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- बैंक की कुल जमा राशियां रु.14,677.75 करोड़ तथा कासा 51.54% रहा।
- बैंक का कुल व्यवसाय रु.22,706.71 करोड़ रहा।
- बैंक द्वारा रु.116.83 करोड़ का परिचालन लाभ प्राप्त किया गया।

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कार्य-निष्पादन बिंदु मानदंडों में प्रायोजक बैंक द्वारा दिए गए एमओयू डीएपी के अंतर्गत अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है।

In case of specific events like announcement of Debt Waiver Scheme, Relief Package for helping poorer sections of the society in the event of outbreak of a pandemic, SLBC coordinates between Member Banks and State / Central Governments for successful implementation of various measures / schemes.

As a SLBC convener, Bank of Maharashtra coordinated for implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in the State of Maharashtra. As of 31.03.2022, total of 314 lakh PMJDY accounts have been opened in the State. The process of opening of PMJDY accounts is continued. SLBC also coordinates implementation of other Social Security Schemes of the Central Government in the State.

7.3. FINANCIAL INCLUSION / PMJDY: (FI)

	Particulars	2020-21	2021-22
FI Plan	No of Transactions by BCA (in lakhs)	186.01	196.82
	Amt of transactions (in Cr)	12,896.05	14,624.74
PMJDY	No. of PMJDY accounts (in lakhs)	68.15	71.64
	Of Which Aadhaar Seeded (in lakhs)	62.80	66.55
	% OF Aadhaar Seeding (in lakhs)	92.10%	92.90%
	Of Which Mobile Seeding (in lakhs)	56.47	59.56
	% of Mobile Seeding (in lakhs)	82.86%	83.14%
	Of Which Ru-Pay Card issued (in lakhs)	26.71	33.56
	% of Ru-Pay Card issued (in lakhs)	39.20%	46.85%
	Balance in PMJDY A/c (in Cr)	2,545.14	2,617.43
	Average Bal. per account (actual)	3735	3654
	PMJDY – OD Count (in lakhs)	2.66	1.83
	PMJDY – OD Amount (in lakhs)	3,202.08	2,023.48
	Zero Bal. PMJDY A/cs (in lakhs)	11.47	13.51
Social Security Schemes	Enrolment under PMJJBY (in lakh)	16.41	19.10
	Enrolment under PMSBY (in lakh)	31.12	37.90
	Enrolment under APY (in lakh)	2.83	4.14
BSBD Accounts	Total BSBD Accounts (in lakhs)	93.53	93.34
	O/S Balance in BSBD A/c (in Cr)	3,223.00	3,272.24
	Average bal. per account (actual)	3,445	3,506
	Commission Paid towards BC Services (in Crore)	34.23	38.64

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS:

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by the Bank, having its Head Office at Aurangabad, Maharashtra State. Total no. of branches as on 31/03/2022 stood at 415 in its area of operation covering 17 out of 36 districts of Maharashtra state. These branches are controlled through the 7 Regional Offices.

All 415 branches and controlling offices are now under CBS

Performance highlights of Maharashtra Gramin Bank for the FY 2021-22 are as under:

- Bank has achieved total deposit level to Rs 14,677.75 Crore and the CASA is 51.54 %.
- Bank has achieved total Business of Rs 22,706.71 Crore
- Bank has achieved operating profit of Rs 116.83 Crore

Bank has achieved most of the targets under MoU DAP given by sponsor Bank for the financial year 2021-22 in major key performance areas as under.

(रु. करोड़ में)

(Rs in Crore)

क्र.	कार्य-निष्पादन मानदंड	31/03/2021 को वास्तविक उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य	31/03/2022 को वास्तविक उपलब्धि	उपलब्धि %	वर्ष दर वर्ष वृद्धि
1.	कुल जमाराशियां	13,540.64	16,000	14,677.75	91.74	8.40
2.	कासा जमाराशियां	7,736.11	9,200	7,565.05	82.23	(2.21)
3.	कासा जमाराशियों का %	57.13%	57.5	51.54%	89.63	(9.78)
4.	कुल अग्रिम	7,142.06	8,800	8,028.96	91.24	12.42
5.	कुल व्यवसाय	20,682.7	24,800	22,706.71	91.56	9.79
6.	ब्याज आय	979.49	1,090	803.96	73.76	(17.92)
7.	नैर-ब्याज आय	167.82	150	171.84	114.56	2.40
8.	परिचालनगत लाभ	261.7	321	116.83	36.40	(55.36)
9.	बट्टे खातों में वसूली	11.52	11	8.94	81.27	(22.40)

Sr. No.	Performance Parameter	Actual as on 31/03/2021	MoU Target	Actual as on 31/03/2022	% Achievement	Y-o-Y Growth(%)
1.	Total Deposits	13,540.64	16,000	14,677.75	91.74	8.40
2.	CASA deposits	7,736.11	9,200	7,565.05	82.23	(2.21)
3.	% of CASA Deposits	57.13%	57.5	51.54%	89.63	(9.78)
4.	Total Advances	7,142.06	8,800	8,028.96	91.24	12.42
5.	Total Business	20,682.7	24,800	22,706.71	91.56	9.79
6.	Interest Income	979.49	1,090	803.96	73.76	(17.92)
7.	Non-Interest Income	167.82	150	171.84	114.56	2.40
8.	Operating Profit	261.7	321	116.83	36.40	(55.36)
9.	Recovery in Write Off	11.52	11	8.94	81.27	(22.40)

बैंक ने ग्राहकों को द्वार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1,275 व्यवसाय प्रतिनिधि तैनात किए हैं। बैंक ने 31/03/2022 तक **26.51 लाख** पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं और पीएमजेडीवाई खातों में 12.25 लाख डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

बैंक द्वारा पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा एपीवाई के साथ-साथ भारत सरकार, डीएफएस द्वारा घोषित पीएमएमवाई योजना में भी सक्रियता से भाग लिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 3.40 लाख ग्राहक कवर किए गए और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 11.33 लाख ग्राहक कवर किए गए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1.61 लाख ग्राहक कवर किए गए।

एपीवाई में बैंक के प्रदर्शन की सराहना पीएफआरडीए द्वारा की गई है और बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न पैरामीटरों पर 10 अवार्ड प्राप्त किए।

8.2 मेटको का कार्य-निष्पादन

वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100% अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एवि. जक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. (मेटको) की स्थापना निम्नलिखित बैंकिंग सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई:

- वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श देना
- निजी न्यासों/ सार्वजनिक न्यासों का मसौदा तैयार करना, प्रबंधन और परामर्श देना
- एटॉर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता
- संपत्ति की खरीदी/ बिक्री के लिए परामर्श देना

यह कंपनी पुणे में स्थित है और पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर में इसकी शाखा इकाईयां हैं। कंपनी लगभग 1,117 निजी और सार्वजनिक न्यासों का प्रबंधन करती है। वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 76 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1,311 हो गई है। कंपनी द्वारा वर्तमान में 21 ग्राहकों की चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी 99 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 2 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है। कंपनी द्वारा करीब-करीब 20 न्यासों के प्रबंधकीय न्यासी के रूप में कार्य किया गया तथा गरीब लोगों की मदद कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को उत्प्रेरक बनाया।

कंपनी द्वारा कोविड-19 के दौरान भारत सरकार/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तरफ से जारी सुरक्षा के सभी निर्देशों का पालन किया गया। कंपनी ने अपने ट्रस्टों के माध्यम से 767 लाभार्थियों को रु.184 लाख दान किया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मेटको का निवल लाभ आयकर प्रावधानों के बाद रु.54.58 लाख रहा।

8.2 Performance of METCO

The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd., the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

- Consultation, Drafting & Execution of will
- Consultation, Drafting and Management of private Trusts / Public Trusts
- Management of investments & house properties as attorney
- Guardianship of minor's Property
- Consultation for sale/purchase of property

The company is located at Pune having its branch units at Pune, Mumbai, Thane and Nagpur. It is managing about 1,117 Public & Private Trusts. During FY 2021-22, additional 76 wills were added making total 1,311 will in its custody for execution. At Present, the company manages properties both movable and immovable of 21 Clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustee in respect of 99 policies under Married Women's Property Act and as court appointed Guardian of Minor's property in 2 cases. The company also acts as Managing Trustee of nearly 20 trusts and catalyzes its social responsibility by extending help to poor people.

Company has followed all the instruction regarding safety during COVID -19 ISSUED BY Government of India/ Ministry of corporate affairs. The Company has also donated through its trusts Rs.184 lacs to 767 beneficiaries.

The net profit of METCO for FY 2021-22 stood at Rs. 54.58 lakh after Income Tax Provisions.

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं :

- राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए हमारे बैंक को राजभाषा का सर्वोच्च पुरस्कार “राजभाषा कीर्ति पुरस्कार” प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 14 सितंबर, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव ने माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक के कर-कमलों से प्राप्त किया।
- बैंक को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु “स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड” से सम्मानित किया गया। बैंकिंग उद्योग में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बैंक बनने का श्रेय हमारे बैंक को प्राप्त हुआ। श्री राधे श्याम बंसल, महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन व राजभाषा) ने एक वर्चुअल समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया।
- वर्ष के दौरान बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु मुंबई आधारित प्रतिष्ठित संस्थान ‘आशीर्वाद’ द्वारा बैंक को “विशेष पुरस्कार” प्रदान किया गया।
- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों के अंतर्गत पूर्व क्षेत्र के लिए हमारे कोलकाता अंचल कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारा बैंक इस समिति का संयोजक है।
- अन्य बैंकों द्वारा संयोजित विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु हमारे बैंक के कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा और अमरावती अंचल कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए गए।
- बैंक की मासिक ई-पत्रिका ‘राजभाषा ई-प्रगति’ और तिमाही गृह पत्रिका ‘महाबैंक प्रगति’ नियमित रूप से प्रकाशित की गईं। एक नई पहल के रूप में दिव्यांगजनों के लाभ हेतु ‘राजभाषा ई-प्रगति’ का ब्रेल लिपि में भी प्रकाशन किया गया।
- बैंक मुंबई, पुणे, सोलापुर, लातूर और जलगांव में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) का संयोजक बैंक है। वर्ष के दौरान इन समितियों की बैठक और विभिन्न गतिविधियां नियमित रूप से निर्धारित अनुसूची के अनुसार संपन्न की गईं।
- प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को बैंक की सभी शाखाओं व कार्यालयों में “हिंदी कार्य दिवस” मनाया जाता है। इस दिन सभी कर्मचारी अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करते हैं।
- बैंक का मोबाइल बैंकिंग प्लैटफॉर्म महा-मोबाइल का हिंदी वर्जन उपलब्ध कराया गया है। बैंक की वेबसाइट पर जानकारियां हिंदी में भी उपलब्ध कराई गई हैं।
- कर्मचारियों के उपयोग हेतु बैंक के इंटरनेट पर “ऑनलाइन राजभाषा कोश” और “ऑनलाइन हिंदी रोस्टर” सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- वार्षिक राजभाषा सम्मेलन के दौरान श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ महोदय ने “विभिन्न भाषाओं में वाट्सएप बैंकिंग सुविधा” लॉन्च किया, जिससे ग्राहक अब हिन्दी और अंग्रेजी के साथ मराठी, तमिल, मलयालम आदि भाषाओं में वाट्सएप बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
- दिनांक 27 सितंबर, 2021 को प्रधान कार्यालय में हिन्दी दिवस समारोह अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव ने की। बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री हेमन्त टम्टा, कार्यपालक निदेशक श्री ए. बी. विजयकुमार और सभी महाप्रबंधकगण भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आंतरिक राजभाषा ट्रॉफी योजना के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में देशभर के अंचल कार्यालयों से सभी अंचल प्रबंधक एवं राजभाषा अधिकारी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

9. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During FY 2021-22, the Bank has achieved various remarkable achievements in the field of Official Language implementation:

- Bank was awarded “Rajbhasha Kirti Puraskar” for better implementation of Rajbhasha Hindi, which is the highest award for Rajbhasha. Shri A. S. Rajeev, Managing Director & CEO, Bank of Maharashtra received this prestigious award at the hands of Hon’ble Minister of State for Home Affairs, Shri Nisith Pramanik in a grand function arranged at Vigyan Bhawan, New Delhi on 14th September, 2021.
- Bank was awarded “Koch Gold Award” for Better Implementation of Rajbhasha and became the first bank to receive this award for implementation of official language. Shri Radhey Shyam Bansal, General Manager, HRM & Rajbhasha has received this award in a virtual function.
- Bank was awarded “Vishesh Puraskar” by the Mumbai based prestigious institution ‘Aashirwad’ for better use of Hindi during the year.
- Our Kolkata Zonal Office received second prize for Eastern Region in Regional Rajbhasha Puraskar from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.
- Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) Mumbai has secured special prize for better use of Hindi by Govt. of India, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Our Bank is the convener for this Committee.
- Various Town Official Language Implementation Committees (TOLIC) convened by other Banks awarded our Kolkata, Hyderabad, Noida & Amravati Zonal Offices for excellent implementation of Official Language.
- Monthly Rajbhasha e-Magazine ‘Rajbhasha E-Pragati’ and Quarterly House magazine ‘Mahabank Pragati’ are being regularly published. As a new initiative Rajbhasha E-Pragati in Brail script is also published for the benefit of visually challenged employees of the Bank.
- Bank is the convener Bank for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Mumbai, Pune, Solapur, Latur & Jalgaon. Meetings of these committees were held regularly during the year and various activities of the committees were organized throughout the year as per schedule.
- “Hindi Karya Diwas” (Hindi Working Day) is being observed by all the branches & offices of the Bank on the third Saturday of every month. All the staff are doing their maximum work in Hindi on this day.
- Hindi version of Bank’s mobile banking platform Maha-Mobile has been made available. Information on Bank’s website are also provided in Hindi.
- The facility of “Online Rajbhasha Kosh” & “Online Hindi Roster” is made available on bank’s Intranet for the use of employees.
- “WhatsApp Banking Various Language Facility” was launched by Shri A. S. Rajeev, MD & CEO during the Annual Rajbhasha Conference. Customers can now avail WhatsApp Banking facility in Hindi and English as well as Marathi, Tamil, Malayalam etc.
- Hindi day function was arranged at Head Office, Pune on 27th September, 2021. Shri A. S. Rajeev, Managing Director & CEO of the Bank presided over the function. Shri Hemant Tamta, Executive Director, Shri A. B. Vijayakumar, Executive Director and General Managers were also present in the function. Winners of the All India Rajbhasha Trophy Scheme of the Bank were awarded during the function. All the Zonal Managers and Official Language Officers from the Zonal Offices across the country joined this program through video conferencing.

10. सुरक्षा

बैंक द्वारा बैंक की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सुरक्षा नीति बनाई गई है। नीति के अंतर्गत निम्नलिखित का समावेश किया गया है :-

- शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, करंसी चेस्ट, डेटा सेंटर, अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों पर बैंक की संपत्तियों जैसे नकदी, स्वर्ण, दस्तावेज व मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा करना तथा नकदी व मूल्यवान वस्तुओं हेतु सुरक्षा के उपाय करना।
- बैंकिंग व्यवसाय को सहज व सामान्य रूप से चलाने के लिए स्टॉफ, भेंटकर्ताओं तथा ग्राहकों के लिए सुरक्षित, संरक्षित तथा अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
- मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उपाय।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आनेवाले खतरे, वर्तमान अपराधिक परिदृश्यों, अपराध पैटर्न, बैंक डकैती के तौर तरीकों व सुरक्षा भंग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक में भौतिक सुरक्षा आवश्यकताओं हेतु सक्रिय कदम उठाए गए तथा आगजनी की घटनाओं से बचाव तथा सुरक्षा कर्मचारियों और अन्य बैंक कर्मचारियों को किसी भी संभावित घटना से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

11. निदेशक मंडल और निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन:

सेबी LODR, 2015, के विनियम 25 के अनुसरण में दिनांक 30 मार्च, 2022 को आयोजित अलग बैठक में बैंक के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों सहित गैर स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल समिति द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। साथ ही, वार्षिक आधार पर बैंक के निदेशक मंडल के निदेशकों द्वारा गैर आधिकारिक निदेशकों / शेरधारक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया।

12. वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा प्रस्तुत कर पुष्टि की है कि वे सेबी (LODR) विनियमन, 2015 के विनियम 25 के अंतर्गत आवश्यक स्वतंत्र निदेशक के मानदंडों को पूरा करते हैं।

13. निदेशक मंडल और उसकी उप समितियां:

सेबी (LODR) विनियम, भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल और उसकी उप समितियों के आवश्यक समिश्र का गठन किया गया तथा उनके द्वारा आयोजित बैठकों का उल्लेख कॉर्पोरेट गर्वनेंस में किया गया है।

14. सचिवीय लेखा परीक्षा:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 (लिस्टिंग विनियम) के विनियम 24ए तथा सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र क्र.परी./सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के अनुसरण में बैंक ने मेसर्स जोशी एंड जोशी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, पुणे को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षकों ने पाया कि वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के निदेशकों (एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) के समिश्र के संबंध में सेबी (LODR) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। उपर्युक्त के संबंध में, यह बताया गया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत सरकार का एक उपक्रम है और शेरधारक निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास है तथा बैंक के निदेशक मंडल के निदेशकों की मौजूदा रिक्तियों के लिए आवश्यक निदेशकों (एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति का मामला बैंक ने भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है।

10 SECURITY

The Bank has put in place a comprehensive Security Policy covering the entire Security arrangements in the Bank. The policy covers the following:-

- Protect the bank's assets such as Cash, Gold, Documents and Valuables at branches, Administrative offices, Currency chests, Data Centre, other critical centres and Security measures for Cash and Valuables.
- Create a secure, safe and conducive environment for Staff, visitors and customers to conduct smooth and normal banking business.
- Measures to counter manmade disasters and natural calamities.

During FY 2021-22, proactive steps were taken on the physical security requirements in the Bank after analysis of the threat perception, current crime scenario, crime pattern, modus operandi of bank robberies, breaches of security and fire incidents besides equipping and training the security personnel and other bank staff to counter any eventuality.

11. PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS AND THE BOARD:

In terms of Regulation 25 of SEBI LODR, 2015, the performance of the Board as a whole and non-independent directors including Whole Time Directors were evaluated by the Independent Directors of Bank in a separate Meeting held on 30th March, 2022.

Further, the performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for Performance Evaluation on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non-official Directors/ Shareholder Director is done by Board of Directors of Bank on annual basis.

12. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS DURING THE YEAR:

All the Independent Directors of Bank have submitted the declaration confirming that they meet the criteria of independence as required under Regulation 25 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

13. BOARD AND ITS SUB-COMMITTEES:

The composition of the Board and its Sub-committees as required to be constituted as per the SEBI (LODR) Regulations, Government of India / Reserve Bank India Guidelines and the meetings held therein are mentioned in the Corporate Governance Report.

14. SECRETARIAL AUDIT:

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, Bank had appointed M/s.Joshi & Joshi, Practicing Company Secretaries, Pune as a Secretarial Auditor to undertake Secretarial audit of Bank for the financial year 2021-22. The Secretarial Audit Report is annexed to this Report.

The Secretarial Auditor has observed that provisions of Regulation 17(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 with regard to Composition of the Board of Directors (including one Independent Woman Director) have not been complied with during the financial year. In regard to above, it was explained that Bank of Maharashtra, being a Government of India Undertaking, the power to appoint Directors vests with the Government of India except the appointment of Shareholder Director and the Bank has taken up with the Government of India for appointment of requisite number of Directors (including one Independent Woman Director) against the existing vacancies of Directors on Board of Bank.

इसके अतिरिक्त 20 जनवरी, 2022 से प्रभावित सेबी (LODR) विनियमन, 2015 के साथ लेखा परीक्षा समिति तथा नामांकन व पारिश्रमिक समिति के समिन्त्र का अनुपालन किया गया।

15. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- क) यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया।
- ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गईं और उनका पालन किया गया तथा निदेशकों द्वारा इन लेखा नीतियों का चयन किया गया एवं सतत आधार पर लागू किया गया और वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और उस अवधि के लिए बैंक की लाभ व हानि की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए।
- ग) निदेशकों ने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी की पहचान करने व उससे तथा अन्य अनियमितताओं से बचने के लिए बैंक हेतु लागू प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
- घ) निदेशकों द्वारा सतत आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए।
- ङ) निदेशकों ने सुनिश्चित किया है कि बैंक द्वारा पालन किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा उचित रूप से कार्य कर रहे हैं।
- च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है यह प्रणाली पर्याप्त हैं तथा उचित रूप से कार्य कर रहा है।

16. निदेशक मंडल में परिवर्तन :

वर्ष 2021-22 के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- श्री हृषिकेश मोडक को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13.05.2021 से श्रीमती वंदिता कौल के स्थान पर बैंक का भारत सरकार का नामित निदेशक नियुक्त किया गया, जो 12.05.2021 से भारत सरकार के बैंक के नामित निदेशक के पद पर नहीं रहें।
- बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में श्री आर. तामोधरन का कार्यकाल दिनांक 29.06.2021 को पूर्ण होने के कारण श्री राकेश कुमार को दिनांक 30.06.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया है।
- श्री ललित कुमार चंदेल को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 18.08.2021 से श्री हृषिकेश मोडक के स्थान पर बैंक के लिए भारत सरकार का नामित निदेशक नियुक्त किया गया, जो 17.08.2021 को भारत सरकार के बैंक के नामित निदेशक के पद पर नहीं रहे।
- श्री शशांक श्रीवास्तव को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21.12.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक का अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री एस. बलजीत सिंह को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21.12.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक का अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- केन्द्र सरकार द्वारा श्री आशीष पाण्डेय को दिनांक 31.12.2021 से श्री हेमन्त टम्टा के स्थान पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जिन्होंने कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल दिनांक 30.12.2021 को पूर्ण किया था।

Further, composition of Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee have been complied with SEBI (LODR) Regulations, 2015 w.e.f 20th January, 2022.

15 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2022:

- a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;
- c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis
- e) The directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

16 CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS:

During FY 2021-22, the following changes took place in the Board of Directors:

- Shri Hrisheekesh Modak was appointed as Government of India Nominee Director of Bank by the Central Government w.e.f. 13.05.2021 in place of Mrs. Vandita Kaul, who ceased to be GOI Nominee Director of Bank on 12.05.2021.
- Shri Rakesh Kumar was elected as Shareholder Director w.e.f. 30.06.2021 for a period of three years consequent to completion of term of Shri R. Thamodharan as Shareholder Director of Bank on 29.06.2021.
- Shri Lalit Kumar Chandel was appointed as Government of India Nominee Director of Bank by the Central Government w.e.f. 18.08.2021 in place of Shri Hrisheekesh Modak, who ceased to be GOI Nominee Director of Bank on 17.08.2021.
- Shri Shashank Shrivastava was appointed as Part time non official Director of Bank by the Central Government w.e.f. 21.12.2021 for a period of three years.
- Shri S Baljit Singh was appointed as Part time non official Director of Bank by the Central Government w.e.f. 21.12.2021 for a period of three years.
- Shri Asheesh Pandey was appointed as an Executive Director of Bank by the Central Government w.e.f. 31.12.2021 for a period of three years in place of Shri Hemant Tamta, who ceased to be Executive Director of Bank on 30.12.2021 on completion of his term.

17. लाभांश वितरण नीति:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के खंड 43ए के अनुसरण में बैंक द्वारा लाभांश वितरण नीति बनाई गई और वह बैंक की वेबसाइट अर्थात <https://bankofmaharashtra.in> पर उपलब्ध है।

18. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट :

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ व प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक की व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) 2021-22 बैंक की वेबसाइट अर्थात <https://bankofmaharashtra.in> पर उपलब्ध है।

19. आभार

निदेशक मंडल ने निवर्तमान निदेशकों द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना को अभिलेखित किया।

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन, दिशानिर्देश एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व हितधारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और “महाबैंक परिवार” के सभी कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबद्धता और बैंक के समग्र विकास में उनके योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

पुणे

दिनांक : 25 मई, 2022

(ए. एस. राजीव)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

17 DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY:

In terms of Clause 43A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on the Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in>

18 BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT:

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Business Responsibility Report (BRR) 2021-22 of the Bank is available on the Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in>

19 ACKNOWLEDGEMENT:

The Board of Directors place on record their appreciation for the contribution made by the outgoing Directors.

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association, Stock Exchanges and Depositories for their valuable advice, guidance and support; to the Customers and Stakeholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Pune

Date : 25th May 2022

(A.S. RAJEEV)

Managing Director and CEO

फॉर्म नंबर MR-3

सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

डधारा 204 (1 कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों के

नियम 9 के अनुसार (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक)

नियम, 2014 और सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र

परि/सीएफडी/सीएमडी1/ 27/2019 के अनुसार.

सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रति,
सदस्य,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
“लोकमंगल”
1501, शिवाजीनगर,
पुणे - 411005

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (इसके पश्चात बैंक कहा गया है) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई थी जिससे हमें कॉर्पोरेट आचार / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हुआ।

बैंक द्वारा रखी गई बैंक की बहियां, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और फाईल की गई विवरणियां व अन्य अभिलेख और बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के दौरान निम्न में उल्लेखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही बैंक के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र इस सीमा तक मौजूद हैं, जिसके आधार पर इसके पश्चात निम्नानुसार रिपोर्टिंग की गई है :

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और दर्ज की गई विवरणियों व अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, लागू सीमा तक;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआर') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और विनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए उप नियम;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम ;
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं: -
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियम, 2015 (“सेबी एलओडीआर विनियम, 2015”)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018; (“सेबी एलओडीआर विनियम, 2018”)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (इस वर्ष के दौरान लागू नहीं)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अप्रत्यावर्तनीय तथा प्रतिदेय अधिमानी शेयरों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) विनियम, 2013;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अप्रत्यावर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) विनियम, 2021;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में (वर्ष के दौरान लागू नहीं)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिंग) विनियम, 2009; (वर्ष के दौरान लागू नहीं)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (वर्ष के दौरान लागू नहीं)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) विनियम, 1992;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993;
 - विशेष रूप से बैंक के लिए लागू अन्य कानून:
 - बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पढ़ा गया।
 - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
 - बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और मीटिंग) विनियम, 2004
 - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
 - बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

- (vi) बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, 1891
- (vii) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006
- (viii) बैंकिंग कंपनियाँ (अभिलेखों के संरक्षण की अवधि) नियम, 1985
- (ix) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002
- (x) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005
- (xi) दिवाला व दिवालियापन कोड, 2016

हमने बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीबद्धता करार के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- क) बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।
- ख) स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम थी।
- ग) 20 जनवरी, 2022 तक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में 2/3 स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। हालांकि, अब इसका अनुपालन किया जा रहा है।
- घ) बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 20 जनवरी, 2022 तक 50% स्वतंत्र निदेशक सदस्य नहीं थे। हालांकि, अब इसका अनुपालन किया जा रहा है।
- ड) बैंक को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए हैं और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की बिंदु संख्या 12 में बैंक द्वारा प्रकट किए गए दंड या विलंबित शुल्क/प्रभार प्रदान किया गया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कार्यपालक निदेशकगण, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ बैंक का निदेशक मंडल विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन किए गए।

साथ ही, बोर्ड की बैठकों के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट आवश्यकता के अनुसार अग्रिम रूप से भेजे गए जैसा कि एलओडीआर 2015 के अंतर्गत अपेक्षित है और बैठक में सार्थक सहभागिता हेतु तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मर्दानों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मंगाने व प्राप्त करने हेतु समुचित प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णयों का कार्यान्वयन किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसकी निगरानी के लिए बैंक के परिचालनों और आकार के अनुसरण में बैंक में पर्याप्त प्रणालियाँ और पद्धतियाँ विद्यमान हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने

- (i) बैंक के 17,03,37,546 इक्विटी शेयर पात्र संस्थागत खरीदारों को रु.23.70 प्रति इक्विटी शेयर (13.70 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर आवंटित किए गए, जो 17 जुलाई, 2021 को सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार समग्रतः रु.403.70 करोड़ (रुपये चार सौ तीन करोड़ सत्तर लाख रुपये) थे।
- (ii) 20 अक्टूबर, 2021 को परिपक्वता पर 9.40% बीओएम लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड को रु. 1000.00 करोड़ (रुपये एक हजार करोड़ मात्र) के लिए प्रतिदेय किया गया।
- (iii) 21 अक्टूबर, 2021 को रु.1000.00 करोड़ (रुपये एक हजार करोड़ मात्र) की राशि के 7.86% अप्रतिभूत, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, पूर्ण प्रदत्त प्रतिदेययोग्य बेसल III अनुपालक टियर II बांड जारी और आवंटित किए गए।
- (iv) 24 मार्च, 2022 को रु.290.00 करोड़ (रुपये दो सौ नब्बे करोड़ मात्र) की राशि के 8.75% अप्रतिभूत, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, पूर्ण प्रदत्त प्रतिदेययोग्य बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I (एटी I) बांड जारी और आवंटित।
- (v) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए।
- (vi) कोई विलय/समामेलन / पुनर्संरचना, आदि नहीं किया गया,
- (vii) कोई विदेशी तकनीकी समझौता नहीं किया।

कृते जोशी एंड जोशी

कंपनी सचिव

यूआईएन: P2009MH020200,

हर्षल राघवेंद्र जोशी

भागीदार

दिनांक: 28 अप्रैल, 2022

स्थान: पुणे

एफसीएस: 9897 सीपी: 10450

यूडीआईएन : F009897D000230106

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014 and as per SEBI Circular No CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2022

To,
The Members,
Bank of Maharashtra
"Lokmangal" 1501, Shivaji Nagar,
Pune- 411005.

We have conducted the Secretarial Audit of the Compliance of applicable statutory provisions and the adherence to Good Corporate Practices by Bank of Maharashtra (hereinafter called "**the Bank**"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the Corporate Conduct/Statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended on March 31, 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms, and returns filed, and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended on March 31, 2022 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, to the extent applicable;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA") and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act"): -
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI LODR Regulations, 2015**");
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("**SEBI ICDR Regulations, 2018**");
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (**Not applicable during the year**)
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013;
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
 - (i) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (**Not applicable during the year**)
 - (j) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (**Not applicable during the year**)
 - (k) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; (**Not applicable during the year**)
 - (l) The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;
 - (m) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992;
 - (n) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;
 - (o) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993;
 - (p) other laws applicable specifically to the Bank:
 - (i) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Banking Regulation Act, 1949.
 - (ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.
 - (iii) The Bank of Maharashtra (Shares and Meeting) Regulations, 2004.
 - (iv) The Reserve Bank of India Act, 1934.

- (v) The Banking Regulations Act, 1949.
- (vi) The Banker's Book Evidence Act, 1891.
- (vii) The Banking Ombudsman Scheme, 2006.
- (viii) The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985.
- (ix) The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest ("SARFAESI") Act, 2002 and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
- (x) The Prevention of Money Laundering Act, 2002 and The Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.
- (xi) The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Listing Agreements entered by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited;

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above except the following:

- a) There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank.
- b) Number of Independent Directors were less than 50% of its total strength of Board members.
- c) Audit Committee of the Board was not having 2/3rd of Independent Directors as its members till January 20, 2022. However, the same is now complied.
- d) Nomination & Remuneration Committee of the Board was not having 50% of Independent Directors as its members till January 20, 2022. However, the same is now complied.
- e) Bank has received show cause notices and has been awarded penalty or delayed fees/ charges as disclosed by the Bank in Point No.12 of Schedule 18 to the Audited Financial Statements of the Bank for FY 2021-2022.

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, and Independent Directors except as mentioned above. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the applicable provisions of the Act.

Further, adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance as required under SEBI LODR Regulations, 2015, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through, while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable Laws, Rules, Regulations, and Guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank has

- (i) Issued and allotted 17,03,37,546 Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers at the issue price of Rs.23.70 per Equity Share (including a premium of Rs.13.70 per Equity Share), aggregating to Rs. 403.70 crore (Rupees Four Hundred and Three Crores Seventy Lakhs only), in accordance with provisions of SEBI ICDR Regulations, 2018 on July 17, 2021.
- (ii) Redeemed 9.40% BOM Long Term Infra Bond amounting to Rs.1000.00 crore (Rupees One Thousand crore only) on account of its maturity on October 20, 2021.
- (iii) Issued and allotted 7.86% Unsecured, Non-convertible, Taxable, Fully paid up Redeemable BASEL III Complaint Tier II Bonds amounting to Rs.1000.00 crore (Rupees One Thousand crore only) on October 21, 2021.
- (iv) Issued and allotted 8.75% Unsecured, Non-convertible, Taxable, Fully paid up BASEL III Complaint Additional Tier 1 (AT1) Bonds amounting to Rs. 290.00 crore (Rupees Two Hundred and Ninety crore only) on March 24, 2022.
- (v) taken no major decisions by the members in pursuance to Section 180 of the Companies Act, 2013.
- (vi) No Merger / amalgamation / reconstruction etc.,
- (vii) No Foreign Technical Collaborations.

For Joshi & Joshi,
 Company Secretaries,
 UIN: P2009MH020200,

Harshal Raghavendra Joshi
 Partner

Date: April 28, 2022

FCS: 9897, CP: 10450

Place: Pune

UDIN: F009897D000230106



अनुलग्नक - क

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
'लोकमंगल'
1501, शिवाजी नगर,
पुणे- 411005

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

कृते जोशी एंड जोशी,
कंपनी सचिव,
यूआईएन: P2009MH020200,

हर्षल राघवेंद्र जोशी
भागीदार

एफसीएस: 9897, सीपी: 10450
यूडीआईएन: F009897D000230106

दिनांक: 28 अप्रैल, 2022
स्थान: पुणे

Annexure - A

To,
The Members,
Bank of Maharashtra,

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and book of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.

For Joshi & Joshi,
Company Secretaries,
UIN: P2009MH020200,

Harshal Raghavendra Joshi
Partner
FCS: 9897, CP: 10450
UDIN: F009897D000230106

Date: April 28, 2022
Place: Pune



वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेंस) पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2021-22

1. कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेंस) पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेंस) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेंस) पद्धतियों को तैयार कर उनका पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा हरसंभव प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेंस) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक पद्धतियां और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक संवर्धित करने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

2. निदेशक मंडल :

निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होता है।

बैंक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन और नियुक्ति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों के अपेक्षित नंबर में बैंक बोर्ड पर नियुक्ति (स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग से समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

बैंक के बोर्ड में 31 मार्च, 2022 तक कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संयोजन है। 31 मार्च 2022 को निदेशक मंडल में 08 निदेशक शामिल थे, जिनमें से 03 कार्यपालक निदेशक तथा 05 गैर-कार्यपालक निदेशक थे, जिसमें 03 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष एक कार्यपालक निदेशक हैं। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की कुल संख्या का 38% हैं।

बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित निम्नलिखित कौशल, विशेषज्ञता या सक्षमता विनिर्दिष्ट करते हैं।

(i) लेखांकन, (ii) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (iii) बैंकिंग, (iv) सहकारिता, (v) अर्थशास्त्र, (vi) वित्त, (vii) विधि, (viii) लघु उद्योग, (ix) सूचना प्रौद्योगिकी, (x) सार्वजनिक नीति आदि, अथवा किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव जोकि रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

बैंक के निदेशक मंडल को उपर्युक्त विशेषज्ञ ज्ञान, कौशल तथा अनुभव है, जिससे सतत व्यवसाय वृद्धि के माध्यम से मूल्य सृजन हेतु सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा।

2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है।

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

2.1. The Composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India, Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. The nomination and appointment of all categories of Directors are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director. Bank has requested Department of Financial Services for the appointment of requisite number of Independent directors (including the Woman Independent Director) on the Board of Bank from time to time

The Bank's Board has an optimum combination of Executive and Non-Executive Directors as on 31st March, 2022. The Board of Directors as on 31st March 2022, comprised of 08 Directors, out of which 03 were Executive Directors and 05 were Non-Executive Directors, which includes 03 Independent Directors. The Chairman of the Board is an Executive Director. The Independent Directors constitute 38% of the total Board strength.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Banking Regulation Act, 1949 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines prescribes the following skills, expertise or competencies required for appointment of Directors on the Board of Bank.

(i) Accountancy, (ii) Agriculture and Rural Economy, (iii) Banking, (iv) Co-operation, (v) Economics, (vi) Finance, (vii) Law, (viii) Small-scale industry, (ix) Information Technology (x) Public Policy etc., or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the Bank.

The Board of Directors of Bank have above professional knowledge, skill sets and experience thereby bringing about an enabling environment for value creation through sustainable business growth.

2.2 In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the

निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल है- नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संवैधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरीयों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना। बैंक का निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 तथा समय-समय पर जारी भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कार्य करता है।

31 मार्च 2022 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

business of the Bank vests with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, and supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision and according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank. The Board of Directors of Bank function in accordance with the powers delegated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2022 is as under:

आ क्र. Sr. No.	निदेशक का नाम और पदनाम तथा संवर्ग Name, Designation and Category of Director	31.03.2022 को धारित बैंक शेयरों / परिवर्तनीय लिखतों की संख्या No. of equity shares/convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2022	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	सूचीबद्ध इकाइयों (बैंक सहित) की एसी/एसआरसी # में अध्यक्ष/सदस्यता की संख्या No. of Chairman/ membership in AC/ SRC# of listed entities (including Bank)	अभ्युक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (nature of appointment in the Bank / Directorship in other Companies)
1	श्री ए. एस. राजीव प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (कार्यपालक) Shri A.S. Rajeev Managing Director & CEO (Executive)	29907 29907	11	दी न्यू एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड: एसी-अध्यक्ष एसआरसी- सदस्य The New Assurance Company Limited: AC - Chairman SRC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 02.12.2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: i) दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी) ii) भारतीय निर्यात आयात बैंक (गैर सूचीबद्ध बैंक) Appointed as the Managing Director and CEO of the Bank w.e.f. 02.12.2018 by the Central Government. Directorship in other Companies: i) The New India Assurance Company Limited (Listed Company) ii) Export Import Bank of India (Unlisted Bank)
2	श्री ए. बी. विजयकुमार कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Shri A.B. Vijayakumar Executive Director (Executive)	शून्य Nil	13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसआरसी- सदस्य Bank of Maharashtra SRC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 10.03.2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: शून्य Appointed as the Executive Director w.e.f. 10.03.2021 by the Central Government. Directorship in other Companies: Nil
3	श्री आशीष पाण्डेय कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Shri Asheesh Pandey Executive Director (Executive)	शून्य Nil	13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसआरसी- सदस्य Bank of Maharashtra SRC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: i) दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.12.2021 by the Central Government. Directorship in other Companies: i) The Maharashtra Executor and Trustee Company Private Limited
4	श्री ललित कुमार चंदेल सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर- कार्यपालक) Shri Lalit Kumar Chandel Government Nominee Director (Non-Executive)	शून्य Nil	08	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा 18.08.2021 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: i) इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ii) राष्ट्रीय आवास बैंक iii) सिडबी iv) इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड Nominated as a Director w.e.f. 18.08.2021 by the Central Government. Directorship in other Companies: i) Indian Infrastructure Finance Company Limited ii) National Housing Bank iii) SIDBI iv) Indian Infrastructure Finance Company (UK) Limited



आ क्र. Sr. No.	निदेशक का नाम और पदनाम तथा संवर्ग Name, Designation and Category of Director	31.03.2022 को धारित बैंक शेयरों / परिवर्तनीय लिखतों की संख्या No. of equity shares/convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2022	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या No. of member ship in Sub Committees of the Bank	सूचीबद्ध इकाइयों (बैंक सहित) की एसी/एसआरसी # में अध्यक्ष/सदस्यता की संख्या No. of Chairman/ member ship in AC/ SRC# of listed entities (including Bank)	अभ्युक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (nature of appointment in the Bank / Directorship in other Companies)
5	श्री एम. के. वर्मा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) Shri M K Verma RBI Nominee Director (Non-Executive)	शून्य Nil	03	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी- सदस्य Bank of Maharashtra AC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा 13.08.2019 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: शून्य Nominated as a Director of Bank w.e.f. 13.08.2019 by the Central Government. Directorship in other Companies: Nil
6	श्री राकेश कुमार शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर- कार्यपालक) Shri Rakesh Kumar Shareholder Director (Independent Non-Executive)	100 100	08	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसआरसी- अध्यक्ष Bank of Maharashtra SRC- Chairman	दि .30.06.2021 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित अन्य कंपनियों में निदेशक: शून्य Elected as Shareholder Director of Bank w.e.f. 30.06.2021. Directorship in other Companies: Nil
7	श्री शशांक श्रीवास्तव अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) Shri Shashank Shrivastava Part time non-official Director (Independent Non-Executive)	शून्य NIL	07	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी- सदस्य Bank of Maharashtra AC-Chairman	केन्द्र सरकार द्वारा 21.12.2021 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: शून्य Nominated as a Director of Bank w.e.f. 21.12.2021 by the Central Government Directorship in other Companies: Nil
8	श्री सरदार बलजीत सिंह अंशकालिक गैर- कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक) Shri Sardar Baljit Singh Part time non-official Director (Independent Non-Executive)	शून्य Nil	07	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसी- सदस्य Bank of Maharashtra AC- Member	केन्द्र सरकार द्वारा 21.12.2021 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। अन्य कंपनियों में निदेशक: i) बलिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ Nominated as a Director of Bank w.e.f. 21.12.2021 by the Central Government Directorship in other Companies: i) Ballia Chamber of Commerce and industries

एसी अर्थात् लेखा परीक्षा समिति और एसआरसी अर्थात् हितधारक संबंध समिति

AC means Audit Committee and SRC means Stakeholder Relationship Committee

2.3 वर्ष 2021-2022 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन:

- श्री हृषिकेश ए. मोडक को 13.05.2021 से केन्द्र सरकार द्वारा श्रीमती वंदिता कौल के स्थान पर भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती वंदिता कौल ने 12.05.2021 को भारत सरकार द्वारा बैंक की नामित निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री आर. तामोधरन के शेयरधारक निदेशक के रूप में दि. 29.06.2021 को कार्यकाल की समाप्ति के फलस्वरूप श्री राकेश कुमार बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में दि. 30.06.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित हुए।
- श्री ललित कुमार चंदेल को 18.08.2021 से केन्द्र सरकार द्वारा श्री हृषिकेश ए. मोडक के स्थान पर भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री हृषिकेश मोडक ने 17.08.2021 को भारत सरकार द्वारा बैंक के नामित निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री शशांक श्रीवास्तव को दि. 21.12.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बैंक के अंशकालीन गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री सरदार बलजीत सिंह को दि. 21.12.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बैंक के अंशकालीन गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

2.3 Changes in Composition of Board of Directors of Bank took place during the year 2021-22:

- Shri Hrisheekesh A. Modak was appointed as Government of India Nominee Director of Bank by the Central Government w.e.f 13.05.2021 in place of Mrs. Vandita Kaul, who ceased to be GOI Nominee Director of the Bank on 12.05.2021.
- Shri Rakesh Kumar was elected as Shareholder Director w.e.f 30.06.2021 for a period of three years consequent to completion of term of Shri R. Thamodharan as Shareholder Director of the Bank on 29.06.2021.
- Shri Lalit Kumar Chandel was appointed as Government of India Nominee Director of Bank by the Central Government w.e.f 18.08.2021 in place of Shri Hrisheekesh A. Modak, who ceased to be GOI Nominee Director of the Bank on 17.08.2021.
- Shri Shashank Shrivastava was appointed as Part time non official Director of Bank by the Central Government w.e.f 21.12.2021 for a period of three years.
- Shri Sardar Baljit Singh was appointed as Part time non official Director of Bank by the Central Government w.e.f 21.12.2021 for a period of three years.

- श्री आशीष पाण्डेय को 31.12.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा श्री हेमन्त टम्टा के स्थान पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री हेमन्त टम्टा ने 30.12.2021 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

2.4 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल:

2.4.1 श्री हृषिकेश ए. मोडक

नाम	श्री हृषिकेश ए. मोडक
जन्म दिनांक	13.10.1981
आयु	40 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एम. ए. (अर्थशास्त्र), भा.प्र.से.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के अंतर्गत दिनांक 13.05.2021 से 17.08.2021 तक बैंक के भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
अनुभव	श्री हृषिकेश ए. मोडक मणिपुर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी (2008 बैच) हैं। उन्हें प्रशासन व प्रबंधन में 12 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, श्री हृषिकेश ए. मोडक पीएमओ, भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार में उप सचिव के रूप कार्य किया। वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार में कार्यग्रहण से पहले, श्री हृषिकेश मोडक जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, वाशिम जिला, महाराष्ट्र राज्य थे। उन्होंने मणिपुर राज्य के उखरूल में आयुक्त, बिक्री कर और जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया है। श्री हृषिकेश मोडक ने 13.05.2021 से 17.08.2021 तक भारत सरकार द्वारा नामित बैंक निदेशक के रूप में कार्य किया।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.4.2 श्री राकेश कुमार

नाम	श्री राकेश कुमार
जन्म दिनांक	29.07.1961
आयु	60 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एम. एससी भौतिकी
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत 3 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 30.06.2021 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए।

- Shri Asheesh Pandey was appointed as an Executive Director of Bank by the Central Government w.e.f 31.12.2021 for a period of three years in place of Shri Hemant Tamta, who ceased to be an Executive Director of Bank on 30.12.2021 on completion of his term.

2.4 Profile of Directors appointed on the Board of Bank during the financial year 2021-22:

2.4.1 Shri Hrisheekesh A. Modak

Name	Shri Hrisheekesh A. Modak
Date of Birth	13.10.1981
Age	40 years
Qualification	M.A (Economics), IAS
Nature of appointment as Director	Appointed as Government of India Nominee Director of Bank w.e.f 13.05.2021 under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 till 17.08.2021.
Experience	Shri Hrisheekesh A. Modak is an Indian Administrative Service (IAS) Officer (2008 batch) of Manipur cadre. He has experience of more than 12 years in Administration and Management. Presently, Shri Hrisheekesh Modak is working as Director, PMO, Government of India. He served as Deputy Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. Before joining Department of Financial Services, Shri Hrisheekesh Modak worked as District Magistrate and Collector, Washim District, Maharashtra State and as Commissioner, Sales tax and District Magistrate and Collector at Ukhur, Manipur State. Shri Hrisheekesh Modak served as Government of India Nominee Director of Bank w.e.f 13.05.2021 till 17.08.2021.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.2 Shri Rakesh Kumar

Name	Shri Rakesh Kumar
Date of Birth	29.07.1961
Age	60 years
Qualification	M.Sc Physics
Nature of appointment as Director	Elected as Shareholder Director of Bank w.e.f 30.06.2021 under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of 3 years.



अनुभव	<p>श्री राकेश कुमार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे बीमा और बैंकिंग, विपणन, रणनीति, प्रशासन, मानव संसाधन, प्रबंधन इत्यादि में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है, श्री राकेश कुमार ने भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं / कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।</p> <p>उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकारी निदेशक (बैंक और एश्योरेंस चैनल) के रूप में भी काम किया। वह एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड (भारतीय जीवन बीमा निगम की एक अनुषंगी) के मुख्य कार्यपालक और निदेशक के रूप में जुलाई - 2021 में सेवानिवृत्त हुए।</p> <p>श्री राकेश कुमार को 30.06.2021 से तीन वर्षों के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।</p>
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.4.3 श्री ललित कुमार चंदेल

नाम	श्री ललित कुमार चंदेल
जन्म दिनांक	12.05.1967
आयु	55 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, एमबीए, आईईएस व बीमा में फैलो
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के अंतर्गत दि. 18.08.2021 से अगले आदेश तक भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त

Experience	<p>Shri Rakesh Kumar has more than 36 years of experience in various areas such as Insurance & Banking, Marketing, Strategy, Administration and Human Resources, Management etc., Shri Rakesh Kumar has worked in various capacities in the Branches/ Offices of Life Insurance Corporation of India.</p> <p>He also worked as Executive Director (Bank & Assurance Channel), LIC of India. He retired as Chief Executive and Director of LIC Cards Services Limited (a subsidiary of Life Insurance Corporation of India) in July, 2021.</p> <p>Shri Rakesh Kumar is appointed as Shareholder Director of Bank w.e.f 30.06.2021 for a period of three years.</p>
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.3 Shri Lalit Kumar Chandel

Name	Shri Lalit Kumar Chandel
Date of Birth	12.05.1967
Age	55 years
Qualification	Post Graduate in Economics, MBA, IES and Fellow in Insurance.
Nature of appointment as Director	Appointed as Government of India Nominee Director of Bank w.e.f 18.08.2021 under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 till further instructions.

अनुभव	<p>श्री ललित कुमार भारतीय आर्थिक सेवा (1995 बैच) से संबंधित हैं और वर्तमान में आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर तैनात हैं।</p> <p>उन्होंने बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, बाहरी सहायता, ग्रामीण विकास, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य सहित भारत सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया। श्री कुमार ने निदेशक (बीमा), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय; कार्यपालक निदेशक, सीवीओ और वित्तीय सलाहकार, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और पूर्णकालिक निदेशक वित्त, तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम के महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है।</p> <p>श्री ललित कुमार, आईईएस के एक अधिकारी के रूप में, शुरू में अनुसंधान अधिकारी, सिंचाई और सीएडी डिवीजन में, तत्पश्चात योजना आयोग, भारत सरकार में तैनात थे।</p> <p>श्री ललित कुमार ने पहले आईसीआईसीआई बैंक, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कॉर्पोरेशन बैंक, एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और नेशनल इश्योरेंस एकेडमी के बोर्ड में निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में भी सेवाएं दीं।</p> <p>श्री ललित कुमार चंदेल को दिनांक 18.08.2021 से अगले आदेश तक बैंक के भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।</p>
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	<p>i) इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,</p> <p>ii) राष्ट्रीय आवास बैंक,</p> <p>iii) सिडबी,</p> <p>iv) इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड</p>

Experience	<p>Shri Lalit Kumar belongs to the Indian Economic Service (1995 batch) and is presently posted as Economic Adviser, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.</p> <p>He served at various levels in different departments of Government of India, including Banking, Insurance, Capital Markets, External Assistance, Rural Development, Power, Irrigation and Health. Shri Lalit Kumar has held key positions of Director (Insurance), Department of Financial Services, Ministry of Finance; Executive Director, CVO and Financial Adviser, Insurance Regulatory and Development Authority of India, and Whole Time Director Finance, Telangana State Power Generation Corporation.</p> <p>Shri Lalit Kumar, as an officer from the IES, was initially posted as Research Officer, Irrigation and CAD Division, then at Planning Commission, Govt. of India.</p> <p>Shri Lalit Kumar has served earlier as Director (Government Nominee) on the Boards of ICICI Bank, National Insurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited, Corporation Bank, Agriculture Insurance Company of India and National Insurance Academy.</p> <p>Shri Lalit Kumar Chandel is appointed as Government of India Nominee Director of Bank w.e.f 18.08.2021 till further instructions.</p>
Directorship or Committee Positions held in other Companies	<p>i) Indian Infrastructure Finance Company Limited,</p> <p>ii) National Housing Bank,</p> <p>iii) SIDBI,</p> <p>iv) Indian Infrastructure Finance Company (UK) Limited</p>

2.4.4 Shri Shashank Shrivastava

2.4.4 श्री शशांक श्रीवास्तव

नाम	श्री शशांक श्रीवास्तव
जन्म दिनांक	31.05.1964
आयु	57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एम.कॉम. फैलो सनदी लेखाकार (एफसीए)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत दि. 21.12.2021 से 3 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त।

Name	Shri Shashank Shrivastava
Date of Birth	31.05.1964
Age	57 years
Qualification	M.Com, Fellow Chartered Accountant (FCA).
Nature of appointment as Director	Appointed as Part time non-official Director of Bank w.e.f 21.12.2021 under Section 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of 3 years.

अनुभव	श्री शशांक श्रीवास्तव को लेखा, लेखा परीक्षा, कराधान, कॉर्पोरेट परामर्श और संबंधित क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। वे पेशे से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट और 1989 से मेसर्स शशांक प्रेमचंद एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कटनी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भागीदार हैं। श्री शशांक श्रीवास्तव को बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में 21.12.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.4.5 श्री सरदार बलजीत सिंह

नाम	श्री सरदार बलजीत सिंह
जन्म दिनांक	05.09.1980
आयु	41 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी. कॉम, एल.एल.बी., सनदी लेखाकार (सीए), सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा में डिप्लोमा, बीमा व जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत दि. 21.12.2021 से 3 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त
अनुभव	श्री सरदार बलजीत सिंह को लेखा, जीएसटी लेखा परीक्षा, शाखा लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राजस्व लेखा परीक्षा, वित्तीय समावेशन आयकर, कॉर्पोरेट परामर्श आदि के क्षेत्र में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है, पेशे से वे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं तथा मेसर्स पी कृष्णा अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बलिया, उत्तर प्रदेश के भागीदार व शाखा प्रमुख हैं। श्री सरदार बलजीत सिंह को दिनांक 21.12.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	बलिया चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज

Experience	Shri Shashank Shrivastava is having a vast experience of more than 30 years in field of Accounts, Audit, Taxation, Corporate consultancy and related areas. He is Practicing Chartered Accountant by Profession and is Senior Partner of M/s Shashank Premchand & Company, Chartered Accountants, Katni, Madhya Pradesh, since 1989. Shri Shashank Shrivastava is appointed as Part-time non-official Director of Bank w.e.f 21.12.2021 for a period of three years.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.5 Shri Sardar Baljit Singh

Name	Shri Sardar Baljit Singh
Date of Birth	05.09.1980
Age	41 years
Qualification	B.Com, LL.B, Chartered Accountant (CA), Diploma in Information System Audit, Diploma in Insurance and Risk Management.
Nature of appointment as Director	Appointed as Part time non-official Director of Bank w.e.f 21.12.2021 under Section 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of 3 years.
Experience	Shri Sardar Baljit Singh is having experience of more than 15 years in field of Accounts, GST Audit, Branch Audit, Statutory Audit, Revenue Audit of Public Sector Banks & Regional Rural Banks, Financial inclusion Income Tax, Corporate consultancy etc., He is Practicing Chartered Accountant by Profession and is Partner & Branch Head of M/s P. Krishna Agrawal & Associates, Chartered Accountants, Ballia, Uttar Pradesh. Shri Sardar Baljit Singh is appointed as Part-time non-official Director of Bank w.e.f 21.12.2021 for a period of three years.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Ballia Chamber of Commerce and Industries

2.4.6 श्री आशीष पाण्डेय

नाम	श्री आशीष पाण्डेय
जन्म दिनांक	24.06.1971
आयु	50 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	मैकेनिकल इंजिनियर (ऑनर्स), वित्त व विपणन में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर (आनर्स), सीएआईआईबी
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत दि. 31.12.2021 से 3 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
अनुभव	<p>श्री आशीष पाण्डेय के पास 24 वर्षों से अधिक का विकासोन्मुख प्रोफेशनल करियर है, जिसमें उन्होंने क्रेडिट, ऋण निगरानी, ट्रेजरी एवं मर्चेन्ट बैंकिंग, विदेशी संव्यवहार एवं संयुक्त उद्यम, विपणन एवं ग्राहक संबंध तथा बैंकिंग परिचालन जैसे विभिन्न पोर्टफोलियो को संभाला है।</p> <p>श्री पाण्डेय ने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत कॉर्पोरेशन बैंक से की, तत्पश्चात उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने बैंक के जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड व्यवसाय, औद्योगिक वित्त शाखा व अध्यक्ष सचिवालय में कार्य किया। उन्होंने क्षेत्रीय प्रमुख (उप महाप्रबंधक), जयपुर के रूप में राजस्थान राज्य का नेतृत्व किया।</p> <p>महाप्रबंधक के रूप में, वे बैंक के ऋण निगरानी और पुनर्गठन विभाग के प्रमुख रहे। मुख्य महाप्रबंधक के रूप में उनकी प्रोन्नति पर, उन्होंने समामेलित इकाई के मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) का कार्यभार संभाला। श्री पाण्डेय बैंक की नेतृत्व टीम में एक प्रमुख घटक रहे हैं, जिसने सहजता से बैंक के समामेलन के साथ-साथ डिजिटलीकरण अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ आईबीए द्वारा गठित पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी सेवाएं दीं।</p> <p>श्री आशीष पाण्डेय को 31.12.2021 से तीन साल की अवधि के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।</p>
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	वे दि. महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं।

2.5 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात् सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

2.4.6 Shri Asheesh Pandey

Name	Shri Asheesh Pandey
Date of Birth	24.06.1971
Age	50 years
Qualification	Mechanical Engineer (Hons) with Post Graduation in Management (Hons) with specialisation in Finance & Marketing, CAIIB
Nature of appointment as Director	Appointed as an Executive Director of Bank w.e.f 31.12.2021 under Section 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of 3 years.
Experience	<p>Shri Asheesh Pandey have progressive professional career spanning more than 24 years, in which he handled a diversified portfolio ranging from Credit, Credit Monitoring, Treasury & Merchant Banking, Foreign Transactions & Joint Ventures, Marketing & Customer Relationships and Banking Operations.</p> <p>Shri Pandey started his banking career with Corporation Bank, later on he joined Union Bank of India. He worked in Bank's Life Insurance and Mutual Fund business, Industrial Finance Branch, Chairman's Secretariat. He also led Rajasthan State as Regional Head (Deputy General Manager), Jaipur. As General Manager, he was Head of Credit Monitoring and Restructuring Department of the Bank. On his elevation as Chief General Manager, he served as Chief Operations Officer (COO) of the amalgamated entity. Shri Pandey has been a key constituent in the Bank's leadership team, that led the amalgamation as well as digitisation exercise of the Bank smoothly.</p> <p>He served as Nominee Director on Board of PSB Alliance Private Limited floated by IBA with the Public Sector Banks.</p> <p>Shri Asheesh Pandey is appointed as an Executive Director of Bank w.e.f 31.12.2021 for a period of three years.</p>
Directorship or Committee Positions held in other Companies	The Maharashtra Executor and Trustee Company Private Limited

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers of Bank has been approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website <https://bankofmaharashtra.in/policies>. All the Board Members and Senior Management Personnel of Bank have affirmed the compliance of the code.



2.6 स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता के संबंध में बोर्ड द्वारा पुष्टि:
सभी स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त प्रकटन के आधार पर, बोर्ड ने कहा कि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा किया और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

2.7 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक:
सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की शर्तों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 30 मार्च, 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग से बैठक आयोजित की, जो बैंक प्रबंधन और बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक है। इस बैठक में वैधानिक आवश्यकताओं जैसे गुणवत्ता, मात्रा और सूचना के समय पर प्रवाह का आकलन इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

2.8 बोर्ड सदस्यों का मूल्यांकन निष्पादन :
पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदर्शन निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर बोर्ड की समिति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, बैंक के गैर-सरकारी निदेशकों/ शेयरधारक निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन, बोर्ड निदेशकों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

2.9 बैंक के पास अपने निदेशकों के लिए बैंक में उनकी भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेदारी के संबंध में परिचय कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2121-22 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए इन परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/corporate_governance पर उपलब्ध है।

2.10 बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई रिश्ता नहीं है।

3. वार्षिक साधारण बैठक:

बैंक के शेयरधारकों की 18 वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 24 जून, 2021 को बैंक के प्रधान कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंस/ अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से संपन्न हुई, जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे:

1	श्री ए. एस. राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	श्री हेमन्त टम्टा	कार्यपालक निदेशक
3	श्री ए.बी.विजयकुमार	कार्यपालक निदेशक
4	श्री मनोज कुमार वर्मा	भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक
5	श्री आर. तामोधरन	शेयरधारक निदेशक

4. बोर्ड बैठकें :

बोर्ड अन्य व्यवसायों के अलावा बैंक की व्यापार नीति और रणनीति पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करता है। बोर्ड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। बोर्ड ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुचारु और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है।

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर पुणे में बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। निदेशक मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रवाधान) योजना, 1970 के खंड 12 के अधीन निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों की तुलना में निर्धारित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 13 बैठकें संपन्न हुईं।

29.04.2021	28.05.2021	16.06.2021	28.06.2021	22.07.2021	25.08.2021	09.09.2021
21.10.2021	25.11.2021	24.12.2021	20.01.2022	10.02.2022	22.03.2022	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की अपनी कार्य अवधि के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

2.6 Confirmation by the Board with respect to Independence of Independent Directors:

Based on the disclosures received from all the Independent Directors, the Board opined that all the Independent Directors fulfilled the criteria of independence as specified in Companies Act, 2013 as well as in SEBI (LODR) Regulations, 2015 and are independent of the management.

2.7 Separate meeting of Independent Directors:

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Bank has conducted a separate meeting of Independent Directors on 30th March, 2022 during the financial year 2021-22 to discuss the matters as per the statutory requirements such as assessing the quality, quantity and timely flow of information between the Bank management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties. The meeting was attended by all Independent Directors of the Bank.

2.8 Performance Evaluation of Board Members:

The performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for performance Evaluation on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non-official Directors/ Shareholder Director is done by the Board of Directors of Bank on annual basis.

2.9 The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by the Directors of the Bank during the financial year 2021-22 are available on the Bank's website https://bankofmaharashtra.in/corporate_governance.

2.10 None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.

3. Annual General Meeting:

The 18th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on the 24th June, 2021 from Head office of Bank through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM), where following Directors attended the meeting.

1	Shri A.S. Rajeev	Managing Director & CEO
2	Shri Hemant Tamta	Executive Director
3	Shri A.B. Vijayakumar	Executive Director
4	Shri Manoj Kumar Verma	RBI Nominee Director
5	Shri R. Thamodharan	Shareholder Director

4. Board Meetings:

The Board meets at regular intervals to discuss and decide Bank's business policy and strategy apart from other businesses. The Board oversees implementation of business polices for attaining its objectives. The Board has constituted various sub committees to facilitate the smooth and efficient flow in decision making process.

The meetings of the Board of Directors are generally held at the Bank's Head office at Pune. Directors of Bank are also provided with video conferencing facility so as to participate in Board / Committee meetings.

During the Financial Year 2021-22, 13 meetings of Board of Directors were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

29.04.2021	28.05.2021	16.06.2021	28.06.2021	22.07.2021	25.08.2021	09.09.2021
21.10.2021	25.11.2021	24.12.2021	20.01.2022	10.02.2022	22.03.2022	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure is given as under:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	13	13
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	10	09
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	13	13
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	03	03
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2021 से 12.05.2021	01	01
श्री एच. ए. मोडक	13.05.2021 से 17.08.2021	04	04
श्री ललित कुमार चंदेल	18.08.2021 से 31.03.2022	08	04
श्री एम. के. वर्मा	01.04.2021 से 31.03.2022	13	13
श्री आर. तामोधरन	01.04.2021 से 29.06.2021	04	04
श्री राकेश कुमार	30.06.2021 से 31.03.2022	09	09
श्री शशांक श्रीवास्तव	21.12.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री सरदार बलजीत सिंह	21.12.2021 से 31.03.2022	04	04

5. निदेशक मंडल की समितियां:

बैंक के बोर्ड ने भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न उप समितियों का गठन किया है। बोर्ड ने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपनी उप-समितियों को यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, ताकि वे प्रभावी निर्णय ले सकें तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

5.1 प्रबंधन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत पांच निदेशकों को सदस्य बना कर प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- क) ऋण और निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देना
- ख) ऋण समझौता/ बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना
- ग) परिसर/ क्वार्टर्स को अधिग्रहित करने व अन्य खरीद से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन करना
- घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय।

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 16 बैठकें हुईं:

20.04.2021	24.05.2021	03.06.2021	18.06.2021	13.07.2021	11.08.2021	13.09.2021
24.09.2021	20.10.2021	12.11.2021	30.11.2021	21.12.2021	19.01.2022	15.02.2022
17.03.2022	22.03.2022					

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	16	16
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	12	12
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	16	16

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	13	13
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	10	09
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	13	13
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	03	03
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2021 to 12.05.2021	01	01
Shri H.A.Modak	13.05.2021 to 17.08.2021	04	04
Shri Lalit Kumar Chandel	18.08.2021 to 31.03.2022	08	04
Shri M.K.Verma	01.04.2021 to 31.03.2022	13	13
Shri R. Thamodharan	01.04.2021 to 29.06.2021	04	04
Shri Rakesh Kumar	30.06.2021 to 31.03.2022	09	09
Shri Shashank Shrivastava	21.12.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri S. Baljit Singh	21.12.2021 to 31.03.2022	04	04

5. Committees of Board:

The Board of Bank has constituted various sub committees as per the guidelines of Government of India, Reserve Bank of India and SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Board has delegated powers to its sub-committees in different functional areas with a view to ensure effective decision making and focus on critical areas.

5.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with five Directors as its members as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Functions and duties of the Management Committee are as under:

- a) Sanction of credit and investment proposals,
- b) Sanction of loan, compromise/ write off proposals,
- c) Approve proposals relating to acquiring of premises/quarters and other procurements,
- d) Any other matter referred by the Board.

The Committee met 16 times during the period under review on the following dates:

20.04.2021	24.05.2021	03.06.2021	18.06.2021	13.07.2021	11.08.2021	13.09.2021
24.09.2021	20.10.2021	12.11.2021	30.11.2021	21.12.2021	19.01.2022	15.02.2022
17.03.2022	22.03.2022					

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	16	16
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	12	12
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	16	16



श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री एम.के. वर्मा	01.04.2021 से 31.03.2022	16	16
श्री राकेश कुमार	20.01.2022 से 31.03.2022	03	03

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i	श्री ए. एस. राजीव	अध्यक्ष
ii	श्री ए. बी. विजयकुमार	सदस्य
iii	श्री आशीष पाण्डेय	सदस्य
iv.	श्री एम. के. वर्मा	सदस्य
v	श्री राकेश कुमार	सदस्य

5.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है, जिसमें तीन निदेशक इसके सदस्य हैं। समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

- क) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/ सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है।
- ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/ लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता-प्रणाली की पर्याप्तता, गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति विशेषज्ञ व अति विस्तृत शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।
- ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई व लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के मिलान की स्थिति, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है।
- घ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्ट प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है।
- ङ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत रिपोर्टों पर निगरानी रखती है और सांविधिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के अवलोकनों का अनुपालन करती है।
- च) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा भी करती है। यह समिति लॉग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है।
- छ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन सौंपे गए अन्य मुद्दों पर भी कार्य करती है।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 15 बैठकें हुईं। बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:

29.04.2021	27.05.2021	15.06.2021	22.07.2021	28.08.2021	08.09.2021	16.09.2021
23.09.2021	21.10.2021	18.11.2021	23.12.2021	20.01.2022	09.02.2022	21.03.2022
31.03.2022						

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri M.K .Verma	01.04.2021 to 31.03.2022	16	16
Shri Rakesh Kumar	20.01.2022 to 31.03.2022	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

i	Shri A.S. Rajeev	Chairman
i	Shri A.B. Vijayakumar	Member
iii	Shri Asheesh Pandey	Member
iv.	Shri M.K. Verma	Member
v	Shri Rakesh Kumar	Member

5.2. Audit Committee of the Board:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India and Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted with three Directors as its members. The delegated functions of the Committee are as under:

- a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization, quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up on the statutory and external audit of the Bank and inspection of RBI.
- b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection and audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings.
- c) It specifically focuses on the follow up of Inter-Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of housekeeping.
- d) ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.
- e) ACB monitors the reports under concurrent audit, compliance of observations of statutory audit and RBI inspection.
- f) ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual, half-yearly, quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- g) ACB to take care of other issues entrusted to it under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the year, the ACB met 15 times and the dates of the meetings are as under:

29.04.2021	27.05.2021	15.06.2021	22.07.2021	28.08.2021	08.09.2021	16.09.2021
23.09.2021	21.10.2021	18.11.2021	23.12.2021	20.01.2022	09.02.2022	21.03.2022
31.03.2022						

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. तामोधरन	01.04.2021 से 29.06.2021	03	03
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	11	08
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 20.01.2022	12	12
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 20.01.2022	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2021 से 12.05.2021	01	01
श्री एच. ए. मोडक	13.05.2021 से 17.08.2021	03	03
श्री ललित कुमार चंदेल	18.08.2021 से 20.01.2022	08	01
श्री एम. के. वर्मा	01.04.2021 से 31.03.2022	15	15
श्री राकेश कुमार	30.06.2021 से 20.01.2022	09	09
श्री शशांक श्रीवास्तव	20.01.2022 से 31.03.2022	03	03
श्री एस. बलजीत सिंह	20.01.2022 से 31.03.2022	03	03

* कार्यपालक निदेशकगण एसीबी बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहे।

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के प्रतिनिधियों ने समिति की बैठकों में सहभाग लिया जिसमें तिमाही वित्तीय परिणामों पर चर्चा की गई।

श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव, निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- i. श्री शशांक श्रीवास्तव अध्यक्ष
- ii. श्री एम. के. वर्मा सदस्य
- iii. श्री एस. बलजीत सिंह सदस्य

5.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुसार इसके सदस्यों के रूप में पांच निदेशकों के साथ किया गया है। समिति समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियों और रणनीतियों को तैयार करती है जिसमें बैंक के विभिन्न आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए ढांचा तथा जोखिम प्रबंधन नीति आदि के कार्यान्वयन की निगरानी करना शामिल हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 06 बैठकें हुईं।

27.05.2021	15.06.2021	24.08.2021	25.11.2021	24.12.2021	10.02.2022
------------	------------	------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 20.01.2022	05	05

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R. Thamodharan	01.04.2021 to 29.06.2021	03	03
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	11	08
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 20.01.2022	12	12
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 20.01.2022	01	01
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2021 to 12.05.2021	01	01
Shri H.A.Modak	13.05.2021 to 17.08.2021	03	03
Shri Lalit Kumar Chandel	18.08.2021 to 20.01.2022	08	01
Shri M.K. Verma	01.04.2021 to 31.03.2022	15	15
Shri Rakesh Kumar	30.06.2021 to 20.01.2022	09	09
Shri Shashank Shrivastava	20.01.2022 to 31.03.2022	03	03
Shri S. Baljit Singh	20.01.2022 to 31.03.2022	03	03

* Executive Directors have attended the ACB Meetings as invitee member,

The representatives of Statutory Central Auditors attended the committee meetings in which quarterly financial results were considered.

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- i. Shri Shashank Shrivastava Chairman
- ii. Shri M.K.Verma Member
- iii. Shri S. Baljit Singh Member

5.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board is constituted with five Directors as its members as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Committee devise the policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank, framework for identification of internal and external risks and to monitor and oversee implementation of the risk management policy etc.,

The Committee met 06 times during the year as under.

27.05.2021	15.06.2021	24.08.2021	25.11.2021	24.12.2021	10.02.2022
------------	------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 20.01.2022	05	05



श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	05	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	06	06
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01
श्री आर. तामोधरन	01.04.2021 से 29.06.2021	02	02
श्री राकेश कुमार	30.06.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री शशांक श्रीवास्तव	20.01.2022 से 31.03.2022	01	01
श्री एस. बलजीत सिंह	20.02.2022 से 31.03.2022	01	01

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री एस. बलजीत सिंह अध्यक्ष
- श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
- श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
- श्री राकेश कुमार सदस्य
- श्री शशांक श्रीवास्तव सदस्य

5.4 हितधारकों की संबंध समिति:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुसार तीन निदेशकों के साथ स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी का गठन किया गया है, जो बैंक के शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायतों / निवारण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्रति इत्यादि की निगरानी के लिए है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं।

15.06.2021	08.09.2021	25.11.2021	22.03.2022
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. तामोधरन	01.04.2021 से 29.06.2021	01	01
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	03	01
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01
श्री राकेश कुमार	30.06.2021 से 31.03.2022	03	03

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री राकेश कुमार अध्यक्ष
- श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
- श्री आशीष पाण्डेय सदस्य

वर्ष के दौरान शेयरधारकों के संबंध में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार हैं:

01.04.2021 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	38
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	38
31.03.2022 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	05	03
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	06	06
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01
Shri R. Thamodharan	01.04.2021 to 29.06.2021	02	02
Shri Rakesh Kumar	30.06.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Shashank Shrivastava	20.01.2022 to 31.03.2022	01	01
Shri S. Baljit Singh	20.02.2022 to 31.03.2022	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri S. Baljit Singh Chairman
- Shri A. B. Vijayakumar Member
- Shri Asheesh Pandey Member
- Shri Rakesh Kumar Member
- Shri Shashank Shrivastava Member

5.4 Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee is constituted formed with three Directors as its members in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 to oversee the grievances / redressal of Shareholders/ Investors of the Bank, non-receipt of annual report etc.,

The Committee met 04 times during the year as under.

15.06.2021	08.09.2021	25.11.2021	22.03.2022
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R. Thamodharan	01.04.2021 to 29.06.2021	01	01
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	03	01
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01
Shri Rakesh Kumar	30.06.2021 to 31.03.2022	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri Rakesh Kumar Chairman
- Shri A.B. Vijayakumar Member
- Shri Asheesh Pandey Member

The position of complaints in respect of Shareholders received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2021	0
Number of complaints received during the year	38
Number of complaints resolved during the year	38
Number of complaints pending as on 31.03.2022	0

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

5.5 शेयर अंतरण समिति:

निदेशक मंडल ने 'हितधारकों की संबंध समिति' के साथ ही 'शेयर अंतरण समिति' का गठन किया जो कि शेयरों के अंतरण, ट्रान्समिशन, नाम हटाए जाने के आवेदन इत्यादि का अनुमोदन / नोट करती है। समिति में 3 सदस्य हैं। निम्नलिखित तारीखों को समिति की 02 बैठकों का आयोजन किया गया।

25.11.2021	22.03.2022
------------	------------

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	02	02
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	01	00
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	02	02
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01
श्री आर. तामोधरन	01.04.2021 से 29.06.2021	00	00
श्री राकेश कुमार	30.06.2021 से 31.03.2022	02	02

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
- ii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
- iii. श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
- iv. श्री राकेश कुमार सदस्य

5.6 बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है। 5 निदेशक इस समिति के सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं। समिति का मुख्य कार्य रु.1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

27.05.2021	24.08.2021	25.11.2021	10.02.2022
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	03	01
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the Stock exchanges and investor grievances of the Bank.

5.5 Share Transfer Committee:

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Board has formed "Share Transfer Committee" to approve/ note applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares. The Committee consist of three Directors as its members.

The Committee met 02 times on following dates as under.

25.11.2021	22.03.2022
------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	02	02
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	01	00
Shri A. B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	02	02
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01
Shri R. Thamodharan	01.04.2021 to 29.06.2021	00	00
Shri Rakesh Kumar	30.06.2021 to 31.03.2022	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- i. Shri A.S. Rajeev Chairman
- ii. Shri A.B. Vijayakumar Member
- iii. Shri Asheesh Pandey Member
- iv. Shri Rakesh Kumar Member

5.6 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee is constituted with five Directors as its members to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of ₹1.00 crore and above.

The Committee met 04 times during the year as under:

27.05.2021	24.08.2021	25.11.2021	10.02.2022
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	03	01
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04



श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01
श्री आर. तामोधरन	01.04.2021 से 29.06.2021	01	01
श्री राकेश कुमार	30.06.2021 से 20.01.2022	02	02
श्री शशांक श्रीवास्तव	20.01.2022 से 31.03.2022	01	01
श्री एस. बलजीत सिंह	20.01.2022 से 31.03.2022	01	01

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
- श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
- श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
- श्री शशांक श्रीवास्तव सदस्य
- श्री एस. बलजीत सिंह सदस्य

5.7 निदेशकों की पदोन्नति समिति :

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है। पांच निदेशक इस समिति के सदस्य हैं और यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांचों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशक भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं:

27.05.2021	24.08.2021	25.11.2021	10.02.2022
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	03	01
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2021 से 12.05.2021	00	00
श्री एच. ए. मोडक	13.05.2021 से 17.08.2021	01	00
श्री ललित कुमार चंदेल	18.08.2021 से 31.03.2022	03	01
श्री एम. के वर्मा	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
- श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
- श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
- श्री ललित कुमार चंदेल सदस्य
- श्री एम. के वर्मा सदस्य

Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01
Shri R. Thamodharan	01.04.2021 to 29.06.2021	01	01
Shri Rakesh Kumar	30.06.2021 to 20.01.2022	02	02
Shri Shashank Shrivastava	20.01.2022 to 31.03.2022	01	01
Shri S. Baljit Singh	20.01.2022 to 31.03.2022	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri A.S. Rajeev Chairman
- Shri A.B. Vijayakumar Member
- Shri Asheesh Pandey Member
- Shri Shashank Shrivastava Member
- Shri S. Baljit Singh Member

5.7 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director. Managing Director and CEO the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee consist of five Directors as its members and also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Directors are also associated with this committee.

The Committee met 04 times during the year as under:

27.05.2021	24.08.2021	25.11.2021	10.02.2022
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	03	01
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2021 to 12.05.2021	00	00
Shri H.A. Modak	13.05.2021 to 17.08.2021	01	00
Shri Lalit Kumar Chandel	18.08.2021 to 31.03.2022	03	01
Shri M. K. Verma	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under.

- Shri A.S. Rajeev Chairman
- Shri A. B. Vijayakumar Member
- Shri Asheesh Pandey Member
- Shri Lalit Kumar Chandel Member
- Shri M.K. Verma Member

5.8 ग्राहक सेवा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की चार निदेशकों की सदस्यता वाली समिति का गठन किया गया है, जिसे ग्राहक सेवा गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए गठित की गई है। वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

16.06.2021	08.09.2021	24.12.2021	22.03.2022
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01
श्री आर. तामोधरन	01.04.2021 से 29.06.2021	01	01
श्री राकेश कुमार	30.06.2021 से 20.01.2022	02	02
श्री एस. बलजीत सिंह	20.01.2022 से 31.03.2022	01	01

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
- ii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
- iii. श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
- iv. श्री एस. बलजीत सिंह सदस्य

5.9 प्रौद्योगिकी समिति:

बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन पांच निदेशकों के इसके सदस्यों के साथ किया गया है। समिति की बैठक में आईटी विशेषज्ञों के बाहर 02 लोग भी शामिल होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की उचित रणनीति का चयन करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सभी रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ सूचना के सभी पहलुओं की देखरेख करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं:

15.06.2021	08.09.2021	23.12.2021	10.02.2022
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04

5.8 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee is constituted with four Directors as its members. The Committee review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank.

The Committee met 04 times during the year as under:

16.06.2021	08.09.2021	24.12.2021	22.03.2022
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01
Shri R. Thamodharan	01.04.2021 to 29.06.2021	01	01
Shri Rakesh Kumar	30.06.2021 to 20.01.2022	02	02
Shri S. Baljit Singh	20.01.2022 to 31.03.2022	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- i. Shri A.S. Rajeev Chairman
- ii. Shri A. B. Vijayakumar Member
- iii. Shri Asheesh Pandey Member
- iv. Shri S. Baljit Singh Member

5.9 Technology Committee:

The Technology Committee of the Board is constituted with five Directors as its members. The meeting of committee is also attended by 02 outside IT Experts. The Committee deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans, Cyber Security etc.,

The Committee met 04 times during the year as under:

15.06.2021	08.09.2021	23.12.2021	10.02.2022
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04



श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2021 से 12.05.2021	00	00
श्री एच. ए. मोडक	13.05.2021 से 17.08.2021	01	01
श्री ललित कुमार चंदेल	18.08.2021 से 31.03.2022	03	00
श्री आर. तामोधरन	01.04.2021 से 29.06.2021	01	01
श्री राकेश कुमार	30.06.2021 से 31.03.2022	03	03

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
 - श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
 - श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
 - श्री ललित कुमार चंदेल सदस्य
 - श्री राकेश कुमार सदस्य
- बाहरी सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ : 02 सदस्य

5.10 ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी, 2012 को किया गया। समिति को व्यक्तिगत हेतु रु.250.00 करोड़, समूह एक्सपोजर हेतु रु.500.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक, ऋण
- महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता
- महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं

वर्ष के दौरान निम्नानुसार दिनांकों को समिति की 30 बैठकें आयोजित हुईं

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
01	03.05.2021	11	13.09.2021	21	27.12.2021
02	24.05.2021	12	24.09.2021	22	12.01.2022
03	08.06.2021	13	28.09.2021	23	02.02.2022
04	23.06.2021	14	06.10.2021	24	11.02.2022
05	05.07.2021	15	27.10.2021	25	25.02.2022
06	20.07.2021	16	08.11.2021	26	15.03.2022
07	03.08.2021	17	20.11.2021	27	17.03.2022
08	13.08.2021	18	01.12.2021	28	21.03.2022
09	26.08.2021	19	08.12.2021	29	24.03.2022
10	02.09.2021	20	21.12.2021	30	30.03.2022

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2021 to 12.05.2021	00	00
Shri H.A.Modak	13.05.2021 to 17.08.2021	01	01
Shri Lalit kumar Chandel	18.08.2021 to 31.03.2022	03	00
Shri R. Thamodharan	01.04.2021 to 29.06.2021	01	01
Shri Rakesh Kumar	30.06.2021 to 31.03.2022	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri A. S. Rajeev Chairman
- Shri A.B.Vijayakumar Member
- Shri Asheesh Pandey Member
- Shri Lalit Kumar Chandel Member
- Shri Rakesh Kumar Member

Outside IT Experts : 02 Members

5.10 Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee of the Board is constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to Rs.250.00 crore for individual, Rs.500.00 crore for group exposure and loan compromise /write off proposals as delegated by the Board. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

- Chairman & Managing Director / MD & CEO
- Executive Directors
- General Manager, Credit
- General Manager, Integrated Risk Management
- General Manager, Financial Management & Accounts
- General Manager, Credit Priority
- General Manager, Recovery and Legal Services.

The Committee met 30 times during the year on the dates given below.

Sr.No	Date	Sr.No	Date	Sr. No	Date
01	03.05.2021	11	13.09.2021	21	27.12.2021
02	24.05.2021	12	24.09.2021	22	12.01.2022
03	08.06.2021	13	28.09.2021	23	02.02.2022
04	23.06.2021	14	06.10.2021	24	11.02.2022
05	05.07.2021	15	27.10.2021	25	25.02.2022
06	20.07.2021	16	08.11.2021	26	15.03.2022
07	03.08.2021	17	20.11.2021	27	17.03.2022
08	13.08.2021	18	01.12.2021	28	21.03.2022
09	26.08.2021	19	08.12.2021	29	24.03.2022
10	02.09.2021	20	21.12.2021	30	30.03.2022

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as Under:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	30	30
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	21	20
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	30	30
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	09	09

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

- महाप्रबंधक, ऋण
- महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार
- महाप्रबंधक, वसूली - आवश्यकतानुसार

5.11 मानव संसाधन संचालन समिति :

समिति का गठन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है, इस समिति में चार निदेशक व 02 बाहरी मानव संसाधन विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं। इस समिति का गठन मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों / मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

15.06.2021	25.08.2021	23.12.2021	22.03.2022
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2021 से 12.05.2021	00	00
श्री एच. ए. मोडक	13.05.2021 से 17.08.2021	01	01
श्री ललित कुमार चंदेल	18.08.2021 से 31.03.2022	03	02

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
- श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
- श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
- श्री ललित कुमार चंदेल सदस्य
- श्रीमती एस. ए. पानसे आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ
- श्रीमती गीतिका कपूर आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	30	30
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	21	20
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	30	30
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	09	09

The meetings were also attended by the following executives.

- General Manager, Credit
- General Manager, Integrated Risk Management
- General Manager, Financial Management & Accounts
- General Manager, Credit Priority – As per requirement
- General Manager, Recovery- As per requirement

5.11 Steering Committee on HR:

As per the guidelines of Government of India, the Committee is constituted with four Directors as its members and 02 outside HR Experts The Committee is constituted to discuss various matters/issues related to Human Resources.

The Committee met 04 times during the year as under:

15.06.2021	25.08.2021	23.12.2021	22.03.2022
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2021 to 12.05.2021	00	00
Shri H.A.Modak	13.05.2021 to 17.08.2021	01	01
Shri Lalit Kumar Chandel	18.08.2021 to 31.03.2022	03	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri A.S. Rajeev Chairman
- Shri A.B.Vijayakumar Member
- Shri Asheesh Pandey Member
- Shri Lalit Kumar Chandel Member
- Mrs. S.A. Panse Invitee outside expert
- Mrs. Geetika Kapoor Invitee outside expert



5.12 एनपीए वसूली पर निगरानी हेतु बोर्ड की समिति :

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित इस समिति में पांच निदेशक सदस्य होते हैं। यह समिति बैंक में एनपीए वसूली की पुनरीक्षा व निगरानी करती है और संग्रहण प्रणाली तथा ऋणों व अग्रिमों की वसूली पर पर्यवेक्षण कर बड़े मूल्य के एनपीए खातों में वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

27.05.2021	09.09.2021	25.11.2021	22.03.2022
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	03	01
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2021 से 12.05.2021	00	00
श्री एच. ए. मोडक	13.05.2021 से 17.08.2021	01	01
श्री ललित कुमार चंदेल	18.08.2021 से 31.03.2022	03	01
श्री शशांक श्रीवास्तव	20.01.2022 से 31.03.2022	01	01

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
- श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
- श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
- श्री ललित कुमार चंदेल सदस्य
- श्री शशांक श्रीवास्तव सदस्य

5.13 भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा और निगरानी हेतु समिति:

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित इस समिति में चार निदेशक सदस्य होते हैं। यह समिति भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की निगरानी और पुनरीक्षा करती है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं :

16.06.2021	08.09.2021	18.11.2021	09.02.2022
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	03	03
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	04	04
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01

5.12 Committee of Board for monitoring NPA Recovery:

As per the guidelines of Government of India, the Committee is constituted with five Directors as its members. The Committee reviews and monitors NPA Recovery in the Bank provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts.

The Committee met 04 times during the year as under:

27.05.2021	09.09.2021	25.11.2021	22.03.2022
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	03	01
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2021 to 12.05.2021	00	00
Shri H.A.Modak	13.05.2021 to 17.08.2021	01	01
Shri Lalit Kumar Chandel	18.08.2021 to 31.03.2022	03	01
Shri Shashank Shrivastava	20.01.2022 to 31.03.2022	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri A.S. Rajeev Chairman
- Shri. A.B. Vijayakumar Member
- Shri Asheesh Pandey Member
- Shri Lalit Kumar Chandel Member
- Shri Shashank Shrivastava Member

5.13 Committee to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India:

The Committee is constituted with four Directors as its members. The Committee monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India.

The Committee met 04 times during the year as under:

16.06.2021	08.09.2021	18.11.2021	09.02.2022
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	03	03
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	04	04
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01

श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2021 से 12.05.2021	00	00
श्री एच. ए. मोडक	13.05.2021 से 17.08.2021	01	01
श्री ललित कुमार चंदेल	18.08.2021 से 31.03.2022	03	00
श्री एस. बलजीत सिंह	20.01.2022 से 31.03.2022	01	01

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री ए. बी. विजयकुमार अध्यक्ष
- श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
- श्री ललित कुमार चंदेल सदस्य
- श्री एस. बलजीत सिंह सदस्य

5.14 इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित इस समिति में तीन निदेशक सदस्य होते हैं। यह समिति इरादतन चूक मामलों को देखना, बैंक के इरादतन चूककर्ताओं की पहचान तथा घोषणा करने का कार्य देखती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 03 बैठक हुई:

16.06.2021	24.12.2021	22.03.2022
------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	03	03
श्रीमती वंदिता कौल	01.04.2021 से 12.05.2021	00	00
श्री एच. ए. मोडक	13.05.2021 से 17.08.2021	01	01
श्री ललित कुमार चंदेल	18.08.2021 से 31.03.2022	02	01
श्री आर. तामोधरन	01.04.2021 से 29.06.2021	01	01
श्री राकेश कुमार	30.06.2021 से 20.01.2022	01	01
श्री शशांक श्रीवास्तव	20.01.2022 से 31.03.2022	01	01

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
- श्री ललित कुमार चंदेल सदस्य
- श्री शशांक श्रीवास्तव सदस्य

5.15 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति :

इस समिति का गठन वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.08.2019 के अनुसार सम्प्रेषण क्र.एफ.क्र. 9/5/2009-आईआर संचार संख्या फा.सं. 9/5/2009-आईआर किया गया है। जिसमें तीन निदेशक इसके सदस्य हैं। यह समिति प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी कार्यकारी निदेशकों और बैंक के आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी महाप्रबंधकों के निष्पादन का मूल्यांकन करती है।

समिति में सदस्यों की रिक्त स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में समिति की कोई बैठक नहीं हुई। तथापि पूर्णकालिक निदेशकों और बैंक के संबंधित महाप्रबंधकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन एजेंडा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार विचारार्थ निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

Mrs. Vandita Kaul	01.04.2021 to 12.05.2021	00	00
Shri H.A.Modak	13.05.2021 to 17.08.2021	01	01
Shri Lalit Kumar Chandel	18.08.2021 to 31.03.2022	03	00
Shri S. Baljit Singh	20.01.2022 to 31.03.2022	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri A.B. Vijaykumar Chairman
- Shri Asheesh Pandey Member
- Shri Lalit kumar Chandel Member
- Shri S. Baljit Singh Member

5.14 Committee for identification of Willful defaulters:

This Committee is constituted as per RBI guidelines with three Directors as its members. The Committee looks after the willful default cases and identify and declare the willful defaulters of the Bank.

The Committee met 03 times during the year as under:

16.06.2021	24.12.2021	22.03.2022
------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	03	03
Mrs. Vandita Kaul	01.04.2021 to 12.05.2021	00	00
Shri H.A. Modak	13.05.2021 to 17.08.2021	01	01
Shri Lalit Kumar Chandel	18.08.2021 to 31.03.2022	02	01
Shri R. Thamocharan	01.04.2021 to 29.06.2021	01	01
Shri Rakesh Kumar	30.06.2021 to 20.01.2022	01	01
Shri Shashank Shrivastava	20.01.2022 to 31.03.2022	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri A.S. Rajeev Chairman
- Shri Lalit Kumar Chandel Member
- Shri Shashank Shrivastava Member

5.15 Committee for Performance Evaluation:

This Committee has been constituted as per Ministry of Finance communication no. F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019 with three Directors as its members. The Committee undertakes the process of Performance Evaluation of Managing Director & CEO, Executive Directors in charge of Internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) and General Managers in charge of Internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) of the Bank.

No meeting of Committee was held during the financial year 2021-22 due to vacant position of members in the committee. However, the performance evaluation agenda of Whole Time Directors and concerned General Managers of Bank was placed before Board for consideration as per the guidelines of Government of India.



31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री राकेश कुमार अध्यक्ष
- श्री ललित कुमार चंदेल सदस्य
- श्री शशांक श्रीवास्तव सदस्य

5.16 निदेशक मंडल की निर्गम समिति :

इस समिति का गठन तीन निदेशकों के सदस्य के रूप में किया गया है। समिति भारत सरकार, आरबीआई और सेबी विनियमों के दिशानिर्देशों के अधीन पूंजी जुटाने, जारी करने और प्रतिभूतियों के आवंटन आदि से संबंधित मामलों को देखती है।

वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

13.07.2021	16.07.2021	17.07.2021	21.10.2021	23.03.2022
------------	------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए. एस. राजीव	01.04.2021 से 31.03.2022	05	05
श्री हेमन्त टम्टा	01.04.2021 से 30.12.2021	04	04
श्री ए. बी. विजयकुमार	01.04.2021 से 31.03.2022	05	05
श्री आशीष पाण्डेय	31.12.2021 से 31.03.2022	01	01

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
- श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
- श्री आशीष पाण्डेय सदस्य

5.17 अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वरूप निदेशक मंडल समिति:

इस समिति का गठन भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। समिति सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की पुनरीक्षा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में करती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री ललित कुमार चंदेल अध्यक्ष
- श्री राकेश कुमार सदस्य
- श्री एस. बलजीत सिंह सदस्य

5.18 नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

भा.रि.बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार और सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। यह समिति बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को अपनाती है।

समिति में सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि, शेरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में उचित और उपयुक्त स्थिति के निर्धारण के संबंध में एजेंडा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विचार के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri Rakesh Kumar Chairman
- Shri Lalit kumar Chandel Member
- Shri Shashank Shrivastava Member

5.16 Issue Committee of the Board:

This Committee is constituted with three Directors as its members. The Committee look after the matters related to capital raising, issue and allotment of securities etc., subject to guidelines of GOI, RBI and SEBI Regulations:

The Committee met 03 times during the year as under:

13.07.2021	16.07.2021	17.07.2021	21.10.2021	23.03.2022
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri A.S. Rajeev	01.04.2021 to 31.03.2022	05	05
Shri Hemant Tamta	01.04.2021 to 30.12.2021	04	04
Shri A.B. Vijayakumar	01.04.2021 to 31.03.2022	05	05
Shri Asheesh Pandey	31.12.2021 to 31.03.2022	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri A. S. Rajeev Chairman
- Shri A.B. Vijayakumar Member
- Shri Asheesh Pandey Member

5.17 Committee of Board as Appellate and Reviewing Authority:

The Committee is constituted with three Directors as its members as per the guidelines of Government of India. This Committee deals with review of vigilance, non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with Government of India guidelines.

No meeting of this Committee was held during the financial year 2021-22.

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- Shri Lalit Kumar Chandel Chairman
- Shri Rakesh Kumar Member
- Shri S. Baljit Singh Member

5.18 Nomination & Remuneration Committee:

This Committee is constituted with three Directors as its members as per RBI Master Circular dated 02.08.2019 and Government of India and SEBI guidelines. This Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as Directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

No meeting of Committee was held during the financial year 2021-22 due to vacant position of members in the committee. However, the agenda regarding determination of FIT and Proper status with respect to Election for Shareholder Director was placed before Board for consideration as per the guidelines of Government of India

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- i. श्री राकेश कुमार अध्यक्ष
- ii. श्री एस. बलजीत सिंह सदस्य
- iii. श्री शशांक श्रीवास्तव सदस्य

6. अन्य समितियां:

विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और परिचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरीयों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां भी हैं, जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, शीर्ष प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय ऋण समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि।

7. निदेशकों का पारिश्रमिक :

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अधीन बैंक का अभिशासन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और दो कार्यपालक निदेशकों (3 पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

क) वर्ष 2021-22 के दौरान एमडी एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है -

क्रमांक	नाम	पदनाम	राशि (रु. में)
1	श्री ए. एस. राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	3410575.20
2	श्री हेमन्त टम्टा*	कार्यपालक निदेशक	2168863.00
3	श्री ए. बी. विजयकुमार	कार्यपालक निदेशक	3580869.00
4	श्री आशीष पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक	702295.23

* बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्यकाल दिनांक 30.12.2021 तक।

ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों को कार्यनिष्पादन से संबद्धकिसी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया।

ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के कर्मचारियों और बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को स्टॉक विकल्प का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया।

घ) सिटिंग शुल्क: भारत सरकार के दिनांक 18 जनवरी, 2019 के परिपत्र के अनुसार निदेशक मंडल और इसकी उप समितियों की बैठकों में सहभाग हेतु सिटिंग शुल्क को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

- क. निदेशक मंडल (बोर्ड) बैठक : ₹ 40,000/- प्रति बैठक
- ख. समिति बैठक : ₹ 20,000/- प्रति बैठक
- ग. निदेशक मंडल (बोर्ड) की बैठक की अध्यक्षता: (क) के अतिरिक्त ₹10,000/- प्रति बैठक
- घ. समिति की बैठक की अध्यक्षता : (ख) के अतिरिक्त ₹5,000/- प्रति बैठक

वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों, भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक को कोई सिटिंग शुल्क देय नहीं है)।

अनु.क्र	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (रु.)
1	श्री आर. तामोधरन	3,80,000.00

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

- i Shri Rakesh Kumar Chairman
- ii Shri S. Baljit Singh Member
- iii Shri Shashank Shrivastava Member

6. Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee, High Level Credit Committee and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

7. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The Chairman and Managing Director/ MD & CEO and two Executive Directors (3 Whole Time Directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Govt. of India.

A) The details of salaries paid to MD & CEO and Executive Directors during the year 2021-22 are as under:

Sr. No.	Name	Designation	Amount (in ₹.)
1	Shri A.S. Rajeev	Managing Director & CEO	3410575.20
2	Shri Hemant Tamta*	Executive Director	2168863.00
3	Shri A.B. Vijayakumar	Executive Director	3580869.00
4	Shri Asheesh Pandey	Executive Director	702295.23

*ceased to be Executive Director of Bank on 30.12.2021.

B) No Performance linked Incentive was paid to the Directors during the Financial Year 2021-22:

C) No stock option was offered to Bank's Employees and Whole Time Directors of Bank during the FY 2021-22.

D) Sitting fees: Government of India vide its communication dated 18th January, 2019 has revised sitting fees for attending meetings of Board and its sub-committees as under:

- a. Board meeting: ₹.40,000/- per meeting
- b. Committee meeting: ₹.20,000/- per meeting
- c. Chairing Board meeting: ₹.10,000/- per meeting in addition to (a).
- d. Chairing Committee meeting: ₹.5,000/- per meeting in addition to (b).

The total Sitting Fees paid to the Non-Executive Directors during the year 2021-22 is as under: (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Director representing Government of India.

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (₹.)
01	Shri R. Thamodharan	3,80,000.00



2	श्री एम. के. वर्मा	12,20,000.00
3	श्री राकेश कुमार	10,25,000.00
4	श्री शशांक श्रीवास्तव	3,35,000.00
5	श्री एस. बलजीत सिंह	3,25,000.00
	कुल	32,85,000.00

इसके अतिरिक्त मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति की दिनांक 15.06.2021, 25.08.2021, 23.12.2021 और 22.03.2022 की बैठकों में सहभागिता हेतु बाह्य विशेषज्ञ श्रीमती एस. ए. पानसे और श्रीमती गीतिका कपूर को क्रमशः ₹ 60,000/- और ₹ 80,000/- सिटिंग शुल्क का भुगतान किया गया।

8. सर्वसाधारण बैठकें:

8.1 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रकार	दिनांक व समय	स्थान	पारित संकल्प
सोलहवीं वार्षिक साधारण बैठक	27 जून, 2019 को प्रातः 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट इश्यू /क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) iii) 31.03.2019 तक बैंक के संचयी घाटे का समंजन करना (विशेष संकल्प)।
सत्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक	11 अगस्त, 2020 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ओएवीएम के माध्यम से	पुणे स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय	i) वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर बैंक के प्रत्येक ₹.10/- के ईक्विटी शेयर जारी करना (विशेष संकल्प) iii) एफपीओ/ राईट इश्यू /क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) iv) 31.03.2020 तक बैंक के संचयी घाटे का समंजन करना (विशेष संकल्प)।

02	Shri M.K. Verma	12,20,000.00
03	Shri Rakesh Kumar	10,25,000.00
04	Shri Shashank Shrivastava	3,35,000.00
05	Shri S. Baljit Singh	3,25,000.00
	TOTAL	32,85,000.00

Besides this, sitting fees of ₹.60,000/- & ₹.80,000/- was paid to External experts i.e. Mrs.S.A. Panse and Mrs. Gitika Kapoor for attending the meeting of Steering Committee of the Board on HR held on 15.06.2021, 25.08.2021, 23.12.2021 and 22.03.2022 respectively.

8. General Body Meetings:

8.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three financial years are given below:

Particulars	Date & Time	Venue	Resolutions passed
Sixteenth Annual General Meeting	At 10.30 a.m. on 27 th June, 2019	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2018-19. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iii) Set off the accumulated losses of Bank as of 31.03.2019. (Special Resolution).
Seventeen Annual General Meeting	At 11.00 a.m. on 11 th August, 2020 through VC / OAVM	Head office of Bank located at Pune	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2019-20. ii) Issue of Equity shares of ₹.10/- each of the Bank to Government of India on preferential basis (Special Resolution). iii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iv) Set off the accumulated losses of Bank as of 31.03.2020. (Special Resolution).

अठारहवीं वार्षिक साधारण बैठक	24 जून, 2021 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ओएवीएम के माध्यम से	पुणे स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय	i) वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट इश्यू /क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प)
------------------------------	--	------------------------------------	--

Eighteen Annual General Meeting	At 11.00 a.m. on 24 th June, 2021 through VC / OAVM	Head office of Bank located at Pune	i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2020-21. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution).
---------------------------------	--	-------------------------------------	--

8.2 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि बैंक की साधारण बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है।

9.0 पोस्टल बैलेट :

9.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पोस्टल बैलेट प्रक्रिया नहीं की।

9.2 प्रस्तावित पोस्टल बैलेट के ब्यौरे :

आगामी वार्षिक साधारण बैठक में या उससे पूर्व पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

10. संप्रेषण के साधन:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (एलओडीआर) विनियमावली 2015 की सांविधिक आवश्यकताओं के तहत, बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक तथा एक स्थानीय दैनिक में मराठी में प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अतिरिक्त बैंक ने वित्तीय परिणाम हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए। वित्तीय परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी प्रदर्शित किया गया और शेयर बाजारों को प्रस्तुत किया गया। बैंक के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद बैंक, विश्लेषकों/ संस्थागत निवेशकों और संवाददाताओं के सम्मेलन, भी आयोजित करता है। बैंक की प्रेस विज्ञप्तियां और प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं। वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/ अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

को समाप्त अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन का दिनांक
	अंग्रेजी संस्करण	मराठी संस्करण	
जून 2021	फाइनेन्शियल एक्सप्रेस	लोकसत्ता	23.07.2021
सितंबर 2021	फाइनेन्शियल एक्सप्रेस	लोकसत्ता	22.10.2021
दिसंबर 2021	फाइनेन्शियल एक्सप्रेस	लोकसत्ता	21.01.2022
मार्च 2022	फाइनेन्शियल एक्सप्रेस	लोकसत्ता	29.04.2022

निवेशकों के साथ संप्रेषण के चैनल :

सभी आवधिक अनुपालन फाइलिंग जैसे कि शेयरधारिता पद्धति, कार्पोरेट गवर्नंस रिपोर्ट, कार्पोरेट घोषणाएं, मीडिया विज्ञप्तियां इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक रूप से बीएसई कार्पोरेट कम्प्लायन्स एंड लिस्टिंग सेंटर (द लिस्टिंग सेंटर) और एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) प्रसार हेतु दर्ज किए गए।

11. सामान्य शेयरधारकों का ब्यौरा:

11.1 उन्नीसवीं वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:

वित्तीय वर्ष	2021-2022
31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित खातों (एकल व समेकित) पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	28 अप्रैल, 2022 और 25 मई, 2022

8.2 The Ministry of Finance, Government of India sends their authorized representative to attend the General Meetings of the Bank from time to time.

9.0 Postal Ballot:

9.1 During the year under review, the Bank has not conducted postal ballot process.

9.2 Details of Proposed Postal Ballots:

No special resolution through Postal Ballot is proposed to be conducted on or before the ensuing Annual General Meeting.

10. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi as per the statutory requirements of SEBI (LODR) Regulations, 2015. In addition to the statutory requirement as above, Bank has also published the results in Hindi Daily. The financial results are also displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in and submitted to the Stock Exchanges. Bank also organizes Press meets and Analysts / Institutional Investor meets after announcing Bank's financial results. Press Releases and presentations made by the Bank are also displayed on the Bank's website.

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the Newspaper		Date of publication
	English Edition	Marathi Edition	
June 2021	Financial Express	Loksatta	23.07.2021
September 2021	Financial Express	Loksatta	22.10.2021
December 2021	Financial Express	Loksatta	21.01.2022
March 2022	Financial Express	Loksatta	29.04.2022

Channels of Communication with the investors:

All periodical compliance Filings like Shareholding pattern, Corporate Governance Report, Corporate announcements, media releases etc., are filed electronically on the BSE Corporate Compliance & Listing Centre (the 'Listing Centre') and NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) for dissemination.

11. General Shareholder Information:

11.1 Particulars of the Nineteenth Annual General Meeting:

Financial Year	2021-2022
Board Meeting for considering Annual Audited Accounts (Standalone & Consolidated) for Financial year ended 31 st March, 2022	28 th April, 2022 and 25 th May, 2022



उन्नीसवीं वार्षिक साधारण बैठक का स्थान, दिनांक और समय	विडियो कॉन्फरेंस या अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों से दिनांक 28 जून, 2022 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	05 जून, 2022
बहियों के बंद होने का दिनांक	22 जून, 2022 से 28 जून, 2022 तक

11.2 लाभांश और रिकॉर्ड तिथि का भुगतान:

बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रदत्त शेयर पूंजी पर रु.0.50 प्रति शेयर (5%) के फाइनेल लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। बैंक ने फाइनेल लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 21 जून, 2022 तय की है। इक्विटी शेयरों पर फाइनेल लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, का भुगतान 30 दिनों के अंदर उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि पर दिखाई देंगे।

11.3 वित्तीय कैलेंडर 2022-23 (अंतिम):

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अंतिम समय
30 जून 2022	14 अगस्त 2022 को या इससे पूर्व
30 सितंबर 2022	14 नवंबर 2022 को या इससे पूर्व
31 दिसंबर, 2022	14 फरवरी 2023 को या इससे पूर्व
31 मार्च, 2023 (वार्षिक)	18 मई 2023 को या इससे पूर्व

11.4 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों के ब्योरे:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए गए हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्क्रिप कोड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई): पता : फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- 400001	532525
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एनएससी) पता : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051	MAHABANK EQ
इंटरनैशनल सिक्युरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर (ISIN):	INE457A01014

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को किया गया है।

11.5 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन:

(बाजार मूल्य डाटा रूप में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

माह	बीएसई			एनएसई			सेंसेक्स मूल्य	निफ्टी मूल्य
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा		
अप्रैल, 2021	27.30	20.75	32882612	27.40	20.70	338721919	48,782.36	14631.10
मई, 2021	26.45	23.20	26284903	26.45	23.20	209664513	51,937.44	15582.80
जून, 2021	31.95	23.55	56350551	32.00	23.55	437711256	52,482.71	15721.50
जुलाई, 2021	25.85	21.25	18910766	25.80	21.20	118326781	52,586.84	15763.05
अगस्त, 2021	22.80	17.25	20223637	22.80	17.20	118482245	57,552.39	17132.20
सितंबर, 2021	21.20	17.80	26983524	21.15	17.80	184547534	59,126.36	17618.15
अक्टूबर, 2021	22.00	19.30	22574326	22.85	19.30	201003637	59,306.93	17671.65
नवंबर, 2021	22.00	18.60	13091057	22.00	18.65	75775924	57,064.87	16983.20
दिसंबर, 2021	21.30	18.50	14206908	21.35	18.25	75109197	58,253.82	17354.05
जनवरी, 2022	22.20	19.10	23497988	22.20	19.15	136721470	58,014.17	17339.85
फरवरी, 2022	21.95	17.00	16972201	21.95	16.95	97392552	56,247.28	16793.90
मार्च, 2022	18.50	15.85	17558035	19.70	15.15	86532149	58,568.51	17464.75

Date, Time and Venue of Nineteenth AGM.	On 28 th June, 2022 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference or Other Audio Video Means
Posting of Annual Report	05 th June, 2022
Dates of Book Closure	22 nd June, 2022 to 28 th June, 2022

11.2 Payment of Dividend & Record date:

The Board of Directors of the Bank has recommended payment of final Dividend of Rs.0.50 per share (5%) on the paid-up share capital, for the financial year ended 31st March, 2022. The Bank has fixed 21st June, 2022 as record date for payment of final dividend. The final dividend on equity shares, if declared at the Annual General Meeting, will be paid within 30 days to the Members whose names appear in the Bank's Register of Members on record date.

11.3 Financial Calendar 2022-23 (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30 th June 2022	On or Before 14 th August 2022
30 th September 2022	On or Before 14 th November 2022
31 st December 2022	On or Before 14 th February 2023
31 st March 2023 (Annual)	On or Before 18 th May 2023

11.4 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on following Stock Exchanges:

Name of Stock Exchange	Scrp code
BSE Limited (BSE): Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001	532525
National Stock Exchange of India Limited (NSE) Address: Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	MAHABANK EQ
International Security Identification Number (ISIN):	INE457A01014

The annual listing fees for the financial year 2021-22 has been paid to the Stock Exchanges.

11.5 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

Month	BSE			NSE			SENSEX Closing price	NIFTY Closing price
	High	Low	Volume	High	Low	Volume		
April, 2021	27.30	20.75	32882612	27.40	20.70	338721919	48,782.36	14631.10
May, 2021	26.45	23.20	26284903	26.45	23.20	209664513	51,937.44	15582.80
June, 2021	31.95	23.55	56350551	32.00	23.55	437711256	52,482.71	15721.50
July, 2021	25.85	21.25	18910766	25.80	21.20	118326781	52,586.84	15763.05
August, 2021	22.80	17.25	20223637	22.80	17.20	118482245	57,552.39	17132.20
September, 2021	21.20	17.80	26983524	21.15	17.80	184547534	59,126.36	17618.15
October, 2021	22.00	19.30	22574326	22.85	19.30	201003637	59,306.93	17671.65
November, 2021	22.00	18.60	13091057	22.00	18.65	75775924	57,064.87	16983.20
December, 2021	21.30	18.50	14206908	21.35	18.25	75109197	58,253.82	17354.05
January, 2022	22.20	19.10	23497988	22.20	19.15	136721470	58,014.17	17339.85
February, 2022	21.95	17.00	16972201	21.95	16.95	97392552	56,247.28	16793.90
March, 2022	18.50	15.85	17558035	19.70	15.15	86532149	58,568.51	17464.75

11.6 प्रति शेयर डाटा :

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (₹)	1.72	0.88
लाभांश (%)	5%	शून्य
बही मूल्य (₹)	15.12	12.22
निवल लाभ के % के रूप में लाभांश पे-आउट (लाभांश कर को छोड़कर)	29.27%	शून्य

11.7 बैंक द्वारा समय-समय विभिन्न बॉण्ड (टीयर I और टीयर II पूंजी) तथा इफ्रॉ बॉण्ड जारी किए गए। 31.03.2022 को बकाया बॉण्ड्स और उनकी क्रेडिट रेटिंग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र.	बॉण्ड्स के प्रकार	आईएसआईएन	आवृत्त/जारी करने का दिनांक	मूलधन राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (माह में)	कूपन दर % (प्रतिवर्ष)	ऋण रेटिंग
1	गौण टीयर 2	INE457A09199	31.12.2012	1000.00	120	9.00	क्रिसिल एवं इक्रा द्वारा एए
2	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08035	27.06.2016	500.00	123	9.20	केचर एवं इक्रा द्वारा एए
3	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08050	06.03.2020	600.00	120	8.70	क्रिसिल और इक्रा द्वारा एए
4	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08068	14.12.2020	200.70	120	7.75	एक्यूट रेटिंग द्वारा एए+ और बी डब्ल्यू आर रेटिंग द्वारा एए
5	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08076	11.02.2021	205.00	120	8.00	एक्यूट रेटिंग्स द्वारा एए+ और बी डब्ल्यू आर रेटिंग्स द्वारा एए+
6	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08084	23.03.2021	100.00	120	8.00	एक्यूट रेटिंग्स द्वारा एए+ और बी डब्ल्यू आर रेटिंग्स द्वारा एए
7	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08092	21.10.2021	1000.00	120	7.86	केचर रेटिंग्स द्वारा एए और बी डब्ल्यू आर रेटिंग्स द्वारा एए
8	बेसल III टीयर 2 बॉण्ड	INE457A08100	24.03.2022	290	Perpetual	8.75	एक्यूट रेटिंग द्वारा एए स्थिर (स्टेबल) और इंफोमेरिकस रेटिंग्स द्वारा एए स्थिर (स्टेबल)
			कुल	3895.70			

11.8 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों एवं शेयरधारकों को सहयोग :

बैंक ने एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है, जो शेयरों/बांडों के हस्तांतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोधों की रिकॉर्डिंग, निवेशकों की शिकायतों के समाधान के साथ-साथ अन्य गतिविधियों से जुड़े हैं। शेयर/बांड जारी करने के साथ। निवेशक अपने ट्रांसफर डीड/अनुरोध/शिकायत आरटीए के पास निम्नलिखित पते पर दर्ज करा सकते हैं।

11.6 Per Share Data:

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Face Value (₹.)	10/-	10/-
EPS (₹.)	1.72	0.88
Dividend (%)	5%	Nil
Book Value (₹.)	15.12	12.22
Dividend Payout (excluding dividend tax) as % of net profit	29.27%	Nil

11.7 The Bank has issued various bonds (Tier I and II) and Infra bonds from time to time. The details of outstanding Bonds along with their credit ratings as on 31.03.2022 are given as below:

Sr. No.	Type of Bonds	ISIN	Date of Allotment/ Issue	Principal Amount (₹. In cr)	Tenor (in Months)	Coupon Rate% (p.a)	Credit Ratings
1	Subordinate Tier 2	INE457A09199	31.12.2012	1000.00	120	9.00	AA- by CRISIL & ICRA
2	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08035	27.06.2016	500.00	123	9.20	AA- by CARE & ICRA
3	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08050	06.03.2020	600.00	120	8.70	AA- by CRISIL & ICRA
4	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08068	14.12.2020	200.70	120	7.75	AA+ by Acuite Ratings and AA by BWR Ratings
5	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08076	11.02.2021	205.00	120	8.00	AA+ by Acuite Ratings and AA by BWR Ratings
6	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08084	23.03.2021	100.00	120	8.00	AA+ by Acuite Ratings and AA by BWR Ratings
7	Basel III Tier 2 Bonds	INE457A08092	21.10.2021	1000.00	120	7.86	AA- by CARE Ratings and AA by BWR Ratings
8	Basel III AT1 Bonds	INE457A08100	24.03.2022	290	Perpetual	8.75	AA/Stable by Acuite Rating & AA /Stable by Infomeric Ratings
			Total	3895.70			

11.8 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

The Bank has appointed MCS Share Transfer Agent Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address.



रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट :	निवेशक सेवाएं विभाग :
एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड, (इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र) के-215, दूसरी मंजिल, अंसा इंडस्ट्रियल एस्टेट, साकी विहार रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072 वेबसाइट : www.mcsregistrars.com फोन: 022 - 28476021/6022 ईमेल: helpdeskmm@ mcsregistrars.com mparase@mcsregistrars.com	बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : 020 25511360 ईमेल : investor_services@ mahabank.co.in

निजी तौर पर रखे गए बॉण्डों के लिए बैंक ने निम्नानुसार डिबेंचर ट्रस्टी को भी नियुक्त किया है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पहले जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)
पता	जीडीए हाउस, सर्वे नं 94/95, प्लॉट क्र. 85, भुसारी कॉलनी (राइट) कोथरुड, पुणे 411038, महाराष्ट्र, भारत
फोन नंबर	020-25280081
फैक्स नंबर	020-25280275
ई-मेल	dt@gdatrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
पता	एक्सिस हाउस, तल मंजिल, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई - 400 025, महाराष्ट्र, भारत
फोन नंबर	022- 62260054/ 50
ई-मेल	debenturetrustee@axistrustee.com

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, पुणे में निवेशक सेवाएं विभाग की भी स्थापना की है। शेयरधारक अपने किसी अनुरोध/ शिकायत के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी सचिव निवेशक सेवाएं विभाग
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : 020 25511360 ईमेल : investor_services@mahabank.co.in
उपर्युक्त ई-मेल आईडी सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधान 6(2)(डी) के अनुसरण में केवल निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है।

11.9 शेयरधारिता का वितरण :

31.03.2022 को बैंक की शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	302104	80.68	37601055	0.56
501-1000	31119	8.31	26461846	0.39
1001-2000	17202	4.59	27126258	0.40
2001-3000	6652	1.78	17347844	0.26
3001-4000	3084	0.82	11256444	0.17
4001-5000	3907	1.04	18891805	0.29

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) K-215, 2 nd Floor, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai - 400 072 Ph: 022 - 28476021/6022 E-mail : Website : www.mcsregistrars.com Tel: 022 - 28476021/6022 Email: helpdeskmm@mcsregistrars.com mparase@mcsregistrars.com	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 Tel: 020 25511360 Email: investor_services@mahabank.co.in

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

Name of the Debenture Trustee	Catalyst Trusteeship Limited (Formerly known as GDA Trusteeship Limited)
Address	GDA House, S.N.o 94/95, Plot No 85, Bhusari Colony (Right) Kothrud, Pune - 411038, Maharashtra, India.
Tel	020-25280081
Fax Number	020-25280275
E -mail	dt@gdatrustee.com

Name of the debenture Trustee	Axis Trustee Services Ltd
Address	Axis House, Ground Floor, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli Mumbai - 400 025, Maharashtra, India.
Tel	022- 62260054/50
E -mail	debenturetrustee@axistrustee.com

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Pune. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Department for any of their requests / complaints:

Company Secretary Investor Services Department
Bank of Maharashtra, Investor Services Department, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: 020 25511360 Email: investor_services@mahabank.co.in
The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

11.9 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding of Bank as on 31.03.2022 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	302104	80.68	37601055	0.56
501 -1000	31119	8.31	26461846	0.39
1001-2000	17202	4.59	27126258	0.40
2001-3000	6652	1.78	17347844	0.26
3001-4000	3084	0.82	11256444	0.17
4001-5000	3907	1.04	18891805	0.29

5001-10000	5587	1.50	44050774	0.65
10000* से अधिक	4803	1.28	6547760421	97.28
कुल	374458	100	6730496447	100

* भारत सरकार द्वारा धारित 6122627927 शेयरों का समावेश है.

11.10 शेयरधारिता का स्वरूप :

दिनांक 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयरधारक की श्रेणी	31.03.2022		31.03.2021	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण का %
भारत सरकार	6122627927	90.97	6122627927	93.33
भारतीय निवासी व्यक्ति	313135901	4.65	212659597	3.24
बीमा कंपनियां	207823394	3.09	126517011	1.93
बैंक/ वित्तीय संस्थान	37599598	0.56	67600551	1.03
घरेलू कंपनियां	24789148	0.37	17141042	0.26
अनिवासी भारतीय व्यक्ति	9462280	0.14	5422340	0.08
विदेशी संस्थागत निवेशक	8843392	0.13	5150316	0.08
म्यूचुअल फंड/ यूटीआई	5952272	0.09	2927582	0.04
न्यास (ट्रस्ट)	262435	0.00	112435	0.00
विदेशी निगमित निकाय	100	0.00	100	0.00
कुल	6730496447	100.00	6560158901	100.00

11.11 शेयरों का डीमटेरियलाइजेशन और तरलता :

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डीमेट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डीमटेरियलाइजेशन के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों यथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आर्बिट्रि आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपॉजिटरी को भुगतान कर दिया गया है।

31.03.2022 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में	43216	11.54	6532078	0.10
डीमेट:				
1. एनएसडीएल	117575	31.40	407729369	6.06
2. सीडीएसएल*	213667	57.06	6316235000	93.84
उप जोड़	331242	88.46	6553557143	99.90
कुल	374458	100.00	6730496447	100.00

(* भारत सरकार द्वारा धारित 6122627927 इक्विटी शेयरों सहित)

11.12 पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के नियम:

सेबी ने 3 नवंबर 2021 के परिपत्र के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों के नामांकन के लिए अनिवार्य किया है। फोलियो जिसमें उद्धृत विवरण/ दस्तावेजों में से कोई एक (अर्थात पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन)

5001-10000	5587	1.50	44050774	0.65
Above 10000*	4803	1.28	6547760421	97.28
Total	374458	100	6730496447	100

[* Includes 6122627927 shares held by the Government of India]

11.10 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank as on 31.03.2022 and 31.03.2021 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2022		As on 31.03.2021	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	6122627927	90.97	6122627927	93.33
Resident Individuals	313135901	4.65	212659597	3.24
Insurance Companies	207823394	3.09	126517011	1.93
Banks/Financial Institutions	37599598	0.56	67600551	1.03
Domestic Companies	24789148	0.37	17141042	0.26
Non Resident Individuals	9462280	0.14	5422340	0.08
Foreign Institutional Investors	8843392	0.13	5150316	0.08
Mutual Fund/UTI	5952272	0.09	2927582	0.04
Trust	262435	0.00	112435	0.00
Overseas Corporate Bodies	100	0.00	100	0.00
Total	6730496447	100.00	6560158901	100.00

11.11 Dematerialisation of shares and Liquidity:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's equity shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the financial year 2021-22 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders of Bank as on 31.03.2022 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical	43216	11.54	6532078	0.10
Demat:				
1.NSDL	117575	31.40	407729369	6.06
2.CDSL*	213667	57.06	6316235000	93.84
Sub-total	331242	88.46	6553557143	99.90
Total	374458	100.00	6730496447	100.00

(* Including 6122627927 equity shares held by the Government of India)

11.12 Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular dated 3rd November 2021 has mandated the listed companies to have PAN, KYC, bank details and Nomination of all shareholders holding shares in physical form.

हमारे पास 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, को सेबी के पूर्वोक्त परिपत्र के अनुसार फ्रीज कर दिया जाएगा।

पैन, केवाईसी बैंक विवरण और नामांकन के अद्यतन के लिए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म, जैसे फॉर्म आईएसआर -1, आईएसआर -2, आईएसआर -3, एसएच-13, एसएच -14 और उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/important-announcement-for-shareholders पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेयरधारकों से जल्द से जल्द सहायक दस्तावेजों के साथ निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करने का आग्रह करते हैं। बैंक ने इस बारे में भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को फरवरी, 2022 में एक पत्र भेजा है। उन शेयरधारकों के संबंध में जो डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अपडेट करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें।

11.13 शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन - प्रक्रिया :

जिन शेयरधारकों ने अब भी अपने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने शेयरों को शीघ्र डीमैटरियलाइजेशन कर लें और डीमैट फॉर्म में शेयरों में व्यवहार करने का लाभ उठाएं। शेयरधारकों की सुविधा के लिए शेयरों को डीमैटरियलाइजेशन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

- डीमैट खाता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास खोला जा सकता है।
- शेयरधारक अपने डीपी को डीमैटरियलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) मूल शेयर सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करें।
- डीपी डीआरएफ को प्रोसेस करेंगे और डीमैटरियलाइजेशन अनुरोध क्रमांक (डीआरएन) निर्मित करेंगे।
- डीपी डीआरएफ तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करेगा जो कि एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड है।
- आरटीए डीआरएफ को प्रोसेस करेगा और डीपी/ डिपॉजिटरी के अनुरोध की पुष्टि या निरस्त करेगा।
- अनुरोध की पुष्टि होने पर शेयरधारक को डीपी के पास रखे अपने डीमैट खाते में शेयरों की समरूपी संख्या का जमा प्राप्त होगा।

तथापि, दिनांक 08 जून, 2018 की सेबी अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 के अनुसार तथा दिनांक 30 नवंबर, 2018 की अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/49 द्वारा आगे के संशोधनों में प्रतिभूतियों का अंतरण प्रभावी करने के लिए अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि जमाकर्ताओं के पास प्रतिभूतियां डीमैटरियलाइजेशन रूप में धारित न हों। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के इक्विटी शेयरों को तत्काल रूप से डीमैटरियलाइजेशन करने हेतु कार्रवाई करें

11.14 शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लाभ

- शेयर प्रमाणपत्र के खोने और फटने का कोई खतरा नहीं,
- प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका,
- प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण,
- प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई,
- कम संव्यवहार लागत,
- लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है।

11.15 फोलियो का समेकन :

निवेशक, सदस्य जिनके पास एक ही नाम के क्रम में एक से अधिक फोलियो हैं, उनसे अनुरोध है कि सेवाएं प्रदान करने की लागत और प्रयासों के दोहराव को कम करने में बैंक को सक्षम बनाने हेतु अपनी धारिताओं को एक ही फोलियो के अंतर्गत समेकित करें। सदस्य समेकित किए जाने वाले फोलियो क्रमांकों के साथ ही मूल शेयर प्रमाणपत्रों की सूचना देते हुए पंजीयक और अंतरण एजेंटों को लिखें।

Folios wherein any one of the cited details / documents (i.e. PAN, KYC, Bank Details and Nomination) are not available with us, on or after 1st April 2023, shall be frozen as per the aforesaid SEBI circular.

The investor service requests forms for updation of PAN, KYC Bank details and Nomination viz., Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 and the said SEBI circular are available on Bank's website <https://bankofmaharashtra.in/important-announcement-for-shareholders>. In view of the above, we urge the shareholders to submit the Investor Service Request form along with the supporting documents at the earliest. The Bank has sent a letter to the shareholders holding shares in physical form in relation to the aforesaid in February, 2022.

In respect of shareholders who hold shares in the dematerialized form and wish to update their PAN, KYC, Bank Details and Nomination are requested to contact their respective Depository Participants.

11.13 Dematerialization of Shares – Process:

Shareholders who continue to hold shares in physical form are requested to dematerialize their shares at the earliest and avail the benefits of dealing in shares in demat form. For convenience of shareholders, the process of getting the shares dematerialized is given hereunder:

- Demat account should be opened with a Depository Participant (DP).
- Shareholders should submit the Dematerialization Request Form (DRF) along with share certificates in original, to their DP.
- DP will process the DRF and will generate a Dematerialization Request Number (DRN).
- DP will submit the DRF and original share certificates to the Registrar and Transfer Agents (RTA), which is MCS Share Transfer Agent Limited.
- RTA will process the DRF and confirm or reject the request to DP/ depositories.
- Upon confirmation of request, the shareholder will get credit of the equivalent number of shares in his demat account maintained with the DP.

However, as per SEBI Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018 and further amendment vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/49 dated November 30, 2018, requests for effecting transfer of securities (except in case of transmission or transposition of securities) shall not be processed from April 1, 2019 unless the securities are held in the dematerialised form with the depositories. Therefore, Shareholders are requested to take action to dematerialize the Equity Shares of the Bank promptly.

11.14 Benefits of Dematerialization of Shares:

- No threat of loss and wear and tear of share certificate,
- Easy and convenient way to hold securities,
- Immediate transfer of securities,
- Reduced paperwork for transfer of securities,
- Reduced transaction cost,
- Dividend directly credited to your Bank Account.

11.15 Consolidation of Folios:

In order to enable the Bank to reduce costs and duplicity of efforts for providing services to investors, members who have more than one folio in the same order of names, are requested to consolidate their holdings under one folio. Members may write to the Registrars & Transfer Agents indicating the folio numbers to be consolidated along with the original shares certificates to be consolidated.

11.16 शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान :

सेबी द्वारा निर्धारित किए अनुसार, बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास कुल प्रविष्ट पूंजी के समाधान हेतु एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सचिवीय (सेक्रेटेरियल) लेखा परीक्षा करता है। यह लेखा परीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है और उसकी रिपोर्ट उन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत की जाती है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। यह लेखा परीक्षा पुष्टि करती है कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा डीमटेरियलाइजेशन रूप (एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास धारित) में शेयरों की कुल संख्या के समग्र के साथ समझौते में है।

11.17 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस) :

नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश/ ब्याज इत्यादि के भुगतान करने की अनूठी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे अपने खाते में लाभांश जमा कराने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है। तथापि, शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/ कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

एनईसीएस अधिदेश फॉर्म एजीएम नोटिस के साथ संलग्न है, जिसे उन शेयरधारकों द्वारा पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जा सकता है, जिन्होंने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं। जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर डीमटेरियलाइजेशन रूप में धारित किए हुए हैं, वे अपने बैंक खातों के ब्यौरों का अद्यतन करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें।

11.18 अदत्त लाभांश :

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण न किया हो, वे वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा इसके भुगतान हेतु आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार/ बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) की शर्तों के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान/ बिना दावे के खाते में पड़ी है, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी (1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन गठित "निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व अदत्त/ दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया गया है।

अदत्त लाभांश राशि का दावा आईईपीएफ प्राधिकरण से निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन करके और विधिवत हस्ताक्षरित (बैंक के साथ दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) भौतिक प्रति के साथ अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भेजकर किया जा सकता है। फॉर्म आईईपीएफ - 5 बैंक को प्रधान कार्यालय, पुणे में दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा निर्धारित आईईपीएफ नियम और आवेदन पत्र आईईपीएफ-5 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in और साथ ही एमसीए की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

12. अन्य विगोपन :

12.1 बैंक के सामान्य व्यवसाय को छोड़कर, बैंक अपने प्रवर्तकों/ निदेशकों, प्रबंधन, अपनी अनुषंगीय या रिश्तेदारों इत्यादि के साथ किसी ऐसे भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहारों में प्रविष्ट नहीं हुआ है जो समग्र रूप से बैंक के हितों पर कोई संभावित विवाद न डालें। संबंधित पक्ष संव्यवहारों पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध है। संबंधित पक्ष संव्यवहार इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में खातों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

11.16 Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Secretarial Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialised form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

11.17 National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/ interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/ Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the AGM Notice, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.

11.18 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial year 2014-15 may contact the RTAs / Bank on the above address for revalidation of the warrants and necessary assistance for the payment thereof.

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years prior to 2014-15 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund".

The unclaimed dividend amount can be claimed from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF - 5 and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Bank) along with the requisite documents enumerated in Form IEPF - 5 to the Bank at the Head Office, Pune. The IEPF Rules and the application Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for claiming back the unclaimed dividend are available on the website of the Bank at www.bankofmaharashtra.in as well as on the website of MCA at www.iepf.gov.in

12 Other Disclosures:

12.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. The Bank's policy on Related Party transactions is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in/policies> The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

- 12.2** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी मामलों से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर लगाया गया दंड जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के बिंदु क्र.12 में प्रकट किया गया है, को छोड़कर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी कानून, दिशानिर्देशों और निर्देशों या पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य मामले का अनुपालन न किए जाने के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया है।
- 12.3** प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण निदेशक मंडल की रिपोर्ट का एक भाग बनाते हैं।
- 12.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणन :**
बैंक के वित्तीय अधिकारी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अपेक्षानुसार 28 अप्रैल, 2022 तथा 25 मई, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रणों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना प्रमाणन दिया है।
- 12.5** बैंक द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के संकल्प पर आधारित व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की गई है और वह बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध है। यह भी बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी को समुचित प्राधिकारियों से संपर्क करने से मना नहीं किया गया है।
- 12.6** बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध कराया गया है।
- 12.7** अपने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बैंक ने आचार संहिता को अपनाया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध कराया गया है।
- 12.8** बैंक ने मटेरियल सब्सिडियरी नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध कराया गया है, तथापि वर्तमान में बैंक की कोई मटेरियल सब्सिडियरी नहीं है।
- 12.9** बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई भी परिवर्तनीय तंत्र, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव: लागू नहीं
- 12.10** कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ: अनुसूची क्र. 18 - खातों पर टिप्पणियाँ में प्रकटीकरण उपलब्ध कराया गया है।
- 12.11 विनियमन 32 (7 ए) के अंतर्गत निर्विष्ट अनुसार पात्र संस्थानों की नियुक्ति या अधिमानी आवंटन के माध्यम से उगाही गई निधियों के उपयोग का विवरण**
बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता और अपने व्यवसाय वृद्धि निधि में सुधार हेतु वर्ष 2021-22 के दौरान उगाही गई निधियों का उपयोग किया गया है।
- 12.12** सेबी (सूचीबद्धता अनिवार्यताएं निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के साथ अनुपालन के संबंध में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) द्वारा जारी प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग निर्मित करता है।
- 12.13 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा:**
लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए मैसर्स जोशी एंड जोशी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, पुणे के श्री हर्षल जे. जोशी को एक सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। फर्म द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में सेबी लिस्टिंग विनियम, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग विनियम, 1949, भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया। बैंक के सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- 12.2** During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market during last three years except the penalty imposed by the Reserve Bank of India on Bank which is disclosed in point no.12 of Schedule 18 of the financial statements for FY 2021-22.
- 12.3** The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.
- 12.4 CEO and CFO Certification:**
The Chief Executive and the Chief Financial Officer of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2021-22 to the Board of Directors at its meeting held on 28th April, 2022 and 25th May, 2022 as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.
- 12.5** Bank had framed Whistle Blower Policy based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in/policies> It is further stated that no employee has been denied access to the appropriate authorities.
- 12.6** Bank had framed Dividend Distribution Policy and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in/policies>
- 12.7** Bank had adopted Code of Conduct for its Directors and Senior Management and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in/policies>.
- 12.8** Bank had formulated Material Subsidiary Policy and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.in/policies> However, Bank does not have any material subsidiary at present.
- 12.9** Outstanding Global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: Not applicable
- 12.10** Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:
Disclosure is provided in Schedule No. 18 - Notes to Accounts.
- 12.11 Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A).**
Bank had utilized the funds raised during FY 2021-22 to improve the capital adequacy and fund its business growth.
- 12.12** The Certificate issued by Practicing Company Secretary in respect of compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 forms part of the Annual Report.
- 12.13 Secretarial Audit for Financial Year 2021-22:**
Shri Harshal J. Joshi of M/s Joshi & Joshi, Practicing Company Secretaries, Pune, was appointed as a Secretarial Auditor to conduct Secretarial Audit of the Bank for the financial year ended March 31, 2022 as per the provisions of Listing Regulations. The firm has carried out an independent assessment of the compliance of Banking Regulations, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, GOI / RBI guidelines and SEBI Listing Regulations as a part of the secretarial audit. The Secretarial Audit Report addressed to the members of the Bank forms part of this Annual Report as an annexure to the Board's report.

- 12.14** कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र का प्रचलन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या इसप्रकार की किसी अन्य सांविधिक संस्था द्वारा बैंक के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य करार नहीं दिया गया है। प्रचलन के अनुसार कंपनी सचिव से यह प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और उसे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।
- 12.15** वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई, जिसमें निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की किसी समिति की किसी सिफारिश को नहीं माना हो।
- 12.16** सांविधिक लेखा परीक्षक जिस नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई से संबंधित हैं, उसके सभी सांविधिक लेखा परीक्षकों और सभी इकाईयों को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा दी गई सेवाओं हेतु कुल शुल्क :
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क से संबंधित ब्योरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 16 में दिए गए हैं।

12.17 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासे:

वर्ष के दौरान दायर और निपटाई गई शिकायतों की संख्या और 31 मार्च, 2022 तक लंबित शिकायतों के विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

12.18 अनिवार्य और गैर- अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के ब्योरे:

बैंक ने सूचीबद्ध विनियमों की विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (i) और विनियम 17 से 27 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है।

बैंक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त बैंक के बोर्ड में निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन/ नियुक्ति भारतीय बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है।

बैंक ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 27 (1) के संदर्भ में नीचे निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया है।

क्र.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
क.	निदेशक मंडल एक गैर- कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और उसे अपने कर्तव्य निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति भी होगी।	बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं होने के कारण बैंक के निदेशक मंडल की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।
ख.	शेयरधारक के अधिकार पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को प्रेषित की जा सकती है।	बैंक के तिमाही/ छमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किए जाते हैं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से इसप्रकार की जानकारी नहीं भेजी जाती है।

12.14 A Certificate from Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority. The Certificate obtained from Company Secretary in practice is annexed to this report.

12.15 There was no such instance during FY 2021-22, when the Board had not accepted any recommendation of any committee of the Board.

12.16 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

Details relating to fees paid to the Statutory Auditors during the financial year 2021-22 are disclosed in Schedule 16 of the Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements of Bank.

12.17 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

The details of number of complaints filed and disposed of during the year and pending as on 31st March, 2022 is given in the Directors' report.

12.18 Details of compliance with mandatory and non - mandatory requirements:

The Bank has duly complied with the requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub- regulation (2) of Regulation 46 of the Listing Regulations.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, the nomination / appointment of all categories of Directors on the Board of Bank are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

The Bank has adopted the below specified non-mandatory requirements in terms of Regulation 27(1) of SEBI Listing Regulations:

Sr. No.	Non-mandatory Requirements	Status of compliance
A.	The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by MD & CEO of Bank as Bank is not having a non-executive Chairperson.
B.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The Quarterly/ Half yearly / Annual Financial Results of Bank are submitted to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website. As such, information to Shareholders is not sent individually.



ग.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरणों की ओर अग्रसर हो सकती है।	बैंक के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई पात्रता नहीं है।
घ.	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद विभक्त कर दिए गए हैं। बैंक के निदेशक मंडल में अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
ङ.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	महाप्रबंधक (निरीक्षण व लेखा परीक्षा) सीधे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा को रिपोर्ट करते हैं।

12.19 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल :

“हरित पहल” के अंतर्गत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95/2011 सीएल-वी/परि.क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है। इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/ मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने ई-मेल आईडी की बैंक को जानकारी दें / अद्यतित करें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/ संप्रेषण/ दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे जा सकें। दिनांक 24 जून, 2021 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की 18वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना 2,09,355 शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी गई।

C.	Modified opinion(s) in audit report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.
D.	Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The post of Chairman and MD & CEO has been split. The Chairman on the Board of Bank will be appointed by Government of India.
E.	Reporting of Internal auditor The internal auditor may report directly to the audit committee.	General Manager (Inspection & Audit) directly reports to the Audit Committee of the Board.

12.19 Green Initiatives in communication to the Shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of “Green Initiative”. Falling in line with this, the Bank has sent letters/emails to the shareholders, requesting them to inform/ update their email Ids to enable the Bank to send the notices/ communications/ documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the 18th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank held on 24th June, 2021 were sent to 2,09,355 shareholders by electronic mode.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के पालन की पुष्टि की है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

दिनांक : 28 अप्रैल, 2022
स्थान : पुणे

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Certificate / Declaration of the Managing Director and CEO

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015. The Code of Conduct is available on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March, 2022.

For Bank of Maharashtra

Date: 28th April, 2022
Place: Pune

(A.S. Rajeev)
Managing Director and CEO



**कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर
लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र**

प्रति,
सदस्यगण
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
लोकमंगल,
1501, शिवाजी नगर,
पुणे - 411005

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की लागू सीमा तक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एतद्वारा बाद में "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है निम्नलिखित को छोड़कर :

- क) बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।
- ख) बैंक के अध्यक्ष एक कार्यपालक निदेशक होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम थी।
- ग) 20 जनवरी, 2022 तक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में 2/3 स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। हालांकि, अब इसका अनुपालन किया गया है।
- घ) बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 20 जनवरी, 2022 तक 50% स्वतंत्र निदेशक सदस्य नहीं थे। हालांकि, अब इसका अनुपालन किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते जोशी एंड जोशी

कंपनी सचिव
यूआईएन: P2009MH020200,

हर्षल राघवेंद्र जोशी

भागीदार
एफसीएस: 9897 सीपी: 10450
यूडीआईएन : F009897D000230359

दिनांक : 28 अप्रैल, 2022

स्थान: पुणे

**AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE
CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE**

To,
The Members,
Bank of Maharashtra
"Lokmangal"
1501, Shivaji Nagar,
Pune- 411005.

We have examined the Compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as the "The Bank"), for the Financial Year ended on March 31, 2022, as stipulated in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Management's Responsibility

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance.

Auditor's Responsibility

Our examination is limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 except the following:

- a) There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank.
- b) Chairman of Bank being an Executive Director, number of Independent Directors were less than 50% of its total strength of Board members.
- c) Audit Committee of the Board was not having 2/3rd of Independent Directors as its members till January 20, 2022. However, the same is now complied.
- d) Nomination & Remuneration Committee of the Board was not having 50% of Independent Directors as its members till January 20, 2022. However, the same is now complied.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Joshi & Joshi,
Company Secretaries,
UIN: P2009MH020200,

Harshal Raghavendra Joshi
Partner
FCS 9897, CP 10450
UDIN: F009897D000230359

Date: April 28, 2022

Place: Pune

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र
[विनियम 17(8)]

CEO/ CFO Certificate
[Regulation 17(8)]

प्रति,
निदेशक मंडल
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
पुणे
हम प्रमाणित करते हैं कि

To,
The Board of Directors,
Bank of Maharashtra,
Pune

This is to certify that:

क. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2022 and that to the best of our knowledge and belief:

- (1) इन विवरणों में कोई गंभीर असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है.
- (2) ये विवरण सम्मिलित रूप से बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं.

- (1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं तथा उन्हें परिशोधित करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है :

D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन.
- (2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है.
- (3) हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी या प्रबंधन, यदि कोई हो, की संलिप्तता के दृष्टांत.

- (1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- (2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- (3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

श्री वी. पी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
(वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा
और मुख्य वित्तीय अधिकारी)

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Shri V. P. Srivastava
General Manager
(FM&A & CFO)

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

दिनांक : 25 मई 2022
स्थान : पुणे

Date: 25th May, 2022
Place: Pune

निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V परिच्छेद सी खंड 10(i) के अनुसरण में प्रति,

सदस्यगण
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
“लोकमंगल”
1501, शिवाजी नगर,
पुणे - 411005

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V परिच्छेद सी खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बाद में ‘बैंक’ के रूप में संदर्भित) जिसका प्रधान कार्यालय लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, संबन्धित रजिस्ट्रों, रिकॉर्डों, फॉर्मों और विवरणों की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा आवश्यक सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित, जहां भी लागू हो) और बैंक व इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रदत्त जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए निदेशकों में से किसी को भी कंपनियों/ सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या निदेशक के रूप में बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति दिनांक
1	श्री ए. एस. राजीव	07478424	02-12-2018
2	श्री ए. बी. विजयकुमार	लागू नहीं	10-03-2021
3	श्री आशीष पाण्डेय	09295107	31-12-2021
4	श्री ललित कुमार चंदेल	00182667	18-08-2021
5	श्री मनोज कुमार वर्मा	लागू नहीं	13-08-2019
6	श्री राकेश कुमार	08531595	30-06-2021
7	श्री शशांक श्रीवास्तव	07710385	21-12-2021
8	श्री एस. बलजीत सिंह	08797196	21-12-2021

* बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। अतः, बैंक के बोर्ड के निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए, डीआईएन का उल्लेख उन निदेशकों के लिए किया जाता है जिनके पास कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी डीआईएन है और उन निदेशकों के लिए जिनके पास डीआईएन नहीं है, यहाँ ऊपर ‘लागू नहीं’ उल्लेख किया गया है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ पद पर बने रहने के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते जोशी एंड जोशी

कंपनी सचिव
यूआईएन: P2009MH020200,

हर्षल जोशी

भागीदार
एफसीएस: 9897 सीपी: 10450
यूडीआईएन : F009897D000230260

दिनांक : अप्रैल 28, 2022
स्थान: पुणे

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

The Members of
Bank of Maharashtra
“Lokmangal”
1501, Shivaji Nagar,
Pune- 411005.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as “the Bank”) having Head Office at Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune 411005, produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in, wherever applicable) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on March 31, 2022, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies/ listed entities by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:

Sr. No.	Name of Director	DIN	Appointment Date
1	Shri A.S. Rajeev	07478424	02-12-2018
2	Shri A.B. Vijayakumar	Not Applicable	10-03-2021
3	Shri Asheesh Pandey	09295107	31-12-2021
4	Shri Lalit Kumar Chandel	00182667	18-08-2021
5	Shri Manoj Kumar Verma	Not Applicable	13-08-2019
6	Shri Rakesh Kumar	08531595	30-06-2021
7	Shri Shashank Shrivastava	07710385	21-12-2021
8	Shri S Baljit Singh	08797196	21-12-2021

*The Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 / 2013 and accordingly the provisions of Companies Act, 2013 do not apply to the Bank. Thus, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN, therefore, DIN is mentioned for the Directors who possess DIN issued by the Ministry of Corporate Affairs and for the Directors who do not possess DIN, ‘Not Applicable’ is mentioned hereinabove.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Joshi & Joshi,
Company Secretaries
UIN: P2009MH020200

Harshal Joshi
Partner
FCS 9897, CP 10450
UDIN: F009897D000230260
Date: April 28, 2022
Place: Pune

वित्तीय विवरण

Financial Statements



31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2021 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	6730,49,64	6560,15,89
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	7154,37,22	5573,02,02
जमा राशियां Deposits	3	202294,29,18	174005,61,91
उधारियां Borrowings	4	7746,74,19	4238,75,12
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6685,46,28	6287,46,35
TOTAL		230611,36,51	196665,01,29
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	19721,92,62	12882,48,23
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	194,04,65	59,24,85
निवेश Investments	8	68589,97,16	68111,64,45
अग्रिम Advances	9	131170,43,89	102405,16,68
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	2241,65,51	1674,00,23
अन्य आस्तियां Other Assets	11	8693,32,68	11532,46,85
TOTAL		230611,36,51	196665,01,29
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	30613,56,04	31127,72,44
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		5819,51,14	4988,84,18
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

सरदार बलजीत सिंह
निदेशक

SARDAR BALJIT SINGH
DIRECTOR

ललित कुमार चंदेल
निदेशक

LALIT KUMAR CHANDEL
DIRECTOR

मुदित अग्रवाल

सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा

MUDIT AGARWAL
ASST. GENERAL MANAGER, FM&A

शशांक श्रीवास्तव
निदेशक

SHASHANK SHRIVASTAVA
DIRECTOR

आशीष पाण्डेय

कार्यपालक निदेशक
ASHEESH PANDEY
EXECUTIVE DIRECTOR

कमल कुमार ठाकुर

सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा

KAMAL KUMAR THAKUR
ASST. GENERAL MANAGER, FM&A

राकेश कुमार
निदेशक

RAKESH KUMAR
DIRECTOR

ए. बी. विजयकुमार

कार्यपालक निदेशक
A.B. VIJAYAKUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

मनोज के. वर्मा
निदेशक

MANOJ K. VERMA
DIRECTOR

ए. एस. राजीव

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A.S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

वी पी श्रीवास्तव

महाप्रबंधक और मुविअ

V P SRIVASTAVA
GENERAL MANAGER & CFO

स्थान : पुणे
दिनांक : 25 मई, 2022

Place : Pune
Date : 25th May, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	13019,21,99	11868,54,08
अन्य आय Other Income	14	2652,47,93	2627,67,03
कुल TOTAL		15671,69,92	14496,21,11
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	6974,82,31	6971,06,82
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	3849,01,28	3565,05,72
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		3696,32,71	3409,83,41
कुल TOTAL		14520,16,30	13945,95,95
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		1151,53,62	550,25,16
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		52,15,96	-7349,50,10
जोड़ें : शेयर प्रीमियम और विशेष आरक्षिती के समक्ष शेष अग्रेषित समेकित हानियां Add: b/f. losses adjusted against Share premium and Special Reserve		-	7349,50,10
कुल TOTAL		1203,69,58	550,25,16
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिती को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		287,88,40	137,56,29
पूंजी आरक्षिती को अंतरण Transfer to Capital Reserve		83,69,37	184,52,91
राजस्व आरक्षिती को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		-	-
विशेष आरक्षिती को अंतरण Transfer to Special Reserve		-	-
निवेश आरक्षिती को अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		23,10,00	176,00,00
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		336,52,48	-
लाभांश पर कर Tax on Dividend		-	-
तुलन पत्र में आगे लाया शेष Balance carried over to Balance Sheet		472,49,33	52,15,96
कुल TOTAL		1203,69,58	550,25,16
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाइल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		1.72	0.88

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स एस भंडारी एंड कंपनी.
एफआरएन-000560सी
सनदी लेखाकार
For M/s. S Bhandari & Co.
FRN-000560C
Chartered Accountants

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र: 030615
यूडीआईएन: 22030615AJNXLE6110
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615
UDIN - 22030615AJNXLE6110

सीए क्लेमेंट ग्रेटियन पिंटो
भागीदार
सदस्यता क्र: 023238
यूडीआईएन: 22023238AJNWWE2412
CA Clement Gratian Pinto
Partner
Membership No: 023238
UDIN - 22023238AJNWWE2412

सीए आशीष बडगे
भागीदार
सदस्यता क्र: 121073
यूडीआईएन: 22121073AJNYEO7811
CA Aashish Badge
Partner
Membership No: 121073
UDIN - 22121073AJNYEO7811

सीए प्रमिति पारीक
भागीदार
सदस्यता क्र: 417124
यूडीआईएन: 22417124AJNXP4889
CA Pramiti Pareek
Partner
Membership No: 417124
UDIN - 22417124AJNXP4889

स्थान : पुणे
दिनांक : 25 मई, 2022

Place : Pune
Date : 25th May, 2022



अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE - 1 : CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
प्रत्येक ₹10/-के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,00,00,00,000) 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous year 10,00,00,00,000) of ₹10/- each		10000,00,00		10000,00,00
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
प्रत्येक ₹10/- के 673,04,96,447 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 656,01,58,901) 673,04,96,447 Equity Shares (Previous year 656,01,58,901) of ₹10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	6560,15,89		6560,15,89	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	170,33,75	6730,49,64		6560,15,89
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government				
₹10/- के 612,26,27,927 (पिछले वर्ष 612,26,27,927) इक्विटी शेयर 612,26,27,927 (Previous year 612,26,27,927) Equity shares of ₹10/- each		6122,62,79		6122,62,79
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others				
₹ 10/- के 60,78,68,520 (पिछले वर्ष 43,75,30,974) इक्विटी शेयर 60,78,68,520 (Previous year 43,75,30,974) Equity Shares of ₹10/- each		607,86,85		437,53,10
		6730,49,64		6560,15,89
कुल TOTAL		6730,49,64		6560,15,89

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1487,20,10		1349,63,81	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	287,88,40	1775,08,50	137,56,29	1487,20,10
II. पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	601,57,08		417,04,17	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	83,69,37		184,52,91	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	-	685,26,45	-	601,57,08
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	94,95,04		6902,76,12	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	233,36,24		94,95,04	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year - Utilised for writing off of b/f. losses	-	328,31,28	6902,76,12	94,95,04
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES				
क) राजस्व आरक्षिति a) REVENUE RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1710,25,48		1621,70,84	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	128,63,57		88,54,64	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	-	1838,89,05	-	1710,25,48

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	51,26,04		498,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	-		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी-अप्रेषित हानियों के बट्टे खाते के लिए प्रयुक्त Deduction during the year - utilised for writing off b/f. losses		51,26,04	446,73,96	51,26,04
ग) पुनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1172,62,32		1264,52,17	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1705,60,14		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	1301,25,89	1576,96,57	91,89,85	1172,62,32
घ) निवेश अस्थिर आरक्षित खाता d) INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	403,00,00		227,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	23,10,00		176,00,00	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	-	426,10,00	-	403,00,00
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	52,15,96		-7349,50,10	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	420,33,37		52,15,96	
iii) कटौतियां- शेयर प्रीमियम और विशेष आरक्षित के समक्ष आगे लाई गई हानियां deductions - b/f. losses set of against Share premium and Special reserve	-	472,49,33	7349,50,10	52,15,96
कुल TOTAL		7154,37,22		5573,02,02

**अनुसूची - 3 : जमा राशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
क I. मांग जमा राशियां A. DEMAND DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	107,03,26		64,56,44	
ii) अन्यो से From others	28071,50,97	28178,54,23	18478,61,76	18543,18,20
II. बचत बैंक जमा राशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		88856,62,14		75402,01,79
III. मीयादी जमा राशियां TERM DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	459,91,52		242,38,92	
ii) अन्यो से From others	84799,21,29	85259,12,81	79818,03,00	80060,41,92
कुल TOTAL (I, II & III)		202294,29,18		174005,61,91
ख B. (i) भारत में शाखाओं की जमा राशियां Deposits of Branches in India		202294,29,18		174005,61,91
(ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमा राशियां Deposits of Branches outside India		-		-
कुल TOTAL		202294,29,18		174005,61,91

**अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA				
i) भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India	500,00,00		500,00,00	
ii) अन्य बैंक Other Banks	-		-	
iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies	3351,04,19		51,59,79	



	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
iv) अन्य उधारियां Other Borrowings		
क) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)		
a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	290,00,00	-
ख) बॉण्ड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें		
b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	-	-
ग) गौण ऋण बॉण्ड		
c) Subordinated Debt Bonds	3605,70,00	2605,70,00
घ) इन्फ्रा बॉण्ड		
d) Infra Bonds	-	1000,00,00
कुल 7746,74,19	4157,29,79	
II. भारत से बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA	-	81,45,33
कुल TOTAL (I & II)	7746,74,19	4238,75,12
III. उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE	3694,69,19	500,04,79

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान

SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. देय बिल		
Bills Payable	809,96,29	726,94,18
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)		
Inter-office adjustments (net)	749,26,05	644,22,49
III. उपचित ब्याज		
Interest Accrued	272,87,88	318,35,84
IV. अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):		
i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	1635,62,85	1339,57,47
ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	3217,73,21	4853,36,06
कुल TOTAL	6685,45,28	6287,46,35

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष

SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)	1123,43,83	1006,85,56
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	9898,48,79	6390,62,67
ii) अन्य खातों में In other Accounts	8700,00,00	5485,00,00
कुल TOTAL (I & II)	19721,92,62	11875,62,67

अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खाते				
(a) Current Accounts	13,76,13		26,15,09	
(ख) अन्य जमा खाते				
(b) Other Deposit Accounts	15,18,56	28,94,69	15,18,56	41,33,65
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास				
(a) With Banks	-		-	
(ख) अन्य संस्थानों के पास				
(b) With Other Institutions	139,05,27	139,05,27	-	-
कुल TOTAL (i & ii)		167,99,96		41,33,65
II. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खाते				
(a) Current Accounts	26,04,69		,,	
(ख) अन्य जमा खाते				
(b) Other Deposit Accounts	,,		17,91,20	
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
(c) Money at Call & Short Notice	,,	26,04,69	,,	17,91,20
कुल TOTAL		26,04,69		17,91,20
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)		194,04,65		59,24,85

अनुसूची - 8 : निवेश

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
क I भारत में निवेश				
A.I Investments in India in				
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिलों व जीरो कूपन बांडों सहित)				
a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	63409,31,64		61114,16,88	
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां				
b) Other approved securities	-		-	
ग) शेयर्स				
c) Shares	274,40,56		292,61,34	
घ) डिबेंचर्स और बांड				
d) Debentures and Bonds	4308,80,21		4985,23,01	
ड़) सहायक कंपनी और / या संयुक्त उद्यम				
e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	73,42,11		73,42,11	



	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
च) अन्य				
f) Others				
i) यूटीआई / म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I / Mutual funds	235 ,21 ,94		373 ,36 ,27	
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	288 ,80 ,70		1272 ,84 ,84	
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	-		-	
iv) पीटीसी PTCs	-		-	
v) अन्य Others	-	52,40,264	-	1646 ,21 ,11
कुल TOTAL		68589 ,97 ,16		68111 ,64 ,45
II. भारत से बाहर निवेश Investments outside India		-		-
कुल TOTAL		-		-
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		68589 ,97 ,16		68111 ,64 ,45
ख B. क) भारत में सकल निवेश				
a) Gross Investments in India	69092 ,68 ,45		68646 ,69 ,87	
घटाएं : निवेश पर मूल्यह्रास Less: Depreciation on Investment	344 ,84 ,15		12 ,07 ,71	
घटाएं : निवेशों पर प्रावधान Less: Provisions on Investment	157 ,87 ,14	68589 ,97 ,16	522 ,97 ,71	68111 ,64 ,45
निवल निवेश Net Investment		68589 ,97 ,16		68111 ,64 ,45
ख) भारत के बाहर सकल निवेश				
b) Gross Investments outside India		-		-
कुल TOTAL (क एवं ख) (a & b)		68589 ,97 ,16		68111 ,64 ,45

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
क A. i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	679 ,62 ,70		801 ,41 ,17	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	42528 ,16 ,13		34428 ,65 ,34	
iii) मीयादी ऋण Term Loans	87962 ,65 ,06	131170 ,43 ,89	67175 ,10 ,17	102405 ,16 ,68
कुल TOTAL		131170 ,43 ,89		102405 ,16 ,68
ख B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	109090 ,23 ,49		87752 ,12 ,98	
ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	866 ,87 ,40		476 ,47 ,29	
iii) अप्रत्याभूत Unsecured	21213 ,33 ,00	131170 ,43 ,89	14176 ,56 ,41	102405 ,16 ,68
कुल TOTAL		131170 ,43 ,89		102405 ,16 ,68

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
ग C. I. भारत में अग्रिम Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	54204 ,22 ,28	45549 ,81 ,00
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	23366 ,24 ,69	15264 ,01 ,06
iii) बैंक Banks	,8 ,93	,47 ,50
iv) अन्य Others	53599 ,87 ,99	41590 ,87 ,12
	131170 ,43 ,89	102405 ,16 ,68
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India	-	-
कुल TOTAL (ग C.I एवं ग C.II)	131170 ,43 ,89	102405 ,16 ,68

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I परिसर Premises		
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1704 ,12 ,63	1661 ,51 ,26
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	16 ,73 ,42	42 ,61 ,37
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	207 ,81 ,37	
	1928 ,67 ,42	1704 ,12 ,63
4. अवधि के दौरान कमी Deduction during the Year	-	-
5. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	208 ,72 ,59	402 ,10 ,25
	1719 ,94 ,83	1302 ,02 ,38
II प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in Progress	205 ,22 ,63	52 ,01 ,01
III अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1528 ,44 ,77	1384 ,86 ,10
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	139 ,48 ,12	166 ,27 ,84
	1667 ,92 ,89	1551 ,13 ,94
3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	31 ,15 ,10	22 ,69 ,17
	1636 ,77 ,79	1528 ,44 ,77
4. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	1320 ,29 ,74	1208 ,47 ,93
	316 ,48 ,05	319 ,96 ,84
जोड़ TOTAL (I & II)	2241 ,65 ,51	1674 ,00 ,23



अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	-	-
II. उपचित ब्याज Interest accrued	1326 ,26 ,09	1409 ,17 ,77
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	2019 ,96 ,60	1740 ,08 ,19
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	3 ,22 ,66	2 ,45 ,35
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. अन्य Others *	5343 ,87 ,33	8380 ,75 ,54
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	8693 ,32 ,68	11532 ,46 ,85

* नोट: निवल आस्थगित कर सहित अन्य आस्तियां ₹. हजारों में 2,10,40,498 (पिछले वर्ष निवल आस्थगित कर ₹. हजारों में 2,90,81,088)

* Note : Others assets include Net Deferred Tax asset of Rs. in thousands 2,10,40,498 (Previous Year Net DTA Rs. in thousands 2,90,81,088)

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	1375 ,40 ,50	1396 ,64 ,66
II. आंशिक चुकता निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	-	-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	19718 ,99 ,45	19947 ,68 ,29
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	7475 ,87 ,39	7959 ,46 ,35
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	146 ,43 ,93	76 ,72 ,98
V. स्वीकृतियां, पृष्ठंकन और बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations	1287 ,12 ,25	1252 ,30 ,69
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contingently liable	609 ,72 ,52	494 ,89 ,47
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	30613 ,56 ,04	31127 ,72 ,44

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	8231 ,55 ,72	7153 ,92 ,92
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	4520 ,08 ,65	4296 ,64 ,53
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	135 ,39 ,67	143 ,24 ,07
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	90 ,69 ,88	315 ,07 ,38
IV. अन्य Others	312 ,27 ,41	246 ,13 ,32
कुल TOTAL (I, II, III & IV)	13019 ,21 ,99	11868 ,54 ,08

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
I. कमीशन विनिमय और ब्रोकरेज Commission, exchange, and brokerage		1233,34,21		1041,01,32
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	537,87,67		602,09,48	
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Investments	13,00,54	524,87,13	35,93,60	566,15,88
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	,,		,,	
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	97,81,63	-97,81,63	-2,40,14	2,40,14
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	3,09,90		2,15,15	
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	2,05,59	1,04,31	1,70,27	,44,88
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	129,05,30		153,34,10	
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	,,	129,05,30	,,	153,34,10
VI. भारत / विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों और/या सहायक कंपनियों/इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India		2,05,51		1,35,27
VII. विविध आय Miscellaneous Income		859,93,10		862,95,44
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)		2652,47,93		2627,67,03

नोट: विविध आय में शामिल है बट्टे खाते में वसूली रु. हजार में 642,12,70 (843,95,41), पीएसएलसी कमीशन रु. हजार में 188,40,00 (शून्य)

Note: Misc. Income includes Recovery in W/Off Rs. In thousands 642,12,70 (843,95,41), PSLC Commission of Rs. in thousands 188,40,00 (Nil)

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
I. जमा राशियों पर ब्याज Interest on deposits		6458,16,61		6525,94,83
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings		30,91,39		49,65,06
III. अन्य Others		485,74,31		395,46,93
कुल TOTAL (I, II & III)		6974,82,31		6971,06,82



अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	2070 ,58 ,93	2255 ,21 ,04
II. किराया, कर और बिजली Rent,taxes and lighting	228 ,08 ,53	218 ,23 ,32
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	22 ,28 ,73	17 ,68 ,15
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	29 ,84 ,02	39 ,28 ,74
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास Depreciation on Bank's property	268 ,34 ,08	188 ,11 ,12
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	,52 ,02	,33 ,46
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय Auditors' fees and expenses	17 ,19 ,83	19 ,59 ,18
VIII. विधि प्रभार Law Charges	39 ,38 ,71	18 ,35 ,83
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	42 ,97 ,49	56 ,69 ,55
X. मरम्मत और रखरखाव Repairs and maintenance	192 ,82 ,82	168 ,25 ,62
XI. बीमा Insurance	224 ,34 ,53	198 ,67 ,14
XII. अन्य व्यय Other expenditure	712 ,61 ,59	384 ,62 ,57
कुल TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI व XII)	3849 ,01 ,28	3565 ,05 ,72

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (वित्तीय वर्ष 2021-22)

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन खातों का अनुलग्नक और भाग बनाते हैं।)

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।
- 1.2 अनुमान का उपयोग
वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्तियां और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।
- 1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख नीचे परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- 1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

2. विदेशी मुद्रा विनिमय संव्यवहार:

- 2.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।
- 2.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए “फाइनांसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. [एफबीआईएल] - द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात् पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक/ फेडआई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव “अन्य आस्तियों” और हानि के मामले में इसका प्रभाव “अन्य देयताओं” को प्रभारित किया गया है।
- 2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडआई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।
- 2.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

3. निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- 3.1. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:
 - क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
 - ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
 - ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)
- 3.2 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म-ए की आवश्यकता अनुरूप सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

Bank of Maharashtra 2021-22

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE STANDALONE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022.)

1. Basis of Preparation of Financial Statements:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India (“RBI”) guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 Use of Estimates
The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.
- 1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.
- 1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. Foreign Exchange Transactions:

- 2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 2.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FBIL for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. [FBIL] i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to “Other Assets” in case of gain or to “Other Liabilities” in case of loss.
- 2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.
- 2.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

3. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- 3.1 Investments are classified in the following categories:
 - Held to Maturity (HTM)
 - Available for sale (AFS)
 - Held for trading (HFT)
- 3.2 All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

- क. सरकारी प्रतिभूतियां
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग. शेयर्स
घ. डिबेंचर तथा बांड
ड. सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम
च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट इत्यादि)
- 3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। “व्यापार हेतु धारित” (एचएफटी) से “बिक्री हेतु उपलब्ध” (एफएएस) श्रेणी में अंतरण/ परिवर्तन को छोड़कर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यहास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है। “व्यापार के लिए धारित” (एचएफटी) श्रेणी से निवेशों का “बिक्री हेतु उपलब्ध” (एफएएस) श्रेणी में अंतरण/ परिवर्तन अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढ़ाव या बाजार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा।**
- 3.4 रेपो/ रिवर्स रेपो :**
रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियों/ ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।
- 3.5 भारत औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों की लागत का निर्धारण किया जाता है।**
स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ खंडित अवधि के लिए चुकता ब्याज को राजस्व व्यय/ आय के रूप में माना जाएगा।
निवेश की राशि से निवेश की बिक्री/ खरीद के समय प्रदत्त/ प्राप्त प्रोत्साहन राशि/ ब्रोकरेज की कटौती/ योग किया गया है।
- 3.6 निवेशों का मूल्यांकन :**
क. **परिपक्वता तक धारित :**
परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन भारत औसत लागत पर किया गया है। जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है। निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है।
सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।
इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ (लागू कर और आनुपातिक सांविधिक आरक्षित का निवल) को “आरक्षित पूंजी खाते” में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- ख. **बिक्री हेतु उपलब्ध :**
इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है। केंद्र/ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन एफबीआईएल द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है। अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध

- a. Government Securities
b. Other approved Securities
c. Shares
d. Debentures and Bonds
e. Subsidiaries and Joint Ventures
f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)
- 3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.**
- 3.4 REPO / Reverse REPO**
The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.
- 3.5 Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.**
Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.
Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/ sale of investment is deducted / added from the amount of investment.
- 3.6 Valuation of investments:**
a. **Held to Maturity:**
Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average acquisition cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.
In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.
On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.
- b. **Available for Sale:**
The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis and on each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FBIL. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest available Balance

तुलनपत्र, अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रूप 1/- प्रति कंपनी/ शेयर किया गया है।

बढ़ागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

“बिक्री हेतु उपलब्ध” श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- i. यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।
 - ii. यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यहास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान (एफएस) में जमा किया गया है।
बशर्त, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) के कार्यान्वयन के परिणामी आर्बिट्रि इक्विटी शेयरों पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसे ऋण के इक्विटी में परिवर्तन की तारीख से सीधी लाइन पद्धति के आधार पर अधिकतम 4 कैलेंडर तिमाहियों से अधिक के लिए प्रदान किए जाएंगे।
 - iii. जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्गठन के बाद बाजार हेतु चिन्हित (एमटीएम) प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।
 - iv. इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।
- ग. व्यापार हेतु धारित :
- i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार को अंकित किया जाता है। राज्य/ केन्द्र सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन एफबीआईएल द्वारा घोषित बाजार दरों के अनुसार किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और डिबेंचर तथा बॉन्डों का मूल्यन आय कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझायी गई पद्धति से किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर पर किया गया है।
 - ii. बढ़ावृत्त लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। प्रतिभूति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहीमूल्य (अर्थात बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है।
 - iii. निवल समूहवार मूल्यहास, यदि कोई है, को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है और दायित्व पक्ष में निवेश पर मूल्यहास (एचएफटी) हेतु प्रावधान को जमा किया गया है। यदि कोई निवल वृद्धि हुई है तो उसे छोड़ दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षा को छोड़कर पुनर्गठन के पश्चात प्रतिभूतियों के बहीमूल्य को बदला नहीं गया है।
 - iv. इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।
- घ. पुनर्गठित निवेशों पर शामिल निवेशों पर प्रावधान और उनका वर्गीकरण समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उनके द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।
- ड. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय उपचित लागत जैसे कि ब्रोकरेज, फीस, कमीशन, कर इत्यादि का पूंजीकरण किया गया है।

Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) /Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

- i. If it results in appreciation, the same is ignored.
 - ii. If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.
Provided that, depreciation, if any, on equity shares allotted consequent to implementation of Strategic Debt Restructuring (SDR) shall be provided for over a maximum of 4 calendar quarters on straight line basis from the date of conversion of debt into equity.
 - iii. The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.
 - iv. Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.
- c. Held for Trading:
- i. The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month and each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FBIL. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.
 - ii. Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.
 - iii. Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
 - iv. Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.
- d. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.
- e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized.



3.7 डेरिवेटिव्स :

ब्याज दर स्वैप :

i. मूल्यांकन :

क) **हेजिंग स्वैप** : आस्तियां और देयताओं के लिए हेजिंग ब्याज दर स्वैप को बाजार के लिए अंकित नहीं किया गया है।

ख) **ट्रेडिंग स्वैप** : ट्रेडिंग के उद्देश्य हेतु ब्याज दर स्वैप को बाजार को अंकित किया गया है।

ii. डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

क) **हेजिंग स्वैप** : आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है। यदि कोई निश्चित किया जाने वाला खर्च है तो उसका लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है।

ख) **ट्रेडिंग स्वैप** : निपटारा दिनांक पर वसूली के आधार पर आय और खर्च का लेखांकन किया गया है।

iii. स्वैप समाप्ति पर आय या हानि का लेखांकन :

क) **हेजिंग स्वैप** : समाप्त हुए स्वैप पर हुई किसी भी हानि या लाभ को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है।

ख) **ट्रेडिंग स्वैप** : स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया गया है।

3.8 निवेश अस्थिर रिज़र्व:

भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2022 तक अद्यतित परिपत्र दिनांक 25 अगस्त, 2021 की संख्या RBI/DOR/2021-22/81/DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 के अनुसार पैदावार में वृद्धि के समक्ष बैंक को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त भंडार बनाने के लिए निवेश में अस्थिर रिज़र्व (IFR) बनाया गया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित में से कम है -

क. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

ख. लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ घटाएं अनिवार्य विनियोग, जब तक कि IFR की राशि HFT और AFS पोर्टफोलियो की कम से कम 2 प्रतिशत हो

4. अग्रिम:

4.1 दर्शाए गए अग्रिम बढ़े डाले गये खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों, पुनर्भाजित बिलों और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान का निवल है।

4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से अधिक किया गया है -

उप-मानक - 20%

संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%

4.3 पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों पर प्रावधान को छोड़कर अर्जक आस्तियों पर प्रावधान को "अन्य देयताओं व प्रावधान" शीर्ष में दर्शाया गया है।

4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर किया गया है।

एसडीआर के तहत अग्रिमों के संबंध में, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकतम चार तिमाहियों के भीतर प्रावधान किया जाता है।

4.5 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर हुआ है तो अधिशेष बचाकर रखा जाता है और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय संपत्तियों की बिक्री के खाते में कमी/ हानि को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर हुआ है, (अर्थात् बकाया घटाएं धारित प्रावधान) तो कमी को लाभ और हानि खाते से नामे किया जाता है। तथापि अगर अधिशेष उपलब्ध है तो इन कमियों को अधिशेष

3.7 Derivatives:

Interest Rate Swaps:

i. Valuation:

a. **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

b. **Trading Swaps:** Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

ii. Accounting of income on derivative deals:

a. **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

b. **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

iii. Accounting of gain or loss on termination of swaps:

a. **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

b. **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

3.8 Investment Fluctuation Reserve:

As per RBI circular number RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 DATED AUG 25,2021 as updated till March 31,2022 Investment Fluctuation Reserve (IFR) is created to build up of adequate reserves to protect the bank against increase in yields.

Transfer to IFR is lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis

4. Advances:

4.1 Advances are disclosed net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

4.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

Sub-Standard - 20%

Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion

4.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".

4.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.

In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.

4.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising

द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। एनपीए की बिक्री के कारण किसी प्रकार की कमी को अधिशेष द्वारा अवशोषित न किए जाने पर उसे 2 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री के कारण किए जानेवाले अतिरिक्त प्रावधान को तभी उलटा जाता है जब प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल/ एसआर/ पीटीसी के प्रतिदान के द्वारा) आस्ति के विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक हो। आस्तियों के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन सीमित होगा।

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास:

5.1 पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत घटाएं मूल्यहास/ ऋण परिशोधन पर लेखाबद्ध किया गया है।

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च शामिल हैं जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क। उपयोग की जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय (व्ययों) केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है।

5.2 अचल आस्तियों पर मूल्यहास नीचे दी गई दरों के लिए प्रदान किया जाता है, पुनरीक्षित संपत्ति को छोड़कर, जहां, पुनर्मूल्यांकित राशि पर संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य एक रुपया लिखा जा सके।

अ. क्र.	आस्तियों की श्रेणी	आस्तियों का उपयोगी जीवन	मूल्यहास की दर (%)	मूल्यहास की पद्धति
1	भवन और परिसर	60	1.667	एसएलएम
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं	10	10	एसएलएम
3	इलेक्ट्रिकल - टेलीविजन, मोबाइल फोन, होम थियेटर, प्रिंटर, कैमरा	3	33.33	एसएलएम
4	इलेक्ट्रिकल उपकरण - अन्य	10	10	एसएलएम
5	ऑफिस मशीनरी	5	20	एसएलएम
6	मोटर वाहन	8	12.5	एसएलएम
7	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	10	10	एसएलएम
8	कम्प्यूटर और लैपटॉप	3	33.33	एसएलएम
9	एटीएम	7	14.29	एसएलएम
10	यूपीएस	5	20	एसएलएम
11	बीएनए	7	14.29	एसएलएम
12	कैश-रिसाइकलर्स	7	14.29	एसएलएम

*एसएलएम अर्थात स्ट्रेट लाइन मेथड

5.3 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में अनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यहास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जिनमें वर्ष के दौरान आस्तियों को उपयोग के लिए रखा गया है।

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची / छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में, मूल्यहास को अनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है, जितने दिनों तक वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किया गया हो।

5.4 हर तीन साल में एक बार अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत के अतिरिक्त) से स्थिर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकित हिस्सा घटाया जाता है।

लीज पर धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षित को लीज अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

लागत के अधिक और ऊपर अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यहास, लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। लाभ और हानि खाते के लिए नामे लागत के अधिक अचल संपत्तियों के प्रत्यावर्तित हिस्से से संबंधित मूल्यहास की सीमा तक पुनर्मूल्यन आरक्षित की राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित से राजस्व आरक्षित में स्थानांतरित कर दी जाती है।

due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRs/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

5. Fixed Assets and Depreciation:

5.1 Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability

5.2 Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, except revalued assets where, depreciation is provided over the remaining useful life of the assets on revalued amount, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets.

S. N.	Category of Asset	Useful Life of Assets	Rate of Depreciation (%)	Method of depreciation
1	Building & Premises	60	1.667	SLM
2	General Items including Safe	10	10	SLM
3	Electrical – Television, Mobile Phones, Home Theater, Printer, Camera	3	33.33	SLM
4	Electrical Equipment's- Others	10	10	SLM
5	Office Machinery	5	20	SLM
6	Motor Vehicles	8	12.5	SLM
7	Safe Deposit Vaults	10	10	SLM
8	Computers & Laptops	3	33.33	SLM
9	ATM	7	14.29	SLM
10	UPS	5	20	SLM
11	BNA	7	14.29	SLM
12	Cash Re-cycler	7	14.29	SLM

*SLM means Straight Line Method

5.3 In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

Similarly, in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

5.4 Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on diminishing balance method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.



- 5.5 पट्टेवाली परिसरों के संबंध में, लीज प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन पट्टा अवधि में एस 19 के आधार पर सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) में किया गया है।
- 6. राजस्व अभिनिर्धारण :**
- 6.1 नकदी आधार पर लेखाबद्ध निम्नांकित मदों को छोड़कर, सभी राजस्व और लागतों को संचयी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :-
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज
 - कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचुअल फण्ड व्यवसाय, जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लॉकर किराया
 - खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज
 - बीमा दावे
 - डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक
 - ऋण प्रक्रिया शुल्क
 - व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय
 - इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क
- 6.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, 02.07.2021 से अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज परिपक्व टीडी पर संविदा ब्याज दर अथवा बचत खाते पर लागू ब्याज दर, इसमें से जो भी कम हो, उपचय आधार पर किया गया है।
- 7. कर्मचारी अनुलाभ:**
- परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/ अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।
- परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की ग्रेजुटी और पेंशन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो कि एस -15 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकित हैं, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देनदारियों को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक (एक्टुअरीज) द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही / वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।
- अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, विशेषाधिकार अवकाश, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।
- 8. खंड रिपोर्टिंग:**
- बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।
- 9. आस्तियों की हानि**
- सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की हानि के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। मूल्यहास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।
- 10. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां**
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 29 "प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है, जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो। यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों की बाहरी निकासी की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा।
- 5.5 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis in accordance with AS 19.
- 6. Revenue Recognition**
- 6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-
- Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms and guidelines issued by RBI, from time to time.
 - Income from commission viz., on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual maintenance charges for cards and Locker Rent.
 - Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
 - Insurance claims.
 - Remuneration on Debenture Trustee Business.
 - Loan Processing Fees.
 - Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
 - Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.
- 6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021
- 7 Employees' Benefits:**
- Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.
- Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity and Pension schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.
- Other Employee Benefits such as Leave fare Concession, Privilege Leave, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are provided based on Actuarial valuation.
- 8. Segment Reporting:**
- The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.
- 9. Impairment of Assets:**
- Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.
- 10. Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets:**
- As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण होता है जबतक की संसाधन संगठित अर्थव्यवस्था के बर्हिवाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी वसूल न हुई हो।

11. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

प्रावधान और आकस्मिकताएं करने के पश्चात निवल लाभ घोषित किए गए हैं, जिसमें निवेश का मूल्य, आशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना और कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित) और धोखाधड़ी और आकस्मिक व्यय/ अन्य सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

12. आयकर :

वर्ष के लिए किये गये कर प्रावधानों में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर की देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में परिवर्तन के प्रभावों को परिवर्तन की प्रभावी अवधि में लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि तुलन पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से लागू किए गए हैं।

आस्थगित कर आस्तियों को प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता प्रदान की जाती और फिर से मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनकी वसूली को उचित रूप में माना जाता है।

कराधान कानूनों के तहत असंतुलित अवमूल्यन या आगे लाई गई हानि के मामलों में, सभी आस्थगित कर संपत्ति केवल तभी पहचानी जाती है, जब इस तरह की परिसंपत्तियों की पूर्ति की आभासी निश्चितता साक्ष्य के आधार पर समर्थित होती है।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग का ब्याज सहित तब प्रावधान किया गया जब ऐसी मांग को बैंक द्वारा स्वीकार किया गया और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उस पर कोई विवाद नहीं हुआ अथवा न्यायिक ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसी मांग को उचित ठहराया गया और इस प्रकार के मामले पर अन्य ट्रिब्यूनल का कोई अनुकूल निर्णय नहीं मिला तथा बैंक द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष जाना उचित नहीं समझा गया अथवा ऐसी मांग को उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखा गया।

13. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) - “प्रति शेयर अर्जन” के अनुरूप प्रति इक्विटी शेयर मूल और कम किए गए अर्जन की रिपोर्ट दी गई है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण निवल लाभ को अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है। प्रति इक्विटी शेयर कम किए गए अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर की गई है।

अवधि के दौरान यदि इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाएं या प्रतिभूतियां लागू या प्रतिवर्तित की जाती हैं तो संभावित प्रति शेयर अर्जन डाइल्यूशन को प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन में दर्शाया जाता है।

Contingent Liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

12. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonably certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is accepted by the bank and the same is not contested before appellate authority **OR** when such demand is upheld by jurisdictional tribunal and there is no favorable judgement of other tribunal on identical issue and bank does not prefer to go before High Court **OR** when such demand is upheld by High Court.

13. Earnings per Share:

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) “Earnings Per Share” issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax with the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the period.

अनुसूची 18: खातों पर टिप्पणियां

(नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

(31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल खातों का भाग और अनुलग्नक)

1. विनियामक पूंजी

क) विनियामक पूंजी का संमिश्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	सीसीबी सहित सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	11666.61	9160.68
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	200.00	-
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	11866.61	9160.68
iv)	टियर 2 पूंजी	3924.26	2936.44
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	15790.87	12097.12
vi)	कुल जोखिम भारत आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	95833.63	83469.36
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	12.17%	10.98%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	12.38%	10.98%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	4.10%	3.52%
x)	जोखिम भारत आस्ति अनुपात हेतु पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	16.48%	14.49%
xi)	लिवरेज अनुपात	4.91%	4.48%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	90.97%	93.33%
xiii)	वर्ष के दौरान उगाही गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	*403.70	-
xiv)	वर्ष के दौरान उगाही गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से : • बेसल III अनुपालक परपेच्युअल ऋण लिखतें (एटी 1 बॉण्ड)	290.00	-
xv)	वर्ष के दौरान उगाही गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से : • बेसल III अनुपालक टियर II बॉण्ड	1000.00	505.70

*बैंक ने 17 जुलाई, 2021 को क्यूआईपी के माध्यम से रु.403.70 करोड़ की उगाही की। बैंक ने निवेशकों को रु.13.70 प्रति शेयर के प्रीमियम पर रु.10 प्रत्येक के 17,03,37,546 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए।

• बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित बॉण्डों की उगाही की :

शृंखला	प्रकार	आईएसआईएन क्र.	जारी करने का दिनांक	अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कूपन दर (% में)	कॉल दिनांक
I	बेसल III एटी 1	INE457A08100	24.03.2022	परपेच्युअल	290.00	8.75	24.03.2027
IV	बेसल III टियर II	INE457A08092	21.10.2021	120	1000.00	7.86	21.10.2026

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित इन्फ्रा बॉण्ड का मोचन किया :

शृंखला	प्रकार	आईएसआईएन क्र.	जारी करने का दिनांक	अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कूपन दर (% में)	मोचन दिनांक
I	इन्फ्रा बॉण्ड	INE457A09207	20.10.2014	84	1000.00	9.40	20.10.2021

ख) आरक्षितियों से आहरण

लेखा मानक - 10 "संपत्ति, सयंत्र और उपकरण", के अनुसार स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर वर्ष के लिए रु. 128.64 करोड़ (रु. 88.55 करोड़) का मूल्य ह्रास लाभ व हानि खाते को प्रभावित किया गया है। रु. 128.64 करोड़ (रु. 88.55 करोड़) की समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया गया।

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE STANDALONE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022.)

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) including CCB	11666.61	9160.68
ii)	Additional Tier 1 capital	200.00	-
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	11866.61	9160.68
iv)	Tier 2 capital	3924.26	2936.44
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	15790.87	12097.12
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	95833.63	83469.36
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	12.17%	10.98%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	12.38%	10.98%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	4.10%	3.52%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.48%	14.49%
xi)	Leverage Ratio	4.91%	4.48%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India (%)	90.97%	93.33%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	*403.70	-
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: Basel III compliant Perpetual Debt Instruments (AT 1 Bond)	290.00	-
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: • Basel III compliant Tier II Bond	1000.00	505.70

*Bank has raised Rs.403.70 crore through QIP on July 17, 2021. The Bank has issued and allotted 17,03,37,546 equity shares of Rs.10 each at a premium of Rs.13.70 per share to the investors.

• The Bank has raised following bonds during the F.Y. 2021-22 as under:

Series	Type	ISIN No	Date of Issue	Tenure	Amount (₹ in Crore)	Coupon Rate (In %)	Call date
I	Basel III AT 1	INE457A08100	24.03.2022	Perpetual	290.00	8.75	24.03.2027
IV	Basel III Tier II	INE457A08092	21.10.2021	120	1000.00	7.86	21.10.2026

• During the FY 2021-22, Bank has redeemed following infra Bond:

Series	Type	ISIN No	Date of Issue	Tenure	Amount (₹ in Crore)	Coupon Rate (In %)	Redemption date
I	Infra Bond	INE457A09207	20.10.2014	84	1000.00	9.40	20.10.2021

b) Draw down from Reserves

In accordance with the Accounting Standard – 10 'Property, Plant & Equipment', depreciation of Rs. 128.64 Crore (Rs. 88.55 Crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of Rs. 128.64 Crore (Rs. 88.55 Crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve

2. आस्ति देयता प्रबंधन Asset liability management

a) 31.03.2022 को आस्तियों व देयताओं की कुछ मर्दों की परिपक्वता पद्धति Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2022

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31दिनों से 3 माह 31days to 3months	3 महीने से अधिक 6 महीने तक Over 3 months up to 6 months	6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्षों से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां Deposits	1799.71	3170.98	2972.11	4823.17	13439.88	12876.04	53142.48	39749.94	16406.97	53913.03	202294.29
सकल अग्रिम Gross Advances	1848.95	2869.84	2896.65	3549.87	13425.11	10818.46	13975.90	28392.38	23518.41	33944.24	135239.80
सकल निवेश Gross Investments	0.00	126.87	3317.98	75.24	68.69	260.71	4931.09	16977.29	14748.98	28585.84	69092.68
उधारियां Borrowings	0.00	3194.64	2.85	0.00	5.70	8.80	1000.00	639.00	790.00	2105.75	7746.74
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	465.06	2820.61	352.22	948.31	1927.67	2395.72	1806.31	0.00	0.00	0.00	10715.90
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	679.86	1722.77	282.74	832.86	3209.63	1825.15	2218.69	81.46	49.36	0.00	10902.52

बचत बैंक और चालू जमा राशियों का यह वर्गीकरण निदेशक मंडल/ एएलसीओ द्वारा अनुमोदित व्यवहारात्मक पद्धति पर आधारित है।

This classification of Savings Bank and Current Deposits is based on behavioral pattern approved by the Board / ALCO.

ख) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

मात्रात्मक प्रकटन :

b) Liquidity coverage ratio (LCR)

Quantitative Disclosure:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

रुपये करोड़ में राशि Amount in Rs crore	जून 2021 तिमाही Qtr. June 2021		सितंबर 2021 तिमाही Qtr. Sep 2021		दिसंबर 2021 तिमाही Qtr. Dec 2021		मार्च 2022 तिमाही Qtr. March 2022			
	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)		
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां High quality Liquid assets										
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		58305.24	58914.39	54605.34	46877.67				
नकद बहिर्वाह Cash outflows										
2	रिटेल जमा राशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा राशियां, जिसमें से : Retail deposits and deposits from small business customers, of which:		137701.90	11996.75	139269.15	12064.18	121086.36	10263.30	145334.06	10789.69
(i)	स्थिर जमा राशियां Stable deposits		35468.77	1773.44	37254.77	1862.74	36906.67	1845.33	74874.32	3743.72
(ii)	कम स्थिर जमा राशियां Less stable deposits		102233.13	10223.31	102014.38	10201.44	84179.69	8417.97	70459.74	7045.97
3	अरक्षित थोक निधियन, जिनमें से : Unsecured wholesale funding, of which:		31871.46	15564.14	30420.35	14820.65	51407.52	17606.17	35890.54	17105.47
(i)	परिचालनगत जमा राशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	रुपये करोड़ में राशि Amount in Rs crore	जून 2021 तिमाही Qtr. June 2021		सितंबर 2021 तिमाही Qtr. Sep 2021		दिसंबर 2021 तिमाही Qtr. Dec 2021		मार्च 2022 तिमाही Qtr. March 2022		
		कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	
(ii)	अपरिचालनगत जमा राशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties)	31871.46	15564.14	30420.35	14820.65	51407.52	17606.17	35890.54	17105.47	
(iii)	अरक्षित ऋण Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	रक्षित थोक निधियन Secured wholesale funding	1455.15	0.00	2161.56	0.00	7725.80	0.00	11765.81	0.00	
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which:	4.37	4.37	1.48	1.48	22.02	22.02	48.99	48.99	
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य सहायक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	4.37	4.37	1.48	1.48	22.02	22.02	48.99	48.99	
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि संबंधी बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	अन्य अनुबंधात्मक निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	4281.51	4281.51	1324.36	1324.36	256.67	256.67	385.14	385.14	
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations	31889.63	2172.87	29062.80	2007.04	33938.33	2552.25	36870.90	2813.46	
8	कुल नकदी बहिर्गमन Total Cash Outflows		34019.64		30217.71		30700.40		31142.75	
नकदी अंतर्वाह Cash inflows										
9	रक्षित उधारी (उदा.प्रतिवर्तित रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	3174.57	0.00	1188.65	0.00	3085.46	0.00	1894.81	0.00	
10	पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	12634.96	11865.07	859.44	487.06	3812.47	3212.48	2915.67	2585.88	
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	3462.75	3308.77	636.89	499.55	1727.39	1490.38	1635.49	1467.74	
12	कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows		15173.84		986.61		4702.86		4053.62	
13	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां Total HQLA		58305.24		58914.39		54605.34		46877.67	
14	कुल निवल नकदी अंतर्वाह Total Net Cash Outflows		18845.78		29231.10		25997.56		27089.13	
15	तरलता कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		309.38%		201.55%		210.04%		173.05%	

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

रुपये करोड़ में राशि Amount in Rs crore		जून 2020 तिमाही Qtr June 2020		सितंबर 2020 तिमाही Qtr. Sep 2020		दिसंबर 2020 तिमाही Qtr. Dec 2020		मार्च 2021 तिमाही Qtr. March 2021	
		कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर- भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां High quality Liquid assets									
1	तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		49097.80		46859.39		51747.30		53637.52
नकद बहिर्वाह Cash outflows									
2	रिटेल जमा राशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा राशियां, जिसमें से : Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	128951.69	11179.76	131974.89	11448.22	133864.28	11614.19	135969.02	11823.96
(i)	स्थिर जमा राशियां Stable deposits	34308.24	1715.41	34985.24	1749.26	35444.68	1772.23	35458.77	1772.94
(ii)	कम स्थिर जमा राशियां Less stable deposits	94643.44	9464.34	96989.65	9698.96	98419.60	9841.96	100510.24	10051.02
3	अनारक्षित थोक निधियन, जिसमें से : Unsecured wholesale funding, of which:	20236.84	10881.17	20470.05	10896.55	20710.30	10776.32	24225.59	12559.29
(i)	परिचालन जमा राशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	अपरिचालन जमा राशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties)	20236.84	10881.17	20470.05	10896.55	20710.30	10776.32	24225.59	12559.29
(iii)	अनारक्षित ऋण Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियां Secured wholesale funding	7783.95	0.00	4972.47	0.00	3580.44	0.00	3154.15	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से Additional requirements, of which:	16287.84	631.24	16829.71	659.46	15490.06	594.57	16859.00	1572.99
(i)	व्युत्पन्न विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products	16287.84	631.24	16829.71	659.46	15490.06	594.57	16843.78	1557.77
6	अन्य समझौता निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	408.09	408.09	461.54	461.54	339.43	339.43	276.17	276.17
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations	14115.70	1278.37	13425.40	1237.31	14225.68	1302.10	13358.26	479.74
8	कुल नकद बहिर्वाह Total Cash Outflows		24378.63		24703.07		24626.61		26712.16
नकद अंतर्वाह Cash inflows									
9	प्रतिभूत निधियन (उदा. रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	17910.69	0.00	7624.00	0.00	6588.99	0.00	3187.10	0.00
10	पूर्णतः निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	2379.48	2159.08	2805.88	2555.47	5493.28	4291.29	6703.44	5709.62
11	अन्य नकद अंतर्वाह Other cash inflows	1267.40	1086.53	1116.50	993.46	1680.15	1495.89	3221.85	2980.31
12	कुल नकद अंतर्वाह Total Cash Inflows		3245.61		3548.93		5787.17		8689.93
21	कुल एचक्यूएलए Total HQLA		49097.80		46859.39		51747.30		53637.52
22	कुल निवल नकद अंतर्वाह Total Net Cash Outflows		21133.02		21154.14		18839.44		18022.23
23	तरलता कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		232.33%		221.51%		274.68%		297.62%

डाटा पिछली तिमाही पर दैनिक अवलोकनों के सामान्य औसतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है (अर्थात औसत की गणना 90 दिनों की अवधि पर की गई है)। सामान्य औसत की गणना पिछली तिमाहियों पर दैनिक अवलोकनों पर की जाती है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के भारित मूल्य की गणना देयताओं ऑफ बैलेन्स शीट मदों या संविदात्मक प्रायों की विभिन्न श्रेणियों या प्रकारों के बकाया शेष के रूप में की जाती है। एचक्यूएलए के भारित मूल्य की गणना मार्जिन के पश्चात प्रभारित मूल्य के रूप में की जाती है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के भारित मूल्य की गणना अंतर्वाह और बहिर्वाह दरों के प्रयोज्य होने के पश्चात मूल्य के रूप में की जाती है। कुल एचक्यूएलए और कुल निवल नकद बहिर्वाह को समयोजित मूल्य के रूप में प्रकट किया जाता है, जहां एचक्यूएलए का समयोजित मूल्य इस फ्रेमवर्क में सूचित किए अनुसार लेवल 2बी और लेवल 2 आस्तियों पर लागू किन्हीं सीमाओं और मार्जिन दोनों को लागू करने के पश्चात कुल एचक्यूएलए का मूल्य है। निवल नकद बहिर्वाह के समयोजित मूल्य की गणना अंतर्वाहों पर सीमा लागू होने के पश्चात की जाती है, यदि लागू हो।

गुणात्मक प्रकटन :

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी बैंक के पास भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है जिसे 30 कैलेंडर दिनों तरलता दबाव परिदृश्य के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहजता से और तत्काल रूप से नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। एलसीआर की गणना भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की राशि को दबावग्रस्त 30 कैलेंडर दिनों की अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाग देकर की जाती है। निवल नकद बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (जमाराशियां, भाररहित और प्रतिभूत थोक उधारियां) साथ ही अनाहरित प्रतिबद्धताओं और डेरिवेटिव संबंधित विगोपनों, 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से अंतर्वाह द्वारा समयोजित पर आरबीआई निर्धारित बहिर्वाह घटकों को लागू कर की जाती है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर 216.12% है जो 100% की आरबीआई निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

ग) निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

गुणात्मक प्रकटन :

c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

Quantitative Disclosure:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

31.12.2021 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.12.2021						
क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभाहित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं * No maturity*	< 6 महीने < 6 months	6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr	>=1 वर्ष >=1 yr	
	एएसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	9890.84	0.00	0.00	4951.79	14842.63
2	विनियामक पूंजी Regulatory Capital	9890.84	0.00	0.00	3951.79	13842.63
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
4	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	73197.01	27993.60	25723.47	16668.75	133216.25
5	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	33092.95	6985.64	6418.15	5342.15	49514.05
6	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	40104.06	21007.96	19305.32	11326.60	83702.20
7	थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9)	34054.80	5721.35	2713.31	1198.81	5455.83
8	परिचालन जमाराशियां Operational deposits	79.37	44.65	25.21	0.19	39.69
9	अन्य थोक निधियन Other wholesale funding	33975.42	5676.70	2688.10	1198.62	5416.15
10	अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12)	499.96	16480.36	510.97	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories	499.96	16480.36	510.97	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					153514.72

क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभाहित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं * No maturity*	< 6 महीने < 6 months	6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr	>=1 वर्ष >=1 yr	
	आरएसएफ मद RSF Item					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					2691.33
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	60.75				30.38
16	निष्पादक ऋण अप्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	102.49	18402.26	7845.79	68854.17	62213.09
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	5666.10	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	3479.36	633.87	0.00	838.84
19	गैर-वित्तीय कार्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	7179.57	7025.54	45722.49	42857.55
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	2441.05	2388.68	15545.65	12519.54
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which:	0.00	2077.23	3.18	11820.75	8723.69
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	2077.23	3.18	11820.75	8723.69
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और जो एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	102.49	0.00	183.20	11310.93	9793.01
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	4595.42	0.00	0.00	16809.68	21405.10
25	भौतिक व्यवसाय क्मोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन के रूप में निर्धारित आस्तियां और सीसीपी की चूक निधियों हेतु अंशदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories	4595.42	0.00	0.00	16809.68	21405.10
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items		60167.56	811.85	0.00	2475.61
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)				0.00	88815.49
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)				-	172.85%

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

31.03.22 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.03.22

क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभाहित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं * No maturity*	< 6 महीने < 6 months	6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr	>=1 वर्ष >=1 yr	
	एसएफ मद ASF Item					
1	पूंजी (2+3) Capital (2+3)	11866.61	0.00	0.00	4024.26	15890.87
2	विनियामक पूंजी Regulatory Capital	11866.61	0.00	0.00	3924.26	15790.87
3	अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4	रिटेल जमाशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	83972.63	31004.39	28586.99	18731.70	148331.87



क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभासित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं * No maturity*	< 6 महीने < 6 months	6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr	>=1 वर्ष >=1 yr	
5	स्थिर जमा राशियाँ Stable deposits	35259.70	7282.37	6567.95	5592.48	51996.68
6	कम स्थिर जमा राशियाँ Less stable deposits	48712.93	23722.02	22019.04	13139.22	96335.19
7	थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9)	32392.83	4754.87	3617.74	1104.24	7276.94
8	परिचालन जमा राशियाँ Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन Other wholesale funding	32392.83	4754.87	3617.74	1104.24	7276.94
10	अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12)	864.83	10156.24	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities	-	0.00	0.00	0.00	-
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories	864.83	10156.24	0.00	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					171499.67
आरएसएफ मद RSF Item						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3074.29
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	39.81				19.90
16	निष्पादक ऋण अप्रतिभूतियाँ : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	75.94	19484.40	4436.32	81223.30	70022.20
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	8839.05	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2318.61	692.10	0.00	693.84
19	गैर-वित्तीय कार्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	8325.86	3588.29	56550.89	50971.58
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	2247.98	968.84	15268.74	11533.09
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.88	2.22	13788.65	8964.17
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.88	2.22	13788.65	8964.17
23	प्रतिभूतियाँ जो चूक में नहीं हैं और जो एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	75.94	0.00	153.71	10883.76	9392.60
24	अन्य आस्तियाँ : (25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	5785.12	0.00	0.00	25902.95	24744.96
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन के रूप में निर्धारित आस्तियाँ और सीसीपी की चूक निधियों हेतु अंशदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियाँ NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियाँ NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियाँ All other assets not included in the above categories	5785.12	0.00	0.00	25902.95	24744.96
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items		71,275.45	1,647.85	0.00	2957.40

क्र. SN	विवरण Particulars	शेष परिपक्वता द्वारा अभासित मूल्य Unweighted Value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted Value
		परिपक्वता नहीं * No maturity*	< 6 महीने < 6 months	6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr	>=1 वर्ष >=1 yr	
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)					100818.76
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					170.11%

* 'परिपक्वता नहीं' टाइम बकेट में रिपोर्ट की गई मदों की कोई निर्धारित परिपक्वता नहीं होती। इनमें मदें किंतु उन तक ही सीमित नहीं, यथा बेमियादी परिपक्वता की पूंजी, गैर-परिपक्वता जमा राशियां, शॉर्ट पोजीशन, मुक्त परिपक्वता स्थिति और गैर-एचक्यूएलए इक्विटियां शामिल हैं।

गुणात्मक प्रकटन :

एनएसएफआर पर दिशानिर्देश 01.10.2021 से प्रभावी हैं। तदनुसार, बैंक ने 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर से संबंधित अपना पहला प्रकटन प्रकाशित किया है।

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी आस्तियों और ऑफ-बैलेन्स शीट गतिविधियों के संमिश्र के संबंध में स्थिर निधियन प्रोफाइल बनाए रखता है। धारणीय निधियन संरचना निधियन के बैंक के नियमित स्रोतों में अवरोध के कारण बैंक की तरलता स्थिति में ह्रास की संभावना को कम करने का इरादा रखता है जो इसके चूक के जोखिम और व्यापक चरणबद्ध दबाव हेतु संभावित रूप से बढ़ने के जोखिम में वृद्धि कर सकता है। एनएसएफआर सीमाएं अल्पावधि थोक निधियन पर अधिक निर्भर करती हैं, सभी ऑन तथा ऑफ-बैलेन्स शीट मदों के बीच निधियन जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को बढ़ावा देती हैं और निधियन स्थिरता का प्रचार करती हैं।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) को एनएसएफआर द्वारा निर्धारित समय अवधि पर निर्भर होने वाली अपेक्षित देयताओं और पूंजी के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है। बैंक के आवश्यक स्थिर निधियन की राशि ("आवश्यक स्थिर निधियन") (आरएसएफ) तरलता विशेषताओं और बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की शेष परिपक्वताओं और साथ ही इसके ऑफ-बैलेन्स शीट (ओबीएस) विगोपनों का कार्य है।

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 170.11% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 100% न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक है।

* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These includes, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions and non-HQLA equities.

Qualitative Disclosure:

Guidelines on NSFR has become effective from 01.10.2021. Accordingly, bank has published its first disclosure regarding NSFR for quarter end 31.12.2021.

The objective of NSFR is to ensure that bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in a bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress. The NSFR limits overreliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on- and off-balance sheet items, and promotes funding stability.

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of Bank is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by Bank as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

NSFR for the quarter ended 31st March 2022 is 170.11%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%

3. निवेश Investments
 बैंक द्वारा निवेश पोर्टफोलियो को तीन वर्गों में यथा "परिपक्वता तक धारित (एचटीएस)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)", तथा "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)" किया गया है, तथा इन निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity (HTM)", "Available for Sale (AFS)", and "Held for Trading (HFT)" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

a) **निवेश पोर्टफोलियो का संमिश्र Composition of Investment Portfolio**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	भारत में निवेश Investments in India										भारत के बाहर निवेश Investments outside India		कुल निवेश Total Investments			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities		अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities		शेयरें Shares		बिंडेंचर व बॉन्ड्स Debentures and Bonds		अनुबंधी इकाईयाँ और / व संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures		अन्य Others		भारत में कुल निवेश Total Investments in India			
	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity																
सकल Gross	46687.16	45930.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.68	1215.71	73.42	73.42	30.82	15.37	47286.08	47234.95	47234.95
घटाएँ: अनर्जक निवेश के लिए प्रबंधन (एनपीआई) Less: Provision for nonperforming investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल Net	46687.16	45930.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.68	1215.71	73.42	73.42	30.82	15.37	47286.08	47234.95	47234.95
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale																
सकल Gross	16902.06	15183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	442.34	4027.84	4102.74	0.00	0.00	569.05	1642.92	21941.29	21410.85	21410.85
घटाएँ: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रबंधन Less: Provision for depreciation and NPI	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.65	213.72	333.19	0.00	0.00	75.83	12.08	502.71	535.05	535.05
निवल Net	16858.55	15183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	272.69	3814.12	3769.55	0.00	0.00	493.22	1630.84	21438.58	20875.80	20875.80
व्यापार के लिए धारित Held for Trading																
सकल Gross	-136.40	0.00	0.00	0.00	1.71	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134.69	0.90	0.90
घटाएँ: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रबंधन Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल Net	-136.40	0.00	0.00	0.00	1.71	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134.69	0.90	0.90
कुल निवेश Total Investments	63452.82	61114.16	0.00	0.00	444.05	482.38	444.05	4522.52	5318.45	73.42	73.42	599.87	1655.29	69092.68	68646.70	68646.70
घटाएँ: अनर्जक निवेशों के लिए प्रबंधन Less: Provision for nonperforming investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.94	213.72	279.04	0.00	0.00	16.18	0.00	344.84	336.85	336.85
घटाएँ: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रबंधन Less: Provision for depreciation and NPI	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.71	131.97	54.15	0.00	0.00	59.65	12.08	157.87	198.20	198.20
निवल Net	63409.31	61114.16	0.00	0.00	274.40	292.60	274.40	4308.80	4985.26	73.42	73.42	524.04	1646.21	68589.97	68111.65	68111.65

ख) मूल्यहास के प्रावधानों तथा निवेश अस्थिर आरक्षित का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
i) निवेशों पर धारित प्रावधानों का संचलन (मूल्य हास सहित)		
क) आरंभिक शेष	535.05	430.49
2) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	187.63	149.79
3) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते/ बट्टा वापस	219.97	45.23
4) अंतिम शेष	502.71	535.05
ii) निवेश अस्थिर आरक्षित का संचलन		
1) आरंभिक शेष	403.00	227.00
2) जोड़े : वर्ष के दौरान अंतरित राशि	23.10	176.00
3) घटाएं : आहरण	0.0	0.0
4) अंतिम शेष	426.10	403.00
iii) एफएएस/ एचटीएफ श्रेणी में निवेशों के अंतिम शेष के प्रतिशत के अनुसार आईएफआर में अंतिम शेष	2.00%	2.00%

ग) एचटीएम श्रेणी में/ से स्थानांतरण एवं बिक्री

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश के विक्रय पर लाभ के रूप में करों और विनियामक आरक्षितियों का निवल रु. 83.69 करोड़ (रु. 184.53 करोड़) की एक राशि पूंजी आरक्षित के लिए अंतरित की गई है।

बैंक ने वर्ष के दौरान “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी में वर्गीकृत रु. 123.95 करोड़ (रु. 108.61 करोड़) की प्रतिभूतियों का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एचटीएम श्रेणी को/ से प्रतिभूतियों के अंतरण और विक्रय का मूल्य जो निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ एकबारगी अंतरण को छोड़कर है, पूर्वघोषित ओएमओ नीलामियों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

i. एचटीएम श्रेणी से पूंजी आरक्षित में निवेश की बिक्री पर लाभ के अंतरण की गणना

(रु. करोड़ में)

ब्योरे	2021-22	2020-21
एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	149.12	378.20
एचटीएम पर हानि	-	-
एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर निवल लाभ	149.12	378.20
घटाएं: आयकर @ 25.168% (वित्तीय वर्ष 2021-22) / आयकर @ 34.944% (वित्तीय वर्ष 2020-21)	37.53	132.16
उप- जोड़	111.59	246.04
घटाएं: 25.00% के समानुपातिक सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	27.90	61.51
पूंजी आरक्षित में निवल अंतरण	83.69	184.53

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
i) Movement of provisions held (includes depreciation) on investments		
a) Opening balance	535.05	430.49
b) Add: Provisions made during the year	187.63	149.79
c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	219.97	45.23
d) Closing balance	502.71	535.05
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening balance	403.00	227.00
b) Add: Amount transferred during the year	23.10	176.00
c) Less: Drawdown	0.0	0.0
d) Closing balance	426.10	403.00
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.00%	2.00%

c) Sale and transfers to/from HTM category

As per RBI guidelines, an amount of Rs. 83.69 crore (Rs 184.53 Crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category is transferred to Capital Reserve.

The Bank has amortized Rs. 123.95 crore during the year (Rs 108.61 Crore) for securities classified under 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing value of the respective securities to that extent.

The value of the sales and transfer of securities to / from HTM category during the financial year 2021-22, excluding one-time transfer with the approval of the Board, sales to RBI under pre announced OMO auctions and as permitted by RBI does not exceed 5 percent of the book value of investments in HTM category at the beginning of financial year

i. Computation of Transfer of Profit on Sale of Investment in HTM Category to Capital Reserve

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Profit on sale of HTM Securities	149.12	378.20
Loss on HTM	-	-
Net Profit on sale of HTM Securities	149.12	378.20
Less: Income Tax @25.168% (F.Y.2021-22) / @34.944% (F.Y.2020-21)	37.53	132.16
Sub- Total	111.59	246.04
Less: 25.00% proportionate to Transfer to Statutory Reserves	27.90	61.51
Net Transfer to Capital reserve	83.69	184.53



- ii. एफएएस और एचएफटी का निवेश आरक्षिति में निवेश पर एमटीएम मूल्यहास के कारण प्रतिलेखन के अंतरण की गणना

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर
एमटीएम मूल्यहास एफएएस	103.17	12.08	91.09
एमटीएम मूल्यहास एचएफटी	0.00	0.00	0.00
एमटीएम मूल्यहास एनपीआई	3.63	6.19	-2.56
एसडीआर/ एस4ए के अंतर्गत एमटीएम मूल्यहास	51.08	125.77	-74.69
कुल	157.88	144.04	13.84

निवेश आरक्षिति से गिरावट

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एमटीएम हानियों के लिए किए गए प्रावधान	13.84
घटाएं: आयकर @ 25.168%	3.48
उप-जोड़	10.36
घटाएं: 25% की दर पर सांविधिक आरक्षिति को अंतरण	2.59
निवेश आरक्षिति खाते से निवल गिरावट	7.77

*वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एफएएस एवं एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत किए गए निवेश के लिए किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता न होने के कारण निवेश आरक्षिति खाते से शून्य आहरण हुआ क्योंकि, 31.03.2021 को निवेश आरक्षिति खाते में बकाया शेष शून्य है।

- iii. वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 के लिए एचएफटी से एफएएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का परिवर्तन और तथा एफएएस व एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूति के परिवर्तन से संबंधित ब्योरे :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
एचएफटी से एफएएस	शून्य	शून्य
एफएएस से एचटीएम	693.03	546.98

वर्ष के दौरान बैंक ने 'विक्रय हेतु उपलब्ध' श्रेणी से 'परिपक्वता हेतु धारित' श्रेणी में ₹.5.28 करोड़ (₹.0.18 करोड़) और 'परिपक्वता हेतु धारित' श्रेणी से 'विक्रय हेतु उपलब्ध' श्रेणी में ₹.0.00 करोड़ (₹.0.00 करोड़) निवेशों के परिवर्तन के कारण मूल्य में कमी के लिए निवेशों पर मूल्य हास प्रदान किया है।

- iv. वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 के लिए एचटीएम श्रेणी से एफएएस श्रेणी में अंतरित प्रतिभूतियों से संबंधित ब्योरे :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
एचटीएम से एफएएस	4906.71	3385.71

घ) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

- i. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	ब्योरे	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21
क)	प्रारंभिक शेष	446.97	389.15
ख)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	199.98	148.95
ग)	उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी (टीडब्ल्यूओ सहित)	200.58	91.13
घ)	अंतिम शेष	446.37	446.97
ड.)	किए गए कुल प्रावधान	344.84	336.85

*वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए तकनीकी बट्टे खाते (टीडब्ल्यूओ) के कारण ₹.135.43 करोड़ की कमी।

- ii. Computation of Transfer of Write Back on account of MTM Depreciation on Investment in AFS & HFT to Investment Reserve

(Amount in ₹ crore)

Particulars	F.Y. 2021-22	F.Y. 2020-21	Diff. over prv year
MTM Depreciation AFS	103.17	12.08	91.09
MTM Depreciation HFT	0.00	0.00	0.00
MTM Depreciation NPI	3.63	6.19	-2.56
MTM Depreciation under SDR/S4A	51.08	125.77	-74.69
Total	157.88	144.04	13.84

Draw down from Investment Reserve

Provision made for MTM losses during FY 2021-22	13.84
Less: Income Tax at 25.168%	3.48
Sub-Total	10.36
Less: Transfer to Statutory reserve @ 25%	2.59
Net draw down from Investment Reserve Account (Eligible)	7.77

*During the current Financial Year 2021-22 there is nil drawdown from Investment Reserve Account on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories, since as on 31.03.2021 there is nil balance outstanding in investment reserve account.

- iii. Details regarding shifting of security from HFT to AFS category and securities from AFS & HFT to HTM Category be provided for FY 2021-22 & 2020-21.

(Amount in ₹ crore)

Portfolio	FY2021-22	FY2020-21
HFT to AFS	Nil	Nil
AFS to HTM	693.03	546.98

During the year, Bank has provided depreciation on investment for diminution in value on account of shifting of investments from 'Available for Sale' category to 'Held to Maturity' category Rs.5.28 Crore (Rs. 0.18 Crore) and from 'Held to Maturity' category to 'Available for Sale' category Rs.0.00 crore (Rs. 0.00 Crore).

- iv. Details regarding security transferred from HTM category to AFS category for FY 2021-22 & 2020-21

(Amount in ₹ crore)

Portfolio	FY 2021-22	FY 2020-21
HTM to AFS	4906.71	3385.71

d) Non-SLR investment portfolio

- i) Non-performing non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	FY 2021-22	FY 2020-21
a)	Opening balance	446.97	389.15
b)	Additions during the year since 1 st April	199.98	148.95
c)	Reductions during the above period (Including TWO)*	200.58	91.13
d)	Closing balance	446.37	446.97
e)	Total provisions held	344.84	336.85

*Reduction on account of Technically Written off (TWO) Rs.135.43 crore for FY 2021-22.

ii. गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र Issuer composition of non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement		निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		गैर क्रम वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1	2	3		4		5		6		7	
a)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	508.15	644.46	507.60	639.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	वित्तीय संस्थाएं FIs	952.27	1624.90	910.09	1575.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	बैंक Banks	360.36	855.11	333.81	839.56	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	निजी निगमित निकाय Private Corporates	2129.97	2047.55	2111.27	2031.06	826.40	800.78	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	सायक / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	173.53	83.53	173.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11	0.00
f)	अन्य Others	1515.58	2276.98	1505.58	2240.01	191.00	535.86	121.03	131.03	337.79	378.75
उप जोड़ Sub Total		5639.86	7532.53	5541.88	7409.18	1032.40	1351.64	121.03	131.03	437.9	378.75
g)	धारित प्रावधान (मूल्यहास सहित) Provision held (Includes Depreciation)	459.20	535.05	460.91	532.90	312.84	391.02	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल Total		5180.66	6997.48	5080.97	6876.28	719.56	960.62	121.03	131.03	437.90	378.75

e) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में) Repo transactions (in face value terms)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year	31 मार्च, 2022 को Outstanding as on March 31, 2022
i) रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
a) सरकारी प्रतिभूतियां Government securities				
i. रेपो उधारियां (एलएएफ) Repo Borrowing (LAF)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	4073 (1192)	7 (358)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)
ii. रेपो उधारियां (मीयादी) Repo Borrowing (Term)	500 (शून्य) (NIL)	500 (1670)	500 (763)	500 (500)
b) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)
ii) रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
a) सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	15619 (20825)	2426 (8779)	8700 (5485)
b) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में रिपोर्ट किए गए हैं Previous Year Figures are reported in bracket



एलएएफ के अतिरिक्त रेपो संव्यवहार Repo transactions other than LAF

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year	31 मार्च, 2022 को Outstanding as on March 31, 2022
i) बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
a) सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	4200 (1288)	299 (74)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)
b) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)
ii) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	237 (1686)	47 (44)	139 (NIL)
a) सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)
b) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)	शून्य (शून्य) NIL (NIL)
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities				

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में रिपोर्ट किए गए हैं Previous Year Figures are reported in bracket

4. आस्ति गुणवत्ता Asset quality
क) अग्रिमों का वर्गीकरण तथा धारित प्रावधान Classification of advances and provisions held

(राशि ₹ करोड़ में)(Amount in ₹ crore)

	मानक Standard						सैर- निष्पादक Non-Performing						कुल Total	
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances		सैर मानक Sub standard		सदिख Doubtful		हानि Loss		कुल सैर- निष्पादक अग्रिम Total Non-Performing Advances		कुल Total			
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
सकल मानक अग्रिम व एनपीए Gross Standard Advances and NPAs														
प्रारंभिक शेष Opening Balance	99874.08	82736.83	1790.36	3844.90	7943.57	363.68	7779.68	12152.15	107663.76	94888.98				
जोड़े: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि Add: Additions during the year								2182.36						
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी* Less: Reductions during the year*								4634.83						
लेखाबंदी शेष Closing balance	129912.59	99874.08	1985.77	1790.36	5513.23	476.09	5513.23	1790.36	135239.81	107663.76				
*सकल एनपीए में कमी के कारण: Reductions in Gross NPAs due to:														
i) कोटि उन्नयन Upgradation														
ii) वसूली (कोटि उन्नयन खातों में वसूली को छोड़ कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)														
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते Technical/ Prudential Write-offs														
iv) उन्नयन (iii) के अलावा अन्य बट्टे खाते Write-offs other than those under (iii) above														
प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़ कर) Provisions (excluding Floating Provisions)														
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	1337.59	546.56	647.77	1802.69	4081.77	363.68	5806.99	475.46	6542.59	8519.92				
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year														
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावर्तित / बट्टे खाते ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans														
धारित प्रावधानों का लेखाबंदी शेष Closing balance of provisions held	1634.29	1337.59	647.77	1802.69	4081.77	363.68	5806.99	475.46	6542.59	8519.92				
निवल एनपीए Net NPAs														
प्रारंभिक शेष Opening Balance			1142.59	2042.21	2103.17	0.63	2544.32	4145.38	2544.32	4145.38				
जोड़े: ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटार राशि Add: ECGC/DICGC Settled Amount														
सकल प्रारंभिक शेष Gross Opening Balance														
जोड़े: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि Add: Fresh additions during the year														
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year														
सकल लेखाबंदी शेष Gross Closing Balance														
घटाएं: ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटार राशि Less: ECGC/DICGC Settled Amount														
निवल लेखाबंदी शेष Net Closing Balance			656.81	1142.59	617.59	0.63	1401.10	2.17	1276.57	2544.32				
अस्थिर प्रावधान Floating Provisions														
प्रारंभिक शेष Opening Balance														
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year														
घटाएं: वर्ष के दौरान हटाने की गई राशि Less: Amount drawn down during the year														
अस्थिर प्रावधानों का लेखाबंदी शेष Closing balance of floating provisions														
तकनीकी बट्टे तथा उन्नयन बट्टे वसूली Technical write-offs and the recoveries made thereon														
तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष														
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts														
जोड़े: वर्ष के दौरान हुए तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते Add: Technical/ Prudential write-offs during the year														
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में हुए तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों में वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year														
लेखाबंदी शेष Closing balance														

* रु. 132.46 करोड़ का काउंटर साइकिलिकल बफर उपयोग किया गया Counter Cyclical buffer of Rs. 132.46 Crore utilized.



अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	वि.व. 2021-22 F.Y. 2021-22	वि.व. 2020-21 F.Y. 2020-21
सकल एनपीए से सकल अग्रिम Gross NPA to Gross Advances	3.94%	7.23%
निवल एनपीए से निवल अग्रिम Net NPA to Net Advances	0.97%	2.48%
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision coverage ratio	94.79%	89.86%

b) ख) खंडवार अग्रिम और सकल एनपीए Sector-wise Advances and Gross NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्रमांक Sr. No.	क्षेत्र Sector*	2021-22			2020-21			
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	
i)	प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector							
a)	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	19701.04	2844.88	14.44%	16201.97	3449.96	21.29 %	
b)	प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	7749.61	403.04	5.20%	6327.71	821.10	12.98 %	
c)	सेवाएं Services	19623.39	994.78	5.07%	16882.44	1603.08	9.50 %	
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	8066.11	187.53	2.33%	9696.70	335.31	3.46 %	
	उप-जोड़ (i) Subtotal (i)	55140.15	4430.23	8.03%	49108.82	6209.45	12.64 %	
ii)	गैर प्राथमिकता क्षेत्र Non-priority Sector							
a)	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	-	-	-	61.70	-	-	
b)	उद्योग Industry	25439.41	454.32	1.79%	18617.68	413.45	2.22 %	
c)	सेवाएं Services	26787.05	277.09	1.03%	20293.01	715.43	3.53 %	
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	27873.20	165.57	0.59%	19572.55	441.35	2.25 %	
	उप-जोड़ (ii) Sub-total (ii)	80099.66	896.98	1.12%	58544.94	1570.23	2.68 %	
	कुल (i + ii)	Total (i + ii)	135239.81	5327.21	3.94%	107653.76	7779.68	7.23 %

5 मई, 2021 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/ 2021-22 के अनुसार एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु काउंटर साइकलिक प्रावधान बफर का उपयोग करने हेतु बैंकों को अनुमति दी गई है। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार निर्दिष्ट एनपीए प्रावधान करने के लिए रु.132.46 करोड़ की राशि के काउंटर साइकलिक बफर प्रावधान का उपयोग किया है।

In terms of RBI circular no. DOR.STR.REC.10/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021, the banks allowed to utilize the Counter Cyclical Provisioning Buffer towards making the specific provision for NPAs. Accordingly, the Bank has utilized Counter Cyclical Buffer Provision amount of Rs. 132.46 crores towards making the specific NPA provision during the year ended March 31, 2022

ग) विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
कुल आस्तियां	*110.54	99.19
कुल अनर्जक आस्तियां	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.32	0.20

*31.03.2022 को नोस्ट्रो खाते बकाया शेष

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Assets	*110.54	99.19
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.32	0.20

*Outstanding Balance in NOSTRO Accounts as on 31.03.2022

घ) निपटान योजना और पुनर्संरचना के विवरण

दबावग्रस्त आस्तियां - संशोधन फ्रेमवर्क के निपटान पर दिनांक 07.06.2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/2018-19/2013 डीबीआर क्र. बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के प्रभाव निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

भारिबैंक परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि (क)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि (ख)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (ख) में से 31.03.2022 को ऋणों की राशि (ग)	भारिबैंक परिपत्र के अंतर्गत कवर ऋणों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान (घ)	31.03.2022 तक पहले ही किए गए (घ) में से प्रावधान
1400.55	447.84	447.84	-	-

ड.) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर.बीपी.बीसी.क्र. 32/21.04.018/2016-19 के अनुसार बैंकों को वित्तीय विवरणों हेतु खातों पर अपनी टिप्पणियों में भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया हेतु अनुवर्ती आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन को प्रकट करना आवश्यक है, जहां कहीं भी निम्नलिखित में से कोई या दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण संदर्भित अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ से 10 प्रतिशत अधिक होता है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए से 15 प्रतिशत अधिक होता है।

चूंकि विचलन ऊपर निर्दिष्ट किए अनुसार आरंभिक सीमा के भीतर हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में कोई विगोपन कोई विचलन का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 की भारतीय रिज़र्व बैंक की आरएआर रिपोर्ट में इंगित विचलनों के लिए बैंक ने प्रावधान किए हैं।

च) ऋण विगोपनों के अंतरण का प्रकटीकरण

i) असाइनमेंट के माध्यम से उपचित चूक में न होने वाले ऋणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

विवरण	
उपचित ऋणों की समग्र राशि	₹.6159.66 करोड़
भारित औसत शेष परिपक्वता (महीने में)	32.66
निर्माता द्वारा भारित औसत भारित अवधि (महीने में)	7.17
निर्माता द्वारा लाभ आर्थिक ब्याज का प्रतिधारण	10.54%
वास्तविक प्रतिभूति कवरेज	51.12%

प्राप्त किए गए ऋणों को रेट नहीं किया गया क्योंकि ये गैर-निगमित उधारकर्ताओं से संबंधित हैं।

ii) अधिग्रहीत या अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के मामले में ब्यौरे निम्नानुसार हैं : In the case of stressed loans transferred or acquired, the details are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के ब्यौरे Details of stressed loans transferred during the year			
क. A. अंतरित अनर्जक आस्तियों के ब्यौरे Detail of Non-Performing Assets Transferred			
विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें) To other transferees (please specify)
खातों की संख्या No: of accounts	01	शून्य Nil	शून्य Nil
अंतरित ऋणों का समग्र ऋण बकाया Aggregate principal outstanding of loans transferred	88.00	शून्य Nil	शून्य Nil
अंतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय पर) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

d) Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI Circular No RBI/2018-19/2013 DBR No BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets - Revised framework is as follows:

(Amount in ₹ crore)

Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	Amount of loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans as on 31.03.2022, out of (B) classified as NPA (C)	Additional Provision required for loans covered under RBI circular (D)	Provision out of (D) already made by 31.03.2022
1400.55	447.84	447.84	-	-

e) Divergence in asset classification and provisioning

In terms of the RBI circular no. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2016-19 dated 1st April, 2019, banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever either or both of the following conditions are satisfied:

- (a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and
- (b) the additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

As the divergences are within threshold limit as specified above, no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for F.Y. 2021-22. However, the bank has provided for divergences pointed out by RBI in its RAR report for F.Y. 2020-21.

f) Disclosure of transfer of loan exposures

i) Details of loans not in default acquired through assignment are given below:

Particulars	
Aggregate amount of loans acquired	Rs.6159.66 crores
Weighted average residual maturity (in months)	32.66
Weighted average holding period by originator (in months)	7.17
Retention of beneficial economic interest by the originator	10.54%
Tangible security coverage	51.12%

The loans acquired are not rated as these are related to non-corporate borrowers.



समग्र प्रतिफल Aggregate consideration	36.00	शून्य NA	लागू नहीं NA
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में भुनाए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	शून्य Nil	शून्य NA	लागू नहीं NA
ख. B. अंतरित एसएमए के ब्यौरे : शून्य Detail of SMA Transferred: Nil			
ग. C. वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों के ब्यौरे (एनपीए और एसएमए) Details of loans acquired during the year (NPA & SMA)			
विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एससीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, SCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)		एआरसी से From ARCs
प्राप्त ऋणों का समग्र मूल बकाया Aggregate principal outstanding of loans acquired	शून्य Nil		शून्य Nil
चुक्ता समग्र प्रतिफल Aggregate consideration paid	लागू नहीं NA		लागू नहीं NA
प्राप्त ऋणों की भारित औसत शेष अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	लागू नहीं NA		लागू नहीं NA

iii) ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा 31.03.2022 को बकाया एसआर को प्रदत्त वसूली रेटिंग
(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली रेटिंग बैंड*	राशि
RR1	140.38
RR2	42.61
RR3	32.77
RR4	2.75
RR5	2.08
रेटिंग आहरण	34.77
कुल	255.36

*रिकवरी रेटिंग विभिन्न बाह्य एजेंसियों द्वारा दिए अनुसार।

छ) धोखाधड़ी खाते

बैंक नीचे दिए गए टेम्पलेट के अनुसार धोखाधड़ियों की संख्या और राशि के साथ ही उन पर किए गए प्रावधानीकरण पर ब्यौरों को प्रकट करता है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	188	804
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	502.79	2321.91
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	502.79	2321.91
वर्ष की समाप्ति पर अन्य आरक्षितियों से नामे किए गए अमूर्त प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	-	-

31.03.2022 की समाप्ति पर बैंक 31.03.2022 तक रु.502.79 करोड़ की धोखाधड़ियों के रूप में घोषित खातों के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान धारित करता है और वर्ष के दौरान पहचानी गई धोखाधड़ियों के लिए अमूर्त प्रावधान की राशि शून्य है।

ज) कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रकटन

5 मई, 2021 (रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) और 6 अगस्त, 2020 (रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च, 2022 को कोविड-19 संबंधी दबावग्रस्त आस्तियों के लिए आरबीआई रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्यान्वित रिजॉल्यूशन योजना के ब्यौरे

iii) Recovery Ratings assigned to O/s SRs as on 31.03.2022 by the credit rating agencies

(Amount in ₹ crore)

Recovery Rating Band*	Amount
RR1	140.38
RR2	42.61
RR3	32.77
RR4	2.75
RR5	2.08
Rating Withdrawn	34.77
Total	255.36

*Recovery rating is as assigned by various external agencies.

ग) Fraud accounts

Banks shall make disclose details on the number and amount of frauds as well as the provisioning thereon as per template given below.

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Number of frauds reported	188	804
Amount involved in fraud (₹ crore)	502.79	2321.91
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	502.79	2321.91
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	-	-

As at the end of 31.03.2022, bank holds 100% provision for accounts declared as frauds of Rs.502.79 crores up to 31.03.2022 and there is nil amount of un-amortised provision for frauds detected during the year.

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

Details of resolution plan implemented under the RBI Resolution Framework for COVID-19 related stressed assets as per RBI circular dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0) at March 31, 2022 are as under

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

उधारकर्ता का प्रकार Type of the Borrower	रिजॉल्यूशन योजना के कार्यान्वयन के मानक परिणाम के रूप में वर्गीकृत खातों हेतु विगोपन - 30 सितंबर, 2021 की समाप्ति पर स्थिति (क) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of September 30, 2021 (A)	(क) का, समग्र ऋण जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए के रूप में अवनत हुए Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ending March 31, 2022	(क) का 31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही के दौरान बटे खाते राशि Of (A) amount written off during the half-year ending March 31, 2022	(क) का 31 मार्च, 2022 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चुकता राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ending March 31, 2022	रिजॉल्यूशन योजना के कार्यान्वयन के मानक परिणाम के रूप में वर्गीकृत खातों हेतु विगोपन - 31 मार्च, 2022 की समाप्ति पर स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at March 31, 2022
वैयक्तिक ऋण Personal Loan	2173.86	44.23	-	57.53	2161.58
निगमित व्यक्ति * Corporate Persons*	1429.56	310.79	295.56	47.32	1181.84
जिसमें से एमएसएमई Of which MSMEs	97.67	-	-	32.25	55.36
अन्य Others	-	-	-	-	-
कुल Total	3603.42	355.02	295.56	104.85	3343.42

*दिवाला और दिवालियापन कोड, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किए अनुसार *As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया जिससे भारत और साथ ही विदेश में संपूर्ण आर्थिक गतिविधि पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने कोविड-19 की दो और लहरों का सामना किया जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में पुनः स्थानीय और क्षेत्रीय लॉकडाउन लगाया गया। कोविड-19 की स्थिति के प्रभाव और अनिश्चितता को देखते हुए बैंक ने 31 मार्च, 2022 को आकस्मिकता प्रावधान के रूप में रु.1200 करोड़ का कोविड-19 संबंधी तदर्थ प्रावधान धारित करता है जिसमें चालू वर्ष के दौरान किए गए रु.446 करोड़ (निवल) की राशि शामिल है।

During F.Y. 2020-21, the COVID-19 pandemic resulted in nationwide lockdown which substantially impacted overall economic activity in India as well as abroad. In F.Y. 2021-22 two more waves of COVID-19 pandemic were faced by India resulting again localized/ regional lockdown steps in various parts of country. Considering the impact of Covid-19 situation and uncertainty, the Bank holds COVID-19 related adhoc provision of Rs.1200 crores as contingency provision as on 31st March 2022 including a sum of Rs.446 crores(net) made during the current year.

5. विगोपन: Exposures

क) a) **स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) क्षेत्र में विगोपन Exposure to Real Estate Sector**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S N	श्रेणी Category	31.03.2022	31.03.2021
a)	प्रत्यक्ष विगोपन Direct exposure	24670.31	19697.70
i	आवासीय बंधक Residential Mortgages – उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाए) Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; *(Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.)	23198.14	18080.37
		*13131.62	*9440.64
ii	वाणिज्यिक स्थावर संपदा: Commercial Real Estate – वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenant commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Expo sure also includes non-fund based (NFB) limits.	1472.17	1617.34
iii	बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश- Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – क) आवासीय a. Residential, ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा b. Commercial Real Estate.	शून्य Nil शून्य Nil	शून्य Nil शून्य Nil
b)	अप्रत्यक्ष निवेश Indirect Exposure राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	3408.52	2766.94
	रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन Total Exposure to Real Estate Sector	28078.83	22464.64

ख) पूंजी बाजार का विगोपन b) Exposure to capital market

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	2021-22	2020-21
i) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	72.45	68.51
ii) व्यक्तियों को इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
iii) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.19	0.10
iv) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों को संपाश्वर्क प्रतिभूति माना गया है अर्थात् जहाँ शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती। Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	0.00
v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	4.17	4.23
vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर कॉर्पोरेट को मंजूर ऋण Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	0.00	0.00
viii) शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हमीदारी प्रतिबद्धताएं Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix) मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x) उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी विगोपन All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	112.71	118.39
पूंजी बाजार में कुल विगोपन Total exposure to capital market	189.52	191.23

ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं/ विनियामक सीमाओं/ अंतर्समूह विगोपन और परा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन पर इक्विटी शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

The details of Bank's Direct investment in equity shares on conversion of debt into equity as a part of strategic restructuring of debt which are exempt from Capital Market Exposure limits/regulatory ceilings/investment in para-banking activities and intra-group exposure, is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	31.03.2022		31.03.2021	
	खातों की संख्या No. of accounts	राशि Amount	खातों की संख्या No. of accounts	राशि Amount
ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन के कारण प्राप्त/आबंटित इक्विटी शेयरों में निवेश Investment in equity shares received/allotted on account of conversion of debt into equity as which are exempt from Capital Market Exposure limits/regulatory ceilings/ investment in para-banking activities and intra-group exposure	13	286.45	24	404.28

ग) c) जोखिम श्रेणीवार देश विगोपन Risk category-wise country exposure

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

जोखिम श्रेणी* Risk Category*	31 मार्च 2022 को विगोपन (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2022	31 मार्च 2022 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2022	31 मार्च 2021 को विगोपन (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2021	31 मार्च 2021 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2021
नगण्य जोखिम Insignificant	591.96	-	358.41	-
कम जोखिम Low	445.28	-	425.54	-
साधारण जोखिम Moderately Low	36.94	-	36.43	-
साधारणतः कम जोखिम Moderate	14.02	-	5.53	-
साधारणतः उच्च जोखिम Moderately High	21.97	-	8.08	-
उच्च जोखिम High	-	-	0.40	-
अति उच्च जोखिम Very High	-	-	-	-
कुल Total	1110.17	-	834.39	-

* उस समय तक जब तक कि बैंक आंतरिक रेटिंग सिस्टम पर चले जाते हैं, तब तक बैंक सात-श्रेणी के वर्गीकरण का उपयोग करेंगे, जिसके बाद निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी) का वर्गीकरण और देश के जोखिम विगोपनों के लिए प्रावधान करना होगा। बैंकों को अनुरोध पर, ईसीजीसी उनके देश के वर्गीकरण का तिमाही अद्यतन प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश के वर्गीकरण में किसी भी अचानक बड़े बदलाव के मामले में सभी बैंकों को सूचित करेगा।

*Till such time, as banks move over to internal rating systems, banks shall use the seven-category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) for the purpose of classification and making provisions for country risk exposures. ECGC shall provide to banks, on request, quarterly updates of their country classifications and shall also inform all banks in case of any sudden major changes in country classification in the interim period.

घ) अरक्षित अग्रिम

अग्रिमों की कुल राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकारों पर प्रभार, लाइसेन्स, प्राधिकरण इत्यादि को निम्नानुसार ऐसी अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य के रूप में लिया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बैंक के कुल अरक्षित अग्रिम	22061.78	15583.79
उपर्युक्त में से, अग्रिमों की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकारों पर प्रभार, लाइसेन्स, प्राधिकरण इत्यादि को लिया गया है।	2769.42	2404.12
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य	3297.45	2253.50

₹.163.80 करोड़ (पि.व. ₹.97.92 करोड़) हेतु ईसीजीसी के पास लंबित और अधिमानित दावे प्रावधान की गणना के उद्देश्य हेतु भांजित माने जाएंगे।

ड) खंड विगोपन

खंड विगोपन शून्य है।

च) अंतर-समूह विगोपन

बैंक के अंतर-समूह विगोपन का ब्यौरा निम्नानुसार है -

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	2021-22	2020-21
1	अंतर-समूह विगोपन की कुल राशि	750.00	750.00
2	20 शीर्ष अंतर-समूह विगोपनों की कुल राशि	750.00	750.00
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल विगोपन की तुलना में अंतर-समूह का प्रतिशत	0.55%	0.58%
4	अंतर-समूह विगोपन की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा इस संबंध में विनियामक कार्रवाई यदि कोई हो	शून्य	शून्य

d) Unsecured advances

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken as and also the estimated value of such intangible collateral are as under.

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total unsecured advances of the bank	22061.78	15583.79
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	2769.42	2404.12
Estimated value of such intangible securities	3297.45	2253.50

Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to Rs.163.80 crores (P.Y Rs.97.92crore) have been considered as realizable for the purpose of computing provision.

e) Factoring exposures

Factoring exposures is Nil.

f) Intra-group exposures

The details of the intra-group exposures of the bank are as under;

(Amount in ₹ crore)

S . N.	Particulars	2021-22	2020-21
1	Total amount of intra-group exposures	750.00	750.00
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	750.00	750.00
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	0.55%	0.58%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

अंतर-समूह विगोपन के ब्यौरे (दिनांक 11 फरवरी, 2014 का भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र क्र. डीबीओडी क्र. बीपी.बीसी 6/21.06.102/2013-14)

Details of Intra-Group Exposure (RBI circular no. DB OD No. BP. BC 6/21.06.102/2013-14 dated 11th. Feb 2014

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ crore)

क्र.	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
1	से उधारियां (यदि कोई हो)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	शून्य	शून्य
ख.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव ट्रस्टी कं. (मेटको)	शून्य	शून्य
2	को उधार (यदि कोई हो)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	750.00	750.00
ख.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव ट्रस्टी कं. (मेटको)	शून्य	शून्य
3	में निवेश (यदि कोई हो)		
क.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	209.53	83.38
i.	इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित)	73.27	73.27
ii.	बॉन्ड/ डिबेंचर	100.11	10.11
iii	कोई अन्य (उल्लेख करें)	36.15	-
ख.	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव ट्रस्टी कं. (मेटको)	0.15	0.15
i.	इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित)	0.15	0.15

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विगोपन नहीं माना जाता है।

**बैंक ने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की इक्विटी पूंजी के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु.36.15 करोड़ का अंशदान दिया। तथापि, इक्विटी शेयर का आबंटन 31.03.2022 को लंबित है।

छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1	यूएफसीई के कारण किए गए अतिरिक्त प्रावधान	(3.75)	0.40
2	यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी	8.14	1.72

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए विगोपनों से पैदा होने वाले करेंसी प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए उल्लेख के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों (यूएफसीई) को निश्चित करने का और विगोपनों के मूल्यन और उसी प्रकार वृद्धिशील प्रावधानीकरण के द्वारा उसका शमन करने का उल्लेख किया गया है।

अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) की राशि की गणना करने संबंधी पद्धति:
घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन राशि की गणना करने हेतु रु.10 करोड़ एवं अधिक के विगोपन वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अगले पांच वर्षों में परिपक्व होनेवाली मर्दे अथवा नकदी प्रवाह रखने वाली मर्दों पर ही विचार किया जाता है। इसके अलावा प्रभावी रूप से संरक्षित, वित्तीय रूप से संरक्षित और/ या प्राकृतिक रूप से संरक्षित मर्दों को परस्पर सेट ऑफ किया गया है। (वित्तीय संविदा (अर्थात् वायदा संरक्षा) के माध्यम से वित्तीय रक्षित और प्राकृतिक रूप से रक्षित संविदा पर भी विचार किया जा सकता है, जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी करेंसी विगोपन की जोखिम ऑफ सेट हो गई हो। अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का परिकलन करने के उद्देश्य से एक विगोपन को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी लेखांकन वर्ष में ऑफ सेटिंग विगोपन परिपक्व हो रहा हो/ या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो।)

संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धति:

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होनेवाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढ़ाव पद्धति द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढ़ाव को विपरीत दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है।

Sr. No.	Particulars	As of 31.03.2022	As of 31.03.2021
1	Borrowings from (if any)		
a.	Maharashtra Gramin Bank (MGB)	NIL	NIL
b.	Maharashtra Executor Trustee Co (METCO)	NIL	NIL
2	Lending to (if any)		
a.	Maharashtra Gramin Bank (MGB)*	750.00	750.00
b.	Maharashtra Executor Trustee Co (METCO)	NIL	NIL
3	Investment in (if any)		
a.	Maharashtra Gramin Bank (MGB)	209.53	83.38
i.	Equity (incl Preference shares)	73.27	73.27
ii.	Bonds /Debentures	100.11	10.11
iii	Any other – Investment in MGB pending allotment**	36.15	-
b.	Maharashtra Executor Trustee & Co (METCO)	0.15	0.15
i.	Equity (incl Preference shares)	0.15	0.15

*Not considered as exposure as per extant RBI guidelines

**The bank has contributed Rs. 36.15 Crore in FY 2021-22 towards equity capital of the Maharashtra Gramin Bank. However, allotment of equity share is pending as on 31.03.2022

g) Unhedged foreign currency exposure

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
1	Additional provisioning made on account of UFCE	(3.75)	0.40
2	Incremental capital held on account of UFCE	8.14	1.72

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of exposure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under –

Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):

The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of Rs. 10.00 crore and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effective hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of computing UFCE, an exposure may be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity/cash flow within the same accounting year).

Method to estimate the extent of likely loss:

The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों का परिकलन किया जाता है। इस प्रकार के विगोपनों पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन को भी तदनुसार पुनर्मूल्यन किया गया जो कि यूएफसीडी को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम दर्ज करने के द्वारा उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल पर आधारित है।

साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन को भी तदनुसार पुनर्मूल्यन किया गया जो कि यूएफसीडी को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम दर्ज करने के द्वारा उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल पर आधारित है।

6. जमा, अग्रिमों, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

क) जमाराशियों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	19643.06	12280.93
बैंक की कुल जमाराशियों से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	9.71%	7.05%

ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	27146.76	23503.69
बैंक के कुल अग्रिमों से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	15.20%	20.08%

ग) विगोपनों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	27329.48	23755.30
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से कुल अग्रिमों से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत	14.17%	16.71%

1) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
20 सबसे बड़े एन पी ए उधारकर्ताओं का कुल विगोपन	1214.78	1735.01
कुल सकल एन पी ए से 20 सबसे बड़े एन पी ए विगोपन का प्रतिशत	22.80%	22.30%

7. डेरिवेटिव्स:

क) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2022	31.03.2021
i) स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वैप बही का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	शून्य	शून्य

बैंक ने आईआरएस/ एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस/ एफआरए की अनुमोदित सीमा रु.2000.00 करोड़ है। 31 मार्च 2022 के अनुसार बैंक के कल्पित मूलधन के शून्य बकाया स्वैप रहे।

यदि स्वैप विशिष्ट परिसंपत्तियों, देनदारियों, या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो बैंक बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए प्राप्त करेगा या भुगतान करेगा। एक ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य इसका मार्क टू मार्केट वैल्यू होगा।

Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately:

The likely loss / EBID so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on behalf of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

Further, the pricing to such constituents is accordingly re-priced based on the risk profile of the borrower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total deposits of the twenty largest depositors	19643.06	12280.93
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	9.71%	7.05%

b) Concentration of advances

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total advances to the twenty largest borrowers	27146.76	23503.69
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	15.20%	20.08%

c) Concentration of exposures

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total exposure to the twenty largest borrowers/ customers	27329.48	23755.30
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/ customers	14.17%	16.71%

d) Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	1214.78	1735.01
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	22.80%	22.30%

7. Derivatives

a) Forward rate agreement/Interest rate swap

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2022	31.03.2021
i. The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
ii. Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii. Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v. The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	Nil	Nil

Bank has policy guidelines in place for IRS/ FRA's. The approved ceiling for IRS / FRAs in terms of notional principal is Rs 2000.00 crore. As on 31st March 2022, the Bank had no outstanding swaps.

If the swaps are linked to specific assets, liabilities, or commitments, the fair value would be the estimated amount that the bank would receive or pay to terminate the swap agreements as on the balance sheet date. For a trading swap the fair value would be its mark to market value.

ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	ब्यौरे	2021-22	2020-21
1	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन क) 6.10% GS2031	20.00	शून्य
2	31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	“उच्च प्रभावी” नहीं और बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	“उच्च प्रभावी” नहीं और बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

ग) डेरिवेटिव जोखिम विगोपन का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

- डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है।
- उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं।
- तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित (हेजिंग) लेनदेन किए गए हैं। जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है।
- डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है।
- महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.7 (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकल्पित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं।

मात्रात्मक प्रकटन Quantitative disclosures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र.सं. S. N.	विवरण Particular	2021-22		2020-21	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)	19718.99	शून्य NIL	19947.68	शून्य NIL
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए a) For hedging	7304.71	शून्य NIL	4142.71	शून्य NIL
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए b) For trading	12414.28	शून्य NIL	15804.97	शून्य NIL
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां* Marked to Market Positions*		शून्य NIL		शून्य NIL
	(क) आस्ति (+) a) Asset (+)	45.03	शून्य NIL	129.47	शून्य NIL
	(ख) देयताएं (-) b) Liability (-)		शून्य NIL		शून्य NIL
(iii)	ऋण विगोपन \$ Credit Exposure \$	333.99	शून्य NIL	528.42	शून्य NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		शून्य NIL		शून्य NIL
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	0	शून्य NIL	0	शून्य NIL
	(ख) व्यापार डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	0	शून्य NIL	0	शून्य NIL

b) Exchange traded interest rate derivatives

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	2021-22	2020-21
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) 6.10% GS2031	20.00	Nil
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

Qualitative disclosures

- Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.
- Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.
- The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting & monitoring of risks is in place.
- Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Central Office. The swaps are tracked on regular basis.
- Accounting Policy for recording hedge and non-hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.7 (ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.
- The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

क्र.सं. S. N.	विवरण Particular	2021-22		2020-21	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(v)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 अवलोकित अधिकतम और न्यूनतम स्तर Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		शून्य NIL		शून्य NIL
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर a) on hedging	अधि. Max: 0.04 न्यून. Min: 0.013	शून्य NIL	अधि. Max: 0.03 न्यून. Min: 0.0003	शून्य NIL
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर b) on trading	अधि. Max:0.14 न्यून. Min:0.029	अधि. Max:0.0109 न्यून. Min:0.0108	अधि. Max:0.14 न्यून. Min:0.04	शून्य NIL

*प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, जैसा भी मामला हो, निवल स्थिति या तो आस्ति या देयता के अंतर्गत दिखाई जाएगी।

*The net position shall be shown either under asset or liability, as the case may be, for each type of derivatives

घ) डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधान:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	ऋण विगोपन*	31.03.2022 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	शून्य	शून्य
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	333.99	1.34
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य
4	ऋण डिफॉल्ट स्वैप	शून्य	शून्य
	कुल	333.99	1.34

*ऋण विगोपन की गणना बेसल III - के आरडब्ल्यूए दिशानिर्देशों के अनुसार।

ड) ऋण डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस)

वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक का कोई ऋण डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) नहीं है या दिनांक 31 मार्च, 2022 को शून्य है।

d) Standard provision on derivative exposure

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Credit Exposure*	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2022
1	Interest rate derivative	Nil	Nil
2	Foreign exchange derivative	333.99	1.34
3	Gold contract	Nil	Nil
4	Credit default swaps	Nil	Nil
	Total	333.99	1.34

*Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III

e) Credit Default Swaps (CDS)

The Bank has no Credit Default Swaps during the year 2021-22 or as on March 31, 2022 is NIL.

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण Disclosures relating to securitization

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र.सं. S. N.	विवरण Particulars	31-03-2022 (सं./ राशि) (No./ Amount)	31-03-2021 (सं./ राशि) (No./ Amount)
------------------	-------------------	---	---

1.	निर्माता द्वारा निर्मित संवीक्षा संव्यवहारों के लिए एसपीई धारित आस्तियों की संख्या (बकाया संवीक्षा विगोपनों से संबंधित एसपीवी ही यहां रिपोर्ट किए जाने हैं) No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)		
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitized assets as per books of the SPEs		
3.	तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर के पास अनुपालन के लिए निर्माता द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet		शून्य Nil
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन Off-balance sheet exposures		
	a) प्रथम हानि First loss		
	अन्य Others		
	ख) तुलनपत्र की मर्दों के अंतर्गत विगोपन On-balance sheet exposures		
	b) प्रथम हानि First Loss		
	अन्य Others		



4.	<p>एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि Amount of exposures to securitization transactions other than MRR</p> <table border="1" data-bbox="165 207 815 965"> <tr> <td data-bbox="165 207 248 271">क) a)</td> <td data-bbox="248 207 815 271">तुलनपत्र बाह्य विगोपन Off Balance Sheet Exposures</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 271 248 586">i)</td> <td data-bbox="248 271 815 586"> <p>स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to own securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Loss</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 586 248 965">ii)</td> <td data-bbox="248 586 815 965"> <p>तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to third party securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Others</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 586 248 965">ख) b)</td> <td data-bbox="248 586 815 965">तुलनपत्र की मर्दों के अंतर्गत विगोपन On Balance Sheet Exposures</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 654 248 810">i)</td> <td data-bbox="248 654 815 810"> <p>स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to own securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Others</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 810 248 965">ii)</td> <td data-bbox="248 810 815 965"> <p>तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to third party securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Others</p> </td> </tr> </table>	क) a)	तुलनपत्र बाह्य विगोपन Off Balance Sheet Exposures	i)	<p>स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to own securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Loss</p>	ii)	<p>तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to third party securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Others</p>	ख) b)	तुलनपत्र की मर्दों के अंतर्गत विगोपन On Balance Sheet Exposures	i)	<p>स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to own securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Others</p>	ii)	<p>तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to third party securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Others</p>	
क) a)	तुलनपत्र बाह्य विगोपन Off Balance Sheet Exposures													
i)	<p>स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to own securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Loss</p>													
ii)	<p>तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to third party securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Others</p>													
ख) b)	तुलनपत्र की मर्दों के अंतर्गत विगोपन On Balance Sheet Exposures													
i)	<p>स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to own securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Others</p>													
ii)	<p>तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to third party securitizations</p> <p>प्रथम हानि First Loss</p> <p>अन्य Others</p>													
5	<p>संवीक्षा कृत आस्तियों के लिए प्राप्त विक्रय और संवीक्षा के कारण विक्रय पर लाभ/ हानि Sale consideration received for the securitized asserts and gain/loss on sale on account of securitization</p>	शून्य Nil												
6	<p>ऋण संवर्धन, लिक्विडिटी सहयोग, संवीक्षा पश्चात आस्ति सुधार इत्यादि द्वारा प्रदत्त सेवाओं की मात्रा और से मात्रा (बकाया मूल्य) From and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post-securitization asset servicing etc.</p>													
7	<p>सुविधा का कार्यनिष्पादन प्रदान किया गया है। कृपया प्रत्येक सुविधा यथा ऋण संवर्धन लिक्विडिटी सहयोग, सुधार एजेंट इत्यादि के लिए अलग से प्रदान करें। प्रदत्त सुविधा के कुल मूल्य के रूप में प्रतिशत का उल्लेख कोष्ठक में करें। Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.</p> <p>-चुकता राशि -Amount paid -प्राप्त पुनर्भुगतान -Repayment received -बकाया राशि -Outstanding amount</p>													
8	<p>विगत में पाए गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यथा आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से ब्रेक अप प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc</p>													
9	<p>समान अंतर्निहित आस्ति पर प्रदत्त अतिरिक्त/ टॉप अप ऋण की राशि और संख्या कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यथा आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से ब्रेक अप प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.</p>													
10	<p>निवेशक शिकायतें* Investor complaints* -प्रत्यक्ष रूप से/ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त;-Directly/Indirectly received and; -शेष शिकायतें -Complaints outstanding</p>													

9. प्रायोजित ऑफ बैलेन्स शीट एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	अंतरराष्ट्रीय
शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) को अंतरण
(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
ब्यौरे		
डीईएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष	500.85	434.96
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित रकम	111.99	69.51
घटाएं - डीईएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम	2.57	3.62
डीईएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष	*610.27	500.85

*भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी फॉर्म-1 के अनुसार

11. शिकायतों के प्रकटन Disclosure of complaints

a) लोकपाल के कार्यालयों और ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर सारांश जानकारी
Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

क्र. S.N.	विवरण Particulars	2021-22	2020-21
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	19	296
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	3236	3760
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	3249	4037
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा वापस की गई शिकायतें Of which, number of complaints rejected by the bank	0	0
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	06	19
	लोकपाल के कार्यालय की ओर से बैंक को प्राप्त रखने योग्य शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	लोकपाल के कार्यालय से बैंक को प्राप्त रखने योग्य शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	1063	1511
5.1.	उपर्युक्त 5 में से लोकपाल कार्यालय से बैंक के पक्ष में निपटान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	961	887
5.2	उपर्युक्त 5 में से लोकपाल कार्यालय से जारी परामर्श मध्यस्थता/ समाधान के माध्यम से निपटान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	53	98
5.3	उपर्युक्त 5 में से बैंक के विरुद्ध लोकपाल कार्यालय द्वारा अवार्ड पारित करने के पश्चात निपटान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	02	0
6.	निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित न किए गए अवार्ड की संख्या (की गई अपील के अतिरिक्त) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

क) b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के मुख्य पांच कारण Top five grounds of complaints received by the bank from customers

शिकायतों का कारण (अर्थात से सम्बन्धित शिकायत) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी % increase/decrease in the number of Complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 का, संख्या 30 दिनों से अधिक खर्च करने की शिकायतें Of 5, number of Complaints spending beyond 30 days
	1	2	3	4	5
वित्तीय वर्ष F. Y. 2021-22					
1-एटीएम / डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	6	688	-57	2	0
2-इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile /Electronic Bkg	12	1506	26	3	0
3- खाता खोलना/ खाते के संचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of account	1	591	7	0	0

9. Off balance sheet SPVs sponsored

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Opening balance of amount transferred to DEAF	500.85	434.96
Add: Amount transferred to DEAF during the year	111.99	69.51
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	2.57	3.62
Closing balance of amount transferred to DEAF	*610.27	500.85

*As per Form-I issued by RBI.



4- ऋण और अग्रिम Loans and Advances	0	308	38	0	0
5. वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांगों हेतु पेन्शन और सुविधाएं Pension and facilities for senior citizens/differently abled	0	17	-73	0	0
अन्य Others	0	126	-	1	0
कुल Total	19	3236	-14	6	0
वित्तीय वर्ष F. Y. 2020-21					
1-एटीएम / डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	199	1600	-55	6	0
2-इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile / Electronic Bkg	59	1195	-58	12	0
3- खाता खोलना/ खाते के संचालन में कठिनाई Account opening / difficulty in operation of account	14	553	-51	1	0
4- ऋण और अग्रिम Loans and Advances	6	223	-68	0	0
5. वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांगों हेतु पेन्शन और सुविधाएं Pension and facilities for senior citizens/differently abled	0	64	-28	0	0
अन्य Others	18	125	-69	0	0
कुल Total	296	3760	-57	19	0

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	दंड का विवरण / प्रकृति	Amount
1	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत दंड	शून्य
2	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत दंड	2.12*
3	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल बाउंस हेतु)	शून्य
4	करेंसी चेस्ट पर आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड	0.03
5	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अन्य दंड	0.01

*25 अप्रैल, 2022 को रु.1.12 करोड़ का दंड लगाया गया। यह 31 मार्च, 2022 को इस का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की ओर से रिवर्स रेपो संव्यवहार में कोई चूक नहीं है।

13. मानदेय का प्रकटन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	नाम	पदनाम	मानदेय	
			2021-22	2020-21
1	श्री ए. एस. राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (01.12.2018 से दिनांक तक)	0.34	0.30
2	श्री हेमन्त कुमार टम्टा	कार्यपालक निदेशक (31.12.2018 से 30.12.2021 तक)	0.22	0.26
3	श्री नागेश्वर राव वाई.	कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 से 21.01.2021 तक)	-	0.23
4	श्री ए. बी. विजयकुमार	कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से दिनांक तक)	0.36	0.02
5	श्री आशीष पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक (31.12.2021 से दिनांक तक)	0.07	-
6	श्री वी. पी. श्रीवास्तव	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (16.06.2020 तक) और (03.05.2021 से)	0.24	0.06
7	श्री प्रशांत आर. खटावकर	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (17.06.2020 से 02.05.2021 तक)	0.02	0.26
		कुल	1.25	1.13

टिप्पणी : मुख्य प्रबंधक, कार्मिक के रूप में सीएफओ का प्रकटन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपनी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा सलाह किए अनुसार किया गया है।

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

During the Current Financial year following Penalties have been imposed:

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars/nature of penalties	Amount
1	Penalty under Payment & Settlement Systems Act, 2007	NIL
2	Penalty under section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949	2.12*
3	Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)	NIL
4	Penalty levied by RBI on currency chests	0.03
5	Others levied by RBI	0.01

*Penalty of Rs. 1.12 Crores was levied on April 25, 2022. The same has been provided for as on March 31, 2022

There is no default in reverse repo transaction from bank side during the financial year.

13. Disclosure on remuneration

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Name	Designation	Remuneration	
			2021-22	2020-21
1	Shri A S Rajeev	MD & CEO (from 01.12.2018 to till date)	0.34	0.30
2	Shri Hemant Kumar Tamta	Executive Director (from 31.12.2018 to 30.12.2021)	0.22	0.26
3	Shri Nageswara Rao Y	Executive Director (from 01.04.2020 to 21.01.2021)	-	0.23
4	Shri A. B. Vijayakumar	Executive Director (from 10.03.2021 to till date)	0.36	0.02
5	Shri Asheesh Pandey	Executive Director (from 31.12.2021 to till date)	0.07	-
6	Shri V P Srivastava	Chief Financial Officer (CFO) (till 16.06.2020) and (From 03.05.2021)	0.24	0.06
7	Shri Prashant R. Khatawkar	Chief Financial Officer (CFO) (from 17.06.2020 to 02.05.2021)	0.02	0.26
		Total	1.25	1.13

Note: The disclosure of CFO as key management personnel has been made as advised by RBI in its risk assessment report for the year 2018-19.

14. अन्य प्रकटन

क) व्यवसाय अनुपात

विवरण	2021-22	2020-21
कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.26%	6.42%
कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.27%	1.42%
जमा राशियों की लागत	3.70%	4.17%
निवल ब्याज मार्जिन	3.15%	2.84%
कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.33%	2.14%
आस्तियों पर प्रतिफल	0.55%	0.30%
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियां + अग्रिम) अंतर्बैंक जमा राशियों को छोड़कर (₹ करोड़ में)	26.49	21.43
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.09	0.04

ख) बैंक एश्योरेन्स व्यवसाय

बैंक एश्योरेन्स के अधीन ₹.30.17 करोड़ (₹.22.99 करोड़) की शुल्क / ब्रोकरेज / कमीशन आदि आय अर्जित की गई। बैंक एश्योरेन्स आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	आय का स्वरूप	2021-22	2020-21
1	जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	15.48	8.69
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	12.82	13.02
3	अन्य बीमा विक्रय हेतु (जैसे कृषि व इतर)	0.20	0.46
	कुल	28.50	22.17

ग) विपणन और वितरण

किए गए विपणन और संवितरण कार्यों के (बैंक एश्योरेन्स व्यवसाय को छोड़कर) संबंध में प्राप्त शुल्क/ मानदेय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	आय की प्रकृति	31.03.2022	31.03.2021
1	म्युचुअल फंड उत्पाद विक्रय के लिए और अन्य	1.88	1.31

घ) प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन

वर्ष के दौरान खरीदी व बेची गई पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	पीएसएलसी की श्रेणी	विक्रय/ क्रय	प्रकार	राशि	कमीशन/ प्रीमियम
1	पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम	विक्रय	पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम	6500	132.73
2	पीएसएलसी-सामान्य	विक्रय	पीएसएलसी-सामान्य	5000	45.48
3	पीएसएलसी-कृषि	विक्रय	पीएसएलसी-कृषि	1000	10.19
	कुल			12500	188.40

ड) लाभ व हानि खाते में व्यय शेष के अंतर्गत प्रदर्शित प्रावधान व आकस्मिकताएं

e) Provisions and contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S. N.	विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2021
1	एनपीए के प्रति प्रावधान Provision towards NPA	2578.48	2213.79
2	मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान Provisions for Standard Advances	296.69	641.03

14. Other Disclosures

a) Business Ratios

Particular	2021-22	2020-21
Interest Income as a percentage to Working Funds	6.26%	6.42%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.27%	1.42%
Cost of Deposits	3.70%	4.17%
Net Interest Margin	3.15%	2.84%
Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.33%	2.14%
Return on Assets	0.55%	0.30%
Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore) excluding inter bank deposits	26.49	21.43
Profit per employee (in ₹ Crore)	0.09	0.04

b) Bancassurance business

The fee/brokerage/commission etc. income earned under Bancassurance is Rs.30.17 Crore (Rs.22.99 crore). The details of Bancassurance income is as under:

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Nature of Income	2021-22	2020-21
1	For selling life insurance policies	15.48	8.69
2	For selling non-life insurance policies	12.82	13.02
3	For selling other insurance (like Agriculture & Others)	0.20	0.46
	Total	28.50	22.17

c) Marketing and distribution

Details of fees/remuneration received in respect of marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Nature of Income	31.03.2022	31.03.2021
1	For selling mutual fund products & Others	1.88	1.31

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased during the year are as under:

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Category of PSLCs	Sold/ Purchased	Type	Amount	Commission/ Premium
1	PSLC-Micro Enterprises	Sold	PSLC-Micro Enterprises	6500	132.73
2	PSLC- General	Sold	PSLC- General	5000	45.48
3	PSLC-Agriculture	Sold	PSLC- Agriculture	1000	10.19
	Total			12500	188.40



3	अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान Provision for Non Performing Investment	103.35	155.62
4	निवेश के बट्टे खाते (नियमित) Write off of Investment (Regular)	-	5.00
5	पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान Provisions for Restructured Advances	5.27	1.41
6	अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के लिए प्रावधान Provision for un-hedged foreign currency exposure	-	0.40
7	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान - अभिहीत Provision for other Assets - Nominal	1.26	2.43
8	धोखाधड़ी के प्रावधान (अग्रिमों को छोड़कर) Provision for fraud (other than advances)	-	-
9	आयकर के लिए प्रावधान (डीटीए के प्रत्यावर्तन सहित) Provision for income tax (Incl- Reversal of DTA)	808.88	403.88
10	अन्य प्रावधान Other Provisions	57.07	38.64
11	आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान Provision for contingent liability	0.06	-
	उप जोड़ (क) Sub-total (A)	3851.06	3462.2
	घटाएं : बट्टे खाते/ समायोजन Less: Write back /adjustments		
1	पुनर्गठित निवेश के लिए प्रावधान के बट्टे खाते Write back of Provision for restructured Investment	-	48.46
2	धोखाधड़ी के लिए प्रावधान के बट्टे खाते (अग्रिमों को छोड़कर) Write back of Provision for fraud (other than advances)	11.42	3.73
3	आकस्मिक देयता के लिए प्रावधान के बट्टे खाते Write back of Provision for contingent liability	-	0.18
4	टीआईबीडी के लिए प्रावधानों के बट्टे खाते - एफआईटीएल/ ब्याज/ एसआर टीआईबीडी के लिए प्रावधान Write back of Provisions for TIBD- provision for FITL/interest/SR TIBD	134.74	-
5	अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के लिए प्रावधान Provision for un-hedged foreign currency exposure	3.75	-
6	आयकर के बट्टे खाते (डीटीएल का प्रत्यावर्तन सहित) Write-back of Income Tax (Incl Reversal of DTL)	4.82	-
	उप जोड़ (ख) Sub Total (B)	154.73	52.37
	कुल Total	3696.33	3409.83

7) भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) परिवर्तित आईएफआरएस का कार्यान्वयन

- भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रारूप वित्तीय विवरण (पीएफएस) अर्धवार्षिक (वित्तीय वर्ष 2021-22 से) आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है।
- निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन और भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुतीकरण से पहले प्रारूप वित्तीय विवरण (पीएफएस) की जांच के लिए एक प्रतिष्ठित आईएनडी एस परामर्शक की नियुक्ति की गई है।
- जांच के अतिरिक्त परामर्शक को आईएनडी एस के संबंध में बैंक के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कार्य प्रदान किया गया है।
- बैंक भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) परिवर्तित आईएफआरएस के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया में है। तथापि, बैंक प्रणाली संबंधी उचित परिवर्तन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतिम दिशानिर्देशों की भी प्रतीक्षा कर रहा है।

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (जीएसटी सहित)	233.74	205.28
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	-	-

ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेन्शन में संवर्धन के कारण व्यय के अमूर्तिकरण पर प्रकटन

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में पारिवारिक पेन्शन में संवर्धन के कारण वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार रु.217.70 करोड़ की अतिरिक्त देयता कार्यान्वित हुई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त देयता को पूर्ण मान्यता दी और लाभ व हानि खाते को इसे प्रभारित किया।

झ) निगमित को व्यापार ऋण सुविधा के लिए बैंक द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी)।

चालू वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा रु.160.52 करोड़ की राशि के 131 व्यापार ऋण मंजूर किए गए तथा निगमित ग्राहकों को व्यवसाय ऋण के प्रबंध हेतु विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में शाखाओं द्वारा कोई लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी नहीं किए गए।

31 मार्च, 2022 को, रु.73.78 करोड़ की राशि के 43 व्यापार ऋण बकाया थे जबकि 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.20.16 करोड़ की राशि के 21 व्यवसाय ऋण बकाया थे।

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

- The Proforma Financial Statement (PFS) are being submitted to RBI on Half yearly basis (from FY 2021-22).
- One of the reputed IndAS consultant has been appointed for vetting the Proforma Financial Statement (PFS) before putting to Board for approval & submission to RBI.
- In addition to vetting, Consultant has also been given assignment to conduct training for employees of the Bank in respect of IndAS.
- Bank is in process of development of software for IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS). However, Bank is also awaiting for final guidance from RBI in order to make suitable system related changes.

g) Payment of DICGC Insurance Premium (Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	FY 2021-22	FY 2020-21
i)	Payment of DICGC Insurance Premium (Incl GST)	233.74	205.28
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	-	-

h) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The additional liability on account of enhancement in family pension in line with Government guidelines, works out to Rs. 217.70 Crore as per Actuarial valuation. The Bank has fully recognized the said liability and charged to the Profit & Loss Account during the FY 2021-22.

i) Letter of Comfort (LOCs) issued by Bank for the purpose of Trade Credit Facility to corporate.

During the current year, 131 Trade credits amounting to Rs 160.52 crores were sanctioned by the Bank and No Letters of Comfort issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st Mar 2022, 43 Trade Credits amounting to Rs 73.78 crores are outstanding as against 21 Trade Credits amounting to Rs 20.16 crores for the year ended 31st March, 2021.

15) स्थिर आस्तियां :

- i. एएस-10 “संपत्ति, संयंत्र व उपकरण” के अनुसरण में स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर वर्ष हेतु रु.128.64 (रु.88.85) करोड़ मूल्यहास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया। रु.128.64 (रु.88.85) करोड़ की समतुल्य राशि का पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से राजस्व आरक्षित में अंतरण किया गया।
- ii. बैंकों के कुछ परिसरों को पुनरीक्षित राशि पर कहा गया है। वर्ष के अंत में परिसर में शामिल ऐसे पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि रु.1705.60 करोड़ और पुनर्मूल्यांकन मूल्यहास का निवल राशि रु.1576.97 करोड़ है।
- iii. ऐसे पट्टे परिसर के मामले लंबित हैं जहां कोई आकस्मिक देयता नहीं है, क्योंकि बैंक शाखा परिसर के जमींदारों द्वारा पट्टे के कामों की समाप्ति के कारण इन सभी के खिलाफ दायर किए गए मामलों का बचाव कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी देयता का लगभग रु.0.22 करोड़ है।
- iv. पूंजीगत कार्य-प्रगति में निश्चित परिसंपत्तियों की लागत शामिल है जो अभी तक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। प्रगतिधीन पूंजी कार्य में रु.3.49 करोड़ की राशि की बिल्डिंग के निर्माण शामिल है।
- v. 31 मार्च, 2021 तक बैंक कम्प्यूटरों, लैपटॉपों, एटीएम, यूपीएस, बीएनए और कॅश रिसाइकिलों पर सरल रेखा पद्धति में मूल्यहास प्रभारित करता था। 01 अप्रैल, 2021 से बैंक ने सभी स्थिर आस्तियों पर सरल रेखा पद्धति से बट्टे खाते मूल्य पद्धति से मूल्यहास प्रभारित करने की पद्धति में परिवर्तन किया है।

16) लेखा मानक :

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है :

लेखा मानक 3 - नकद प्रवाह विवरण

बैंक अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए एएस-3 की आवश्यकताओं के अनुसरण में नकद प्रवाह विवरण तैयार करता है।

लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन चूँकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं, अतः वर्ष को दौरान उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित/ लेखाबद्ध किया है।

लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.2 के अनुसार अतिदेय मीयादी राशि पर देय ब्याज उस ब्याज दर पर वास्तविक आधार पर प्रदान किया जाता है जो बचत खाते पर है या परिपक्व टीडी पर संविदा ब्याज दर पर लागू होता है, जो भी 02.07.2021 से कम हो।

लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव: वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय रु.129.05 करोड़ (रु.153.34 करोड़) रही।

लेखा मानक (एएस) -15 (संशोधित 2005) “कर्मचारी लाभ”

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
क) भविष्य निधि	45.38	70.59
ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	15.00	15.00

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएं

- क) पेंशन योजना - यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है। यह निधिगत योजना है।
- ख) उपदान योजना - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।

15) Fixed Assets:

- i. In accordance with the As-10 “Property, Plant and Equipment” depreciation of Rs. 128.64 Crore (Rs. 88.55) crore for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of Rs.128.64 crore (Rs.88.55 crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.
- ii. Certain premises of banks are stated at revalued amount. The gross amount of such revaluation included in premises at the end of the year is Rs.1705.60 crore and net of depreciation the revaluation amounts to Rs. 1576.97 crore
- iii. There are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed against it by landlords of Branch premises due to expiration of lease deeds. Out of these, Bank accounts for its liability to around Rs.0.22 crore.
- iv. Capital work in progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to Rs.3.49 crore includes construction of building.
- v. Upto March 31, 2021, the bank was charging depreciation on Straight Line Method on computers, Laptops, ATM, UPS, BNA and Cash Recycler. With effect from April 01, 2021, Bank has changed the method of charging depreciation from Written Down Value method to Straight Line Method on all the fixed assets. In the opinion of Management, this change in the estimate has no material financial impact.

16) Accounting Standards:

The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

Accounting Standard 3- Cash Flow Statement: The bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies: As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/ accounted for in respective heads of accounts during the year.

Accounting Standard 9 – Revenue Recognition: As per Accounting Policy No. 6.2, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.

Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates: Net income on account of exchange differences credited to Profit and Loss account for the year is Rs. 129.05 crore (Rs. 153.34 crore).

Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005) - “Employee Benefits”

A. Defined Contribution Plans

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
a. Provident Fund	45.38	70.59
b. Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	15.00	15.00

B. Defined Benefit Plans:

- a) Pension Plan- This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- b) Gratuity Plan- This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company’s Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.



ग) छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है। यह गैरनिधि योजना है।

c) Leave Encashment/ Compensated Absences-This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव: Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	6449.25	6114.28	577.54	536.30	298.29	272.40
2	ब्याज लागत Interest Cost	428.27	391.17	37.39	32.49	19.74	17.52
3	चालू सेवा लागत Current Service Cost	325.73	367.27	33.26	45.60	71.58	80.47
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(627.17)	(569.19)	(123.72)	(138.87)	(51.98)	(41.47)
6	वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	349.29	145.72	7.68	102.02	(8.17)	(30.63)
7	परिभाषित लाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	6925.37	6449.25	532.15	577.54	329.46	298.29

II. योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव: Change in the Fair Value of Plan Assets:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	6201.15	6029.68	503.99	559.88
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुर्नअदायगी Expected return on plan assets	432.84	449.81	36.54	44.85
3	किया गया अंशदान Contributions made	841.22	300.59	112.00	42.00
4	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(627.17)	(569.19)	(123.72)	(138.87)
5	उपचित (लाभ) / हानि Actuarial gains/losses	27.08	(9.74)	27.86	(3.87)
6	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	6875.12	6201.15	556.67	503.99

III. तुलन पत्र में निर्धारित रकम: Amount recognized in the Balance Sheet:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S N	विवरण Particulars	निधिक्त परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक्त परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	6925.37	6449.25	532.15	577.54	7457.52	7026.79	329.46	298.29
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(6875.12)	(6201.15)	(556.67)	(503.99)	(7431.79)	(6705.14)	0.00	0.00

3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	50.25	248.09	(24.51)	73.55	25.74	321.64	329.46	298.29
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	50.25	248.09	(24.51)	73.55	25.74	321.64	329.46	298.29

IV. लाभ और हानि खाते में निर्धारित रकम: Amount recognized in Profit and Loss Account:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	325.73	367.27	33.26	45.60	71.58	80.47
2	ब्याज लागत Interest Cost	428.27	391.17	37.39	32.49	19.74	17.52
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(432.84)	(449.81)	(36.54)	(44.85)	0.00	0.00
4	वर्ष हेतु निवल जीवनांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	322.21	155.46	(20.18)	105.89	(8.17)	(30.63)
5	सेवा पश्चात लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	निर्धारित व्यय Expense to be recognized	643.37	464.09	13.93	139.14	83.16	67.36
7	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	643.37	464.09	13.93	139.14	83.16	67.36

V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	248.09	84.59	73.57	(23.57)	298.29	272.40
2	निर्धारित व्यय Expense recognized	643.37	464.09	13.93	139.14	83.16	67.36
3	प्रदत्त अंशदान/ लाभ Contributions/ Benefits paid	(841.22)	(300.59)	(112.00)	(42.00)	(51.98)	(41.47)
4	समापन निवल देयता Closing Net Liability	50.25	248.09	(24.51)	73.57	329.46	298.29



VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	432.84	449.81	36.54	44.85
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर जीवनांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	27.08	(9.74)	27.86	(3.87)
3	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	459.92	440.07	64.40	40.98

VII. मूल जीवनांकिक मान्यताएं (धारित औसतों के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	भाजित दर Discount rate	6.98%	6.71%	7.25%	6.96%	7.25%	6.96%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	6.98%	7.46%	7.25%	8.01%	NA	NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

C. अन्य दीर्घावधि लाभ: Other Long Term Benefits:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

S N	विवरण Particulars	लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2022	31.03.2021
1	पुनर्स्थापन भत्ता Resettlement Allowance	0.00	0.00
2	छुट्टी किराया रियायत Leave Fare Concession	12.35	9.71
3	रजत जयंती पुरस्कार Silver Jubilee Award	0.04	0.03
	कुल Total	12.39	9.74

लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है :

Accounting Standard 17- Segment Reporting: Bank has identified its primary reportable segments as under:

भाग क : व्यवसाय खंड Part A: Business segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

व्यवसाय क्षेत्र Business Segments	खजाना Treasury		संस्थागत/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
विवरण Particulars	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
राजस्व Revenue	5094.00	5223.27	4537.40	4252.96	5438.13	4661.62	602.17	358.36	15671.70	14496.20
परिणाम Result	1398.46	1657.84	399.01	24.68	(201.06)	(760.05)	359.19	31.66	1955.60	954.13
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating profit									4847.87	3960.08
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									804.06	403.88

असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									1151.54	550.25
अन्य जानकारी Other Information:										
खंड आस्तियां Segment assets	78679.17	74885.33	87029.25	68381.15	47398.10	36651.23	13380.83	12099.09	226487.35	192016.80
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									4124.02	4648.21
कुल आस्तियां Total assets									230611.37	196665.01
खंड देयताएं Segment liabilities	77470.27	73629.73	81883.93	64502.50	44519.17	34473.25	12103.87	11282.12	215977.23	183887.60
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									749.26	644.22
पूंजी और अन्य प्रारक्षितियां Capital & Other Reserves									13884.88	12133.19
कुल देयताएं Total liabilities									230611.37	196665.01

- क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।
- ख) संस्थागत / थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कम्पनियों, सांविधिक निकायों और वैयक्तिक को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।
- ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में संस्था/ संबंधित को विगोपन शामिल है जहां
- कुल औसत वार्षिक पण्यवर्त रु.50.00 करोड़ से कम है और
 - एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और
 - एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम समग्र निवेश रु.5.00 करोड़ तक है।
- घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- ड) ब्याज आय को थोक बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर आबंटित किया जाता है। थोक बैंकिंग के लिए प्राप्त कुल ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले लिया जाता है।
- च) थोक बैंकिंग / रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर सीधे देय नहीं किए गए व्यय का आबंटन किया जाता है। ट्रेजरी परिचालनों के खर्च ट्रेजरी परिचालन से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं
- छ) प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित खंड की संपत्ति के अनुपात में आबंटित किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है।

लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं
संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

- क) बैंक की अनुषंगी कंपनी : दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
- ख) बैंक की सहायक संस्था : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक - ऊपर बिंदु क्र. 13 में ब्यौरे दिए गए हैं।

- a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.
- b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to entity/ concern where
- Total average annual turnover less than Rs. 50.00 crore and
 - Aggregate exposure to one counter party does not exceed 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs. 5.00 crore.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.
- e) The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations
- f) Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations
- g) Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are asunder:

Name of the Related Parties and their relationship:

- Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank
- Key Management Personnel- Details given in point no. 13 above

संबंधित पक्षों से संव्यवहार -

संबंधित पक्षों के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखा मानक (एएस 18) के अनुच्छेद 9 के अनुसार "राज्य नियंत्रित उद्यम" हैं। एएस 18 के अनुच्छेद 5 के संदर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में संव्यवहार का खुलासा नहीं किया गया है, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार शामिल हैं।

लेखा मानक-19 - पट्टा

वित्तीय पट्टा : पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर (देय राशियों का परिशोधन के पश्चात), जो भी कम हो, पूंजीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टा : वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के पास कोई गैर-निरस्त परिचालन पट्टे नहीं हैं। इसलिए एएस -19 के तहत अतिरिक्त खुलासा लागू नहीं है। पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि वर्ष 2021-22 के लिए ₹.171.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.162.42 करोड़) है।

लेखा मानक-20 - प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
मूल ई.पी.एस.	₹.1.72	₹. 0.88
अनुकृत ई.पी.एस.	₹.1.72	₹. 0.88
मूल / अनुकृत ई.पी.एस. की गणना		
क) कर उपरांत निवल लाभ (₹. करोड़ में)	1151.54	550.25
ख) इक्विटी शेयरों की भांति औसत संख्या (संख्या करोड़ में)	668.06	625.36
ग) प्रति शेयर मूल / डायल्यूटेड अर्जन (क) विभाजित (ख) द्वारा.	₹.1.72	₹.0.88
ड) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	₹.10.00	₹.10.00

लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण: सहायक कंपनी अर्थात् महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों को मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात् महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. के परिणामों में क्रमशः लेखांकन मानक 23 और लेखांकन मानक 21 के अनुपालन में समेकित किया गया है।

लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन : बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए कर का लेखांकन किया है। तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021*
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानियों के कारण	432.68	859.91
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	106.02	207.65
3) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है.	1577.77	1857.79
उप जोड़ (क)	2116.47	2925.35
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	12.42	17.24
उप जोड़ (ख)	12.42	17.24
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	2104.05	2908.11

*लागू कर दर 34.944%

निर्धारण वर्ष 2021-22 से, बैंक ने करधान कानून (संशोधन) अधिनियम,

Transactions with Related parties:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases: Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or present value of the lease payments (after due amortization), whichever is lower.

Operating Leases: Bank has no non-cancellable Operating Leases during Financial Year. Hence additional disclosure under AS-19 is not applicable. The Lease payments under operating leases are recognized as an expense on straight line basis in Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases amount to Rs. 171.47 crore for the year 2021-22 (Previous year Rs. 162.42 crore).

Accounting Standard 20- Earnings per Share

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Basic E.P.S.	Rs. 1.72	Rs. 0.88
Diluted E.P.S.	Rs. 1.72	Rs. 0.88
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax (in Crore)	1151.54	550.25
b) Weighted Average number of Equity Shares (in Crore)	668.06	625.36
c) Basic/ Diluted Earnings per share [(a) divided by (b)]	Rs. 1.72	Rs. 0.88
d) Nominal Value per Share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements: The financial results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income: Based on the review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021*
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	432.68	859.91
2) On account of provisions for Employees benefits	106.02	207.65
3) Other Provisions where DTA is created	1577.77	1857.79
Sub-Total (A)	2116.47	2925.35
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	12.42	17.24
Sub-Total (B)	12.42	17.24
Net Deferred Tax Asset (A-B)	2104.05	2908.11

*Applicable tax rate 34.944%

With effect from Assessment Year 2021-22, the Bank has exercised the option of lower tax rate permitted under Section

2019 द्वारा पेश किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत अनुमत कम कर दर के विकल्प का प्रयोग किया है। नतीजतन, वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर देयताओं का फिर से मापन किया है और लाभ व हानि खाते को नामे करके रु.716.87 करोड़ की राशि को प्रत्यावर्तित किया है।

चूंकि बैंक ने वि.व. 2021-22 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत अनुमत कम कर दर का विकल्प चुना है, आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए, बैंक ने एमएटी देयता के साथ ही अब तक लेखांकित एमएटी ऋण पात्रता को प्रत्यावर्तित किया है।

लेखा मानक 24 - परिचालनों का समापन: बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचालनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा है और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि	-	3 वर्ष
परिशोधन दर	-	33.33%
परिशोधन पद्धति	-	लागत पर सरल रेखा पद्धति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	33.24	24.01
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	11.01	31.25
वर्ष के दौरान परिशोधन	16.63	22.02
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	27.62	33.24

लेखा मानक - 28 - आस्तियों का अनर्जक होना: जब भी कोई घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो परिसंपत्तियों की वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है कि किसी संपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली और उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति भविष्य की निवल रियायती नकदी प्रवाह के लिए एक परिसंपत्ति की वहन राशि के लिए एक तुलना द्वारा मापा जाता है जो संपत्ति द्वारा उत्पन्न होना अपेक्षित है। यदि इस तरह की संपत्ति को खराब माना जाता है, तो मान्यता प्राप्त होने वाली हानि और उस राशि से मापी जाती है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की वहन राशि संपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। हालांकि, बैंक के प्रबंधन की राय में, उस वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों को भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 - "परिसंपत्तियों का नुकसान" लागू होता है।

लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां वर्ष के अंत तक ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए बैंक के खिलाफ दावे

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	2021 - 22	2020 - 21
बकाया शेष	1375.41	1352.53
धारित प्रावधान	2.05	1.99

कुल आकस्मिक देनदारियों (अनुसूची 12 के अनुसार) में समाप्त गारंटी राशि ₹898.43 करोड़ (पि. व. ₹761.47 करोड़) शामिल है, जिसे लंबित औपचारिकताओं के कारण रद्द नहीं किया गया है।

- 17) दिनांक 25 मई, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन के अध्यक्षीन, रु. 0.50 पैसे प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) का लाभांश प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित लाभांश के परिणामस्वरूप सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप, वित्तीय परिणाम संशोधित किए गए हैं।
- 18) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहबद्ध किया गया है।

115 BAA of the Income-tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019. Consequently, during the year, the Bank has re-measured its Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities and reversed the amount of Rs.716.87 crores by debiting the Profit and Loss A/c.

As the bank has opted for lower tax rate permitted under section 115 BAA of the Income Tax Act 1961 from AY 2021-22, the provisions of section 115JB of the Income Tax Act are not applicable to the bank and hence, the Bank has reversed the MAT Liability as well as the MAT Credit Entitlement accounted hitherto.

Accounting Standard -24- Discontinuing Operations: The Bank, during the financial year 2021-22, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets:

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	-	3 years.
Amortization Rate	-	33.33 %
Amortization Method	-	Straight line at cost

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Software at the beginning of the year	33.24	24.01
Software acquired during the year	11.01	31.25
Amortization during the year	16.63	22.02
Net carrying amount at the end of the year	27.62	33.24

Accounting Standard 28- Impairment of Assets: Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Claim against the bank not acknowledged as debt on year end

(Amount in ₹ crore)

Category	2021 - 22	2020 - 21
Balance Outstanding	1375.41	1352.53
Provision Held	2.05	1.99

Total Contingent liabilities (as per Schedule 12) include expired Guarantees amount Rs.₹898.43 crore (P.Y. ₹761.47 crore), which has not been cancelled because of pending completion formalities.

- 17) The Board has proposed dividend of Rs. 0.50 paise per equity share (Face Value of Rs. 10/- per share) for the Financial Year 2021-22 in Board Meeting dated May, 25 2022 subject to requisite approval from Shareholders. Consequent to proposed dividend, the Financial Statements have been revised as required by the statute.
- 18) Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022		31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2021	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
A. Cash Flow From Operating Activities:				
आय Income				
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, investment etc.	13594 ,21 ,99		11868 ,54 ,08	
अन्य आय Other Income	2652 ,47 ,93	16246 ,69 ,92	2625 ,26 ,89	14493 ,80,97
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions				
वर्ष के दौरान जमा व उधारों पर प्रदत्त ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	6974 ,82 ,31		6971 ,06 ,82	
परिचालन व्यय Operating Expenses	3849 ,01 ,28		3565 ,05 ,72	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	4271 ,32 ,71	15095 ,16 ,30	3407 ,43 ,27	13943 ,55,81
व्यय से आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase In Cash due to Increase of Income over Expenses		1151 ,53 ,62		550 ,25 ,16
जोड़े: गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately				
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	4271 ,32 ,71		3407 ,43 ,27	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	268 ,34 ,08		188 ,11 ,12	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	-1 ,04 ,31		- ,44 ,88	
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	315 ,61 ,78	4854 ,24 ,26	288 ,99 ,74	3884 ,09 ,25
		6005 ,77 ,88		4434 ,34 ,41
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)		325 ,00 ,00		184 ,00 ,00
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations		5680 ,77 ,88		4250 ,34 ,41
परिचालन देयताओं की वृद्धि/ (कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:				
जमाशायियां Deposits	28288 ,67 ,27		23939 ,21 ,45	
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings	3217 ,99 ,07		63 ,01 ,94	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-3873 ,32 ,78		-664 ,43 ,58	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities		27633 ,33 ,56		23337 ,79 ,81
घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/ (कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets				
निवेश Investments	478 ,32 ,71		10370 ,79 ,33	
अग्रिम Advances	28765 ,27 ,21		15533 ,51 ,59	
अन्य आस्तियां Other Assets	-3164 ,14 ,17		-783 ,05 ,31	
परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets		26079 ,45 ,75		25121 ,25 ,61
परिचालन आस्तियों पर परिचालन देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets		1553 ,87 ,81		-1783 ,45 ,80
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities		7234 ,65 ,69		2466 ,88 ,61
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह B. Cash Flow From Investing Activities				
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	7 ,07 ,92		3 ,65 ,49	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-309 ,05 ,16		-192 ,48 ,00	

निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities	(ख) (B)	-301,97,24	-188,82,50
ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह C. Cash Flow From Financing Activities:			
i) बांडों को जारी / (मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds		290,00,00	505,70,00
ii) इक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS		-336,52,48	-
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax			
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		-315,61,78	-288,99,74
v) इक्विटी शेयरों को जारी करना / (शेयर आवेदन राशि) Issue of Equity Shares / (Share Application Money)		403,69,99	-
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)		41,55,73	216,70,26
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	(क+ख+ग) (A+B+C)	6974,24,19	2494,76,37

नोट : पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः एकत्रित एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है।
Note : Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

विवरण Particulars	31-03-2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2022	31-03-2021 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2021
द्वारा प्रतिनिधित्व -- Represented By- वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष Cash and Cash equivalents at the beginning of the year नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष Cash & Balance with RBI	12882,48,23	10353,68,49
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	59,24,85	93,28,22
	12941,73,08	10446,96,71
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष Cash and Cash equivalents at the end of the year नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष Cash & Balances with RBI	19721,92,62	12882,48,23
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	194,04,65	59,24,85
	19915,97,27	12941,73,08
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	6974,24,19	2494,76,37

सरदार बलजीत सिंह
निदेशक

SARDAR BALJIT SINGH
DIRECTOR

ललित कुमार चंदेल
निदेशक

LALIT KUMAR CHANDEL
DIRECTOR

शशांक श्रीवास्तव
निदेशक

SHASHANK SHRIVASTAVA
DIRECTOR

आशीष पाण्डेय
कार्यपालक निदेशक

ASHEESH PANDEY
EXECUTIVE DIRECTOR

राकेश कुमार
निदेशक

RAKESH KUMAR
DIRECTOR

ए. बी. विजयकुमार
कार्यपालक निदेशक

A. B. VIJAYAKUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

मनोज के. वर्मा
निदेशक

MANOJ K. VERMA
DIRECTOR

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

A. S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date attached.

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048डब्ल्यू
सनदी लेखाकार

for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

सीए रमन हंगेकर
भागीदार

सदस्यता क्र: 030615

यूडीआईएन: 22030615AJNXLE6110

CA Raman Hangekar
Partner

Membership No: 030615

UDIN - 22030615AJNXLE6110

स्थान : पुणे

दिनांक : 25 मई, 2022

कृते मैसर्स अबर्ना एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार

for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S

Chartered Accountants
सीए क्लेमेंट ग्रेटियन पिंटो
भागीदार

सदस्यता क्र: 023238

यूडीआईएन: 22023238AJNWWWE2412

CA Clement Gratian Pinto
Partner

Membership No: 023238

UDIN - 22023238AJNWWWE2412

कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार

for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W

Chartered Accountants
सीए आशीष बडगे
भागीदार

सदस्यता क्र: 121073

यूडीआईएन: 22121073AJNYEO7811

CA Aashish Badge
Partner

Membership No: 121073

UDIN - 22121073AJNYEO7811

Place : Pune

Date : 25th May, 2022

कृते मैसर्स एस भंडारी एंड कंपनी.
एफआरएन-000560सी
सनदी लेखाकार

For M/s. S Bhandari & Co.
FRN-000560C

Chartered Accountants
सीए प्रमिति पारीक
भागीदार

सदस्यता क्र: 417124

यूडीआईएन: 22417124AJNXP4889

CA Pramiti Pareek
Partner

Membership No: 417124

UDIN - 22417124AJNXP4889



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

<p>मेसर्स वाटलीबोई एंड पुरोहित सनदी लेखाकार 204, नेशनल इश्योरेंस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 703</p>	<p>मेसर्स अबर्णा एंड अनन्थन सनदी लेखाकार 521, तीसरी मंजिल, 6 ब्लॉक, 2 फेज बीएसके 3 स्टेज, बेंगलूरु - 560 085</p>
<p>मेसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी सनदी लेखाकार 282, कपीश हाउस, माता मंदीर रोड खरे टाउन, धरमपेट, नागपुर - 440010</p>	<p>मेसर्स एस. भंडारी एंड कंपनी सनदी लेखाकार पी-7, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर - 302 005</p>

प्रति,

**भारत के राष्ट्रपति एवं "बैंक ऑफ महाराष्ट्र" के सदस्यगण
एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट
अभिमत**

हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एकल वित्तीय विवरणों लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण एवं लाभ और हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियां शामिल हैं, इसमें उसी दिनांक को संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 778 शाखाओं, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय, 40 अंचल कार्यालयों और 20 शाखाओं तथा 1 खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग की विवरणियां सम्मिलित हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण में 1239 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 14.52%, जमाशायियों में 32.61%, ब्याज आय में 9.09% तथा ब्याज व्यय में 37.31% हिस्सा है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है तथा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा निम्नानुसार है:

- तुलन पत्र के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2022 को बैंक की स्थिति के विषय में उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त होता है;
- लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित होता है और
- नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वर्णन अपनी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से साथ ही भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं स्वतंत्र हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

<p>M/s. Batliboi & Purohit Chartered Accountants, 204, National Insurance Building, 2nd Floor, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001.</p>	<p>M/s. Abarna & Ananthan Chartered Accountants, 521, 3rd Main 6th Block, 2nd Phase BSK 3rd Stage, Bengaluru - 560 085.</p>
<p>M/s. Rodi Dabir & Co. Chartered Accountants, 282, Kapish House, Mata Mandir Road, Khare Town, Dharampeth, Nagpur - 440 010.</p>	<p>M/s. S Bhandari & Co. Chartered Accountants, P-7, TilakMarg, C-Scheme, Jaipur - 302 005.</p>

To,

**The President of India and Members of
"BANK OF MAHARASHTRA"**

Opinion

- We have audited the accompanying standalone financial statements of Bank of Maharashtra, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2022, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Head Office, 40 Zonal Offices and 20 branches and 1 Treasury and International Banking Division audited by us, and 778 branches audited by Statutory Branch Auditors of the Bank. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 1239 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 14.52% of advances, 32.61% of deposits, 9.09% of interest income and 37.31% of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for the bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- the Balance Sheet, read with the notes thereon gives a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2022;
- the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended 31st March, 2022 and
- the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March, 2022.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time

दिशानिर्देश शामिल हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

मामले का ज़ोर

3. क) हम वित्तीय विवरणों अनुसूची 18 की नोट संख्या 4 (एच) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बताता है कि किस हद तक COVID-19 महामारी बैंक के संचालन को प्रभावित करेगी और वित्तीय परिणाम भविष्य के विकास पर निर्भर हैं, जो कि अत्यधिक अनिश्चित हैं। बैंक लगातार आर्थिक स्थितियों की निगरानी कर रहा है और इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार बैंक के परिचालन और वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव अनिश्चित है।

ख) हम वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 17 का ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 25 मई, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन के अध्यक्षीन, रु. 0.50 पैसे प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) का लाभांश प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित लाभांश के परिणामस्वरूप सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप, वित्तीय परिणाम संशोधित किए गए हैं। हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं आईसीएआई द्वारा जारी एसए560 के अनुसरण में वित्तीय विवरणों के संशोधन तक ही सिमित हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

4. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन: (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।) 31 मार्च 2022 को बैंक के पोर्टफोलियो में रु. 131170.44 करोड़ का निवल अग्रिम शामिल है जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। आईआरएसी मानदंडों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं।	हमने सिस्टम, आवेदन, अनुमोदन के ऊपर प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी और ऋणों, बकायों तथा दबावग्रस्त खातों की वसूली, एनपीए की पहचान, प्राथमिक और संपाशिक प्रतिभूतियों के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समझ तथा बैंक के समग्र संगठनात्मक आईटी ढांचे एवं विभिन्न आंतरिक परिपत्रों और रिपोर्टों के माध्यम से उसके संप्रेषण पर आधारित विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच सहित एनपीए के लिए प्रावधान के महत्वपूर्ण नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जांच कर ली है। हमने बैंक की नीतियों व प्रक्रियाओं तथा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन में अग्रिमों की मंजूरी, निगरानी की प्रक्रिया तथा अग्रिमों पर नियंत्रण

to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. A) We draw attention to Note no. 4(h) in Schedule 18 of the Financial Statements which explains the extent to which COVID-19 pandemic will impact the Bank's operations and financial results are dependent on future developments, which are highly uncertain. The Bank is continuously monitoring the economic conditions and any impact on the Bank's Operations and financial results is uncertain.

B) We draw attention to Note no. 17 in Schedule 18 of the Financial Statements wherein the Board of the Bank has proposed dividend of Rs. 0.50 paise per equity share (Face Value of Rs. 10/- per share) for the Financial Year 2021-22 vide its Board Meeting dated May, 25 2022 subject to requisite approval from Shareholders. Consequent to proposed dividend, the Financial Statements have been revised as required by the statute. Our Audit procedures are restricted solely to the amendment to the Financial Statements in accordance with SA 560 issued by the ICAI.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines: (Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting Policies to the Standalone Financial Statements) The Bank's portfolio comprises of Net Advances of Rs. 131170.44 Crores as at 31 st March, 2022 comprising of wholesale and retail banking. As required by IRAC Norms, guidelines issued by RBI and other circulars, notification and directives issued by RBI, the Bank has classified Advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines.	We have tested the design and operating effectiveness of the Key controls of the system, application, process over approval, recording, monitoring, and recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA, Provision for NPA including verification of valuation reports of experts for primary and collateral securities based on the understanding of the prudential guidelines and overall organisational IT framework of the Bank and its communication through various circulars and reports. We have evaluated the Internal Controls over sanctioning, monitoring the process and account for system overrides or bypasses to controls of



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	<p>अग्रिमों से आय, कुल आय का 52.52% बनाती है। गैर-निष्पादन आस्तियों के संबंध में प्रावधान रु.2578.48 करोड़ है जो कुल व्यय का 17.76% बनाता है।</p> <p>आईआरएसी मानदंडों का समुचित रूप से पालन नहीं किए जाने पर इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का वहन मूल्य व्यक्तिगत या समेकित रूप में गलत हो सकता है।</p> <p>बैंक को बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों को दिए गए ऋणों से ऋण जोखिम एकसपोजर है और इसमें अत्यधिक जटिलताएं, अनिश्चितता, अग्रिमों की वसूली संबंधी निर्णय, प्रावधानों का अनुमान और बड़े खाते डाले जाने वाले खातों की पहचान शामिल है। यदि बैंक द्वारा ऐसे विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो वर्ष हेतु लाभ और निवल अग्रिमों की स्थिति उचित ढंग से परिलक्षित नहीं होती। अतः हम इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा का मामला मानते हैं।</p>	<p>हेतु सिस्टम ओवरराइड या बाइपास के लिए खातों, पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क यथा आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा और प्रणाली लेखा परीक्षा के साथ-साथ ऐसे फ्रेमवर्क की आंतरिक जांच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है।</p> <p>हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवेदन का मूल्यांकन किया है तथा अर्जक आस्तियों के सैम्पल की व्यक्तिगत रूप से जांच की है ताकि उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, बैंक की ऋण नीति के अनुसार मंजूरीयों के अनुमोदन तथा क्रेडिट मूल्यांकन व नियंत्रण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है।</p> <p>संभावित एनपीए की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा निर्मित प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टों, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की गई और मूल्यांकन जोखिमों को दूर करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन एवं संबंधित नियंत्रणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग वाले खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदम उठाए गए।</p> <p>हमने बैंक के बड़े विगोपनों पर ध्यान केंद्रित करने और आकलन करने के लिए तथा उभरते जोखिम के क्षेत्रों को कम करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट, समुचित सावधानी रिपोर्ट, सेवा करार, समनुदेशन विलेख, जेएलए और बाहरी क्रेडिट रेंग रिपोर्ट सहित संपाशक दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से कॉरपोरेट थोक (संघीय, पूल बायआउट और अन्य बड़े उधारकर्ताओं सहित) का विस्तृत सत्यापन करने का एक फ्रेमवर्क अपनाया है। हमने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की है और आंतरिक और बाह्य मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों सहित अपने अनुसार मूल्यांकन किया, आईआरएसी मानदंडों और सरकारी नीतियों के</p>

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	<p>Income from Advances constitutes 52.52% of Total Income. The provision in respect of Non-performing Asset is Rs. 2578.48 Crores which constitutes 17.76% of the total expenditure.</p> <p>The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate the IRAC Norms, are not properly followed.</p> <p>The Bank has significant Credit Risk Exposure to a large number of borrowers across a wide range of borrowers, products, industries and there is a high degree of complexity, uncertainty, judgement involved in recoverability of Advances, estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. If such prudential guidelines are not followed by the Bank the profit for the year and the net advances position will be materially mis-stated. Hence, we consider this as a Key Audit Matter.</p>	<p>advances, supervisory framework such as Internal Audit, Credit Audit, Concurrent Audit, Systems Audit, as well as Internal Check, effectiveness of such framework as per the policies and procedures of the bank and in compliance with prudential guidelines.</p> <p>We have tested samples of Performing Assets and assessed the application of IRAC Norms, as prescribed by RBI, individually to ensure compliance of the same. Also reviewed approval of sanctions against Bank's credit Policy and performance of Credit Assessments and controls.</p> <p>Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the Bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls.</p> <p>We have adopted a framework of carrying out detailed verification of corporate wholesale (including Consortium, Pool Buyout and other large borrowers) by way of review of collateral documents including valuation reports, due diligence report, servicing Agreement, deed of assignment, JLA and External Credit rating reports to assess and focus on larger exposures of the Bank and mitigating the areas of emerging risk. We have discussed with the Senior Management and performed our own assessment including internal and external macroeconomic factors and testing the timelines and the accuracy of risk assessment and risk</p>

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		<p>अनुसार जोखिम मूल्यांकन और जोखिम ग्रेडिंग की सटीकता का परीक्षण किया है।</p> <p>हमने आय निर्धारण, ऐसे ऋणों के प्रावधानीकरण सहित आईआरएसी मानदंडों की प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नमूना आधार पर बैंक के रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो का परीक्षण किया है। बैंक ने रिटेल ऋणों के लिए ऋण लाइफ साइकल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है, जो प्रभावी रूप से बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की निगरानी, नियंत्रण करता है तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन और कार्य-निष्पादन के लिए उसकी जांच की गई है। हमने अंतर्निहित स्रोत प्रणालियों से डेटा की पूर्णता और सटीकता का भी परीक्षण किया है, स्वचालित गणना की जांच की है और बैंक के ओवरसाइट पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया है।</p> <p>हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नियामक पैकेज के अनुसार उधारकर्ताओं को अधिस्थगन प्रदान करने के लिए बैंक की प्रक्रिया की समीक्षा की है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियामक पैकेज के अनुरूप सामान्य प्रावधानों की गणना के लिए उपयोग किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता का परीक्षण किया है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के संबंध में, हमने प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित मान्यताओं और अनुमानों की व्यापक रूप से समीक्षा की, लेकिन जैसा कि प्रभाव की सीमा भविष्य की स्थिति पर निर्भर है और उसमें काफी अनिश्चितताएं हैं, हमने मुख्य रूप से उन मान्यताओं और अनुमानों पर विश्वास किया है, जो बैंक की आवधिक समीक्षा के अधीन हैं। साथ ही हमने सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित अनुसूचियों के आधार पर प्रधान कार्यालय में पुनर्रचित खातों के आंकड़ों के संकलन पर भी भरोसा किया है।</p>

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		<p>grading against the Bank's lending policies, IRAC Norms and in accordance with Government Policies.</p> <p>We have examined the Retail advances portfolio of the Bank on sampling basis to ensure effective monitoring and implementation of IRAC norms including income recognition, provisioning for such loans. The Bank has adopted Loan Life Cycle Management System for retail loans which effectively monitors, controls, the retail portfolio of the Bank and is tested for its effective implementation and performance. We have also tested the completeness and accuracy of the data from the underlying source systems, tested the automated calculation and evaluated the bank's oversight of the portfolio.</p> <p>We have reviewed the Bank's process for granting moratorium and restructuring to borrowers as per the Regulatory Package announced by RBI. We tested the completeness and accuracy of data used for computing general provisions in line with regulatory package issued by RBI. With respect to additional provision made by the Bank on account of the impact of COVID 19 pandemic, we broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for the same but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. Also we have relied on the compilation of the data of the restructured accounts at Head office based on the schedules audited by the statutory branch auditors.</p>



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमने एनपीए से संबंधित प्रासंगिक आरबीआई आवश्यकताओं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम एवं आरबीआई परिपत्रों के अनुसार निर्मित लागू लेखा मानकों पर प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है। हमने अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के साथ विशिष्ट संप्रेषण कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी निर्भरता रखी है।
2.	निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण: (एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 3 का संदर्भ लें।) खरीद के समयनिवेश को व्यापार हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है।	हमने बैंक के वर्गीकरण, मूल्यांकन प्रक्रिया, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन की दिशा में प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है, जिसमें प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन शामिल हैं। हमने प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझने तथा वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी स्थिति की पहचान करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान नमूना आधार पर निवेश करार/ प्रविष्ट टर्म शीट की जांच की है। बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं और अनुपालन तथा मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, निवेश के लिए प्रावधान एवं बैंक द्वारा अपनाई गई प्रासंगिक नीतियों व प्रक्रियाओं के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और संबद्ध प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है। हमने प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन में सुधार करके भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों को अपनाने की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण किया।

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have examined the adequacy and appropriateness of disclosures against the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars. We have also placed reliance on the Audit reports of the other Statutory Branch Auditors, with whom we have made specific communications.
2.	Classification and Valuation of Investments: (Refer Note No. 3 of Schedule 17 of Significant Accounting policies to the Standalone Financial Statements) Investments are classified into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines. Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank. Impact of Impairment assessment is having overall significance to the financial results of the Bank.	We have tested the design, implementation and operating effectiveness of management's key internal controls of the Bank towards classification, valuation process, independent price verification, including the Bank's review and approval of the estimates and assumptions used for the valuation including key authorisation and data input controls. We have examined the investment agreement / term sheet entered into during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments. Our Audit approach towards Investment Portfolio of the bank is based on compliance and requirements of RBI circulars and directives in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provision for Investments and relevant policies and procedures adopted by the Bank including effective implementation of Internal control system and related process.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	<p>बैंक के निवेश से आय में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कुल आय का 27.98% शामिल है जिसमें गैर-निष्पादित निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल हैं जिन्हें हमने इस पहलू को मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में पहचाना है।</p>	<p>प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर जोखिम भारित निवेशों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नमूने तकनीकों को अपनाया गया और बैंक के वित्तीय विवरणों में इसके वहन मूल्य के लिए परीक्षण किया गया।</p> <p>हमने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और मूल्यहास के स्वतंत्र जांच की विधि द्वारा बैंक के गैर निष्पादित निवेशों का सत्यापन किया है और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की है। हमारे द्वारा ब्याज/ मूलधन के रूपांतरण के परिणामस्वरूप निवेशों की एक अलग सूची प्राप्त की और जांच की गई कि क्या इन निवेशों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए चुने गए नमूनों में बैंक की आय पर भौतिक प्रभाव को कवर करने के लिए निवेश की अधिकतम श्रेणियां शामिल हैं।</p> <p>हमारे द्वारा नमूना आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के निवेशों की जांच की गई और आय निर्धारण, विक्रय पर लाभ या हानि में विभिन्न विश्लेषणकारी पद्धतियों को लागू किया गया तथा लाभ व हानि में नामे/ जमा करने के जरिए बैंक द्वारा नियंत्रण रखा गया।</p> <p>हमारे द्वारा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) निवेशों का परीक्षण किया गया और परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) के क्रय/ विक्रय के संव्यवहारों की जांच की तथा लाभ और हानि खाते से लाभ/ हानि की पहचान कर टीआईबीडी द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को लागू किया तत्पश्चात “पूँजीगत आरक्षित खाते” को विनियोजित किया गया।</p>

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	<p>Interest Income from Investment of the Bank comprises 27.98% of the total income in view of these significant points including assessment of non performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter.</p>	<p>We tested accuracy and completeness of adoption of RBI guidelines and directions by reperforming valuations for each category of the securities. Various sampling techniques were adopted to ensure coverage of risk weighted Investments based on the nature of security and were tested for its carrying value in the Financial Statements of the Bank.</p> <p>We have verified the non performing investments of the bank by the method of independent verification of provisions and depreciation in accordance with RBI guidelines and confirmed the compliance of such guidelines. We have reviewed the application / conversion of interest / principal towards a separate List of Investments and checking whether these Investments are classified as NPI. The samples selected for the same covers the majority categories of Investments to cover the material impact on the income of the Bank.</p> <p>We have verified Investment portfolio of AFS and HFT on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tracked the controls implemented by the Bank through credit / debit in the profit and loss account.</p> <p>We have tested the portfolio of HTM and made detailed verification of transaction of purchase / sale of such HTM and controls implemented by the TIBD in recognizing the profit / loss to profit and loss account and subsequent appropriation to Capital Reserve Account.</p>



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमने निवेश की प्रत्येक श्रेणी के मूल्यहास और हानि की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान को फिर से दोहराया है और यह सुनिश्चित किया है कि नोटों से खातों में पर्याप्त प्रकटन किए गए हैं।
3.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा : ऑटोमेशन व एप्लिकेशन के माध्यम से अधिक मात्रा में व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करने के लिए बैंक के मुख्य व्यवसाय उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन, नियंत्रण, निगरानी, कार्यान्वयन कंप्यूटर आई आर्किटेक्चर के माध्यम से किया जाता है, जोकि बैंकिंग व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा व्यवसाय लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकबोन के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आय की मान्यता के संबंध में बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया, आईआरएसी मानदंडों के माध्यम से आस्तियों का वर्गीकरण तथा बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और विभिन्न एप्लिकेशन के माध्यम से वांछित आउटपुट प्रदान करने तथा अन्य आईटी सामान्य नियंत्रण आवश्यक व्यावसायिक आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए और गुणवत्ता प्रदर्शन वित्तीय और लेखा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु हमारी सहायता करता है। हमने विभिन्न उत्पादों और योजनाओं को लागू करने में विभिन्न अनुप्रयोग और नियंत्रण ढांचे की पहचान की है जो बैंक व्यवसाय के अधिकांश भाग को कवर करते हैं और इसलिए हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नियंत्रण को एक मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में मानते हैं।	सूचना प्रौद्योगिकी बैंक के विभिन्न एप्लिकेशन, जनरल, सॉफ्टवेयर नियंत्रणों के माध्यम से बैंक की परिचालन आवश्यकताओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाती है और बैंक की जोखिम आधारित और व्यावसायिक केंद्रित आवश्यकताओं के मूल्यांकन में विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समझ की आवश्यकता होती है। हमने उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, प्रणाली सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रिया, कार्य का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित विभिन्न आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन की दिशा में है। हमारे द्वारा विभिन्न तकनीकों को अपनाया गया जैसे कि जांच-पड़ताल; हमारे परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने लेकर विभिन्न एप्लिकेशन नियंत्रणों के दस्तावे. जीकरण, अभिलेख, रिपोर्ट, अवलोकन और पुनः प्रदर्शन की समीक्षा। हमने निगेटिव जांच तकनीक के उपयोग से वैधता की जांच का परीक्षण भी किया गया। हमारे द्वारा विभिन्न क्षतिपूर्ति नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और वैकल्पिक प्रक्रियाओं का

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have examined the adequacy and appropriateness of depreciation and Impairment of each category of Investment and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Guidelines and ensured that adequate disclosures have been made in Notes to Accounts.
3.	Information Technology Systems and Control Framework: The Bank's key business objective is determined evaluated, controlled, monitored, implemented through complex IT architecture to support high volume of business operation by automation and application which are significant towards Banking business and plays a major role as a backbone in achieving the Business Objective. The Bank's financial accounting process in respect of recognition of Income, classification of Assets through IRAC Norms and evaluating the performance of the Bank and producing the desired output through various application and other IT general controls to ensure the required business Output and helps us to arrive at the Audit conclusion to ensure quality performance Financial & Accounting Processes. We have identified various application and control framework in implementing various products and schemes which covers majority of Bank's business and hence we consider Information Technology Systems and Control as a Key Audit Matter.	Information Technology forms an integral part of operating requirements of the Bank by way of various applications, general, software controls and requires understanding of various systems and procedures in evaluating the Risk based and business centric requirements of the Bank. We have reviewed the various IT policies and procedures including user management, change management, system security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duty, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure these are in line with business requirements of the Bank and to comply with government and RBI regulations. We have adopted various techniques such as enquiry, review of documentation, record, reports, observation, and re performance of various application controls by taking adequate samples of instances for our test. We have also tested validation checks using negative testing technique. We have tested various compensating controls and performed alternate procedures which were necessary and gathered a comprehensive

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		<p>निष्पादन किया गया जो आवश्यक थे और बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग परिदृश्य की व्यापक समझ एकत्रित की। इसके बाद प्रयोग की मैपिंग को समझने और लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न वित्तीय जोखिम को समझने की प्रक्रिया का पालन किया गया।</p> <p>हमारे द्वारा पासवर्ड नीतियों, सुरक्षा कॉन्फिगरेशन, सिस्टम इंटरफ़ेस जैसे एप्लीकेशन और डेटाबेस और उस व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के परिवर्तनों पर नियंत्रण का भी आकलन किया गया तथा यह नियंत्रण सुनिश्चित किया गया कि डेवलपर्स और प्रोडक्शन सपोर्ट के पास एप्लीकेशन को बदलने के लिए पहुंच नहीं है, कार्यों का समुचित पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वातावरण में ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस, एसओपी के अनुसार बनाया गया है।</p> <p>हमारे द्वारा नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधन तंत्र पर साइबर सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, प्रमुख सूचना अवसंरचना के परिचालन सुरक्षा, डेटा और क्लाउड सूचना प्रबंधन, निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन को हमारे द्वारा आयोजित कुछ डेटा ड्रिल के माध्यम से और आवश्यक परिणामों की तुलना करने के लिए परीक्षण किया है।</p> <p>हमारे द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा शुरू की गई व्यापार निरंतरता योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया गया और कोविड-19 की परिस्थितियों के अंतर्गत निरंतरता तथा वृद्धि सुनिश्चित की।</p>

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		<p>understanding of IT applications landscape implemented by the Bank. It was followed by process understanding mapping of application to the same and understanding financial risk posed by people, process and technology.</p> <p>We have also assessed areas including password policies, security configuration, system interface controls over changes to applications and databases and that business users and controls to ensure that developers and production support did not have access to change applications, the operating systems or databases in the production environment to ensure proper segregation of duties is in place as per the SOP.</p> <p>We have tested certain critical aspects of cyber security on network security management mechanism, operational security of key information infrastructure, data and client information management, monitoring and emergency management. through certain data drill conducted by the Management and scrutinised by us and comparing the required results.</p> <p>We have also assessed the requirement of the implementation of Business Continuity Plan initiated by the Bank due to impact of COVID -19 pandemic and ensured sustainability and growth under COVID -19 circumstances.</p> <p>We have verified the testing report carried out by the Management on risk of implementation of security control in a more holistic, comprehensive way,</p>



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमने प्रबंधन द्वारा अधिक समग्र, व्यापक तरीके से किए गए सुरक्षा नियंत्रण के कार्यान्वयन के जोखिम का परीक्षण किया है, ताकि सुनिश्चित हो कि सभी व्यावसायिक निर्णय बैंक के उद्देश्य पर अनिश्चितताओं के समग्र प्रभाव को देखते हुए उचित जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन पर आधारित हैं।
4.	<p>प्रावधान और आकस्मिक देयताएं :</p> <p>अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण (अनुसूची 17 की नोट क्र.10 और अनुसूची 18 की टिप्पणी क्र.16) के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन।</p> <p>प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।</p> <p>हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है।</p>	<p>हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है।</p> <p>मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;</p> <p>प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना। महत्वपूर्ण मुकदमों और करधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/ कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।</p>

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		ensuring that all business decisions are based on proper Risk assessment and management considering the overall effect of uncertainties on the Bank's Objective.
4.	<p>Provisions and Contingent Liability:</p> <p>Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 10 of Schedule 17 and Note No. 16 of Schedule 18)</p> <p>There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet.</p> <p>We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law.</p>	<p>We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.</p> <p>Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon;</p> <p>Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues.</p> <p>Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters.</p> <p>Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved.</p>

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
5.	<p>कोविड-19 प्रकोप के आलोक में अपनाई गई संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि :</p> <p>कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा हमारे लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण भौतिक रूप से शाखा को भेंट देना संभव नहीं था। अतः बैंकों को लेखापरीक्षा अन्य स्थान से करने के निर्देश जारी किए गए। परिणामस्वरूप बैंक की कई शाखाओं/अंचलों/प्रधान कार्यालय के परिसर को भेंट देकर लेखापरीक्षा संपन्न नहीं की जा सकी। चूंकि हम व्यक्तिगत/भौतिक रूप से लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और शाखाओं/अंचल/प्रधान कार्यालय के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी नहीं की जा सकी। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि को अन्य स्थानों से करने के लिए संशोधित किया गया। हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि की पहचान प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।</p>	<p>कोविड-19 महामारी के कारण हमने लेखापरीक्षा राय बनाने और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि संपादित की। संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि को पूरा करने के लिए बैंक ने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक रिपोर्टों और दस्तावेजों को देखने के लिए बैंक के नेटवर्क पर हमें एक कस्टमाइज्ड इंटरनेट पोर्टल उपलब्ध कराया है।</p> <p>हमारे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल है;</p> <p>कोविड-19 के कारण जहां भौतिक रूप से जाना निषिद्ध था, बैंक की उन शाखाओं/अंचलों के संबंध में रिमोट एक्सेस/ई-मेल के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों/सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन किया गया।</p> <p>दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां, विलेख, प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया गया और प्रतियां प्राप्त की गईं।</p> <p>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संवादों और फोन कॉल/कॉन्फ्रेंस कॉल, ई-मेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूछताछ की गई।</p> <p>4. हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान पदनामित पदाधिकारियों के साथ आमने-सामने की चर्चा की बजाय टेलीफोन/ई-मेल के माध्यम से किया गया।</p>

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के तहत स्तंभ III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
5.	<p>Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:</p> <p>In view of the COVID-19 pandemic, lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities at some of the branches and Zones during the period of our audit, the Bank too facilitated carrying out audit remotely. In some cases, audit could not be conducted by visiting the premises of some of the Branches and Zonal offices of the bank. As some of the auditors could not obtain audit evidence in person / physically and personal interactions with the officials at the Branches and Zonal offices, accordingly our Audit procedures were modified to carry out the Audit remotely.</p> <p>We have identified such modified Audit Procedure as Key Audit Matter.</p>	<p>Due to the COVID-19 Pandemic, we carried out modified audit procedures to obtain reasonable assurance to form an audit opinion. To carry out modified audit procedure, the Bank has made available to us a customized intranet portals hosted on Bank's network enabling us to access reports and documents we sought necessary for the purpose of Audit.</p> <p>Our modified audit procedure included;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducted verification of necessary records / documents / CBS and other application software electronically through remote access / emails in respect of some of the Branches / zones of the Bank wherever physical access was prohibited due to COVID-19. 2. Obtained and carried out verification of scanned copies of documents, deeds, certificates, and other related records. 3. Made enquiries to obtain necessary audit evidence through video conferencing, dialogues, and discussions over phone calls / conference calls, emails, and similar communication channels. 4. Resolved our audit observations telephonically / through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors are responsible for other information. The other information comprises the information other than Standalone Financial Statements and our Auditors' Report thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosure.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure we do not express any form of assurance / conclusion thereon

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं। यदि, अन्य जानकारी पढ़ने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट "अभिशासन हेतु प्रभाषित" को करना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभाषित का उत्तरदायित्व

6. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय एकल विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जो समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण हैं, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन बैंक को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल या तो बैंक का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसा के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसा के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त :

- > वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- > लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए

In connection with our Audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Other Information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matters to 'Those charged with Governance'.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's Financial Reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- > Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- > Obtain an understanding of Internal Control relevant to the Audit

समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं हैं।

- > उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।
- > प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि यह हमारा निष्कर्ष होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी एकल लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं तथापि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।
- > प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त करते हैं, का मूल्यांकन करना। भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों के साथ संवाद करते हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंधित हैं। हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि ऐसे किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

अन्य मामले

8. हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 778 शाखाओं के वित्तीय विवरणों /जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2022 को रु.60536.11 के कुल अग्रिम दर्शाती है और जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु.4778.90 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों /सूचनाओं को सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और हमारी राय में अब तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, जो पूरी तरह से ऐसे सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा, हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 1239 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च

in order to design Audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- > Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- > Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- > Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with Those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with Those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

8. We did not audit the financial statements / information of 778 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / Financial Information reflect total advances of Rs. 60536.11 crores as at March 31, 2022 and total revenue of Rs. 4778.90 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. The Financial Statements / Information of these branches have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such Statutory Branch Auditors. Further we did not audit the Financial Statements of 1239 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose Financial Statements reflect total advances of Rs. 19043.09 Crores as at March 31, 2022 and total revenue of Rs.



2022 को कुल रु. 19043.09 करोड़ के कुल अग्रिम दर्शाते हैं और प्रबंधन द्वारा विचार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता अनुसार उस दिन समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु. 1630.65 करोड़ दर्शाते हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता तैयार किया गया है।
10. उपर्युक्त परिच्छेद 6 से 9 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ख) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और
 - ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।
11. “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व” पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को आरबीआई द्वारा जारी पत्र क्र. डीओएस. एआरजी.क्र. 6270/08.91.001/ 2019-20 और उसके बाद के दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित की आवश्यकताओं के अनुसार, हम उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:
 - क) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
 - ख) वित्तीय संव्यवहार या मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - ग) 31 मार्च, 2022 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च, 2022 तक किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
 - घ) खातों और इससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
 - ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावात्मकता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

- क) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां बैंक द्वारा रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनको हमने भेंट नहीं दी है;
- ख) इस रिपोर्ट द्वारा संचलित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के विवरण संबंधित लेखा बहियों और हमारे द्वारा भेंट नहीं दी गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसरण में हैं।
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है और

1630.65 Crores for the year ended on that date as considered in the Standalone Financial Statements have been drawn by the management.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 9 above and as required by sub section 3 of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
11. As required by letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on “Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20”, read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
 - c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2022, none of the directors is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
 - d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank’s internal financial controls over financial reporting is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting as at March 31, 2022.

12. We further report that:

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

- घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।
- d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

<p>कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित एफआरएन: 101048डब्ल्यू सनदी लेखाकार for M/s. Batliboi & Purohit FRN: 101048W Chartered Accountants सीए रमन हंगेकर भागीदार सदस्यता क्र: 030615 यूडीआईएन: 22030615AJNXLE6110 CA Raman Hangekar Partner Membership No: 030615 UDIN - 22030615AJNXLE6110</p>	<p>कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन एफआरएन: 000003एस सनदी लेखाकार for M/s. Abarna & Ananthan FRN: 000003S Chartered Accountants सीए क्लेमेंट ग्रेटियन पिंटो भागीदार सदस्यता क्र: 023238 यूडीआईएन: 22023238AJNWWWE2412 CA Clement Gratian Pinto Partner Membership No: 023238 UDIN - 22023238AJNWWWE2412</p>	<p>कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी एफआरएन: 108846डब्ल्यू सनदी लेखाकार for M/s. Rodi Dabir & Co. FRN:108846W Chartered Accountants सीए आशीष बडगे भागीदार सदस्यता क्र: 121073 यूडीआईएन: 22121073AJNYYE07811 CA Aashish Badge Partner Membership No: 121073 UDIN - 22121073AJNYYE07811</p>	<p>कृते मैसर्स एस भंडारी एंड कंपनी. एफआरएन-000560सी सनदी लेखाकार For M/s. S Bhandari & Co. FRN-000560C Chartered Accountants सीए प्रमिति पारीक भागीदार सदस्यता क्र: 417124 यूडीआईएन: 22417124AJNXPDP4889 CA Pramiti Pareek Partner Membership No: 417124 UDIN - 22417124AJNXPDP4889</p>
<p>स्थान : पुणे दिनांक : 25 मई, 2022</p>	<p>Place : Pune Date : 25th May, 2022</p>		

अनुलग्नक “ए” स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

मेसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित 204, नैशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 703	मेसर्स अबर्णा एंड अनन्थन 521, तीसरी मंजिल, 6 ब्लॉक, 2 फेज बीएसके 3 स्टेज, बेंगलूरु - 560 085
मेसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी सनदी लेखाकार 282, कपोश हाउस, माता मंदीर रोड खरे टाउन, धरमपेट, नागपुर - 440010	मेसर्स एस. भंडारी एंड कंपनी सनदी लेखाकार पी-7, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर - 302 005

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 9 अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट “खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 11 ई में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) (“आरबीआई संचार”) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च, 2022 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र (“बैंक”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और रोकथाम लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों (एसएएस) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (“मार्गदर्शन नोट”) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और उसे बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी

ANNEXURE “A” TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

M/s. Batliboi & Purohit 204, National Insurance Building, 2nd Floor, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001.	M/s. Abarna & Ananthan 521, 3rd Main 6th Block, 2nd Phase BSK 3rd Stage, Bengaluru - 560 085.
M/s. Rodi Dabir & Co. Chartered Accountants, 282, Kapish House, Mata Mandir Road, Khare Town, Dharampeth, Nagpur - 440 010.	M/s. S Bhandari & Co. Chartered Accountants, P-7, TilakMarg, C-Scheme, Jaipur - 302 005.

(Referred to in paragraph 11 e under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the “RBI communication”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Bank of Maharashtra (“the Bank”) as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank’s branches.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls:

The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend

गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, जो नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संबंध में है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

- (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, उचित विवरण में, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और प्रकृति को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि संव्यवहारों को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा
- (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण शामिल हैं या हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की श्रेणी का ह्रास हो सकता है।

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे थे।

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट, जहां तक यह 103 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे परीक्षण के दौरान और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे द्वारा कुछ कमियां देखी गईं जिन्हें हमने बैंक को सूचित किया था। बैंक को मौजूदा जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स

on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 103 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

During our testing of the internal financial controls over financial reporting and based on the report of the branch auditors, certain deficiencies were noticed by us which were communicated by us to the bank. Bank needs to further strengthen the process including



(आरसीएम) में बदलाव, कुछ और आरसीएम डिजाइन करने और बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

alteration of the existing Risk Control Matrix (RCM), designing few more RCMs and imparting training to the staff to further strengthen the internal financial controls over financial reporting of the Bank.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date attached.

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनंथन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स एस भंडारी एंड कंपनी.
एफआरएन-000560सी
सनदी लेखाकार
For M/s. S Bhandari & Co.
FRN-000560C
Chartered Accountants

सीए रमन हंगेकर

भागीदार

सदस्यता क्र: 030615

यूडीआईएन: 22030615AJNXLE6110

CA Raman Hangekar

Partner

Membership No: 030615

UDIN - 22030615AJNXLE6110

सीए क्लेमेंट ग्रेटियन पिंटो

भागीदार

सदस्यता क्र: 023238

यूडीआईएन: 22023238AJNWWE2412

CA Clement Gratian Pinto

Partner

Membership No: 023238

UDIN - 22023238AJNWWE2412

सीए आशीष बडगे

भागीदार

सदस्यता क्र: 121073

यूडीआईएन: 22121073AJNYEO7811

CA Aashish Badge

Partner

Membership No: 121073

UDIN - 22121073AJNYEO7811

सीए प्रमिति पारीक

भागीदार

सदस्यता क्र: 417124

यूडीआईएन: 22417124AJNXPD4889

CA Pramiti Pareek

Partner

Membership No: 417124

UDIN - 22417124AJNXPD4889

स्थान : पुणे

दिनांक : 25 मई, 2022

Place : Pune

Date : 25th May, 2022

पिलर 3 प्रकटन - 31 मार्च 2022

31 मार्च 2022 के बेसल - III पिलर 3 प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर प्रकटन खंड के अंतर्गत उपलब्ध किए गए हैं। ब्योरो के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट लिंक को भेंट दें -

https://bankofmaharashtra.in/basel_iii_disclosure

Pillar 3 Disclosures - 31st Mar 2022

Basel - III Pillar 3 disclosures as 31st March 2022 is made available on Bank's website under "Disclosure" section. For details, please visit our official website link -

https://bankofmaharashtra.in/basel_iii_disclosure



This page has been intentionally left blank

समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements



31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

अनुसूची Schedule	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2021 (Previous Year)	
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	6730 ,49 ,64	6560 ,15 ,89
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	7331 ,37 ,62	5748 ,13 ,11
अल्पसंख्यक हित Minority Interest	2A	-	-
जमाशियां Deposits	3	202275 ,25 ,42	173989 ,29 ,67
उधारियां Borrowings	4	7746 ,74 ,19	4238 ,75 ,12
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6699 ,59 ,47	6298 ,77 ,34
कुल TOTAL		230783 ,46 ,34	196835 ,11 ,13
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	19721 ,92 ,92	12882 ,48 ,44
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	194 ,08 ,74	59 ,29 ,56
निवेश Investments	8	68761 ,56 ,32	68281 ,44 ,38
अग्रिम Advances	9	131170 ,43 ,89	102405 ,16 ,68
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	2241 ,66 ,01	1674 ,00 ,39
अन्य आस्तियां Other Assets	11	8693 ,78 ,46	11532 ,71 ,68
कुल TOTAL		230783 ,46 ,34	196835 ,11 ,13
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	30613 ,56 ,04	31127 ,72 ,44
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		5819 ,51 ,14	4988 ,84 ,18
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों के अभिन्न भाग हैं।
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

सरदार बलजीत सिंह निदेशक SARDAR BALJIT SINGH DIRECTOR	शशांक श्रीवास्तव निदेशक SHASHANK SHRIVASTAVA DIRECTOR	राकेश कुमार निदेशक RAKESH KUMAR DIRECTOR	मनोज के. वर्मा निदेशक MANOJ K. VERMA DIRECTOR
ललित कुमार चंदेल निदेशक LALIT KUMAR CHANDEL DIRECTOR	आशीष पाण्डेय कार्यपालक निदेशक ASHEESH PANDEY EXECUTIVE DIRECTOR	ए. बी. विजयकुमार कार्यपालक निदेशक A.B. VIJAYAKUMAR EXECUTIVE DIRECTOR	ए. एस. राजीव प्रबंध निदेशक एवं सीईओ A.S. RAJEEV MANAGING DIRECTOR & CEO
मुदित अग्रवाल सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा MUDIT AGARWAL ASST. GENERAL MANAGER, FM&A	कमल कुमार ठाकुर सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा KAMAL KUMAR THAKUR ASST. GENERAL MANAGER, FM&A		वी. पी. श्रीवास्तव महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा और मुविअ V P SRIVASTAVA GENERAL MANAGER, FM&A & CFO

स्थान : पुणे
दिनांक : 25 मई, 2022

Place : Pune
Date : 25th May, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

अनुसूची Schedule	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Previous Year)	
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	13019,30,87	11868,63,01
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/ हानि का अंश Share of earnings/ loss in Associates		1,79,24	20,05,89
अन्य आय Other Income	14	2652,85,90	2628,92,78
कुल TOTAL		15673,96,01	14517,61,68
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	6973,96,05	6970,18,36
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	3850,03,39	3565,90,68
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		3696,53,64	3410,06,24
कुल TOTAL		14520,53,08	13946,15,28
लाभ/हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year		1153,42,93	571,46,40
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		167,95,65	-7254,91,63
जोड़ें : शेयर प्रीमियम और विशेष आरक्षिति के प्रति समायोजित आगे लायी गई हानि Add: b/f losses adjusted against Share premium and Special Reserve		-	7349,50,08
कुल TOTAL		1321,38,58	666,04,85
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		287,88,40	137,56,29
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		83,69,37	184,52,91
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		-	-
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		-	-
निवेश अस्थिर आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		23,10,00	176,00,00
लाभांश पर कर Proposed Dividend (Equity)		336,52,48	-
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		590,18,33	167,95,65
कुल TOTAL		1321,38,58	666,04,85
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (रुपये) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)		1.73	0.91

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

<p>कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित एफआरएन: 101048डब्ल्यू सनदी लेखाकार for M/s. Batliboi & Purohit FRN: 101048W Chartered Accountants</p>	<p>कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनन्थन एफआरएन: 000003एस सनदी लेखाकार for M/s. Abarna & Ananthan FRN: 000003S Chartered Accountants</p>	<p>कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी एफआरएन: 108846डब्ल्यू सनदी लेखाकार for M/s. Rodi Dabir & Co. FRN:108846W Chartered Accountants</p>	<p>कृते मैसर्स एस भंडारी एंड कंपनी. एफआरएन-000560सी सनदी लेखाकार For M/s. S Bhandari & Co. FRN-000560C Chartered Accountants</p>
<p>सीए रमन हंगेकर भागीदार सदस्यता क्र: 030615 यूडीआईएन: 22030615AJNZOW2893 CA Raman Hangekar Partner Membership No: 030615 UDIN - 22030615AJNZOW2893</p>	<p>सीए क्लेमेंट ग्रेटियन पिंटो भागीदार सदस्यता क्र: 023238 यूडीआईएन: 22023238AJNWWS2748 CA Clement Gratian Pinto Partner Membership No: 023238 UDIN - 22023238AJNWWS2748</p>	<p>सीए आशीष बडगे भागीदार सदस्यता क्र: 121073 यूडीआईएन: 22121073AJNYHI1726 CA Aashish Badge Partner Membership No: 121073 UDIN - 22121073AJNYHI1726</p>	<p>सीए प्रमिति पारीक भागीदार सदस्यता क्र: 417124 यूडीआईएन: 22417124AJNXPW4554 CA Pramiti Pareek Partner Membership No: 417124 UDIN - 22417124AJNXPW4554</p>

स्थान : पुणे
दिनांक : 25 मई, 2022

Place : Pune
Date : 25th May, 2022



अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE - 1 : CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,00,00,00,000) 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous year 10,00,00,00,000) of ₹ 10/- each		<u>100,000,000</u>		<u>100,000,000</u>
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
प्रत्येक ₹ 10/- के 673,04,96,447 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 656,01,58,901) 673,04,96,447 Equity Shares (Previous year 656,01,58,901) of Rs.10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance		<u>65,601,589</u>		<u>65,601,589</u>
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year		<u>1,703,375</u>	<u>67,304,964</u>	<u>-</u>
				<u>65,601,589</u>
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government				
प्रत्येक ₹ 10/- के 612,26,27,927 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 612,26,27,927) 612,26,27,927 (Previous year 612,26,27,927) Equity shares of ₹ 10/- each		<u>61,226,279</u>		<u>61,226,279</u>
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others				
प्रत्येक ₹ 10/- के 60,78,68,520 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 43,75,30,974) 60,78,68,520 (Previous year 43,75,30,974) Equity Shares of ₹.10/- each		<u>6,078,685</u>		<u>4,375,310</u>
घटाएँ : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due		<u>-</u>	<u>67,304,964</u>	<u>-</u>
कुल TOTAL		<u>67,304,964</u>	<u>67,304,964</u>	<u>65,601,589</u>

अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance		<u>15,069,229</u>		<u>13,693,600</u>
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year		<u>2,878,840</u>	<u>17,948,069</u>	<u>1,375,629</u>
				<u>15,069,229</u>
II. पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance		<u>6,015,707</u>		<u>4,170,416</u>
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year		<u>836,937</u>		<u>1,845,291</u>
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year		<u>-</u>	<u>6,852,644</u>	<u>-</u>
				<u>6,015,707</u>
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance		<u>949,504</u>		<u>-</u>
iii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year		<u>2,333,624</u>	<u>3,283,128</u>	<u>949,504</u>
				<u>949,504</u>
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ REVENUE AND OTHER RESERVES				
क) राजस्व आरक्षिति a) REVENUE RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance		<u>17,498,470</u>		<u>16,613,006</u>
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year		<u>1,286,357</u>		<u>885,464</u>
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year		<u>-</u>	<u>18,784,827</u>	<u>-</u>
				<u>17,498,470</u>
ख) विशेष आरक्षिति b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance		<u>5,12,604</u>		<u>49,80,000</u>
iii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year		<u>-</u>	<u>5,12,604</u>	<u>44,67,396</u>
				<u>5,12,604</u>

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
ग) पुनर्मूल्यन आरक्षित c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1,17,26,232		1,26,45,217	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1,70,56,014		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	1,30,12,589	1,57,69,657	9,18,985	1,17,26,232
घ) निवेश आरक्षित खाता				
d) INVESTMENT FLUETUATION RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	40,30,000		22,70,000	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	2,31,000		17,60,000	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	-	42,61,000	-	40,30,000
V. लाभ व हानि खाते में शेष				
BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT				
iii) लाभ / हानि खाते में शेष Balance of Profit /Loss	5,901,833	5,901,833	16,79,565	16,79,565
कुल TOTAL (I, II, III, IV & V)		73,313,762		5,74,81,311

अनुसूची - 2 क अल्पसंख्यक हित

SCHEDULE - 2A MINORITY INTEREST

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 को As on 31st March 2022 (चालू वर्ष) (Current Year)	31 मार्च 2021 को As on 31st March 2021 (पिछला वर्ष) (Previous Year)
अल्पसंख्यक हित Minority Interest	शून्य Nil	शून्य Nil

अनुसूची - 3 : जमा राशियां

SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
क A. मांग जमा राशियां DEMAND DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	107,03,26		64,56,44	
ii) अन्यो से From others	28070,00,08	28177,03,34	18478,23,50	18542,79,94
II. बचत बैंक जमा राशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		88856,24,34		75401,53,00
III. मीयादी जमा राशियां TERM DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	459,91,52		242,38,92	
ii) अन्यो से From others	84782,06,22	85241,97,74	79802,57,81	80044,96,73
कुल TOTAL (i, ii & iii)		202275,25,42		173989,29,67
ख B. (i) विदेश में स्थित कार्यालयों सहित भारत में अनुषंगियों की जमा राशियां, यदि कोई हो तो		-		-
Deposits of subsidiaries in India including foreign offices, if any				
(ii) भारत के बाहर तथा भारत में स्थित अनुषंगियों की जमा राशियां, यदि कोई हो तो		-		-
Deposits of subsidiaries outside India including Indian offices, if any				
(iii) मूल इकाई की जमा राशियां Deposits of Parent		202275,25,42		173989,29,67
कुल TOTAL (i, ii & iii)		202275,25,42		173989,29,67
ग.C. (i) भारत में मूल इकाई की जमा राशियां Deposits of parent in India		202275,25,42		173989,29,67
(ii) भारत में अनुषंगियों की जमा राशियां Deposits of subsidiaries in India		-		-
(iii) भारत में कुल जमा राशियां Total Deposits in India (i + ii)		202275,25,42		173989,29,67
(iv) भारत के बाहर मूल इकाई की जमा राशियां Deposits of parent outside India		-		-
(v) भारत के बाहर अनुषंगियों की जमा राशियां Deposits of subsidiaries outside India		-		-
(vi) भारत के बाहर कुल जमा राशियां Total Deposits outside India (iv + v)		-		-
कुल TOTAL (III & VI)		-		-
कुल TOTAL (C iii + C vi)		202275,25,42		173989,29,67



अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank Of India	500,00,00	500,00,00
ii) अन्य बैंकों से Other Banks	-	-
iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	3351,04,19	51,59,79
iv) डिबेंचर Debenture	-	-
v) अन्य उधारियां Other Borrowings		
क) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	290,00,00	-
ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	-	-
ग) गौण ऋण बांड c) Subordinated Debt Bonds	3605,70,00	2605,70,00
घ) इन्फ्रा बांड d) Infra Bonds	-	4157,29,79
	7746,74,19	1000,00,00
II. भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA	-	81,45,33
कुल TOTAL (I & II)	7746,74,19	4238,75,12
III. उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं. SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE	3694,69,19	500,04,79

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. देय बिल Bills Payable	809,96,29	726,94,18
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
a. मूल कंपनी Parent Company	749,26,05	644,22,49
b. अनुषंगी Subsidiary	-	-
III. अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)	-	-
IV. उपचित ब्याज Interest Accrued	272,75,75	318,25,89
V. अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):		
a. मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	1635,62,85	1339,57,47
b. अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	3231,98,53	4609,34,78
जोड़ TOTAL	6699,59,47	6298,77,34

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल है) Cash in hand (including foreign currency notes)		1123 ,44 ,13		1006 ,85 ,77
II. भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
i) चालू खातों में In Current Accounts	9898 ,48 ,79		6390 ,62 ,67	
ii) अन्य खातों में In other Accounts	8700 ,00 ,00	18598 ,48 ,79	5485 ,00 ,00	11875 ,62 ,67
कुल TOTAL (I & II)		19721 ,92 ,92		12882 ,48 ,44

अनुसूची - 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	13 ,80 ,22		26 ,19 ,79	
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	15 ,18 ,56	28 ,98 ,78	15 ,18 ,57	41 ,38 ,36
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास				
(a) With Banks	-		-	
(ख) अन्य संस्थानों के पास				
(b) With Other Institutions	139 ,05 ,27	139 ,05 ,27	-	-
कुल TOTAL (i & ii)		168 ,04 ,05		41 ,38 ,36
II. भारत के बाहर Outside India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	26 ,04 ,69		-	
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	-		17 ,91 ,20	
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
(c) Money at Call & Short Notice	-	26 ,04 ,69	-	17 ,91 ,20
कुल TOTAL		26 ,04 ,69		17 ,91 ,20
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		194 ,08 ,74		59 ,29 ,56



अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 को (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 को (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. भारत में निवेश Investments in India in		
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित)		
a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	63410 ,30 ,39	61115 ,15 ,64
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
b) Other approved securities	-	-
ग) शेयर्स		
c) Shares	274 ,40 ,56	292 ,61 ,34
घ) डिबेंचर्स और बांड		
d) Debentures and Bonds	4308 ,80 ,21	4985 ,23 ,01
ङ) सहायक कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यम (₹ 231822 की साख सहित, गत वर्ष ₹ 231822)		
e) Investment in Associates (Including Goodwill of ₹ 231822, previous year ₹231822)	244 ,02 ,52	242 ,23 ,28
च) अन्य		
f) Others		
i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	235 ,21 ,94	373 ,36 ,27
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	288 ,80 ,70	1272 ,84 ,84
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	-	-
iv) पीटीसी PTCs	-	-
v) अन्य Others	- 524 ,02 ,64	- 1646 ,21 ,11
कुल TOTAL	68761 ,56 ,32	68281 ,44 ,38
II. भारत से बाहर निवेश Investments outside India		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय निकाय सहित) Govt. Securities (including Local Authorities)	-	-
ii) सहायक उद्यमों में निवेश Investment in Associates	-	-
iii) अन्य निवेश (स्पष्ट किया जाना है) Other Investment (to be specified)	-	-
कुल TOTAL	-	-
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)	68761 ,56 ,32	68281 ,44 ,38
III भारत में निवेश Investments in India		
i) सकल निवेश मूल्य Gross Value of Investments	69264 ,27 ,61	68816 ,49 ,80
ii) मूल्यहास के लिए प्रावधानों का समग्र Aggregate of Provisions for Depreciation	502 ,71 ,29	535 ,05 ,42
iii) निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii)	68761 ,56 ,32	68281 ,44 ,38
निवेशों के विवरण Details of Investments:		
i) सहायक उद्यमों में निवेश Investment in Associates	244 ,02 ,52	242 ,23 ,28
ii) अन्य निवेश Other Investments	68517 ,53 ,80	68039 ,21 ,10
जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)	68761 ,56 ,32	68281 ,44 ,38

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 को (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 को (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
क		
A. i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	679,62,70	801,41,17
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	42528,16,13	34428,65,34
iii) मीयादी ऋण Term Loans	87962,65,06	67175,10,17
iv) लीज प्राप्य Lease Receivable	-	-
कुल TOTAL	131170,43,89	102405,16,68
ख		
B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	109090,23,49	87752,12,98
ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	866,87,40	476,47,29
iii) अप्रतिभूतित Unsecured	21213,33,00	14176,56,41
कुल TOTAL	131170,43,89	102405,16,68
ग		
C. I. भारत में अग्रिम Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	54204,22,28	45549,81,00
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	23366,24,69	15264,01,06
iii) बैंक Banks	,8,93	47,50
iv) अन्य Others	53599,87,99	41590,87,12
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		
i) बैंकों से देय Due from banks	-	-
ii) अन्यो से देय Due from others	-	-
iii) खरीदे और भांजित बिल Bills purchased and discounted	-	-
iv) सिंडीकेटेड ऋण Syndicated Loans	-	-
v) अन्य Others	-	-
कुल TOTAL (C.I & C.II)	131170,43,89	102405,16,68

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 को (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 को (गत वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I परिसर Premises		
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1704,12,63	1661,51,26
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	16,73,42	42,61,37
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	207,81,37	-
	1928,67,42	1704,12,63
4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	-	-
5. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	208,72,59	402,10,25
	1719,94,83	1302,02,38



II	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in progress	205 ,22 ,63		52 ,01 ,01
III	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व फिक्स्चर सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)			
1.	विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1528 ,45 ,27		1384 ,86 ,26
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	139 ,48 ,12		166 ,27 ,84
		1667 ,93 ,39		1551 ,14 ,10
3.	वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	31 ,15 ,10		22 ,69 ,17
		1636 ,78 ,29		1528 ,44 ,93
4.	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	1320 ,29 ,74	316 ,48 ,55	1208 ,47 ,93
	कुल TOTAL (I & II)	2241 ,66 ,01		1674 ,00 ,39

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 को (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 को (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
क a. मूल कंपनी Parent Company	-	-
ख b. अनुषंगी कंपनियां Subsidiaries Company	-	-
II उपचित ब्याज Interest accrued	1326 ,31 ,50	1409 ,20 ,71
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	2020 ,17 ,43	1740 ,08 ,19
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	3 ,22 ,66	2 ,45 ,36
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. अन्य* (आरआईडीएफ सहित) Others * (incl RIDF)	5344 ,06 ,87	8380 ,97 ,42
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	8693 ,78 ,46	11532 ,71 ,68

*आस्थगित कर सहित, यदि कोई हो,
*includes deferred tax if any.

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 को (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 को (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	1375 ,40 ,50	1396 ,64 ,66
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	-	-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबल दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	19718 ,99 ,45	19947 ,68 ,29
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	7475 ,87 ,39	7959 ,46 ,35
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	146 ,43 ,93	76 ,72 ,98
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations	1287 ,12 ,25	1252 ,30 ,69
VI. अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contingently liable	609 ,72 ,52	494 ,89 ,47
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	30613 ,56 ,04	31127 ,72 ,44

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं।

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Previous Year)	
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	8231 ,55 ,72		7153 ,92 ,92	
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	4520 ,16 ,46		4296 ,73 ,46	
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	135 ,39 ,67	4384 ,76 ,79	143 ,24 ,07	4153 ,49 ,39
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	90 ,69 ,88		315 ,07 ,38	
IV अन्य Others (incl RIDF)	312 ,28 ,48		246 ,13 ,32	
कुल TOTAL (I, II, III & IV)	13019 ,30 ,87		11868 ,63 ,01	

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2022 (Current Year)		31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Previous Year)	
I. कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage	1233 ,34 ,21		1001 ,50 ,45	
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	537 ,87 ,67		602 ,09 ,48	
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	13 ,00 ,54	524 ,87 ,13	35 ,93 ,60	566 ,15 ,88
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	-		-	
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	97 ,81 ,63	-97 ,81 ,63	-2 ,40 ,14	2 ,40 ,14
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	3 ,09 ,90		2 ,15 ,15	
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	2 ,05 ,59	1 ,04 ,31	1 ,70 ,27	,44 ,88
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	129 ,05 ,30		153 ,34 ,10	
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	-	129 ,05 ,30	-	153 ,34 ,10
VI. भारत / विदेशों में स्थित सहायक कंपनियों / कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India	2 ,05 ,51		1 ,35 ,27	
VII. विविध आय Miscellaneous Income	860 ,31 ,07		903 ,72 ,06	
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)	2652 ,85 ,90		2628 ,92 ,78	



अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 को (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 को (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2021 (Previous Year)
I. जमा राशियों पर ब्याज Interest on deposits	6457,30,35	6525,06,37
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	30,91,39	49,65,06
III. अन्य Others	485,74,31	395,46,93
कुल TOTAL (I, II & III)	6973,96,05	6970,18,36

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2022 (Current Year)	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2021 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	2071,36,31	2255,77,54
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	228,08,53	218,23,32
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	22,29,74	17,69,06
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	29,84,14	39,29,07
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास Depreciation on Bank's property	268,34,13	188,11,12
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	,52,02	,33,46
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	17,20,35	19,59,87
VIII. विधि प्रभार Law Charges	39,39,52	18,35,88
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	42,98,27	56,70,52
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	192,82,91	168,26,01
XI. बीमा Insurance	224,34,53	198,67,14
XII. अन्य व्यय Other expenditure	712,82,94	384,87,69
कुल TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI & XII)	3850,03,39	3565,90,68

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका भाग)

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार :

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।

1.2 अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जब तक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।

1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - “समेकित वित्तीय विवरण” और लेखा मानक 23- “समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन” के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं।

1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 के अनुसार बनाए गए हैं।

2. समेकन के सिद्धांत

क. मूल इकाई : वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं।

ख. संबद्ध इकाई : लेखा मानक 21 - “समेकित वित्तीय विवरण” के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (अब मेटको के रूप में निर्दिष्ट)	भारत	पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी	100 %

लेखा मानक 23 - “समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन” के अनुसार इक्विटी पध्दति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	मालिकाना हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहायक उद्यम	35 %

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022.)

1. Basis of Preparation of Financial Statements:

The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India (“RBI”) guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – “Consolidated Financial Statements” and Accounting Standard 23 – “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.

1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.

1.6 The financial statements of the subsidiary and associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2022.

2. Principles of Consolidation:

A. Parent Entity: The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B. Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – “Consolidated Financial Statement”.

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred to as “METCO”)	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

ग. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं :-

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
- आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 - “समेकित वित्तीय विवरण” के अनुसार मूल के संबंधित मदों सहित और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेषों/ संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय इत्यादि जैसी प्रत्येक मद को लाइन-दर-लाइन आधार पर समूहन किया गया है।
- आईसीएआई द्वारा जारी “समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन” लेखा मानक 23 के अनुसार (इक्विटी पद्धति) के अधीन (सहायक प्रतिष्ठानों) में निवेश हेतु लेखांकन।
- सहायक इकाईयों में अपने समूह निवेश के लिए लागत तथा प्रतिष्ठानों के इक्विटी में सामूहिक हिस्से के बीच अंतर साख/ पूंजी आरक्षित के अनुसार वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं।
- सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति से अलग पद्धति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्वहीन हैं।
- जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनः समूहबद्ध किया गया है।

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

- विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले साप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।
- बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फाइनान्शियल बेंच मार्कस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात् पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव “अन्य आस्तियों” और हानि के मामले में इसका प्रभाव “अन्य देयताओं” को प्रभावित किया गया है।
- विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

4. निवेश :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

C. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements & its impact

The Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared on the basis of :-

- Audited financial statement of Bank of Maharashtra.
- Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiary with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions in accordance with Accounting Standard 21 - “Consolidated Financial Statements” issued by ICAI.
- Accounting for investment in ‘Associates’ under the ‘Equity Method’ as per AS 23 “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” issued by the ICAI. The excess of carrying cost of bank’s investment in associate is recognized in the financial statements as goodwill.
- The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group’s portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the financial statements as goodwill / capital reserve.
- The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.
- The financial statements of the subsidiary have been regrouped with that of the parent bank, wherever necessary.

3. Foreign Exchange Transactions:

- The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers’ Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FBIL for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. [FBIL] i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to “Other Assets” in case of gain or to “Other Liabilities” in case of loss.
- Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.
- Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- 4.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:
- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
 - बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)
 - व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)
- 4.2 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म-ए की आवश्यकता के साथ अनुसारिता में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- सरकारी प्रतिभूतियां
 - अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - शेयर्स
 - डिबेंचर तथा बांड
 - सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
 - अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट इत्यादि)
- 4.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। “व्यापार हेतु धारित” से “बिक्री हेतु उपलब्ध” श्रेणी में अंतरण को छोड़कर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यहास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है। “व्यापार के लिए धारित” श्रेणी से निवेशों का “बिक्री हेतु उपलब्ध” श्रेणी में अंतरण, अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढ़ाव या बाजार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा।
- 4.4 रेपो/ रिवर्स रेपो :
- रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियों/ ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।
- 4.5 लागत भारत औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है। खंडित अवधि के लिए ब्याज अवधि/ खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री को राजस्व व्यय के रूप में समझा जाएगा। निवेश की खरीद/ बिक्री के समय ब्रोकरेज/ प्राप्त/ प्रदत्त निवेश को निवेश की राशि से काटा/ जोड़ा गया है।
- 4.6 निवेशों का मूल्यांकन :
- परिपक्वता तक धारित :**
परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारत औसत लागत पर किया गया है। जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है। निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- 4.1 Investments are classified in the following categories:
- Held to Maturity (HTM)
 - Available for sale (AFS)
 - Held for trading (HFT)
- 4.2 All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:
- Government Securities
 - Other approved Securities
 - Shares
 - Debentures and Bonds
 - Subsidiaries and Joint Ventures
 - Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)
- 4.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.
- 4.4 REPO / Reverse REPO
- The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.
- 4.5 Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.
- Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.
- Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/ sale of investment is deducted / added from the amount of investment.
- 4.6 Valuation of investments:
- Held to Maturity:**
Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average acquisition cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ लागू कर और सांविधिक आरक्षिति हेतु आनुपातिक अंतरण का निवल को 'आरक्षित पूंजी खाते' में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा घोषित बाज़ार मूल्यों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यांकन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार दर से किया गया है। अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात् तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यांकन रुपए 1/- प्रति कंपनी/शेयर किया गया है।

बढ़ागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, ज़ीरो कूपन बांड का मूल्यांकन, रखाव लागत पर किया गया है। म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यांकन क्रमशः बाज़ार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यांकन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात् बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है। "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यहास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है।
बशर्त कि, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आवंटित इक्विटी शेयरों पर मूल्यहास, यदि कोई हो, ऋण के इक्विटी में रूपांतरण की तारीख से सीधी रेखा के आधार पर अधिकतम 4 कैलेंडर तिमाहियों के लिए प्रदान किया जाएगा।
- जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।
- इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

ग. व्यापार हेतु धारित :

- इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा घोषित बाज़ार दरों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यांकन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार दरों से किया गया है।

In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.

On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis and on each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FBIL. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) / Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

- If it results in appreciation, the same is ignored.
- If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.
Provided that, depreciation, if any, on equity shares allotted consequent to implementation of Strategic Debt Restructuring (SDR) shall be provided for over a maximum of 4 calendar quarters on straight line basis from the date of conversion of debt into equity.
- The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.
- Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

- The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month and each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FBIL. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

- ii. बढ़ागत लिखतों में निवेश जैसे खजाना बिल, जमा राशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्यूच्युअल फंड लिखतों का मूल्यांकन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यांकन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) में से जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।
 - iii. निवल श्रेणीवार मूल्यहास, यदि कोई हो, को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयताओं के अंतर्गत निवेशों के मूल्यहास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है। यदि निवल अधिमूल्यन है तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।
 - iv. निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।
- घ. पुनर्निवेशों सहित लागत का प्रावधान एवं वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के समय समय पर जारी दिशानिर्देशों और निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।
- ङ. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों यथा ब्रोकरेज, फीस, कमीशन, करों इत्यादि को पूंजीकृत किया गया है।

4.7 डेरिवेटिव :

च. ब्याज दर स्वेप :

i. मूल्यांकन :

- क) हेजिंग स्वेप : हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वेप, बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्केड टू मार्केट) नहीं है।
- ख) ट्रेडिंग स्वेप : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वेप बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्केड टू मार्केट) है।

ii. डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:

- क) हेजिंग स्वेप : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया। व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।
- ख) ट्रेडिंग स्वेप : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

iii. स्वेप निरसन पर लाभ या हानि का लेखा

- क) हेजिंग स्वेप : निरस्त हुए स्वेप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वेप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
- ख) ट्रेडिंग स्वेप: स्वेप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

4.8 निवेश अस्थिर आरक्षित:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 अगस्त 2021 के परिपत्र क्रमांक आरबीआई/2021-22/81 डीओआर.एमआरजी. 42/2104.141/2021-22 तथा जो 31.03.2022 तक अद्यतन है, के अनुसार लागू आय में बढ़ोत्तरी के समक्ष बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आरक्षित बनाने के लिए निवेश अस्थिर आरक्षित (आईएफआर) निर्मित किया गया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित में से कम है -

- क. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या
- ख. लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ घटाएं अनिवार्य विनियोग, जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और आईएफएस पोर्टफोलियो की कम से कम 2 प्रतिशत हो

- ii. Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.
- iii. Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
- iv. Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

d. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized

4.7 Derivatives:

f. Interest Rate Swaps:

i. Valuation:

- a. **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- b. **Trading Swaps:** Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

ii. Accounting of income on derivative deals:

- a. **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
- b. **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

iii. Accounting of gain or loss on termination of swaps:

- a. **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
- b. **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

4.8 Investment Fluctuation Reserve:

As per RBI circular number RBI/DOR/2021-22/81 DOR. MRG.42/21.04.141/2021-22 DATED AUG 25,2021 as updated till March 31,2022 Investment Fluctuation Reserve (IFR) is created to build up of adequate reserves to protect the bank against increase in yields.

Transfer to IFR is lower of the following -

- a. Net profit on sale of Investments during the year or
- b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis

5. अग्रिम:

- 5.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्संचित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भाजन से निवल हैं।
- 5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दर से अधिक किए गए हैं -
अवमानक - 20%
संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%
- 5.3 मानक पुनर्संचित अग्रिमों के प्रावधानों को छोड़कर अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 5.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संचित खातों के संबंध में पुनर्संचित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल आधार पर किया गया है।
एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में चार तिमाहियों की अधिकतम अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान किए जाएंगे।
- 5.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष प्रावधान को बनाए रखा जाएगा और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/ हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाए. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात् बकाया घटाएं प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया जाए।
अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (एसआरएस/ पीटीसी के मोचन) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है. अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस सीमा तक सीमित होगा जिस पर प्राप्त नकद आस्ति के एनबीवी से अधिक हो जाता है।

6. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास:

- 6.1 पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत घटाएं मूल्यहास/ ऋण परिशोधन पर लेखाबद्ध किया गया है।
लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च शामिल हैं जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय/यों केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है।
- 6.2 अचल आस्तियों पर मूल्यहास नीचे दी गई दरों के लिए प्रदान किया जाता है, पुनरीक्षित संपत्ति को छोड़कर, जहां, पुनर्मूल्यांकित राशि पर संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य एक रुपया लिखा जा सके।

5. Advances:

- 5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.
- 5.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -
Sub-Standard - 20%
Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion
- 5.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.
In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.
- 5.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.
Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

6. Fixed Assets and Depreciation:

- 6.1 Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.
Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability
- 6.2 Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, except revalued assets where, depreciation is provided over the remaining useful life of the assets on revalued amount, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets.

क्रमांक	आस्ति की श्रेणी	आस्ति का उपयोगिता अवधि	मूल्यहास की दर (%)	मूल्यहास की पद्धति
1	भवन एवं परिसर	60	1.667	एसएलएम
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं	10	10	एसएलएम
3	इलेक्ट्रिकल - टेलीविजन, मोबाइल फोन, होम थियेटर, प्रिंटर, कैमरा	3	33.33	एसएलएम
4	विद्युत उपकरण	10	10	एसएलएम
5	कार्यालय मशीनरी	5	20	एसएलएम
6	मोटर वाहन	8	12.50	एसएलएम
7	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	10	10	एसएलएम
8	कंप्यूटर तथा लैपटॉप	3	33.33	एसएलएम
9	एटीएम	7	14.29	एसएलएम
10	यूपीएस	5	20	एसएलएम
11	बीएनए	7	14.29	एसएलएम
12	कैश रि-साइकलर	7	14.29	एसएलएम

*एसएलएम अर्थात सीधी रेखा पद्धति

6.3 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यहास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जिनमें वर्ष के दौरान आस्तियों को उपयोग के लिए रखा गया है। इसी तरह वर्ष के दौरान बेची / छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में, मूल्यहास को आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है, उतने दिनों तक जब तक कि वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किया गया हो।

6.4 हर तीन साल में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) का स्थिर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकित हिस्सा घटाया जाता है।

लीज पर धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षित को लीज अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है। लागत के अधिक और ऊपर अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यहास, लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। लाभ और हानि खाते के लिए नामे लागत के अधिक अचल संपत्तियों के प्रत्यावर्तित हिस्से से संबंधित मूल्यहास की सीमा तक पुनर्मूल्यन आरक्षित की राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित से राजस्व आरक्षित में स्थानांतरित कर दी जाती है।

6.5 पट्टे पर दिए गए परिसरों के मामले में, पट्टे का प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधन है।

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

6.6 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यांकन लागत में से मूल्यहास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है। इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं। बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटा दिया गया और मूल्यहास का प्रभाव देखते हुए लाभ/हानि की गणना की गई। आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक लगाते हुए हासमान शेष पद्धति से मूल्यहास लगाया गया है।

S.N.	Category of Asset	Useful Life of Assets	Rate of Depreciation (%)	Method of depreciation
1	Building & Premises	60	1.667	SLM
2	General Items including Safe	10	10	SLM
3	Electrical – Television, Mobile Phones, Home Theater, Printer, Camera	3	33.33	SLM
4	Electrical Equipment's- Others	10	10	SLM
5	Office Machinery	5	20	SLM
6	Motor Vehicles	8	12.50	SLM
7	Safe Deposit Vaults	10	10	SLM
8	Computers & Laptops	3	33.33	SLM
9	ATM	7	14.29	SLM
10	UPS	5	20	SLM
11	BNA	7	14.29	SLM
12	Cash Re-cycler	7	14.29	SLM

*SLM means Straight Line Method

6.3 In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year. Similarly, in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

6.4 Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on diminishing balance method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

6.5 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis in accordance with AS 19.

In case of the subsidiary:

6.6 In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.



7. राजस्व अभिनिर्धारण:

- 7.1 निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबद्ध मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :
- क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.
- ख. कमीशन अर्थात् गारंटियों, साख-पत्रों, सरकारी व्यवसाय, म्युच्युअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड और लॉकर किराए से आय.
- ग. खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ. बीमा दावे.
- ङ. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक.
- च. प्रोसेसिंग शुल्क.
- छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हमीदारी कमीशन से आय.
- ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रोसेसिंग शुल्क.
- 7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर जो दिनांक 02.07.2021 से कम हो, शेष का नवीकरण के समय किया गया है।

8. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की ग्रेज्युटी और पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो कि एएस -15 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देनदारियों को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही / वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, विशेषाधिकार अवकाश, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता, और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

9. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

10. आस्तियों का ह्रास

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों का ह्रास के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों के ह्रास, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

7. Revenue Recognition

- 7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-
- Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.
 - Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual Maintenance Charges for cards and Locker Rent.
 - Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
 - Insurance claims.
 - Remuneration on Debenture Trustee Business.
 - Processing Fees.
 - Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
 - Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.
- 7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity and Pension schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession, Privilege Leave, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are provided based on Actuarial valuation.

9. Segment Reporting:

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

10. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 - “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण उत्पन्न वर्तमान प्रतिबद्धता के लिए प्रावधान करता है. यह संभावित है कि जब प्रतिबद्धता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो और प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो.

12. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित) और धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं.

13. आयकर:

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है.

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं.

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रबंधन निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता प्राप्त और पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, चाहे जैसे भी हो उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित है।

अनवशोषित मूल्यह्रास या कराधान कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

कर अधिकारियों द्वारा की गई मांग, ब्याज सहित, का प्रावधान किया गया जब बैंक द्वारा ऐसी मांग को स्वीकृत किया गया और इसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया या जब क्षेत्राधिकार न्यायाधीकरण द्वारा ऐसी मांग को कायम रखा गया है और कोई समान मुद्दे पर अन्य न्यायाधीकरण का कोई अनुकूल निर्णय नहीं है या बैंक उच्च न्यायालय में जाने का इच्छुक ना हो या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा गया हो।

14. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) “प्रति शेयर अर्जन” के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है.

11. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event not it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

12. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

13. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonable certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is accepted by the bank and the same is not contested before appellate authority OR when such demand is upheld by jurisdictional tribunal and there is no favorable judgement of other tribunal on identical issue and bank does not prefer to go before High Court OR when such demand is upheld by High Court.

14. Earnings Per Share

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) “Earnings Per Share” issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.



अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां

(नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

(31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों का भाग और अनुलग्नक)

1. निवेश:

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः “परिपक्वता धारित”, “बिक्री हेतु उपलब्ध” और “विपणन हेतु धारित” में वर्गीकृत किया है और भारतीय रि. जर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है।

बैंक ने चालू वर्ष के लाभ से निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित (IFR) को रु.23.10 करोड़ (रु.176 करोड़) का विनियोजन किया है।

2. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

2.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मर्दे तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मर्दे वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/ लेखाबद्ध किया गया है।

2.2 लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण

अनुच्छेद -17 में दी गई लेखांकन नीति संख्या 7.2 के अनुसार - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, अतिदेय सावधि जमा पर देय ब्याज, बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मियादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी 02.07.2021 को कम हो, पर उपचित आधार पर प्रदान किया जाता है।

3. अचल संपत्ति

i. “संपत्ति, संयंत्र और उपकरण” के लेखा मानक - 10 के अनुसार अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन वाले हिस्से पर वर्ष के लिए रुपये का मूल्यहास रु. 128.64 करोड़ (रु.88.55) करोड़ लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं। साथ ही रु. 128.64 करोड़ (रु.88.55 करोड़) की समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में अंतरित किया गया है।

ii. बैंकों के कुछ परिसरों को पुनर्मूल्यांकन राशि पर लिया गया है। वर्ष के अंत में परिसर में शामिल इस तरह के पुनर्मूल्यांकन की कुल राशि रु. 1705.60 करोड़ है तथा पुनर्मूल्यांकन राशि पर निवल मूल्यहास रु. 1576.97 करोड़ है।

iii. लीज पर लिए गए परिसर के लिए ऐसे मामले लंबित हैं जहां कोई आकस्मिक देयता नहीं है क्योंकि बैंक लीज डीड की समाप्ति के कारण शाखा परिसर के मकान मालिकों द्वारा उसके खिलाफ दायर इन सभी मामलों का बचाव कर रहा है। इनमें से, बैंक की देनदारी लगभग रु. 0.22 करोड़ है।

iv. प्रगतिधीन पूंजी कार्य में स्थिर आस्तियों (भवन) की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग दिनांक को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं है। प्रगतिधीन पूंजी कार्य में भवन निर्माण सहित रु.3.49 करोड़ की राशि शामिल है।

v. दि. 01 अप्रैल, 2021 से, बैंक ने सभी अचल संपत्तियों पर मूल्यहास चार्ज करने की विधि को लिखित डाउन वैल्यू विधि से स्ट्रेट लाइन विधि में बदल दिया है। प्रबंधन की राय में, अनुमान में इस परिवर्तन का कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव नहीं है।

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022.)

1. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. “Held to Maturity”, “Available for Sale” and “Held for Trading” and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

The Bank has made an appropriation of Rs. 23.10 crores (Rs. 176 crores) to Investment Fluctuation Reserve (IFR) out of profit of current year

2. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

2.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

2.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7.2, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.

3. Fixed Assets

i. In accordance with the As-10 “Property, Plant and Equipment” depreciation of Rs. 128.64 Crore (Rs. 88.55) crore for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of Rs.128.64 crore (Rs.88.55 crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

ii. Certain premises of banks are stated at revalued amount. The gross amount of such revaluation included in premises at the end of the year is Rs.1705.60 crore and net of depreciation the revaluation amounts to Rs. 1576.97 crore

iii. There are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed against it by landlords of Branch premises due to expiration of lease deeds. Out of these, Bank accounts for its liability to around Rs.0.22 crore.

iv. Capital work in progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to Rs.3.49 crore includes construction of building.

v. With effect from April 01, 2021, Bank has changed the method of charging depreciation from Written Down Value method to Straight Line Method on all the fixed assets. In the opinion of Management, this change in the estimate has no material financial impact.

4. लेखा मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005) - “कर्मचारी अनुलाभ” (मूल बैंक)

क. परिभाषित अंशदान योजना :

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2022	31.03.2021
1.	भविष्य निधि	45.43	70.61
2.	कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि	15.00	15.00

ख. परिभाषित अनुलाभ योजना :

- क. **पेंशन योजना** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह निधिगत योजना है।
- ख. **उपदान योजना** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।
- ग. **छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति संदेय है। यह गैर-निधिगत योजना है।

I. परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(₹.करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	6449.25	6114.28	578.29	537.17	298.29	272.40
2	ब्याज लागत Interest Cost	428.27	391.17	37.43	32.54	19.74	17.52
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	325.73	367.27	33.28	45.62	71.58	80.47
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	भुगतान किए अनुलाभ Benefits Paid	(627.17)	(569.19)	(123.72)	(138.92)	(51.98)	(41.47)
6	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	349.29	145.72	7.91	101.88	(8.17)	(30.63)
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	6925.37	6449.25	533.19	578.29	329.46	298.29

II. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन : Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹.करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	6201.15	6029.68	504.82	560.74
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	432.84	449.81	36.58	44.90
3	दिया गया अंशदान Contributions made	841.22	300.59	112.06	42.00
4	भुगतान किया गया अनुलाभ Benefits paid	(627.17)	(569.19)	(123.72)	(138.92)
5	बीमांकिक लाभ / हानि Actuarial gains/losses	27.08	(9.74)	27.88	(3.90)
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	6875.12	6201.15	557.62	504.82



III. तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Balance Sheet:

(रु.करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैर निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	6925.37	6449.25	533.19	578.29	7458.56	7027.54	329.46	298.29
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(6875.12)	(6201.15)	(557.62)	(504.82)	(7432.74)	(6705.97)	0.00	0.00
3	मान्यता हेतु निवल देयता Net liability to be recognized	50.25	248.09	(24.42)	73.47	25.83	321.56	329.46	298.29
4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अन्य राशि Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	50.25	248.09	(24.42)	73.47	25.83	321.56	329.46	298.29

IV. लाभ व हानि खाते में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in Profit and Loss Account:

(रु.करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
		1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	325.73	367.27	33.28	45.62
2	ब्याज लागत Interest Cost	428.27	391.17	37.43	32.54	19.74	17.52
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(432.84)	(449.81)	(36.58)	(44.90)	0.00	0.00
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	322.21	155.46	(19.97)	105.78	(8.17)	(30.63)
5	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6	मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized	643.37	464.09	14.16	139.04	83.16	67.36
7	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखन) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	643.37	464.09	14.16	139.04	83.16	67.36

V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(रु.करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

अ.क्र.	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	248.09	84.59	73.48	(23.56)	298.29	272.40
2	मान्यताप्राप्त व्यय Expense recognized	643.37	464.09	14.16	139.04	83.16	67.36

अ.क्र.	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/ Benefits paid	(841.22)	(300.59)	(112.06)	(42.00)	(51.98)	(41.47)
4	लेखाबंदी निवल देयता Closing Net Liability	50.25	248.09	(24.42)	73.48	329.46	298.29

VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets

(रु.करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	432.84	449.81	36.58	44.90
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	27.08	(9.74)	27.88	(3.90)
3	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	459.92	440.07	64.46	41.00

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

(रु.करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	बट्टा दर Discount rate	6.98%	6.71%	7.25%	6.96%	7.25%	6.96%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	6.98%	7.46%	7.25%	8.01%	NA	NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

C. अन्य दीर्घावधि अनुलाभ Other Long Term Benefits:

(रु.करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2022	31.03.2021
1	पुनर्वास भत्ता Resettlement Allowance	0.00	0.00
2	छुट्टी किराया रियायत Leave Fare Concession	12.35	9.71
3	रजत जयंती अवार्ड Silver Jubilee Award	0.04	0.03
	कुल Total	12.39	9.74

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार रु. 217.70 करोड़ हुई है। बैंक ने उक्त देयता को पूरी तरह से मान्य किया है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभ और हानि खाते को प्रभारित किया है।

The additional liability on account of enhancement in family pension in line with Government guidelines, works out to Rs. 217.70 Crore as per Actuarial valuation. The Bank has fully recognized the said liability and charged to the Profit & Loss Account during the FY 2021-22.

5. लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग: बैंक द्वारा अपने निम्न खंडों को प्राथमिक रिपोर्ट योग्य चिन्हित किया है

Accounting Standard 17- Segment Reporting: Bank has identified its primary reportable segments as under:

(रु.करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

व्यवसाय खंड Business Segments	खजाना Treasury		निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
विवरण Particulars										
राजस्व Revenue	5094.00	5223.27	4537.40	3744.42	5438.13	5170.16	604.43	379.77	15673.96	14517.61
परिणाम Result	1398.46	1657.84	399.40	(105.20)	(200.59)	(629.29)	360.43	52.22	1957.70	975.57
अनाबंटित खर्च Unallocated expenses									0	0
परिचालनगत लाभ Operating profit									4850.00	3981.53
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									804.26	404.11
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									1153.44	571.46
अन्य जानकारी Other Information:										
खंड आस्तियां Segment assets	78679.17	74885.33	87029.25	68381.15	47398.10	36651.23	13552.92	12269.16	226659.44	192186.90
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									4124.02	4648.21
कुल आस्तियां Total assets									230783.46	196835.11
खंड देयताएं Segment liabilities	77470.27	73629.73	81883.93	64502.50	44519.17	34473.25	12098.97	11277.11	215972.33	183887.60
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									749.26	644.22
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									14061.87	12308.29
कुल देयताएं Total liabilities									230783.46	196835.11

क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है।

ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।

ग) रिटेल बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को विगोपन शामिल है, जहां

- कुल वार्षिक औसत आवर्त रु.50.00 करोड़ से कम है, और
- किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और
- एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम सकल रिटेल उधार ₹5.00 करोड़ तक है

घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संयवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है।

ड) थोक बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर ब्याज आय का आवंटन किया जाता है। थोक बैंकिंग के ब्याज को घटाकर प्राप्त कुल ब्याज को खुदरा बैंकिंग परिचालन में शामिल किया जाता है।

च) प्रत्यक्ष रूप से आरोपित न किए जाने वाले व्ययों को थोक बैंकिंग/खुदरा बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। खजाना परिचालनों के व्यय कोषागार परिचालनों से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं

a. Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.

b. Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.

c. Retail Banking Segments include exposure to entity/concern where

- Total average annual turnover less than Rs. 50.00 crore and
- Aggregate exposure to one counter party does not exceed 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
- The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs. 5.00 crore.

d. Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

e. The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations

f. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations

छ) प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित खंड की संपत्ति के अनुपात में आवंटित किया गया है।

भाग ख : भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का परिचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

6. लेखा मानक 18- संबद्ध पक्ष प्रकटन:

इस संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

I. संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

क. बैंक की अनुषंगी कंपनी - दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ख. बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

घ. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -

क्र.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक	
			2021-22	2020-21
1	श्री ए. एस. राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ(दिनांक 02.12.2018 से आज तक)	0.34	0.30
2	श्री हेमन्त कुमार टम्टा	कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.12.2018 से 30.12.2021 तक)	0.22	0.26
3	श्री नागेश्वर राव वार्डे	कार्यपालक निदेशक(दिनांक 01.04.2020 से 21.01.2021 तक)	-	0.23
4	श्री ए. बी. विजयकुमार	कार्यपालक निदेशक (दिनांक 10.03.2021 से आज तक)	0.36	0.02
5	श्री आशीष पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.12.2021 से आज तक)	0.07	-
6	श्री वी. पी. श्रीवास्तव	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (दिनांक 16.06.2020 तक) तथा (दिनांक 03.05.2021 से)	0.24	0.06
7	श्री प्रशांत आर. खटावकर	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (दिनांक 17.06.2020 से 02.05.2021 तक)	0.02	0.26
		कुल	1.25	1.13

नोट: सीएफओ का मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रूप में प्रकटीकरण, भा.रि.बैं. द्वारा वर्ष हेतु अपनी जोखिम आकलन रिपोर्ट में दी गई सलाह के अनुसार किया गया है।

संबंधित पक्षों से संव्यवहार

संबंधित पक्षों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, जो लेखा मानक (एस 18) के परिच्छेद 9 के अनुसार "राज्य नियंत्रित उद्यम" हैं। साथ ही एस 18 के परिच्छेद 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति में संव्यवहार प्रकट नहीं किए गए हैं, जिनमें मुख्य प्रबंधन कार्मिक और संबंधी शामिल हैं।

7) लेखा मानक 19 - पट्टा

वित्तीय पट्टा : पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसी उपचित आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य (उचित ऋण परिशोधन के बाद), जो भी कम हो, पर पूँजीकृत किया जाता है।

g. Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

6) Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are asunder:

I. Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(b) Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel-

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Name	Designation	Remuneration	
			2021-22	2020-21
1	Shri A S Rajeev	MD & CEO (from 02.12.2018 to till date)	0.34	0.30
2	Shri Hemant Kumar Tamta	Executive Director (from 31.12.2018 to 30.12.2021)	0.22	0.26
3	Shri Nageswara Rao Y	Executive Director (from 01.04.2020 to 21.01.2021)	-	0.23
4	Shri A. B. Vijayakumar	Executive Director (from 10.03.2021 to till date)	0.36	0.02
5	Shri Asheesh Pandey	Executive Director (from 31.12.2021 to till date)	0.07	-
6	Shri V P Srivastava	Chief Financial Officer (CFO) (till 16.06.2020) and (From 03.05.2021)	0.24	0.06
7	Shri Prashant R. Khatawkar	Chief Financial Officer (CFO) (from 17.06.2020 to 02.05.2021)	0.02	0.26
		Total	1.25	1.13

Note: The disclosure of CFO as key management personnel has been made as advised by RBI in its risk assessment report for the year 2018-19.

Transactions with Related parties:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

7) Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases: Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or present value of the lease payments (after due amortization), whichever is lower.

Operating Leases: Bank has no non-cancellable Operating Leases during Financial Year. Hence additional disclosure under

परिचालन पट्टा : वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के पास कोई रद्द करने योग्य परिचालन लीज नहीं है। अतः एएस 19 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है। पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। वर्ष 2021-22 के लिए परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि रु.171.47 करोड़ (पिछले वर्ष रु.162.42 करोड़) है।

8. लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
मूल प्रति शेयर आय	1.73	0.91
डायल्यूटेड प्रति शेयर आय	1.73	0.91
मूल/डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) कर के पश्चात निवल लाभ (करोड़ में)	1153.43	571.43
ख) इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (करोड़ में)	668.06	625.06
ग) प्रति शेयर मूल/डायल्यूटेड आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	रु.1.73	रु. 0.91
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	रु.10.00	रु.10.00

9. लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण: सहायक इकाई अर्थात् महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों का मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात् महाराष्ट्र एग्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड के साथ क्रमशः लेखा मानक 23 तथा लेखा मानक 21 के अनुपालन में समेकन किया गया है।

10. लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखांकन: बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार दौरान बैंक ने एएस-22 के अनुपालन में आय पर करों की गणना की गई है। तदनुसार, आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :
(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानि के कारण	432.68	859.91
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	106.02	207.65
3) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	1577.89	1857.91
उप- कुल (क)	2116.59	2925.47
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	12.42	17.24
उप जोड़ (ख)	12.42	17.24
निवल आस्थगित कर आस्तियां (क-ख)	2104.17	2908.23

निर्धारण वर्ष 2021-22 से, बैंक ने करधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पेश किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीए के तहत अनुमत कम कर दर के विकल्प का प्रयोग किया है। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर देयताओं को पुनः मापन किया है तथा लाभ - हानि खाते को नामे करके रु.716.87 करोड़ की राशि को प्रत्यावर्तित किया है।

AS-19 is not applicable. The Lease payments under operating leases are recognized as an expense on straight line basis in Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases amount to Rs. 171.47 crore for the year 2021-22 (Previous year Rs. 162.42 crore).

8) Accounting Standard 20- Earnings per Share

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Basic E.P.S.	1.73	0.91
Diluted E.P.S.	1.73	0.91
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax (in Crore)	1153.43	571.46
b) Weighted Average number of Equity Shares (in Crore)	668.06	625.36
c) Basic/ Diluted Earnings per share [(a) divided by (b)]	Rs. 1.73	Rs. 0.91
d) Nominal Value per Share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

9) Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements: The financial results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

10) Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income: Based on the review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	432.68	859.91
2) On account of provisions for Employees benefits	106.02	207.65
3) Other Provisions where DTA is created	1577.89	1857.91
Sub-Total (A)	2116.59	2925.47
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	12.42	17.24
Sub-Total (B)	12.42	17.24
Net Deferred Tax Asset (A-B)	2104.17	2908.23

With effect from Assessment Year 2021-22, the Bank has exercised the option of lower tax rate permitted under Section 115 BAA of the Income-tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019. Consequently, during the year, the Bank has re-measured its Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities and reversed the amount of Rs.716.87 crores by debiting the Profit and Loss A/c.

The Bank has not made any tax provision for MAT liabilities in view of opting new tax regime u/s 115BAA of the Income Tax Act

बैंक द्वारा आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115BAA के तहत नई कर व्यवस्था को चयन करने के कारण न्यूनतम वैकल्पिक (MAT) देयताओं के लिए कोई कर प्रावधान नहीं किया गया है।

11. लेखा मानक -24- परिचालन बंद करना: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि / संचालन को बंद नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप देयताओं का निर्वहन और आस्तियों की वसूली हुई है, किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिसका उपरोक्त प्रभाव होगा।

12. लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

आंतरिक रूप से निर्मित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त :

उपयोगी अवधि	-	3 वर्ष
परिशोधन दर	-	33.33%
परिशोधन पद्धति	-	लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	33.24	24.01
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	11.01	31.25
वर्ष के दौरान परिशोधन	16.63	22.02
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	27.62	33.24

13. लेखा मानक 28-आस्तियों का अनर्जक होना : वर्ष के अंत में हानि के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन यह इंगित करता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। किसी आस्ति को धारित करने या उपयोग करने की वसूली योग्यता का मापन आस्ति द्वारा विर्मित किए जाने वाले भविष्य के निवल भाजित नकदी प्रवाह के लिए किसी आस्ति की वहन राशि के लिए तुलना द्वारा किया जाता है। यदि ऐसी आस्ति को खराब माना जाता है, तो इस हानि को उस राशि द्वारा मापा व अभिनिर्धारित किया जाना है जिसके द्वारा आस्ति का वहन मूल्य आस्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। हालांकि, बैंक के प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान आस्तियों में भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिसमें लेखा मानक 28 “आस्तियों की हानि” लागू होता है।

14. लेखा मानक - 29 : बैंक के प्रति प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां दावे, जिन्हें वर्ष के अंत में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

(रुपये करोड़ में)

श्रेणी	2021-22	2020-21
बकाया शेष	1375.41	1352.53
धारित प्रावधान	2.05	1.99

आकस्मिक देनदारियों में समाप्त गारंटी राशि रु.898.43 करोड़ (पूर्व वर्ष रु. 761.47 करोड़) शामिल है, जिसे लंबित औपचारिकताओं के कारण रद्द नहीं किया गया है। रु.163.80 करोड़ (पूर्व वर्ष रु. 97.92 करोड़) की राशि वाले लंबित और ईसीजीसी को संदर्भित किए जाने वाले दावों को प्रावधान की गणना के उद्देश्य से वसूली भुनाने योग्य माना गया है।

15. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड -19 महामारी के परिणामस्वरूप देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, जिसने भारत के साथ-साथ विदेशों में समग्र आर्थिक गतिविधियों को स्थायी रूप से प्रभावित किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत द्वारा , कोविड -19 की दो और लहरों का सामना किया गया, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में फिर से स्थानीय / क्षेत्रीय लॉकडाउन कदम उठाए गए। कोविड-19 स्थिति और अनिश्चितता के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने 31 मार्च 2022 को आकस्मिक प्रावधान के रूप में 1200 करोड़ रुपये का , कोविड -19 संबंधित तदर्थ प्रावधान किया है, जिसमें चालू वर्ष के दौरान रु.446 करोड़ की राशि शामिल है।

1961 for AY 2021-22.

11) Accounting Standard -24- Discontinuing Operations: The Bank, during the financial year 2021-22, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

12) Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets:

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	-	3 years.
Amortization Rate	-	33.33 %
Amortization Method	-	Straight line at cost

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Software at the beginning of the year	33.24	24.01
Software acquired during the year	11.01	31.25
Amortization during the year	16.63	22.02
Net carrying amount at the end of the year	27.62	33.24

13) Accounting Standard 28- Impairment of Assets: Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank’s Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - “Impairment of Assets” applies.

14) Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Claim against the bank not acknowledged as debt on year end

(Amount in ₹ crore)

Category	2021 – 22	2020 – 21
Balance Outstanding	1375.41	1352.53
Provision Held	2.05	1.99

Contingent liabilities include expired Guarantees amount Rs.898.43 crore (P.Y. Rs.761.47 crore), which has not been cancelled because of pending completion formalities. Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to Rs.163.80 crores (P.Y Rs.97.92crore) have been considered as realizable for the purpose of computing provision.

15) During F.Y. 2020-21, the COVID-19 pandemic resulted in nationwide lockdown which sustainably impacted overall economic activity in India as well as abroad. In F.Y. 2021-22 two more waves of COVID-19 pandemic were faced by India resulting again localized/ regional lockdown steps in various parts of country. Considering the impact of Covid-19 situation and uncertainty, the Bank holds COVID-19 related adhoc provision of Rs.1200 crores as contingency provision as on 31st March 2022 including a sum of Rs.446 crores made during the current year.

16) The Board has proposed dividend of Rs. 0.50 paise per equity



- 16) दिनांक 25 मई, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन के अध्वधीन, रू. 0.50 पैसे प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक) का लाभांश प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित लाभांश के परिणामस्वरूप सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप, वित्तीय परिणाम संशोधित किए गए हैं।

17) खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख “खातों पर टिप्पणियां” के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में किया गया है।

पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूहबद्ध / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

share (Face Value of Rs. 10/- per share) for the Financial Year 2021-22 in Board Meeting dated May, 25 2022 subject to requisite approval from Shareholders. Consequent to proposed dividend, the Financial Statements have been revised as required by the statute.

17) Other significant Notes on Accounts.

The “Notes on Accounts” as set out in the standalone financial statements of the bank are also applicable to Consolidated Financial Statement.

Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

विवरण Particulars	(₹ हजार में) (₹ in thousands)	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2021
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
A. Cash Flow From Operating Activities:		
आय Income		
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	13594,30,87	11868,63,01
आय का हिस्सा/सहयोगी संस्था में हानि Share of earnings/ loss in Associates	1,79,24	20,05,89
अन्य आय Other Income	2652,85,90	16248,96,01
	2626,52,64	14515,21,54
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions		
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	6973,96,05	6970,18,36
परिचालन व्यय Operating Expenses	3850,03,39	3565,90,68
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	4271,53,64	15095,53,08
	3407,66,10	13943,75,14
व्यय की तुलना में आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses	1153,42,93	571,46,40
जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately		
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	4271,53,64	3407,66,10
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	268,34,13	188,11,12
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	-1,04,31	-44,88
आय का हिस्सा / सहयोगी संस्था में हानि Share of Earnings/Loss in associates	-1,79,24	-20,05,89
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	315,61,78	4852,66,00
	6006,08,93	4435,72,59
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)	325,00,00	184,23,58
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	5681,08,93	4251,49,01
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:		
जमा राशियां Deposits	28285,95,75	23939,27,79
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings	3217,99,07	63,01,94
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-3870,71,51	-666,19,09
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities	27633,23,31	23336,10,64
घटाएं: परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets		
निवेश Investments	480,11,94	10390,85,24
अग्रिम Advances	28765,27,21	15533,51,59
अन्य आस्तियां Other Assets	-3163,93,22	-783,59,61
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets	26081,45,93	25140,77,22
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	1551,77,38	-1804,66,58
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	7232,86,31	2446,82,43
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह B. Cash Flow From Investing Activities		
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	7,07,92	3,65,49
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-309,05,17	-192,48,00
आय का हिस्सा/सहयोगी संस्था में हानि Share of Earnings/Loss in associates	1,79,24	20,05,89
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities	-300,18,00	-168,76,61



(₹ हजार में) (₹ in thousands)

विवरण Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2021
ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
C. Cash Flow From Financing Activities:		
i) बांडों को जारी / (मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds	290,00,00	505,70,00
ii) इक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS	-336,52,48	-
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-	-
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-315,61,78	-288,99,74
v) इक्विटी शेयरों को जारी करना / (शेयर आवेदन राशि) Issue of Equity Shares / (Share Application Money)	403,69,99	
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)		
Cash Flow From Financing Activities (C)	41,55,73	216,70,26
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह	(क+ख+ग)	
Total Cash Flow During The Year	(A+B+C)	2494,75,92
	6974,23,66	2494,75,92

Note : जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित और पुनःवर्गीकृत किया गया है। Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2022	31.03.2021 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2021
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य		
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	12882,48,44	10353,68,78
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	59,29,56	93,33,30
	12941,78,00	10447,02,08
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य		
Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	19721,92,92	12882,48,44
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	194,08,74	59,29,56
	19916,01,66	12941,78,00
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	6974,23,66	2494,75,92

सरदार बलजीत सिंह
निदेशक
SARDAR BALJIT SINGH
DIRECTOR
ललित कुमार चंदेल
निदेशक
LALIT KUMAR CHANDEL
DIRECTOR

शशांक श्रीवास्तव
निदेशक
SHASHANK SHRIVASTAVA
DIRECTOR
आशीष पाण्डेय
कार्यपालक निदेशक
ASHEESH PANDEY
EXECUTIVE DIRECTOR

राकेश कुमार
निदेशक
RAKESH KUMAR
DIRECTOR
ए. बी. विजयकुमार
कार्यपालक निदेशक
A.B. VIJAYAKUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

मनोज के. वर्मा
निदेशक
MANOJ K. VERMA
DIRECTOR
ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
A.S. RAJEEV
MANAGING DIRECTOR & CEO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date attached.

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants
सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र: 030615
यूडीआईएन: 22030615AJNZOW2893
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615
UDIN - 22030615AJNZOW2893

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनन्थन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants
सीए क्लेमेंट ग्रेटियन पिंटो
भागीदार
सदस्यता क्र: 023238
यूडीआईएन: 22023238AJNWWS2748
CA Clement Gratian Pinto
Partner
Membership No: 023238
UDIN - 22023238AJNWWS2748

कृते मैसर्स रोडी डबिर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W
Chartered Accountants
सीए आशीष बडगे
भागीदार
सदस्यता क्र: 121073
यूडीआईएन: 22121073AJNYHI1726
CA Aashish Badge
Partner
Membership No: 121073
UDIN - 22121073AJNYHI1726

कृते मैसर्स एस भंडारी एंड कंपनी.
एफआरएन-000560सी
सनदी लेखाकार
For M/s. S Bhandari & Co.
FRN-000560C
Chartered Accountants
सीए प्रमिति पारीक
भागीदार
सदस्यता क्र: 417124
यूडीआईएन: 22417124AJNXPW4554
CA Pramiti Pareek
Partner
Membership No: 417124
UDIN - 22417124AJNXPW4554

स्थान : पुणे
दिनांक : 25 मई, 2022

Place : Pune
Date : 25th May, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

<p>मेसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित सनदी लेखाकार 204, नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 703</p>	<p>मेसर्स अबर्णा एंड अनन्थन सनदी लेखाकार 521, तीसरी मंजिल, 6 ब्लॉक, 2 फेज बीएसके 3 स्टेज, बेंगलूरु - 560 085</p>
<p>मेसर्स रोडी डबिरी एंड कंपनी सनदी लेखाकार 282, कपिश हाउस, माता मंदिर रोड खरे टाउन, धरमपेट, नागपुर - 440010</p>	<p>मेसर्स एस. भंडारी एंड कंपनी सनदी लेखाकार पी-7, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर - 302 005</p>

प्रति,

**भारत के राष्ट्रपति एवं “बैंक ऑफ महाराष्ट्र” के सदस्यगण
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट
अभिमत**

हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (“बैंक”) के समेकित वित्तीय विवरणों लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2022 का समेकित तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित लाभ और हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियां शामिल हैं, इसमें निम्नलिखित शामिल है :

- क) बैंक के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण
- ब) एक अनुषंगी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- ग) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहयोगी) के अलेखपरीक्षित वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी

बैंक अपनी अनुषंगी के साथ ‘समूह’ के रूप में संदर्भित है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (“अधिनियम”), भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और स्पष्ट दृष्टिकोण देता है तथा निम्नानुसार प्रदान करता है:

- क) तुलन पत्र के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2022 को बैंक की स्थिति के विषय में उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त होता है;
- ख) लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित होता है और
- ग) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

2. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वर्णन अपनी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से साथ ही भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

<p>M/s. Batliboi & Purohit Chartered Accountants, 204, National Insurance Building, 2nd Floor, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001.</p>	<p>M/s. Abarna & Ananthan Chartered Accountants, 521, 3rd Main 6th Block, 2nd Phase BSK 3rd Stage, Bengaluru - 560 085.</p>
<p>M/s. Rodi Dabir & Co. Chartered Accountants, 282, Kapish House, Mata Mandir Road, Khare Town, Dharampeth, Nagpur - 440 010.</p>	<p>M/s. S Bhandari & Co. Chartered Accountants, P-7, TilakMarg, C-Scheme, Jaipur - 302 005.</p>

To,

The President of India and Members of “BANK OF MAHARASHTRA”

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra (the “Bank”) which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2022, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which following are incorporated –
 - a. Audited Standalone Financial Statements of the Bank;
 - b. Audited Financial Statements of one Subsidiary,
 - c. Audited financial statements / financial information of 1 Regional Rural Bank (Associate),

The Bank together with its Subsidiary are referred to as the “Group”.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (“the Act”), the requirements of the Reserve Bank of India, in the manner so required for bank and give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India including accounting standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and give,

- a. in case of Balance Sheet, read with the notes thereon gives true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2022;
- b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended 31st March, 2022 and
- c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March, 2022.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with

सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं स्वतंत्र हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

मामले का जोर

- हम समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में, नोट संख्या 15 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो बताता है कि किस हद तक कोविड-19 महामारी बैंक के संचालन को प्रभावित करेगी और वित्तीय परिणाम भविष्य के विकास पर निर्भर हैं, जो कि अत्यधिक अनिश्चित हैं। बैंक लगातार आर्थिक स्थितियों की निगरानी कर रहा है और बैंक के परिचालन और वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव अनिश्चित है।
- हम समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 16 का ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 25 मई, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन के अध्यक्षीन, रु. 0.50 पैसे प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) का लाभांश प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित लाभांश के परिणामस्वरूप सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप, वित्तीय परिणाम संशोधित किए गए हैं। हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं आईसीएआई द्वारा जारी एसए560 के अनुसरण में वित्तीय विवरणों के संशोधन तक ही सिमित हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

- प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सम्प्रेषण हेतु बैंक के मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन: (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 5 का संदर्भ लें।) 31 मार्च 2022 को बैंक के पोर्टफोलियो में रु.131170 करोड़ का निवल अग्रिम शामिल है जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। आईआरएसी मानदंडों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं।	हमने सिस्टम, एलिकेशन, अनुमोदन के ऊपर प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी और ऋणों, बकायों तथा दबावग्रस्त खातों की वसूली, एनपीए की पहचान, प्राथमिक और संपाशिक प्रतिभूतियों के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समझ तथा बैंक के समग्र संगठनात्मक आईटी ढांचे एवं विभिन्न आंतरिक परिपत्रों और रिपोर्टों के माध्यम से उसके संप्रेषण पर आधारित विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच सहित एनपीए के लिए प्रावधान के महत्वपूर्ण नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जांच कर ली है। हमने बैंक की नीतियों व प्रक्रियाओं तथा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन में अग्रिमों की मंजूरी, निगरानी की प्रक्रिया तथा अग्रिमों पर नियंत्रण हेतु सिस्टम ओवरराइड या बाइपास के लिए खातों, पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क यथा आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा और प्रणाली लेखा परीक्षा के साथ-साथ ऐसे फ्रेमवर्क की आंतरिक जांच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है।

the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

- We draw attention to Note no. 15 in Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements which explains the extent to which COVID-19 pandemic will impact the Bank's operations and financial results are dependent on future developments, which are highly uncertain. The Bank is continuously monitoring the economic conditions and any impact on the Bank's Operations and financial results is uncertain.
- We draw attention to Note no. 16 in Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements wherein the Board of the Bank has proposed dividend of Rs. 0.50 paise per equity share (Face Value of Rs. 10/- per share) for the Financial Year 2021-22 vide its Board Meeting dated May, 25 2022 subject to requisite approval from Shareholders. Consequently to proposed dividend, the Financial Statements have been revised as required by the statute. Our Audit procedures are restricted solely to the amendment to the Financial Statements in accordance with SA 560 issued by the ICAI.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines: (Refer Note No. 5 of Schedule 17 of Significant Accounting Policy to the Consolidated Financial Statements) The Group's portfolio comprises of Net Advances of 131170 Crores as at March 31, 2022 comprising of wholesale and retail banking. As required by IRAC Norms, guidelines issued by RBI and other circulars, notification and directives issued by RBI, the Bank has classified Advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines.	We have tested the design and operating effectiveness of the Key controls of the system, application, process over approval, recording, monitoring, and recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA, Provision for NPA including verification of valuation reports of experts for primary and collateral securities based on the understanding of the prudential guidelines and overall organisational IT framework of the Bank and its communication through various circulars and reports. We have evaluated the Internal Controls over sanctioning, monitoring the process and account for system overrides or bypasses to controls of advances, supervisory framework such as Internal Audit, Credit Audit, Concurrent Audit, Systems Audit, as well as Internal Check, effectiveness of such framework as per the policies and procedures of the bank and in compliance with prudential guidelines.

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	<p>अग्रिमों से आय, कुल आय का 52.52% बनाती है। गैर-निष्पादन आस्तियों के संबंध में प्रावधान रु.2578.48 करोड़ है जो कुल व्यय का 17.76% बनाता है।</p> <p>आईआरएसी मानदंडों का समुचित रूप से पालन नहीं किए जाने पर इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का वहन मूल्य व्यक्तिगत या समेकित रूप में गलत हो सकता है।</p> <p>बैंक को बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों को दिए गए ऋणों से ऋण जोखिम एक्सपोजर है और इसमें अत्यधिक जटिलताएं, अनिश्चितता, अग्रिमों की वसूली संबंधी निर्णय, प्रावधानों का अनुमान और बड़े खाते डाले जाने वाले खातों की पहचान शामिल है। यदि बैंक द्वारा ऐसे विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो वर्ष हेतु लाभ और निवल अग्रिमों की स्थिति उचित ढंग से परिलक्षित नहीं होती। अतः हम इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा का मामला मानते हैं।</p>	<p>हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार आईआरएसी मानदंडों के लागू किए जाने का मूल्यांकन किया है तथा अर्जक आस्तियों के सैम्पल की व्यक्तिगत रूप से जांच की है ताकि उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, बैंक की ऋण नीति के अनुसार मंजूरीयों के अनुमोदन तथा क्रेडिट मूल्यांकन व नियंत्रण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है।</p> <p>संभावित एनपीए की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा निर्मित प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टों, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की गई और मूल्यांकन जोखिमों को दूर करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन एवं संबंधित नियंत्रणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग वाले खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदम उठाए गए।</p> <p>हमने बैंक के बड़े विगोपनों पर ध्यान केंद्रित करने और आकलन करने के लिए तथा उभरते जोखिम के क्षेत्रों को कम करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट, समुचित सावधानी रिपोर्ट, सेवा करार, समनुदेशन विलेख, जेएलए और बाहरी क्रेडिट रेंग रिपोर्ट सहित संपाशक दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से कॉरपोरेट थोक (संघीय, पूल बायआउट और अन्य बड़े उधारकर्ताओं सहित) का विस्तृत सत्यापन करने का एक प्रेमवर्क अपनाया है। हमने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की है और आंतरिक और बाह्य मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों सहित अपने अनुसार मूल्यांकन किया है और बैंक की ऋण नीतियों, आईआरएसी मानदंडों और सरकारी नीतियों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन और जोखिम ग्रेडिंग की सटीकता का परीक्षण किया है।</p> <p>हमने आय निर्धारण, ऐसे ऋणों के प्रावधानीकरण सहित आईआरएसी मानदंडों की प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नमूना आधार पर बैंक के रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो का परीक्षण किया है। बैंक ने रिटेल ऋणों के लिए ऋण लाइफ साइकल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है, जो प्रभावी रूप से बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की निगरानी, नियंत्रण करता है तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन और कार्य-निष्पादन के लिए उसकी जांच की गई है। हमने अंतर्निहित स्रोत प्रणालियों से डेटा</p>

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	<p>Income from Advances constitutes 52.52% of Total Income. The provision in respect of Non-performing Asset is Rs. 2578.48 Crores which constitutes 17.76% of the total expenditure.</p> <p>The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate the IRAC Norms, are not properly followed.</p> <p>The Bank has significant Credit Risk Exposure to a large number of borrowers across a wide range of borrowers, products, industries and there is a high degree of complexity, uncertainty, judgement involved in recoverability of Advances, estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. If such prudential guidelines are not followed by the Bank the profit for the year and the net advances position will be materially mis-stated. Hence, we consider this as a Key Audit Matter.</p>	<p>We have tested samples of Performing Assets and assessed the application of IRAC Norms, as prescribed by RBI, individually to ensure compliance of the same. Also reviewed approval of sanctions against Bank's credit Policy and performance of Credit Assessments and controls.</p> <p>Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the Bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls.</p> <p>We have adopted a framework of carrying out detailed verification of corporate wholesale (including Consortium, Pool Buyout and other large borrowers) by way of review of collateral documents including valuation reports, due diligence report, servicing Agreement, deed of assignment, JLA and External Credit rating reports to assess and focus on larger exposures of the Bank and mitigating the areas of emerging risk. We have discussed with the Senior Management and performed our own assessment including internal and external macroeconomic factors and testing the timelines and the accuracy of risk assessment and risk grading against the Bank's lending policies, IRAC Norms and in accordance with Government Policies.</p> <p>We have examined the Retail advances portfolio of the Bank on sampling basis to ensure effective monitoring and implementation of IRAC norms including income recognition, provisioning for such loans. The Bank has adopted Loan Life Cycle Management System for retail loans which effectively monitors, controls, the retail portfolio of the Bank and is tested for its effective implementation and performance. We have also tested the completeness and accuracy of the data from the underlying source systems, tested the automated calculation and evaluated the</p>



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		<p>की पूर्णता और सटीकता का भी परीक्षण किया है, स्वचालित गणना की जांच की है और बैंक के ओवरसाइट पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया है।</p> <p>हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नियामक पैकेज के अनुसार उधारकर्ताओं को अधिस्थगन प्रदान करने के लिए बैंक की प्रक्रिया की समीक्षा की है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियामक पैकेज के अनुरूप सामान्य प्रावधानों की गणना के लिए उपयोग किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता का परीक्षण किया है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के संबंध में, हमने प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित मान्यताओं और अनुमानों की व्यापक रूप से समीक्षा की, लेकिन जैसा कि प्रभाव की सीमा भविष्य की स्थिति पर निर्भर है और उसमें काफी अनिश्चितताएं हैं, हमने मुख्य रूप से उन मान्यताओं और अनुमानों पर विश्वास किया है, जो बैंक की आवधिक समीक्षा के अधीन हैं। साथ ही हमने सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित अनुसूचियों के आधार पर प्रधान कार्यालय में पुनर्रचित खातों के आंकड़ों के संकलन पर भी भरोसा किया है।</p> <p>हमने एनपीए से संबंधित प्रासंगिक आरबीआई आवश्यकताओं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम एवं आरबीआई परिपत्रों के अनुसार निर्मित लागू लेखा मानकों पर प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है।</p> <p>हमने अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के साथ विशिष्ट संप्रेषण कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी निर्भरता रखी है।</p>
2.	<p>निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण: (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।)</p> <p>खरीद के समय निवेश को व्यापार हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।</p>	<p>हमने बैंक के वर्गीकरण, मूल्यांकन प्रक्रिया, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन की दिशा में प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है, जिसमें प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन शामिल हैं।</p> <p>हमने प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझने तथा वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी स्थिति की पहचान करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान नमूना आधार पर निवेश करार/प्रविष्ट टर्म शीट की जांच की है।</p>

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		<p>calculation and evaluated the bank's oversight of the portfolio.</p> <p>We have reviewed the Bank's process for granting moratorium and restructuring to borrowers as per the Regulatory Package announced by RBI. We tested the completeness and accuracy of data used for computing general provisions in line with regulatory package issued by RBI. With respect to additional provision made by the Bank on account of the impact of COVID 19 pandemic, we broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for the same but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. Also we have relied on the compilation of the data of the restructured accounts at Head office based on the schedules audited by the statutory branch auditors.</p> <p>We have examined the adequacy and appropriateness of disclosures against the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars.</p> <p>We have also placed reliance on the Audit reports of the other Statutory Branch Auditors, with whom we have made specific communications.</p>
2.	<p>Classification and Valuation of Investments: (Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting policies to the Consolidated Financial Statements)</p> <p>Investments are classified into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines.</p>	<p>We have tested the design, implementation and operating effectiveness of management's key internal controls of the Bank towards classification, valuation process, independent price verification, including the Bank's review and approval of the estimates and assumptions used for the valuation including key authorisation and data input controls.</p> <p>We have examined the investment agreement / term sheet entered into during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments.</p>

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	<p>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है।</p> <p>बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है।</p> <p>बैंक के निवेश से आय में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कुल आय का 27.98% शामिल है जिसमें गैर-निष्पादित निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल हैं जिन्हें हमने इस पहलू को मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में पहचाना है।</p>	<p>बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं और अनुपालन तथा मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, निवेश के लिए प्रावधान एवं बैंक द्वारा अपनाई गई प्रासंगिक नीतियों व प्रक्रियाओं के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और संबद्ध प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है।</p> <p>हमने प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन में सुधार करके भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों को अपनाने की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण किया है। प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर जोखिम भारित निवेशों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नमूने तकनीकों को अपनाया गया और बैंक के वित्तीय विवरणों में इसके वहन मूल्य के लिए परीक्षण किया गया।</p> <p>हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और मूल्यहास के स्वतंत्र जांच की विधि द्वारा बैंक के गैर निष्पादित निवेशों का सत्यापन किया है और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की है। हमारे द्वारा ब्याज/मूलधन के रूपांतरण/ लागूकरण के परिणामस्वरूप निवेशों की एक अलग सूची प्राप्त की और जांच की गई कि क्या इन निवेशों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए चुने गए नमूनों में बैंक की आय पर भौतिक प्रभाव को कवर करने के लिए निवेश की अधिकतम श्रेणियां शामिल हैं।</p> <p>हमारे द्वारा नमूने आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के निवेशों की जांच की गई और आय निर्धारण, विक्रय पर लाभ या हानि में विभिन्न विश्लेषणकारी पद्धतियों को लागू किया गया तथा लाभ व हानि में नामे/ जमा करने के जरिए बैंक द्वारा नियंत्रण रखा गया।</p> <p>हमारे द्वारा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) निवेशों का परीक्षण किया गया और परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) के क्रय/ विक्रय के संव्यवहारों की जांच की तथा लाभ और हानि खाते से लाभ/ हानि की पहचान कर टीआईबीडी द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को लागू किया तत्पश्चात 9पूँजीगत आरक्षित खाते को विनियोजित किया गया।</p>

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
2.	<p>Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank.</p> <p>Impact of Impairment assessment is having overall significance to the financial results of the Bank.</p> <p>Interest Income from Investment of the Bank comprises 27.98% of the total income in view of these significant points including assessment of non performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter.</p>	<p>Our Audit approach towards Investment Portfolio of the bank is based on compliance and requirements of RBI circulars and directives in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provision for Investments and relevant policies and procedures adopted by the Bank including effective implementation of Internal control system and related process.</p> <p>We tested accuracy and completeness of adoption of RBI guidelines and directions by reperforming valuations for each category of the securities. Various sampling techniques were adopted to ensure coverage of risk weighted Investments based on the nature of security and were tested for its carrying value in the Financial Statements of the Bank.</p> <p>We have verified the non performing investments of the bank by the method of independent verification of provisions and depreciation in accordance with RBI guidelines and confirmed the compliance of such guidelines. We have reviewed the application / conversion of interest / principal towards a separate List of Investments and checking whether these Investments are classified as NPI. The samples selected for the same covers the majority categories of Investments to cover the material impact on the income of the Bank.</p> <p>We have verified Investment portfolio of AFS and HFT on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tracked the controls implemented by the Bank through credit / debit in the profit and loss account.</p> <p>We have tested the portfolio of HTM and made detailed verification of transaction of purchase / sale of such HTM and controls implemented by the TIBD in recognizing the profit / loss to profit and loss account and subsequent appropriation to Capital Reserve Account.</p>



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		हमने निवेश की प्रत्येक श्रेणी के मूल्यहास और हानि की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान को फिर से दोहराया है और यह सुनिश्चित किया है कि नोटों से खालों में पर्याप्त प्रकटन किए गए हैं।
3.	<p>सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा :</p> <p>ऑटोमेशन व एप्लिकेशन के माध्यम से अधिक मात्रा में व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करने के लिए बैंक के मुख्य व्यवसाय उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन, नियंत्रण, निगरानी, कार्यान्वयन कम्प्लेक्स आई आर्किटेक्चर के माध्यम से किया जाता है, जोकि बैंकिंग व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा व्यवसाय लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकबोन के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।</p> <p>आय की मान्यता के संबंध में बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया, आईआरएसी मानदंडों के माध्यम से आस्तियों का वर्गीकरण तथा बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और विभिन्न एप्लिकेशन के माध्यम से वांछित आउटपुट प्रदान करने तथा अन्य आईटी सामान्य नियंत्रण आवश्यक व्यवसायिक आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए और गुणवत्ता प्रदर्शन वित्तीय और लेखा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु हमारी सहायता करता है।</p> <p>हमने विभिन्न उत्पादों और योजनाओं को लागू करने में विभिन्न अनुप्रयोग और नियंत्रण ढांचे की पहचान की है जो बैंक व्यवसाय के अधिकांश भाग को कवर करते हैं और इसलिए हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नियंत्रण को एक मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में मानते हैं।</p>	<p>सूचना प्रौद्योगिकी बैंक के विभिन्न एप्लिकेशन, जनरल, सॉफ्टवेयर नियंत्रणों के माध्यम से बैंक की परिचालन आवश्यकताओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाती है और बैंक की जोखिम आधारित और व्यावसायिक केंद्रित आवश्यकताओं के मूल्यांकन में विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समझ की आवश्यकता होती है।</p> <p>हमने उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, प्रणाली सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रिया, कार्य का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित विभिन्न आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन की दिशा में है।</p> <p>हमारे द्वारा विभिन्न तकनीकों को अपनाया गया जैसे कि जांच-पड़ताल; हमारे परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने लेकर विभिन्न एप्लिकेशन नियंत्रणों के दस्तावे, जीकरण, अभिलेख, रिपोर्ट, अवलोकन और पुनः प्रदर्शन की समीक्षा। हमने निगेटिव जांच तकनीक के उपयोग से वैधता की जांच का परीक्षण भी किया गया।</p> <p>हमारे द्वारा विभिन्न क्षतिपूर्ति नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और वैकल्पिक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया जो आवश्यक थे और बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग परिदृश्य की व्यापक समझ एकत्रित की। इसके बाद प्रयोग की मैपिंग को समझने और लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न वित्तीय जोखिम को समझने की प्रक्रिया का पालन किया गया।</p> <p>हमारे द्वारा पासवर्ड नीतियों, सुरक्षा कॉन्फिगरेशन, सिस्टम इंटरफ़ेस जैसे एप्लीकेशन और डेटाबेस और उस व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के परिवर्तनों पर नियंत्रण का भी आकलन किया गया तथा यह नियंत्रण सुनिश्चित किया गया कि डेवलपर्स और प्रोडक्शन सपोर्ट के पास एप्लीकेशन को बदलने के लिए पहुंच नहीं है, कार्यों का समुचित</p>

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		We have examined the adequacy and appropriateness of depreciation and Impairment of each category of Investment and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Guidelines and ensured that adequate disclosures have been made in Notes to Accounts.
3.	<p>Information Technology Systems and Control Framework:</p> <p>The Bank's key business objective is determined evaluated, controlled, monitored, implemented through complex IT architecture to support high volume of business operation by automation and application which are significant towards Banking business and plays a major role as a backbone in achieving the Business Objective.</p> <p>The Bank's financial accounting process in respect of recognition of Income, classification of Assets through IRAC Norms and evaluating the performance of the Bank and producing the desired output through various application and other IT general controls to ensure the required business Output and helps us to arrive at the Audit conclusion to ensure quality performance Financial & Accounting Processes.</p> <p>We have identified various application and control framework in implementing various products and schemes which covers majority of Bank's business and hence we consider Information Technology Systems and Control as a Key Audit Matter.</p>	<p>Information Technology forms an integral part of operating requirements of the Bank by way of various applications, general, software controls and requires understanding of various systems and procedures in evaluating the Risk based and business centric requirements of the Bank.</p> <p>We have reviewed the various IT policies and procedures including user management, change management, system security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duty, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure these are in line with business requirements of the Bank and to comply with government and RBI regulations.</p> <p>We have adopted various techniques such as enquiry, review of documentation, record, reports, observation, and re performance of various application controls by taking adequate samples of instances for our test. We have also tested validation checks using negative testing technique.</p> <p>We have tested various compensating controls and performed alternate procedures which were necessary and gathered a comprehensive understanding of IT applications landscape implemented by the Bank. It was followed by process understanding mapping of application to the same and understanding financial risk posed by people, process and technology.</p> <p>We have also assessed areas including password policies, security configuration, system interface controls over changes to applications and databases and that business users and controls to ensure that developers and production support did not have</p>

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
		<p>पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वातावरण में ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस, एसओपी के अनुसार बनाया गया है।</p> <p>हमारे द्वारा नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधन तंत्र पर साइबर सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, प्रमुख सूचना अवसंरचना के परिचालन सुरक्षा, डेटा और क्लाउड सूचना प्रबंधन, निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन को हमारे द्वारा आयोजित कुछ डेटा ड्रिल के माध्यम से और आवश्यक परिणामों की तुलना करने के लिए परीक्षण किया है।</p> <p>हमारे द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा शुरू की गई व्यापार निरंतरता योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया गया और कोविड-19 की परिस्थितियों के अंतर्गत निरंतरता तथा वृद्धि सुनिश्चित की।</p> <p>हमने प्रबंधन द्वारा अधिक समग्र, व्यापक तरीके से किए गए सुरक्षा नियंत्रण के कार्यान्वयन के जोखिम का परीक्षण किया है, ताकि सुनिश्चित हो कि सभी व्यावसायिक निर्णय बैंक के उद्देश्य पर अनिश्चितताओं के समग्र प्रभाव को देखते हुए उचित जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन पर आधारित हैं।</p>
4.	<p>प्रावधान और आकस्मिक देयताएं :</p> <p>अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन। (अनुसूची 17 की नोट क्र.11 और अनुसूची 18 की नोट क्र.14)</p> <p>प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।</p>	<p>हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है।</p> <p>मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;</p> <p>प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना।</p>

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
		<p>access to change applications, the operating systems or databases in the production environment to ensure proper segregation of duties is in place as per the SOP.</p> <p>We have tested certain critical aspects of cyber security on network security management mechanism, operational security of key information infrastructure, data and client information management, monitoring and emergency management. through certain data drill conducted by the Management and scrutinised by us and comparing the required results.</p> <p>We have also assessed the requirement of the implementation of Business Continuity Plan initiated by the Bank due to impact of COVID -19 pandemic and ensured sustainability and growth under COVID -19 circumstances.</p> <p>We have verified the testing report carried out by the Management on risk of implementation of security control in a more holistic, comprehensive way, ensuring that all business decisions are based on proper Risk assessment and management considering the overall effect of uncertainties on the Bank's Objective.</p>
4.	<p>Provisions and Contingent Liability:</p> <p>Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 11 of Schedule 17 and Note No. 14 of Schedule 18)</p> <p>There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet.</p>	<p>We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.</p> <p>Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon;</p> <p>Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues.</p>



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है।	महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/ कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
5.	कोविड-19 प्रकोप के आलोक में अपनाई गई संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि : कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा हमारे लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण भौतिक रूप से शाखा को भेंट देना संभव नहीं था। अतः बैंकों को लेखापरीक्षा अन्य स्थान से करने के निर्देश जारी किए गए। परिणामस्वरूप बैंक की कई शाखाओं/ अंचलों/ प्रधान कार्यालय के परिसर को भेंट देकर लेखापरीक्षा संपन्न नहीं की जा सकी। चूंकि हम व्यक्तिगत/ भौतिक रूप से लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकें और शाखाओं/ अंचल/ प्रधान कार्यालय के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी नहीं की जा सकी। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि को अन्य स्थानों से करने के लिए संशोधित किया गया। हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि की पहचान प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।	कोविड-19 महामारी के कारण हमने लेखापरीक्षा राय बनाने और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि संपादित की। संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि को पूरा करने के लिए बैंक ने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक रिपोर्टों और दस्तावेजों को देखने के लिए बैंक के नेटवर्क पर हमें एक कस्टमाइज्ड इंटरनेट पोर्टल उपलब्ध कराया है। हमारे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल है; 1. कोविड-19 के कारण जहां भौतिक रूप से जाना निषिद्ध था, बैंक की उन शाखाओं/ अंचलों के संबंध में रिमोट एक्सेस/ ई-मेल के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों/ दस्तावेजों/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन किया गया। 2. दस्तावेजों, विलेख, प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित अभिलेखों की स्कैन प्रतियां प्राप्त की गईं और प्रतियों का सत्यापन किया गया। 3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संवादों और फोन कॉल/ कॉन्फ्रेंस कॉल, ई-मेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूछताछ की गई। हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान पदनामित पदाधिकारियों के साथ आमने-सामने की चर्चा की बजाय टेलीफोन/ ई-मेल के माध्यम से किया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के तहत स्तंभ III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के तहत पिलर III प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या

Sl. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
	We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law.	Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved.
5.	Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak: In view of the COVID-19 pandemic, lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities at some of the branches and Zones during the period of our audit, the Bank too facilitated carrying out audit remotely. In some cases, audit could not be conducted by visiting the premises of some of the Branches and Zonal offices of the bank. As some of the auditors could not obtain audit evidence in person / physically and personal interactions with the officials at the Branches and Zonal offices, accordingly our Audit procedures were modified to carry out the Audit remotely. We have identified such modified Audit Procedure as Key Audit Matter.	Due to the COVID-19 Pandemic, we carried out modified audit procedures to obtain reasonable assurance to form an audit opinion. To carry out modified audit procedure, the Bank has made available to us a customized intranet portals hosted on Bank's network enabling us to access reports and documents we sought necessary for the purpose of Audit. Our modified audit procedure included; 1. Conducted verification of necessary records / documents / CBS and other application software electronically through remote access / emails in respect of some of the Branches / zones of the Bank wherever physical access was prohibited due to COVID-19. 2. Obtained and carried out verification of scanned copies of documents, deeds, certificates, and other related records. 3. Made enquiries to obtain necessary audit evidence through video conferencing, dialogues, and discussions over phone calls / conference calls, emails, and similar communication channels. Resolved our audit observations telephonically / through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for other information. The other information comprises the information other than Consolidated Financial Statements and our Auditors' Report thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosures.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar III disclosures under Basel III Disclosures we do not express any form of assurance conclusion thereon.

लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं। यदि, अन्य जानकारी पढ़ने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट “अभिशासन हेतु प्रभाषित” को करना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभाषित का उत्तरदायित्व

6. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय समेकित विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए जिम्मेदार है, जो समूह और इसकी सहयोगी कंपनी सहित इसकी समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक 21 “समेकित वित्तीय विवरण” और लेखा मानक 23 - “समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन” सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। समूह और इसके सहयोगी सहित संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण हैं, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उत्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों में शामिल संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार, करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो। समूह और इसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल भी, समूह और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या समेकित वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

In connection with our Audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Other Information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matters to 'Those charged with Governance'.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the Consolidated financial position, Consolidated financial performance and Consolidated cash flows of the Group including its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India and in accordance with the Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements", and Accounting Standard 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the group and its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of presentation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid .

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associate are responsible for assessing the ability of the Group and its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intend to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of the associate is also responsible for overseeing the Financial Reporting process of the Group and its associate.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त :

- समेकित वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।
- प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि यह हमारा निष्कर्ष होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं तथापि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त करते हैं, का मूल्यांकन करना।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए समूह और उसकी सहयोगी संस्थाओं या इकाइयों की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंधित पर्याप्त समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके समेकित वित्तीय विवरणों के हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य अनुषंगी इकाई और सहयोगी कंपनी, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और अलेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों को सहयोगी कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के लिए ऐसे अन्य लेखा परीक्षक और सहयोगी कंपनी का प्रबंधन उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने लेखा परीक्षा मत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम होल्डिंग कंपनी के अभिशासन का प्रभाव प्रदत्त लोगों और इस तरह की अन्य इकाइयों के साथ संवाद करते हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिसके लिए हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group and its associate's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associate to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities of the Group and its associate to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the Financial Statements of such entity included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other subsidiary entity and associate included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditor and the unaudited financials approved by management of the associate, such other auditor and the management of the associate remains responsible for direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with Those charged with governance of the Bank included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors regarding, among other

आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंध में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

अन्य मामले

- हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 778 शाखाओं के वित्तीय विवरणों /जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2022 को रु.60536.11 के कुल अग्रिम दर्शाती है और जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु.4778.90 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों /सूचनाओं को सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और हमारी राय में अब तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, जो पूरी तरह से ऐसे सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा, हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 1239 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 को कुल रु.19043.09 करोड़ के कुल अग्रिम दर्शाते हैं और प्रबंधन द्वारा विचार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता अनुसार उस दिन समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.1630.65 करोड़ दर्शाते हैं।

इसके साथ ही, हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण /वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए अनुसार रु.20.65 करोड़ की कुल आस्तियां प्रदर्शित करती है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.2.29 करोड़ और कर पश्चात निवल लाभ रु.0.55 करोड़ है। समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहयोगी कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है और कंपनी के सहायक प्रतिष्ठान द्वारा प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रु.1.79 करोड़ के कर पश्चात निवल लाभ की समूह की साझेदारी को भी शामिल किया गया है। एक सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। सहायक कंपनी और अनुषंगियों के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट और विवरण प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस सहायक और सहयोगी कंपनी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक और

matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with Those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

- We did not audit the Financial Statements / information of 778 branches included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / financial information reflect total advances of Rs. 60536.11 Crores as at 31st March, 2022 and total revenue of Rs. 4778.90 Crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Financial Statements / information of these branches have been audited by the Statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such Statutory branch auditors. Further we did not audit the Financial Statements of 1239 branches included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose Financial Statements reflect total advances of Rs. 19043.09 Crores as at 31st March, 2022 and total revenue of Rs. 1630.65 Crores for the year ended on that date as considered in the Consolidated Financial Statements have been drawn by the management.

Also, we did not audit the Financial Statements of the subsidiary company whose Financial Statement / financial information reflects total assets of Rs. 20.65 Crores as at 31st March, 2022, Total revenue of Rs. 2.29 Crores and net profit after Tax of Rs.0.55 crore for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of Net Profit after tax of Rs. 1.79 Crores for the year ended 31st March, 2022 as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of one associate, whose Financial Statements / financial information have not been audited by us. The Financial Statements/financial information of the subsidiary company and associate have been audited by the other auditors, whose reports and statements have been furnished to us by the management, and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary and associate and our report in terms of sub section (3) of sec 143 of the Act, in so far it relates to the aforesaid subsidiary and associate, is based solely on the reports of the other auditors in respect of subsidiary company and associate. Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not

सहयोगी कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से सहायक कंपनी और अनुषंगियों के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय तथा नीचे अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी द्वारा इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह तैयार किया गया है।
10. उपर्युक्त परिच्छेद 5 से 8 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्वधीन तथा बैंकिंग कंपनीया (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ख) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और
 - ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।
11. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को आरबीआई द्वारा जारी पत्र क्र. डीओएस. एआरजी.क्र.6270/08.91.001/ 2019-20 और उसके बाद के दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित की आवश्यकताओं के अनुसार, हम उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:
 - क) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।
 - ख) वित्तीय संव्यवहार या मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - ग) 31 मार्च, 2022 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च, 2022 तक किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
 - घ) खातों और इससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
 - ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावात्मकता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

- क) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां बैंक द्वारा रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनको हमने भेंट नहीं दी है;
- ख) इस रिपोर्ट द्वारा संचलित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के विवरण संबंधित लेखा बहियों और हमारे द्वारा भेंट नहीं दी गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसरण में हैं।

modified in respect of these matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditors and the Financial Statements / financial information certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
11. As required by letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
 - c) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2022, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2022 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
 - d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March, 2022.

12. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;

- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है और
- घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते मैसर्स बाटलीबोई एंड पुरोहित
एफआरएन: 101048डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Batliboi & Purohit
FRN: 101048W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स अबर्णा एंड अनन्थन
एफआरएन: 000003एस
सनदी लेखाकार
for M/s. Abarna & Ananthan
FRN: 000003S
Chartered Accountants

कृते मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी
एफआरएन: 108846डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for M/s. Rodi Dabir & Co.
FRN:108846W
Chartered Accountants

कृते मैसर्स एस भंडारी एंड कंपनी
एफआरएन-000560सी
सनदी लेखाकार
For M/s. S Bhandari & Co.
FRN-000560C
Chartered Accountants

सीए रमन हंगेकर
भागीदार
सदस्यता क्र: 030615
यूडीआईएन: 22030615AJNZOW2893
CA Raman Hangekar
Partner
Membership No: 030615
UDIN - 22030615AJNZOW2893

सीए क्लेमेंट ग्रेटियन पिंटो
भागीदार
सदस्यता क्र: 023238
यूडीआईएन: 22023238AJNWWS2748
CA Clement Gratian Pinto
Partner
Membership No: 023238
UDIN - 22023238AJNWWS2748

सीए आशीष बडगे
भागीदार
सदस्यता क्र: 121073
यूडीआईएन: 22121073AJNYHI1726
CA Aashish Badge
Partner
Membership No: 121073
UDIN - 22121073AJNYHI1726

सीए प्रमिति पारीक
भागीदार
सदस्यता क्र: 417124
यूडीआईएन: 22417124AJNXPW4554
CA Pramiti Pareek
Partner
Membership No: 417124
UDIN - 22417124AJNXPW4554

स्थान : पुणे
दिनांक : 25 मई, 2022

Place : Pune
Date : 25th May, 2022



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान बैंक द्वारा संपन्न सीएसआर गतिविधियां CSR Activities by Bank during FY 2021-2022



Vaccination Drive at Pune



Distribution of relief items
at Kolhapur



Providing ready-to-live shelters
to flood affected people at Satara



Swachta Pakhwada Awareness
Campaign & distribution of hygiene kits



Changing room for public
at Kumbh Mela, Haridwar



Providing Folding Sticks
to visually challenged



Distribution of relief items to flood
affected people at Mahad & Ratnagiri,
Maharashtra

जन भागीदारी अभियान Jan Bhagidari Campaign





UPI
Maha UPI


Internet
Banking



Maha Mobile



Whatsapp
Banking



Bill Payments



Debit Cards

16 September 1935



डिजिटली प्रगति पथ पर *Going Forward* **DIGITALLY**



www.bankofmaharashtra.in

Follow us @mahabank      